CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. IV, First Session, 2019/1941 (Saka)
No. 35, Friday, August 02, 2019 / Shravana 11, 1941 (Saka)

SUBJECT	PAGES
PAPERS LAID ON THE TABLE	10
MOTION RE: SEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	11
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	
Janbhagidari Food Nutrition Programme	29-32
JALLIANWALA BAGH NATIONAL MEMORIAL (AMENDMENT) BILL, 2019	33-157
Motion to Consider	33-34
Shri Prahlad Singh Patel	33-34
Shri Gurjeet Singh Aujla	35-38
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	39-42
Shri Dayanidhi Maran	43-44
Prof. Sougata Ray	45-48
Shri Raghu Rama Krishna Raju	49-50
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	52-53

Shri Vinayak Bhaurao Raut	54-55
Kunwar Danish Ali	56-58
Shri Ramprit Mandal	59
Shri Bhartruhari Mahtab	60-64
Shrimati Supriya Sadanand Sule	65-66
Shri Benny Behanan	67-69
Shri Sumedhanand Saraswati	70-73
Shri DNV. Senthilkumar S.	74-75
Shri Harish Dwivedi	76-77
Shri Rahul Ramesh Shewale	78
Shri N.K. Premachandran	79-80
Shri Jasbir Singh Gill	81-82
Shri Ramesh Bidhuri	83-84
Shri Bhagwant Mann	85-86
Shri Virendra Singh	87-88
Shri Prahlad Singh Patel	89-93
Clauses 2, 3 and 1	97-156
Motion to Pass	156-157

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 51
DAM SAFETY BILL, 2019 158-252

Motion to Consider 158-163

Shri Gajendra Singh Shekhawat	158-163, 251-252
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	164-167
Shri N.K. Premachandran	168-171
Shri A. Raja	172-176
Shri P.P. Chaudhary	177-180
Sushri Mahua Moitra	181-185
Shri Margani Bharat	186-188A
Shri Shrirang Appa Barne	189-190
Shri Ramprit Mandal	191-193
Shri Sunil Dattatray Tatkare	194-195
Shri Bhartruhari Mahtab	196-200
Shri Kotha Prabhakar Reddy	201-202
Adv. Dean Kuriakose	203-204
Shri Tapir Gao	205-207
Dr. Thol Thirumaavalavan	208-209
Shri P. Raveendranath Kumar	210-211
Shri Hanuman Beniwal	213-215
Shrimati Rama Devi	216-217
Shri Pradyut Bordoloi	218-219
Shrimati Navneet Ravi Rana	220-221
Shri Jayadev Galla	222-224

Shri Haji Fazlur Rehman	225-227
Shri P.R. Natarajan	228
Shrimati Sumalatha Ambareesh	229
Shri Tejasvi Surya	230-232
Shri Suresh Pujari	233
Shri Vijay Kumar Hansdak	234
Shri Guman Singh Damor	236-237
Shri Balak Nath	238
Shri Arjun Lal Meena	239
Shri Uday Pratap Singh	240-241
Shri Dharambir Singh	242
Shri Gajendra Singh Shekhawat	243-246
Clauses 2 to 56 and 1	252
Motion to Pass	252
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2019 (*AS PASSED BY RAJYA SABHA*)	253-302
Motion to Consider	253-255
Shri Hardeep Singh Puri	253-255, 292-302
Dr. K. Jayakumar	256-258
Shrimati Supriya Sadanand Sule	259-260
Shri Rajiv Pratap Rudy	261-268

Shri Balli Durga Prasad Rao	269-271
Shri Rahul Ramesh Shewale	272-273
Shrimati Navneet Ravi Rana	274-275
Shri Anubhav Mohanty	276-278
Kunwar Danish Ali	279-284
Shri P.R. Natarajan	285
Shri Sushil Kumar Singh	286-288
Prof. S.P. Singh Baghel	289-290
Shri C. P.Joshi	291
Clauses 2, 3 and 1	299-300
Motion to pass	302

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 02, 2019/Shravana 11, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

11.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर-1, श्री संजय धोत्रे जी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) (संशोधन) नियम, 2019 जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 667/17/19]

2. प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3क की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1119 (अ) जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 668/17/19]

11.02 hrs

MOTION RE: SEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I beg to move the following:-

> “That this House do agree with the Seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 1st August,2019.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

> “कि यह सभा 1 अगस्त, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

____

*__SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):__ Hon. Speaker Sir, Vanakkam. The Government is committed to act against terrorism. Several laws and amendment laws have been legislated in this august House to fight terrorism. Incidents of mob lynching and honour killing are on the rise in this country. These two should be considered as crimes relating to terrorism. I request the Government through you that incidents of mob lynching and honour killing should be included in the list of terrorist activities. National Crime Records Bureau NCRB, released its last Report in the year 2016, it says that 71 incidents of honour killings have taken place throughout the country. From 2015 to 2019, 99 incidents of mob lynching have taken place in the country, We have the definition for terrorism. Terrorism is either for political reasons against the people or for religious ambitions or an ideology or executing killing in a planned way by use of violence or instilling fear or inducing separatism or affecting peace. This explanation fully suits to the mob lynching and honour killing incidents also. I therefore urge that these two should be considered as crimes of terrorism. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन के गरौठा भोगनीपुर के अंतर्गत हमारी एक विधान सभा माधौगढ़ है। हमारे यहां जितने भी ब्लॉक्स हैं, वे सब नदियों के किनारे हैं। वहां ऊबड़-खाबड़ जगह है। इसकी वजह से हमारे यहां के जितने भी नौजवान बच्चे हैं, वे पैरामिलिट्री तथा सेना में भर्ती होने के लिए अन्य जगह जाते हैं। हमारे क्षेत्र में किसी ट्रेनिंग सेन्टर नहीं होने की वजह से बच्चों को

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

ढेर सारी परेशानियां होती हैं। विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के अंतर्गत गरौठा विधान सभा क्षेत्र है, उसमें डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। वहां हर चीज है। मिलिट्री से संबंधित सारी चीजों का वहां निर्माण किया जाएगा। वहां से ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिलिट्री में भर्ती होंगे, पैरा-मिलिट्री फोर्स में भर्ती होंगे।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक पैरा-मिलिट्री फोर्स या सेना में बच्चों की भर्ती के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल - उपस्थित नहीं।

श्री गुहाराम अजगल्ले।

श्री गुहाराम अजगल्ले (जांजगीर-चांपा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ राशि के लिए बुनकर सहकारी समिति द्वारा एनएचडीसी, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन से कोसा धागा यार्न खरीदने की अनिवार्यता का नियम 1 जनवरी, 2014 से है। हथकरघा बुनकर समिति द्वारा एनएचडीसी से कोसा धागा खरीदना गुणवत्ता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोसा धागा की मोटाई और क्वालिटी सही नहीं है। एनएचडीसी से कोसा धागा यार्न की कीमत खुले बाजार मूल्य से अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, विपणन प्रोत्साहन योजना की पात्रता के लिए एनएचडीसी से कोसा धागा खरीदने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए या एनएचडीसी बुनकर सहकारी समिति को वस्त्र निर्माण के लिए कोसा धागा यार्न उपलब्ध कराने के बजाय, कोसा फल उपलब्ध करा दें। इससे हस्तकरघा से जुड़े कामगारों को लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कपड़ा मंत्रालय में मंत्री महोदया से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बुनकर सहकारी समिति को विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ राशि का वितरण सन् 2011 से 1 जनवरी, 2014 तक का नहीं हुआ है। उनकी बकाया राशि का वितरण कराने हेतु आवश्यक आदेश-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, उत्तर बंगाल के तराई-द्वारस क्षेत्र में तीस्ता नदी के ऊपर बने डैम के समीप एक महत्वपूर्ण ब्रिज है, जिसका नाम कोरोनेशन ब्रिज है, जिसे बाघ पुल, सेवॉक ब्रिज भी कहा जाता है। यह ब्रिज दार्जिलिंग जिले को अलीपुर और जलपाईगुड़ी जिले से जोड़ता है। नेशनल हाईवे रोड एन.एच. 31(c) इस ब्रिज से होकर गुजरती है। इसका निर्माण कार्य सन् 1936 में शुरू हुआ। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया और वर्ष 1941 में इसका काम पूर्ण किया था। यह ब्रिज मात्र पर्यटक आकर्षण का केन्द्र नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में आवाजाही का माध्यम भी है। यह पुल हरे परिवेश का नजारा भी प्रदान करता है। इससे यात्रियों को उस क्षेत्र को देखने और आने-जाने में सुविधा होती है। मेरे क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो, तो अस्पताल जाने के लिए या किसी कारणवश शहर जाना हो या अपने क्षेत्र से बाहर सफर करना हो तो सेवॉक की पहाड़ियों में स्थित कोरोनेशन ब्रिज से होते हुए सिलीगुड़ी शहर जाना पड़ता है।

महोदय, इस ब्रिज की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। आज ब्रिज जर्जर अवस्था में है और कभी भी टूट सकता है। अगर यह ब्रिज टूटता है तो लाखों की संख्या में लोगों पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। हाल ही में राजस्थान के पर्यटक गए थे, तो चार लोग इस ब्रिज के सामने नदी में गिर कर मर गए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद में निवेदन करता हूं कि इस ब्रिज का विकल्प जितनी जल्दी हो सके, ढूंढ़ा जाए। रेलवे ब्रिज के समीप अगर नए ब्रिज की कल्पना करें, तो सिलीगुड़ी सफर को 30 से 40 मिनट तक कम किया जा सकता है। यह समय की बचत मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में जीवन रक्षक साबित हो सकती है। धन्यवाद।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र भिंड के गोहद विधान सभा में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें बाहर के युवा वर्ग उसमें काम करते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि मेरे क्षेत्र के काफी नौजवान शिक्षित हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, उनको लाभ मिले तो बहुत अच्छा रहेगा।

वहां पचासों फैक्ट्रियां हैं। वहां से दूषित पानी निकलता है, गोहद क्षेत्र में एक वेसली डैम है, उस डैम में प्रदूषित पानी मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि फैक्ट्रियों की जो समय सीमा रहती है, उस समय सीमा में उनकी जांच हो, दूषित पानी तालाब में जाता है और वही पानी गोहद क्षेत्र की जनता पीती है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये दोनों विषय थे। वहां के नौजवानों को लाभ मिले, उन्हें अन्यत्र जगह जाना पड़ता है। वे लोग हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम की तलाश में भटकते रहते हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों को वहीं काम करने का अवसर मिले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जी का ध्यान किसानों की एक समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन देती है। सस्ते ब्याज पर यह पैसा दिया जाता है। छह माह के अंदर किसानों को पैसा वापस जमा कराना पड़ता है। परंतु कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे अकाल या फसल खराब होने के कारण किसान समय पर पैसा जमा नहीं करा पाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि किसान को नोटिस आना प्रारंभ हो जाता है। किसान को तीन प्रतिशत ब्याज की सुविधा समाप्त हो जाती है और भारी ब्याज देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसान किसी साहूकार से पैसा उठाता है।

अध्यक्ष जी, कई बार पांच-पांच सैकड़ा पर एक सप्ताह के लिए पैसा उठाना पड़ता है जबकि ये पैसा जमा कराने के सात दिन बाद बैंक उसको वापस पैसा दे देते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि किसान से मात्र ब्याज जमा करा लिया जाए तो किसान इस मार से बच जाएगा। साहूकारों के शोषण से बच जाएगा। दोबारा उसके पास साधन होगा तो वह पैसा जमा करा सकता है। मेरा निवेदन है कि यह सुविधा किसानों को दी जानी चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री नारणभाई काछड़िया को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा। छोटा उदयपुर एक आदिवासी इलाका है, जहां से गीताबेन जी चुन कर आई हैं।

श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा (छोटा उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर, गुजरात में विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ जैसे फ्लोराइड, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, लेथेनाइट इत्यादि भंडार है। पूर्व गुजरात सरकार द्वारा कवांट ताल्लुका के कड़ीपानी और अमबाडुनगर में फ्लोराइड खनन का कार्य किया जाता था, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसके साथ ही क्षेत्र के हजारों स्थानीय निवासियों को भी रोजगार की प्राप्ति होती थी।

वर्तमान में कुछ अप्रत्याशित कारणों की वजह से यह कार्य बंद है। मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर गुजरात में अभी भी अनेक प्रकार के खनिज सम्पदा के भंडार होने की संभावना है। वर्तमान में पुन: उसी स्थान पर कवांट तालुका में लेथेनाइट और रेअर अर्थ एलिमेंट के भंडार होने का पता चला है। वह सोना से भी अधिक कीमत वाला है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि खनन मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल को यथाशीघ्र छोटा उदयपुर में गहन जांच के लिए भेजा जाए, जिससे क्षेत्र में उपलब्ध खनिज सम्पदा की सही वस्तुस्थिति का पता चल सके और इन संसाधनों की विस्तृत कार्य योजना बना कर हजारों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री नारणभाई काछड़िया को श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सारी भाषाओं का उल्लेख है और आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यताओं का दर्जा मिला हुआ है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में सदन में बहुत से नए इतिहास बने हैं। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में मान्यता मिली, वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को मान्यता मिली, वर्ष 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को मान्यता मिली। भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषाएं ऐसी हैं जो राज्य विधान सभाओं से अनुमोदित हो चुकी हैं और इनकी पहचान अब केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको मान्यता मिल चुकी है। मारीशस ने भी वर्ष 2011 में भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया। नेपाल में कैबिनेट मंत्री हेमराज टाटेर ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली। नेपाल की संविधान सभा में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल चुकी है। मारीशस, गुयाना, फिजी, सूरीनाम में मान्यता मिल चुकी है। अब माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, पिछली तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के सामने हम और मेघवाल जी थे। यह मामला लगातार चौथी लोक सभा से चल रहा है। इस संबंध में कम से कम अभी तक 18 बार निजी विधेयक आ चुके हैं, स्पेशल मेंशन, कॉलिंग अटैंशन लगातार आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। कम से कम 16 देशों में 20 करोड़ लोग बोल रहे हैं, गृह मंत्रालय कहता है कि आखिर हम किस तरह से मान्यता दें क्योंकि और भी बहुत भाषाओं के लिए मान्यता की मांग हो रही है। सदन इस बात को तय कर ले कि जिन भाषाओं को राज्य की विधान सभाओं ने आठवीं अनुसूची में शामिल करने की संस्तुति की हो, उन राज्य विधान सभाओं की संस्तुति को मान जाए और उन भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिला है। ऐसी तमाम भाषाएं जो लंबित हैं, उनमें केवल तीन भाषाएं भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने मान्यता दे दी है, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का निर्देश हो जाए। यहां माननीय रक्षा मंत्री प्रकाश जी बैठे हैं, इन तीनों भाषाओं को मान्यता दी जाए। इसमें पैसे का कोई खर्च नहीं होना है। इससे पहले एक करोड़ से कम आबादी में बोले जाने वाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं, ऐसी भाषाएं जो भारत की नहीं हैं, नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री हरीश द्विवेदी, डॉ. संजय जायसवाल और श्री चुन्नी लाल साहू को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, जगदम्बिका जी ने अभी भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में बताया। यह भी ठीक है कि कुछ साल पहले नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया। ईस्टर्न जोन में भोजपुरी भाषा की अलग तरह की मेजोरिटी है। इस विषय पर सरकार को जल्दी से जल्दी बिल लाकर भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में मान्यता देनी चाहिए। हम इसके लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं।

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Hon. Speaker Sir, I rise here to raise a very important issue. Most of us come here from the students' movement. Today, it is very unfortunate that in most of the Central Universities, students' union elections have not taken place. Most of those institutions were established during non-cooperation movement. गांधी जी के असहयोग आंदोलन की पैदावार के कई विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन देश में हैं। इलाहाबाद युनिवर्सिटी में चुनाव नहीं हुआ। मैं खास तौर से असहयोग आंदोलन से उपजे हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के संबंध में कहना चाहता हूं। यहां वर्ष 2005 से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर छात्र संघ के चुनाव देश में, कुछ न कुछ बहाना लेकर बैन कर दिए जाएंगे तो जो अच्छे छात्र नेता संघर्ष करके हाउस में आते हैं, कहीं न कहीं उनके साथ नाइंसाफी होगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, मैं देख रहा हूं पिछली सरकार में दो एचआरडी मिनिस्टर्स यहां बैठे हैं, दोनों के संज्ञान में होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में वर्ष 2005 से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। दिल्ली में छात्र संघ के चुनाव इस बात को लेकर बैन करना कि कभी किसी छात्र संघ के चुनाव में छोटी-मोटी वाएलेंस हो गई थी, इसलिए 15 साल तक चुनाव न कराएं, यह छात्रों के साथ अन्याय है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، گاندھی جی کے اسہیوگ آندولن کی پیداوار کے کئی یونیورسٹیز اور ادارے ملک میں ہیں۔ الا آباد یونیورسٹی میں چناوُ نہیں ہوا۔ میں خاص طور اسہیوگ آندولن سے اُپجی ہوئی مرکزی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں سال 2005 سے طلبا یونین کے انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔

یہ بہت ہی بد قسمتی کی بات ہے، کہ اگر طلبا یونین کے انتخابات ملک میں کچھ نہ کچھ بہانا لیکر بین کر دیا جائیں گےتو جو اچھے چھاتر نیتا جدوجہد کرکے اس ایوان میں آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ نا انصافی ہوگی۔ میری آپ کے ذریعہ سرکار سے گزارش ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلی سرکار کے دو ایچ۔آر۔ڈی۔ منسٹر یہاں بیٹھے ہیں۔ دونوں کی جانکاری میں ہوگا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سال 2005 سے طلبا یونین کے انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ دہلی میں طلبا یونین کے انتخابات اس بات کو لیکر بین کرنا کہ کبھی کسی طلبا یونین کے انتخابات میں چھوٹی موٹی وائلینس ہو گئی تھی، اس لئے 15 سال تاک انتخابات نہ کرائیں، یہ طالب علموں کے ساتھ نا انصافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔۔

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Rahul Kaswan – Not present.

Shri Subrat Pathak – Not present.

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Speaker, Sir, in the history of the modern world, India is the country which witnessed the most heinous refugee crisis just after the Partition in 1947. Later, we introduced the world view and followed the diplomatic stand, the idea of *Vasudhaiva Kutumbakam.* We are all proud of our tradition of welcoming all to this land. We had a history of protecting the suppressed people. But now we are deviating from this tradition.

Our stand towards the Rohingya refugees is not a part of our beautiful tradition of pluralism. A new India should not be against the humanity. According to the United Nations, the Rohingyas are the most persecuted people in the world. They approach India with a hope. They think that India will protect them because we have the ideas of *Loka Samastha Sukhino Bhavanthu* and *Atithi Devo Bhava.* But our Government is discriminating the refugees on the basis of religion. I wonder how it is possible for us because we teach the world *Manava Seve Madhava Seva,* which means, being in the service of humans is equal to being in the service of God.

The Rohingyas in the entire world are living in a very pathetic condition. The 40,000 Rohingyas in our country are living in a very miserable situation. They do not have proper shelter, sanitation, nutritious food and education. …(*Interruptions*) I request the Central Government to consider their situation and provide them with basic needs and security to live here. …(*Interruptions*) I request the Central Government to start diplomatic interference in the Rohingyas crisis. …(*Interruptions*) We need to help them to go back to their country with full safety. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Sushil Kumar Singh – Not present

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सिर्फ नन्द कुमार जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

……(व्यवधान)*

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एनडीए की मोदी सरकार ने देश भर में करोड़ों किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना शुरू की है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। प्रति किसान 6,000 रुपये की राशि तीन समान किश्तों में दी जाती है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि बंटना विधिवत प्रारंभ हो गया है और किसानों के खातों में किश्तें जा चुकी हैं। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार की उदासीनता के कारण करोड़ों किसान इस निधि से वंचित हैं। भारत सरकार की किसान हितैषी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ करोड़ों किसानों को दिलाने में मध्य प्रदेश सरकार उदासीनता बरत रही है।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मध्य प्रदेश के किसानों को दिलाने के लिए राज्य सरकार को कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करे।

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह को श्री नन्द सिंह चौहान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

* Not recorded.

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): माननीय अध्यक्ष जी, जलियां वाला बाग मेसाकर को इस साल 100 साल पूरे हुए हैं। उस हत्याकांड में हजारों लोग शहीद हुए, जख्मी हुए। शहीद ऊधम सिंह जी की शहीदी को 80 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऊधम सिंह जी ने 21 साल इंकलाब की ज्वाला को अपने अंदर जलाए रखा था। उन्होंने वर्ष 1919 में लैफ्टिनेंट गवर्नर डायर को लंदन में मारकर जलियां वाले बाग हत्याकांड का बदला लिया था और अंग्रेज सरकार ने उनको लंदन में फांसी दी थी। वर्ष 1974 में माननीय इंदिरा जी की सरकार थी, तब सरदार ऊधम सिंह जी की अस्थियों को भारत लाया गया था। ऊधम सिंह जी का गांव सनाम में अंतिम संस्कार किया गया था और कुछ अस्थियां जलियां वाला बाग में रखी गई थीं। आज भी सरदार ऊधम सिंह जी के बिलोंगिंग्स जैसे नाइफ, रिवाल्वर, डायरी और अन्य चीजें लंदन में पुलिस के कब्जे में हैं। अभी पंजाब सरकार ने सनाम में मेमोरियल बनाना शुरू किया है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि सरदार ऊधम सिंह जी के जो बिलोंगिंग्स लंदन में हैं, उनको भारत लाया जाए और उस मेमोरियल में रखा जाए। उनकी शहीदी के 80 साल पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर भारत में कोने-कोने में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी उस वक्त के नौजवानों की शहादत और देशप्रेम के बारे में जान सके।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने नोट कर लिया है।

डॉ. संजय जायसवाल और श्री मलूक नागर को श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, a new trend has come to our notice that urbanisation is often seen as synonymous with India’s economic growth. But it is now reeling under shortage of water. Many big cities are already mired in deep water crisis or heading towards it. Mindless

exploitation of groundwater has almost exhausted what could have been used as an option in times of crisis.

In 2018, a Report of NITI Aayog has stated that 21 major cities in India with a population of 100 million people would reach zero groundwater level by 2020. Further, continuous movement of people towards urban cities in search of employment opportunities have been aggravating the problem of water scarcity in urban areas.

In rural India, most villages do not have any civic supply of water and depend exclusively on groundwater. Rampant use of tube wells for irrigation has led to serious depletion of groundwater. Discriminate use of fertilizers and pesticides in farming is polluting both ground and surface water sources. It is true that as of now the poor bear the brunt of water shortages in our country. But the time is not far when people from well-to-do families will also face this problem. Unless steps are taken, India water management is bound to lead us towards a catastrophe of unimaginable and probably irreversible proportions.

I, therefore, urge upon the Government to take radical steps to address the issue of water scarcity in our country. The Government at all levels must come together to promote water conservation and prevent contamination of both ground water and surface water.

At this juncture, I would also like to request you one more thing. A decision is being taken by the Business Advisory Committee to club both water management and crisis with flood. This should be discussed separately so that

relevant Ministries should answer it when the debates take place. But this is a very acute problem which India is going to face in 2020. NITI Aayog has brought it to the notice of the country.

I urge upon this House to deliberate upon this and also the Government to take adequate steps to restore our water bodies and ground water to the extent so that we can tide over the situation. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं भावनगर से आती हूं । भावनगर के प्रजावत्सल महाराज ने आजादी से पहले भावनगर और ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को रेलवे की सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने खुद रेलवे लाइन बिछवाई थी तथा सबसे पहले हमारे सौराष्ट्र जोन में रेल चालू की थी। लेकिन, समय के साथ ये सारी रेलवे लाइन्स बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशन्स अभी भी भावनगर सिटी एवं डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं । अभी रेलवे की बहुत सारी लैंड्स नॉन यूज्ड पड़ी हुई हैं और बहुत सारी जमीन पर अतिक्रमण भी हो रहा है । पूरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 280 हेक्टेयर, बोटाद में 50 हेक्टेयर और भावनगर शहर के बीचोंबीच रेलवे की 100 हेक्टेयर लैंड ऐसे ही पड़ी हुई है । हमारे भावनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लैंड की जरूरत है । एक एनजीओ ने रेलवे की लैंड पर बहुत अच्छा काम करके सिटी के बीच ब्यूटीफिकेशन का कार्य किया है । अभी वहां हजारों की संख्या में लोग उसका यूज वॉक और जॉगर्स पार्क के लिए कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं और मांग करती हूं कि सिटी के बीचोंबीच जो नॉन यूज्ड लैंड्स पड़ी हुई हैं, उनको भावनगर कार्पोरेशन को दिया जाए, जिससे हमारा कार्पोरेशन ब्यूटीफिकेशन का कार्य कर सके और भावनगर तथा बोटाद जिले की सुन्दरता में बढ़ोतरी हो सके, लोग उनका यूज कर सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री नारणभाई काछड़िया को डॉ. भारतीबेन डी. श्याल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं त्रिपुरा स्टेट से आती हूं। हमारे स्टेट के किसान पाइनएप्पल फ्रूट का उत्पादन करते हैं। इस फ्रूट पर आधारित एक फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट नेरामैक है। असम के सिल्चर, करीमगंज तथा मिजोरम के किसानों का फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर नेरामैक, कुमारघाट में है। लेकिन, पिछले कुछ सालों से यह सेंटर बंद है। हमारे राज्य का पाइनएप्पल दुनिया का सबसे मीठा पाइनएप्पल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि नेरामैक प्रोजेक्ट, जो पिछले 10-12 सालों से बंद है, उसको पुन: चालू करें तथा मिजोरम, करीमगंज, सिल्चर और त्रिपुरा के किसान जो पाइनएप्पल की पैदावार करते हैं, उनको लाभ मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, क्योंकि त्रिपुरा एक स्टेट फ्रूट राज्य है। सरकार आने के बाद हमारे राष्ट्रपति जी ने त्रिपुरा को स्टेट फ्रूट घोषित किया था। हमारे स्टेट में क्वीन पाइनएप्पल है, जो बहुत अच्छा है और अभी इसकी पैदावार भी अच्छी हो रही है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों के उत्पाद को दोगुना करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि नेरामैक प्रोजेक्ट को पुन: चालू करे, जिससे किसानों का अच्छा लाभ मिले तथा बेरोजगारों को रोजगार मिले। धन्यवाद।

SHRI G.M. SIDDESHWAR (DAVANAGERE): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Jal Shakti towards the acute shortage of drinking water in Karnataka, especially in my Devanagere parliamentary constituency.

The Devanagere Parliamentary Constituency of Karnataka is in the middle of the State. According to the Nanjundappa Report, my constituency has more backward taluks which are facing water scarcity and many other

problems. The groundwater level has depleted as there is no water in lakes and ponds. There is no water in the borewells even at a depth of 1,000 feet. At some places, the water is harmful with high fluoride and not safe for drinking.

Even though the River Tungabhadra passes through my constituency for 70 kilometres, there is acute shortage of water. All the lakes should be filled with water by lifting it from River Tungabhadra. It will solve the problem of water shortage and also recharge the groundwater.

Since the Karnataka Government is unable to release its share of grant to the drinking water projects, I urge upon the Union Government to take special care of Karnataka, particularly backward constituencies like Devanagere, to solve the drinking water problem at the earliest, for the benefit of the people. Thank you.

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य लद्दाख से आते हैं, लद्दाख का क्षेत्र शायद इस देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। माननीय सदस्य वहां की कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल : अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं लद्दाख से आता हूं और मैं इस सदन में एक युवा सदस्य होने के नाते आपके माध्यम से यूथ और स्पोर्ट्स के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

लद्दाख में विन्टर में आइस हॉकी का बहुत महत्व है। इस खेल का महत्व केवल लद्दाख में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश में और विदेशों में भी है। लद्दाख में विशेष रूप से युवक-युवतियां इस खेल में जोर-शोर से रुचि ले रहे हैं। सन् 1970 से यह खेल लद्दाख में खेला जा रहा है। लद्दाख में इन्टरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन द्वारा एशियन चैलेंज कप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें

वर्ष 2009 से लद्दाख के युवक युवतियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे युवाओं ने ज्यादातर मैडल इंडिया को रिप्रजेंट करके भारत को गौरवान्वित किया है, लेकिन हमारे इंडिया में इस खेल का रिकाँग्नाइज़ स्पोर्ट न होने के कारण हमारे बच्चों की लाइफ व्यर्थ हो जाती है। इसके सर्टिफिकेट से जॉब में या कहीं और भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आइस हॉकी को रिकाँग्नाइज़ स्पोर्ट बनाइए। साथ ही साथ लद्दाख में विन्टर स्पोर्ट क्लब जैसे और अन्य संगठन भी जो इसका आयोजन करते हैं, उन्हें भारत सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंट दे। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसके महत्व के लिए लद्दाख में आइस हॉकी एकेडमी खोली जाए।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। लद्दाख बहुत बड़ा क्षेत्र है, परन्तु चुरू भी कम बड़ा क्षेत्र नहीं है। इस लोक सभा क्षेत्र की साढ़े तीन सौ किलोमीटर की लंबाई है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका गर्मियों में तापमान 50.3 और सर्दियों में -1 तक चला जाता है। इतने बड़े क्षेत्र में तो पूरा हरियाणा कवर हो जाता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में मात्र एक केन्द्रीय विद्यालय है। मैंने पहले भी इस बारे में मंत्रालय से बात की है। मैं आपके मार्फत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां सुजानगढ़ शहर है, जिसकी आबादी एक लाख से ऊपर है और उसको अमृत योजना में भी शामिल किया गया है, वहां केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कृपा की जाए और साथ ही साथ इतने बड़े जिले में कम से कम दो केन्द्रीय विद्यालय तो होने ही चाहिए। पिछली सरकार में सांसदों को आठ एडमिशन का कोटा मिलता था जो बाद में दस कर दिया गया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संख्या को कम से कम 25 कर दिया जाए तो हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): अध्यक्ष जी, धन्यवाद आज आपके माध्यम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय चंदन का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तमाम शायरों और साहित्यकारों ने भारतीय मलयागिर चन्दन की अपनी-अपनी तरह से व्याख्या भी अपने साहित्य ग्रंथों में की है। प्रत्येक वर्ष लगभग तीन हजार मिट्रिक टन चंदन की लकड़ी से तेल निकालने का काम किया जाता है, जिसमें एक मिट्रिक टन लकड़ी से 47 से लेकर 50

किलोग्राम तक चंदन का तेल प्राप्त होता है। बाजार में एक कि.ग्रा. तेल का मूल्य एक लाख रुपये के आसपास है। हमारी सनातन संस्कृति में चन्दन का उपयोग ईश्वर की अराधना में होता है साथ ही आयुर्वेद, कास्मेटिक, इत्र आदि के उपयोग में आने के कारण चन्दन की लकड़ी और तेल की भी दुनिया भर में भारी डिमांड है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज डिमाण्ड के सापेक्ष हम बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। जिस चंदन को दुनिया में हमारे ऋषियों, मुनियां ने जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त अंतिम संस्कार में सर्वोच्च स्थान दिया, वहीं आज हमारी नीतियों के कारण हमारे अपने ही बाजार में बाहर से आयात करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2000 के पूर्व तो चंदन का पेड़ काटना भी अपराध की श्रेणी में था। कुछ नियमों में शिथिलीकरण जरूर हुआ परन्तु आज भी बहुत जटिलता है। वर्ष 2000 से पहले बड़ी मात्रा में तमिलनाडू सरकार के द्वारा चंदन की लकड़ी का आक्शन किया जाता था, इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से वन विभाग से अपने काम के लिए चन्दन की लकड़ी की खरीददारी कर लिया करते थे, किन्तु वन विभाग के द्वारा चन्दन के पेड़ पर रुचि न लेने के कारण से यह विलुप्ति के कगार पर आता जा रहा है। जबकि आस्ट्रलिया ने दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में विश्व बाजार में चंदन का निर्यात करने में अपना स्थान मजबूती से बना लिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि आज जिस प्रकार से आस्ट्रेलिया ने 13 हजार हेक्टेयर से भी अधिक भारत के चन्दन के पेड़ लगाकर भारत में ही निर्यात कर रहा है, तो हमारे देश में भी इसे बढ़ावा मिलना चाहिए और चन्दन के पेड़ लगाने का काम हमारी भारत सरकार करे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री सुब्रत पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, अब पहली बार चुनकर आने वाले माननीय सदस्य पहली बार सदन में बोलेंगे। मैं उनका नाम पुकार रहा हूं।

श्रीमती कविता सिंह ।

श्रीमती कविता सिंह (सिवान): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान शहर में जाने वाली मुख्य सड़क – एनएच-531, जो छोटपुर से चारढाला तक जाती है, की लम्बाई लगभग साढ़े आठ किलोमीटर है। इस सड़क की हालत अत्यंत ही जर्जर है। पथ में जगह-जगह पर गढ्ढे हो गए हैं, वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण हमेशा यातायात में जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं से दूसरी सड़क बबुनिया मोड़ से स्टेशन रोड तक जाती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि बरसात के मौसम में पथ की स्थिति काफी खराब हो जाती है और वहां के लोगों को आने-जाने में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत-सी दुर्घटनाएं होती हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि छोटपुर से चारढाला तक जाने वाली सड़क और बबुनिया मोड़ से स्टेशन रोड तक जाने वाली सड़क को बनवाने की कृपा करें।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

SHRI A. NARAYANA SWAMY (CHITRADURGA): Thank you, Speaker, Sir that you have permitted me to speak about my constituency. The people in my constituency are facing so many problems. The major problem is water problem due to low rainfall. It is a drought area. There is no rainfall at all. Ground water has reached below the 1000 feet level.

The Government of Karnataka is to seek clearance from the Central Water Commission for Upper Bhadra project in Karnataka under Jaldhara Yojana for irrigation and drinking water to prevent and control fluorosis in Chitradurga and Tumkur districts.

I would like to bring to your kind notice that the above-stated prestigious project benefits four districts of the central part of Karnataka, that is, Chitradurga, Tumkur, Davanagere and Chikkmagaluru. The project proposes to irrigate 2,25,000 hectares of land of these drought-prone districts by drip irrigation and meet the need of water.

The size of this project is more than two lakh hectares and is qualified for consideration to be declared as a national project. It is also eligible for Central assistance. It is in the final state of getting clearance. The total cost of this project is Rs.12,340 crore out of which Rs.2,835 crore has already been spent. This project is specially meant for 'Per Drop More Crop'.

Sir, the public heath of this area is heavily affected by excess intake of fluoride through drinking water, food products etc. for a long period. It results in major health disorders like dental fluorosis, skeletal fluorosis, non-skeletal fluorosis etc. Children are with discoloured and disfigured teeth. It may be chalky white and it may have yellow, black spots or streaks on the enamel surface. Discoloration is there in the gums. It also affects bones and joints of the human body.

The successive Governments of the past have given very less importance to develop my constituency due to which people have lost the hope. But now, Sir, people firmly believe that you are their only hope. They are looking at you to end the miseries of their lives.

Therefore, Sir, I kindly request the Central Government, through you, to look into the problems which I have outlined before you and issue all necessary directions to the concerned Ministry to carry out the necessary work in the interests of the people of my constituency. I have promised them that our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi Ji will bring the smiles back on their face.

Thank you for giving me the permission.

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पंचमहल-महीसागर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, वहां कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि का आवंटन किया गया है, परन्तु अभी तक विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। इसलिए आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि महीसागर जिले में आवंटित भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय बनवाने की कृपा करें।

दूसरा, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र, पंचमहल जिला के रेल लाइन की ओर दिलाना चाहता हूं, जो वर्तमान समय में बंद पड़ी है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनहित में गोधरा-लोनावाला रेल लाइन का पुन: निर्माण करके रेल सेवा शुरू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

SHRI M.V.V. SATYANARAYANA (VISAKHAPATNAM): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me an opportunity. This is my maiden speech.

Firstly, I would like to express my wholehearted thanks to Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu* for giving me the opportunity to be a Member of this august House. I also express my sincere thanks to the people of my Visakhapatnam Constituency for having reposed faith in me. The matter, which I wish to raise here is an important issue pertaining to the Visakhapatnam Steel Plant.

Sir, the Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) popularly known as Vizag Steel Plant, was established in the year 1971. The RINL is the only largest steel plant in my State of Andhra Pradesh, which was set up on the coastline in an area of 22,266 acres. The country's first coastal steel Plant Rashtriya Ispat Nigam Ltd (RINL), which had a huge production capacity of about 7.2 million tonnes per annum in the last fiscal year is facing a challenge of raw material insecurity as it does not own any iron ore mine.

It is learnt that the management of Vizag Steel Plant had recently initiated talks with the Odisha Government for earmarking a specific mine for it. Besides, it is taking efforts to restart some of the mines of its subsidiary Orissa Minerals Development Company (OMDC) where leases lapsed long back and have not yet been renewed. The

RINL management and the Government of Andhra Pradesh have requested the Union Government / Ministry of Mines to allocate permanent

captive iron ore mines to this steel plant. However, no positive action has been taken so far.

Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to request the hon. Prime Minister to personally intervene in this matter and direct the Ministry of Mines to immediately allocate captive iron ore mines to RINL, so that the production of this *Navratna* steel industry is not affected. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष : कोई भी पुराने माननीय सदस्य हाथ नहीं उठाएं**,** आज उनका नम्बर नहीं आने वाला है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

[*]**SHRI JAGANNATH SARKAR (RANAGHAT):** Hon. Speaker, Sir, my constituency is an area bordering Bangladesh. After the year 1971, the religiously persecuted persons crossed over the border and joined either congress or CPIM and now they are *…*[**] to get illegal citizenship. But unfortunately, there is no proper way of granting citizenship to these people. As per the Indira-Mujib Treaty of 1971, why the refugees crossing over to India due to religious reasons will not be granted citizenship. It was the Bengali community which spearheaded the Indian freedom struggle, youths of Bengal

[*] English translation of the speech originally delivered in Bengali.
[**] Not recorded.

sacrificed their lives for the independence of the country, they were executed in the process.

So why that Bengali community will not be granted legal citizenship right? The Rohingyas are being granted citizenship illegally though. Their issues are being raised in this Parliament but the people who ushered in Independence, after Partition based on Two-Nation theory, the Hindus of that country, the Buddhists, the Jains – why won't they be granted Indian citizenship, why after staying here for 40 years, they won't be able to get passports and why will they have to run from one place to another? Some permanent solution is required for this. NRC must be implemented here and the refugees will have to be granted citizenship. NRC cannot be devoid of citizenship rights. The religiously persecuted persons must be granted Indian citizenship rights. This is our demand.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Speaker, he cannot say this. …(*Interruptions*) Sir, this should be expunged from the records. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री भरत सिंहजी डाभी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ भरत सिंह जी की बात अंकित होगी।

श्री भरत सिंहजी शंकरजी डाभी (पाटण): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गुजरात राज्य के मेहसाणा-तारंगा रेलवे लाइन की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।…(व्यवधान) इसको मीटर गेज से

ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने का कार्य दो साल से बहुत धीमी गति से चल रहा है, इस वजह से यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसी प्रकार तारंगा से आबू रोड वाया अम्बाजी रेल लाइन का प्रस्ताव पास हो चुका है और इसका डीपीआर भी बन चुका है, लेकिन अभी तक इस लाइन का कार्य शुरू नहीं हुआ है।

महोदय, मैं रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेहसाणा-तारंगा रेलवे लाइन के कार्य में तीव्रता लाई जाए एवं तारंगा से आबू रोड वाया अम्बाजी रेल लाइन के निर्माण का कार्य जल्दी से शुरू किया जाए।

SHRI ADALA PRABHAKARA REDDY (NELLORE): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise a very important issue of setting up of a Concrete Sleeper Manufacturing Unit at Bitragunta, Nellore District, Andhra Pradesh. The then Railway Minister, Shri Lalu Prasad laid the foundation stone for the Concrete Sleeper Manufacturing Unit at Bitragunta, SPSR Nellore District, Andhra Pradesh but the project remained a non-starter despite efforts by peoples' representatives from time to time. In order to use 1,100 acres of land belonging to the Railways which is lying idle at Bitragunta, we have prevailed upon the then Railway Minister to sanction the Unit in 2005. The project never took off due to indifferent attitude of the railway authorities and despite allocations being made in the Budget. In fact, Bitragunta was an important landmark for Railways, and it was one of the biggest locomotives sheds in Indian Railways till steam engines were replaced by diesel and electrical locomotives. The loco shed was constructed in 1885 and the roundhouse with turntable facilities was added in 1934. The shed had the capacity to handle 50 steam locomotives with major yard and interchanging

depot for drivers and guards. It is still an interchanging depot for guards and drivers of goods and passenger trains.

Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to request the hon. Railway Minister to start this project as early as possible.

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Respected Speaker, Sir, if there is any moment on the globe every Indian feels proud of, it is definitely a glimpse of our Indian National Flag. Tricolour flag was designed by late Pingali Venkayya *Garu* in 1921, and was presented to Mahatma Gandhi at the Congress Working Committee meeting held at Vijayawada.

We are deeply pained to mention that such a freedom fighter, social worker and war veteran was not adequately recognised by both the State Government and the Central Government till date. Today, the 2nd August is the birth anniversary of late Pingali Venkayya *Garu.* On this occasion, we request the Government to extend recognition to the designer of the National Flag by implementing the following.

We propose, on behalf of the YSRCP, that the largest Indian National Flag be installed in Bhatlapenumarru Village of Movva Mandal, Krishna District, Andhra Pradesh, which is the birthplace of late Pingali Venkayya *ji.* We hope that this hon. House with full vigour and strength extends its applaud to this proposal to honour the designer of the Indian National Flag.

Further, we propose an amendment to the National Flag Code to the effect that no larger or equivalent dimensions of this Indian National Flag be

installed in the native place of late Pingali Venkayya *ji* will ever be erected elsewhere.

We hope that the entire august House will pay this honour to the designer of the Indian National Flag. We request full support of this hon. House for this proposal.

11.55 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER
Janbhagidari Food Nutrition Programme

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सितंबर माह में देश में पोषण अभियान की शुरुआत होगी। हम सब माननीय सदस्यगण, हमारी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इस देश से कुपोषण को समाप्त कर सकते हैं।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सर, पोषण का मतलब न्यूट्रिशन है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, पोषण मतलब न्यूट्रिशन।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, आप इतने कठिन-कठिन हिंदी शब्द बोलते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह हिन्दुस्तान की संसद है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम सब सक्रिय जन-भागीदारी के माध्यम से, पौष्टिक भोजन के माध्यम से, आने वाले समय में इस देश से कुपोषण को समाप्त कर सकते हैं। मैंने स्वयं अपने लोक सभा क्षेत्र में कुपोषित मां को जन-भागीदारी के माध्यम से, ताकि कुपोषित मां को अच्छा पौष्टिक आहार मिले। इससे मां भी कुपोषित होने से बचेगी और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ्य होगी।

मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सब इस अभियान में जन-भागीदारी निभाकर एक जनांदोलन खड़ा करें। आजादी के 70 सालों के बाद हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे सदन के नेता ने

भी यह फैसला किया है कि इस देश से कुपोषण समाप्त होगा। हम कुपोषण को समाप्त करने में अपनी जन-भागीदारी दिखाएं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना वक्तव्य दें।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): *….* Sir, here, Kalyan da has stated that he is unable to understand Hindi. But I have to try to speak in Hindi or English because other hon. Members cannot speak Bengali.

But, today, I rise to appreciate your concern with regard to the nutritional challenge faced by women and children across the country. This House has witnessed that for two days, under your leadership, we discussed issues pertaining to safety and security of children and today, Sir, you have initiated a concern, a talk amongst our Members of Parliament with regard to nutritional security for children.*

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति विशेष रूप से आभार इसलिए प्रकट करती हूं, क्योंकि पूरे विश्व में हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। आज इसी सप्ताह में आपने न्यूट्रिशन के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर के हमें कृतज्ञ किया है। बच्चे के जीवन के पहले हज़ार दिन उसे कुपोषण से बचा सकते हैं।

---

*…….*English translation of this part of the Speech was originally delivered in Bengali.

मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के मेंबर्स से आग्रह करना चाहती हूं कि प्रत्येक राज्य में फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड, ज़िलावार, ब्लॉकवार और गांववार, ब्रेस्ट फीडिंग को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चा जन्म के पहले एक घंटे में ही मां से पौष्टिक गाढ़ा दूध प्राप्त करे, इसमें अगर सारे के सारे सदन के मेंबरान अपनी कांस्टिट्यूएंसी में कहां-कहां ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है अथवा अगर आपको लगता है कि आपके यहां इसे प्रॉपर्ली नहीं मनाया जा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क करें, ताकि हम उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपने पोषण अभियान का उल्लेख किया, जिसकी शुरुआत प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुई, लेकिन क्या प्रधान मंत्री जी पोषण के संदर्भ में मात्र तब ही चिंतित हुए, जब वे प्रधान मंत्री बने? ऐसा नहीं है। जब वे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम किए, जिनमें से एक का मैं यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूं, जिसे सांसद बिना किसी कॉस्ट के अगर आज चाहें तो अडेप्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम है – 'तिथि भोजन'। जब मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं प्रकाश जी और निशंक जी की तरह शिक्षा मंत्रालय में थी, तब वर्ष 2015 में मैंने सभी राज्यों से, सभी सांसदों से यह अपील की थी कि आप 'तिथि भोजन' के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें। 'तिथि भोजन' क्या है? हम सब अपने परिवारों में अपने प्रियजनों का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं।

<u>12.00 hrs</u>

हम जितना पैसा केक काटने या मिठाई बांटने में खर्च करते हैं, उतने ही पैसे में एक स्पेशल मिड डे मील, 'तिथि भोजन' हम मिड डे मील के अंतर्गत सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी में अपने और अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं? इसके लिए हम बाकी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में प्रोत्साहित कर सकते हैं। सभी सांसद लायंस क्लब, रोटरी क्लब और अन्य ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ काम करते हैं। सभी सांसद अपने-अपने क्षेत्र में किसी न किसी फैक्ट्री ऑनर को जानते हैं, किसी न किसी वेलफेयर एसोसिएशन को जानते हैं या ट्रेड एसोसिएशन को जानते हैं। हम उनसे भी और अपने-अपने क्षेत्र के दिग्गजों से भी इसके लिए अपील कर सकते हैं। यह तिथि

भोजन का कांसेप्ट वालंटरी कांसेप्ट है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता है । हम सब इतने संवेदनशील हैं कि हमने इस प्रकार का कोई न कोई आयोजन किया है । अगर हम अपने से शुरुआत करते हैं तो मुझे निश्चित ही इस बात का आभास है कि आपके क्षेत्र में बाकी लोग भी आपके चलन को देखते हुए इस विषय को अपनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपने कही थी कि जन भागीदारी बने। वर्तमान में 14 लाख फील्ड फंक्शनरीज न्यूट्रीशन के संदर्भ में, पोषण के संदर्भ में देश भर में काम कर रही हैं। इसके 7 हजार 75 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी सांसदों से अपील करती हूं। यहां पर स्वास्थ मंत्री भी बैठे हैं। पोषण अभियान मात्र डब्ल्यू.सी.डी. का कार्यक्रम नहीं है, मात्र प्रधान मंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें भारत सरकार के 15 मंत्रालयों का समन्वय से योगदान होता है, नीति आयोग के साथ-साथ। मेरा आग्रह है और हैल्थ मिनिस्ट्री भी एनिमिया मुक्त भारत के लिए कोशिश कर रही है। हैल्थ मिनिस्ट्री का टी-3 नाम का एक प्रोजेक्ट है, ताकि महिलाएं और बच्चे एनिमिया से मुक्त हों। यह एडोलिसेंट गर्ल्स के साथ-साथ एडोलिसेंट बॉयज में भी पाया जाता है। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दिशा की मीटिंग करते हैं तो आप विशेष टी-3 कार्यक्रम के बारे में अपने हैल्थ ऑफिसर से जानकारी ले सकते हैं। हर गांव में विलेज हैल्थ सैनिटेशन एण्ड न्यूट्रीशन कमेटी का गठन होना अनिवार्य है। आप अपने क्षेत्र में पूछ सकते हैं कि क्या मेरे क्षेत्र के सभी गांव में विलेज हैल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रीशन कमेटी का गठन हुआ है?

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात है कि मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूं कि हर गांव में हर मां विलेज हैल्थ न्यूट्रीशन डे मनाना हमारी ओर से प्रस्तावित है, हैल्थ मिनिस्ट्री की ओर से प्रस्तावित है। अगली बार जब आप अपने क्षेत्र में जाएं, आपको अपने क्षेत्र में महीने में एक ही दिन मनाना है। …(व्यवधान) आप उसमें भागीदारी दे सकते हैं। कल्याण बनर्जी जी कह रहे हैं कि मैं 17 जून से यहीं पर हूं, मैं फील्ड में कैसे जाऊं। मुझे लगता है कि उनकी राजनीति जब तक सीमित नहीं हो जाती है, तब वह सदन में हैं। उनके कई ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे, कई ऐसे लोग होंगे, जो महिला और बच्चे के उत्थान के लिए अपनी अग्रिम भूमिका निभाना चाहते हों।

MPs are influencers also socially. So, whatever might divide us politically, at least socially we can all, under your leadership and that of the Prime Minister, come together to resolve for a malnutrition-free India. My grateful thanks to you, hon. Speaker, for at least allowing me. Sir, normally you do not allow any MP. लेकिन आज आपने कहा था कि जो सदन में पहली बार एम.पी. बना है, तो मैं भी पहली बार बनी हूं। उस दृष्टि से आपके सम्मुख मैं यह प्रस्तुत करना चाहती हूं। We have, through the Ministry, for only the Nutrition Abhiyan, created a whole protocol that *Jan Pratinidhis* can undertake. With your permission, Sir, I would like to share it with all the Members of the House so that they know what is the protocol that they can be a part of.

I reiterate, Sir, that the first thousand days are extremely important. We in the country are celebrating in conjunction with all States, the World Breastfeeding Week. Let us begin by protecting our children against malnutrition from the day, the minute they are born. Thank you, Sir.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, आपको जो चिंता है और आपकी चिंता के साथ-साथ मंत्री जी ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो हमारे देश के आम लोगों की औसत आयु 28 से 30 साल थी। धीरे-धीरे यह आयु बढ़ते-बढ़ते आज 70 साल पहुंच गई है। हिन्दुस्तान में यह कार्यक्रम और कुपोषण के खिलाफ जंग आज से नहीं है, आजादी के बाद से चलाई जा रही है। इसके लिए आई.सी.डी.एस. और मिड डे मील इत्यादि तरह-तरह की स्कीम्स हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं दूसरे पहलू पर आपका और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सरकार हर बात में खुद की वाह-वाही करती रही है, लेकिन हिन्दुस्तान के आर्थिक हालात चरमराते जा रहे हैं, जर्जर होते जा रहे हैं। यह मैं नहीं कहता हूं, यह सी.ए.जी. कहता है। The Comptroller and Auditor General of India has pointed out lacuna in the Goods and Services Tax regime. …(*Interruptions*). The CAG is saying that even after two years of rollout of GST, system validated Input Tax Credit through invoice matching is not in place and non-intrusive e-tax system still remains elusive. …(*Interruptions*) सर मुझे बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: आप डिबेट में बोल लेना।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): जो राहुल गांधी जी का ट्वीट था, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट है। In its report on GST for 2017-18, tabled in Parliament on Tuesday, the CAG said tax collection under GST slowed down in the first year of its rollout. …(*Interruptions*)

12.06hrs

JALLIANWALA BAGH NATIONAL MEMORIAL (AMENDMENT) BILL, 2019

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है कि मैं अपने जीवन में पहली बार संसद के सामने ऐसे अधिनियम में संशोधन लेकर आया हूं, जलियांवाला बाग स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019। मैंने सदन से आग्रह किया है कि वह इस पर चर्चा करे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, इस देश में जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। आज जब मैं यह प्रस्ताव संशोधन के लिए यहां रख रहा हूं तो मुझे एक बात लगती है कि सरदार उधम सिंह जो उस समय पांच वर्ष के थे, उस नरसंहार के कारण उनके भीतर जो ज्वाला पैदा हुई, उसे उन्होंने 21 साल तक अपने भीतर दबाकर रखा। ...(व्यवधान) उसके बाद उन्होंने जनरल डायर पर गोली चलाई। आज से दो दिन पहले यानी परसों शहीद सरदार उधम सिंह जी की पुण्यतिथि थी, मैं उन्हें नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन इसमें मेरा साथ दे। एक पांच साल का बच्चा जलियांवाला काण्ड के नरसंहार को देखता है और 21 साल तक उस बात को अपनी छाती में एक आंदोलन के रूप में रखता है, फिर देश से बाहर जाकर जनरल डायर पर गोली चलाता है।

मैं समझता हूं कि आज के विधेयक का जो समय है, वह समय इस बात के लिए है कि वास्तव में यह उनको श्रद्धांजलि है। इसमें जो संशोधन है, वह संशोधन जलियांवाला बाग का

शताब्दी वर्ष है। इस देश को और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस बात का अहसास होना चाहिए कि उस नरसंहार को सौ वर्ष हो गए हैं, जहां पर महिलाएं, बच्चे और जलसा मनाने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। ब्रिटिश हुकूमत की सेना ने उन निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थीं। मैं दूसरी तरफ भी सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस शताब्दी वर्ष में मैं देश के प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस नरसंहार में जो शहीद हुए लोग हैं, उनकी स्मृति में लगातार वर्ष भर से कार्यक्रम चल रहे हैं।

<u>12.09 hrs</u>

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Kodikunnil Suresh *and some other hon. Members left the House.)*

यह दुख का विषय है, और सिर्फ दुख का नहीं, कई बार चिंता होती है कि कांग्रेस के लोग इस बात के ठेकेदार बनते हैं। जिस महत्वपूर्ण बहस में वे यहां से बाहर जा रहे हैं, इससे ज्यादा दूसरी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। अभी तक ऐसी सरकारें आती रही हैं जो संस्था पर कब्जा करना चाहती हैं। मुझे लगता है कि जो बिल आया है, उसमें हमें यह भी तय करना पड़ेगा। मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग, जिसका शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें यह संशोधन लाकर इस सरकार ने राजनीतिकरण को अलग करने की कोशिश की है और राष्ट्रीयकरण और संस्थागत करने का काम किया है। यह हमारी नीति है, यह हमारा विचार है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि जो संशोधन हैं, मैं उनको पढ़ता हूं और उसके बाद यह चर्चा प्रारम्भ हो। इसमें बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। पहला यह है कि इस अधिनियम का नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन अधिनियम, 2019 होगा। दूसरा जो संशोधन जलियांवाला बाग अधिनियम में है, वह धारा 4 है और उसमें जो उसका 'ख' हिस्सा है, उसका लोप किया जाएगा, क्योंकि उसमें किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का नाम था और चूंकि शताब्दी हो

गई है और राष्ट्रीय स्मारक सिर्फ देश के लोगों के लिए ही नहीं, देश के बाहर भी हजारों-लाखों लोगों का हैं, जो जलियांवाला बाग के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, इसलिए इसका लोप किया गया है। इसी का खण्ड-घ, उसमें पहले था कि लोक सभा का विपक्षी दल का नेता, तो उसमें यह संशोधन है कि लोक सभा में विपक्षी दल के नेता के तौर पर मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष या जहां ऐसा नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है, तब उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उसके स्थान पर सदस्य होगा।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो संशोधन है, वास्तव में यह धारा 4 के छ का हिस्सा था। पहले जो भी लोग सरकार की तरफ से न्यासी के तौर पर वहां नॉमिनेट होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं होती थी, इसलिए मूल अधिनियम की धारा-5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जा रही है, बशर्ते कि धारा-4 की उपधारा-1 के खण्ड-छ: के अधीन नाम निर्देशित न्यासी का कार्यकाल केन्द्रीय सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ये तीन छोटे संशोधन हैं और मेरा यह आग्रह है कि हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी संस्थाएं, जो पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना स्थान रखती हैं, उनका राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इस प्रस्ताव की जो मूल मंशा है, वह मैं समझता हूं कि सरदार ऊधम सिंह जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि होगी, जिनकी दो दिन पूर्व पुण्यतिथि थी। मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे और इसको सर्वसम्मति से पारित करे। यह देश के लिए गर्व का विषय होगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> “कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): स्पीकर सर, जो बिल आज जलियांवाला बाग के ऊपर लाया गया है, सेक्शन 4 का जलियांवाला बाग नैशनल मेमोरियल एक्ट-1951 में जहां प्रावधान मिला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रधान होगा, वह उसका ट्रस्टी होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। 13 अप्रैल, 1919 को जो काण्ड हुआ था, वह कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। उस समय रोलैट एक्ट आया था, जिसके विरोध में सारे देश में हड़ताल चल रही थी और सारा देश उस बात का विरोध कर रहा था। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था।

जब 10 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में आंदोलन हुआ तो वहां के सत्यपाल और डा. सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तारी हुई तो विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि जितने भी लोकल लोग देश की आजादी में भाग ले रहे थे, उनको इस बात का कष्ट हुआ। 12 अप्रैल, 1919 को हिंदू सभा कॉलेज में एक मीटिंग हुई, जो अमृतसर में है। उस मीटिंग की प्रधानगी कांग्रेस लीडर ने की। यह फैसला हुआ कि 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में डा. सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में एक मीटिंग होगी, जिसका प्रबंध मोहम्मद बशीर और कांग्रेस पार्टी के लीडर करेंगे।

सर, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। जब से देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई है और सन् 1885 में कांग्रेस पार्टी स्थापित हुई है। डब्लू सी बनर्जी से लेकर देश की आजादी तक दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, सुरेन्द्र भाई बनर्जी, सी शंकर नायर जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, आर बी घोष जी, मदन मोहन मालवीय जी, एनी बेसेंट जी, मोती लाल नेहरू जी, देशबंधु चैतन्य दास जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, एम के गांधी जी, सरोजनी नायडू जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नीलसेल गुप्ता जी, सुभाष चन्द्र बोस जी, जे बी कृपलानी जी।

श्री फिरोज़ वरुण गांधी (पीलीभीत): आप नामों की जगह मुख्य बात पर आइए।

श्री गुरजीत सिंह औजला : मैं बता रहा हूं। आप जरा ध्यान से सुनिए। ये वे लोग हैं, जिन्होंने पार्टी में रहकर देश की आजादी में हिस्सा लिया था। आपको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि आपके पास 1947 के समय का कोई नाम लेने के लिए नहीं है। यह हमें पता है। अगर कोई होता तो शायद आप उसका नाम बहुत जोर से लेते। इन लोगों ने अपना खून दिया है। 13 अप्रैल, 1919 को जब वहां पर लोग इकट्ठे हुए तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के पांचों रास्तों को बंद करके फायर किए, जिसमें करीब 1000 लोग शहीद हो गए और 1500 के करीब घायल हो गए और इतिहास कहता है कि वहां करीब 10 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद फिर मूवमेंट शुरू की। मोती लाल नेहरू जी की प्रधानगी में अमृतसर में कांग्रेस के एनुअल सैशन में फैसला हुआ कि अब इस जगह पर एक नैशनल मेमोरियल बनाया जाएगा और नैशनल मेमोरियल के लिए जगह चाहिए थी। उस जगह का प्रबंध उस समय 10 लाख रुपये में कांग्रेस पार्टी ने खरीदकर किया और वहां ट्रस्ट बना। उस समय देश की आजादी से पहले दो ही ट्रस्टी थे, सरदार पटेल और जवाहर लाल नेहरू। मैं जलियांवाला बाग की बात ही कर रहा हूं। आप इतिहास जाकर पढ़िएगा। मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं। जब 1951 में बिल लेकर आए, क्योंकि अकेली कांग्रेस पार्टी के एक तबके के लोग शहीद नहीं हुए थे, वहां हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सभी जाति के लोग थे। जब बिल लेकर आए तो वहां इसी पार्लियामेंट में हमारे गुरमुख सिंह मुसाफिर एक्स ऑफिशियो बिल लेकर आए कि इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट, पंजाब को भी ट्रस्टी होना चाहिए, लेकिन उस समय मना कर दिया गया कि यह सबका साझा है, किसी पार्टी का नहीं है। यह देश की आजादी से पहले हुआ है, उसके बाद जब देश का संविधान लागू हुआ तो इस तरह का बिल लेकर आए कि सभी ट्रस्टीज में से जो भी होगा, यह सबका साझा है। लेकिन अब जो पार्टी है वह इतिहास को खत्म करना चाहती है, क्योंकि जब ये पिछले पन्ने खोलते हैं और अपना इतिहास देखते हैं तो पाते हैं कि …* का कहीं कोई भी नाम नहीं है।

---

* Not recorded.

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि …(व्यवधान) । मैं यह बात करूंगा तो आप बोलेंगे ही । …(व्यवधान) । वीर सावरकर जी ने जो किया, मैं वही बताने जा रहा हूं । जरा सुनकर जाइएगा । वाजपेयी जी की गवर्नमेंट पर जब …* की तरफ से दबाव आया तो …* को देश की आजादी में हिस्सा लेने के लिए भारत रत्न दिया जाए, लेकिन उस समय मार्च, 2003 को …* के सीनियर आइडियोलॉजिस्ट थे, पद्म भूषण के लिए उनका भी नाम लिस्ट में नाम डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया था कि हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ।

उनका पार्टीशिपेशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था ।…(व्यवधान) आप इसीलिए तो दूसरा इतिहास भी मिटाना चाहते हैं कि जिनका है, उनका भी न रहे । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वही कौम तरक्की करती है, जो इतिहास को याद रखती है । जो इतिहास को खत्म कर देंगे, वह खुद भी खत्म हो जाएंगे, आप इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा ।…(व्यवधान) मैं अभी बता रहा हूं, आप सुनिएगा ।…(व्यवधान) कांग्रेस का नाम किसलिए आना चाहिए था । मैं यह भी बता रहा हूं, आप इंतजार कीजिए । कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हुए हैं, मैं उस बात को याद कराता हूं कि नेहरू जी नौ बार जेल गए थे और नौ सालों तक सलाखों के पीछे रहे थे । श्रीमती इंदिरा गांधी जी 'भारत छोड़ो' आंदोलन के दौरान जेल गई थीं । सरदार पटेल जी छः सालों तक जेल में रहे थे । गांधी जी दस बार जेल गए थे और उन्होंने लगभग सात साल तक जेल में काटे थे । कांग्रेस का नाम ऐसे ही नहीं आया है । आप सोचेंगे कि यह ऐसे ही ट्रस्टी बन गए हैं । इसके लिए बलिदान देना पड़ा है ।…(व्यवधान) यह हो सकता है कि आपके पुरखों में कोई हो, लेकिन आप उसको बता नहीं सकते हैं । ट्रस्टी इसीलिए बने हैं ।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था ।…(व्यवधान) जनरल डायर ने वह कांड किया था, तो उसको दरबार साहब में किसने सम्मानित किया था और किसने खाना खिलाया किया था, मैं यह भी इन सबको बताना चाहता हूं । रूड़ सिंह और सुंदर सिंह मजीठिया जी जनरल डायर के साथ चल रहे थे । ये लोग आज कांग्रेस का नाम मिटाने की एक साजिश लेकर इस

* Not recorded.

बिल को लेकर आए हैं। इसके अलावा इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है।…(व्यवधान) राहुल गांधी जी के पुरखों को देखिए, उन्होंने आज़ादी से पहले भी बलिदान दिए हैं और आज़ादी के बाद भी बलिदान दिए हैं। अगर उसमें आपका कोई एक आदमी है, तो आप उठकर बताइए।…(व्यवधान) आज़ादी के बाद का बताइए।…(व्यवधान) जिसने दिया है, हमें पता है।…(व्यवधान) आप 1984 के बारे में बताइए।…(व्यवधान) आप इसके ऊपर क्यों बोलते हैं।…(व्यवधान) मेरे कहने का मतलब यह है कि इतिहास कांग्रेस का था, मूवमेंट कांग्रेस ने चलाई, 1947 से पहले शहीदी उन्होंने दी, जेल में वे लोग गए, मेमोरियल में जो मीटिंग होने वाली थी, वह कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। मेमोरियल के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी ने सेशन किया, जगह कांग्रेस पार्टी ने खरीद कर दी थी, नेशनल म्यूजियम कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। देश की आज़ादी के बाद वर्ष 1951 में जब एक्ट लेकर आए थे, तो उसमें सबको ट्रस्टी में डाला था। अब यह क्या मजबूरी हो गई है कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की ट्रस्टी चेयर है, आप उसको खत्म करने जा रहे हैं। इस नए एक्ट को लाने की क्या जरूरत पड़ी है?…(व्यवधान) नेशनल है, ट्रस्टी है, इंडिया के सिटीजन हैं, उसमें सबका अधिकार है। किसी को भी बना सकते हैं।…(व्यवधान) यह नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे, जो आपकी विचारधारा का होगा, उसको ही बनाएंगे।…(व्यवधान) आप ऐसे इतिहास को खत्म नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए।…(व्यवधान) हेडगेवार जी की हिन्दी बायोग्राफी जो सी. पी. भिशीकर जी ने पब्लिश की है, उसमें लिखा है कि '… * had ordered that … * will not participate in the Satyagraha.' आपकी जो बुक पब्लिश हुई है, उसमें यह लिखा है।…(व्यवधान) आप सी. पी. भिशीकर जी की हिन्दी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा।…(व्यवधान) सर, मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1929 में जब कांग्रेस ने सबको साथ लेकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात की थी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई अनपार्लियामेन्ट्री शब्द हो**,** तो उसे वक्तव्य से हटा दिया जाए।

---
* Not recorded.

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री गुरजीत सिंह औजला : महोदय, तब कांग्रेस के सभी लोगों ने एक तिरंगा…(व्यवधान) , उसी टाइम … *को भी उस मीटिंग में बुलाया गया कि सारी पब्लिक अपने घर पर तिरंगा लगाएगी। लेकिन सन् 1930 को …* में यह बोला गया था कि राष्ट्रीय दिवस…(व्यवधान) अथवा … *

माननीय अध्यक्ष : इसे कार्यवाही से हटा दिया जाए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री गुरजीत सिंह औजला : महोदय, इसका मतलब क्या है? जब आप तिरंगे को नहीं मानते हैं, आपका देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं है, आपका कोई शहीद नहीं हुआ है, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं।…(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी जिसने शहीदी दी थी, जिसके खून से इतिहास के पन्ने लिखे गए हैं, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि ट्रस्टी का नाम हटाया जाए। …(व्यवधान)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ऊंची सुर में, बहुत आवाज करके, बहुत सारी बेबुनियाद बातें ही नहीं रखी हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात को कन्क्लूड कर दीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री गुरजीत सिंह औजला : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह बिल लेकर आए हैं, इसको विदड्रा किया जाए।…(व्यवधान) इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार है, वह इसके लिए माफी मांगे।…(व्यवधान) मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वहां का चेयर लोकल एमपी होना चाहिए, यह अमेंडमेंट होना चाहिए, वह भी ट्रस्टी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो नेशनल मेमोरियल है, वह अमृतसर में स्थापित है।…(व्यवधान)

---
* Not recorded.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : अध्यक्ष जी, जो अपना इतिहास याद रखते हैं, वे ही तरक्की करते हैं। इन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जब वर्ष ***...**** यह इतिहास पूरी संसद के सामने है, लेकिन आज जब जलियांवाला बाग की बात हो रही है, मैं इस विषय पर आती हूं और आपके माध्यम से सांसद को बताना चाहती हूं कि माननीय कांग्रेस पार्टी की यादाश्त पता नहीं, इतनी कमजोर कैसे है कि जो कोई याद रखना चाहते हैं, वे तो ***...**** भी बोल देते हैं, लेकिन जो हकीकत है, वह जरूर दर्ज की जाए कि जो आज पंजाब के इनकी पार्टी के ***...**** हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कार्यवाही देख लूंगा।

…(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : अध्यक्ष जी, उनके परदादा जी ने, उनके दादा जी ने जब जलियांवाला बाग की घटना हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह रिकार्डेड फैक्ट है, शायद सांसद को हिस्ट्री उतनी ही याद रहती है, जितना ये याद रखना चाहते हैं। जलियांवाला बाग की घटना के सौ साल बाद सारा देश उस पर थूकता है और अंग्रेज भी शर्मनाक हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि आज के पंजाब के ***...**** जनरल डायर को टेलीग्राम भेजी और उसमें लिखा-

"Your action at Jallianwala Bagh …*

आप मेरी बात सुन लीजिए। आज के पंजाब के …* इनकी पार्टी के … * ने टेलीग्राम भेजी, यह रेकार्डेड हिस्ट्री है।…(व्यवधान) इनके … * ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर को टेलीग्राम में यह लिख कर भेजा। यह जनरल डायर की आटो बायोग्राफी में भी दर्ज है। इनके …* जो इन्हीं की पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी आटो बायोग्राफी में यह लिखा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जरा बैठ जाएं, माननीय सदस्य का प्वॉइंट ऑफ आर्डर है।

---

* Not recorded.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मेरा प्वॉइंट ऑफ आर्डर है।

Sir, Rule 352 says:

"A member while speaking shall not –

1. Refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending.
2. Make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the House unless it be imperatively necessary for the purpose of the debate being itself a matter in issue or relevant thereto."

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पढ़ लिया है, अनुच्छेद 352 पर एक दिन पूरी बहस करने लग जाओ। कोई सदस्य यहां कुछ बोल ही नहीं सकता है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हमारे पंजाब के ***…***[*] की छवि को धूमिल करने के लिए…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपकी भावनाओं को देख लूंगा और कोई भी ऐसा शब्द जो इस नियम प्रक्रिया से नहीं होगा, उसके लिए व्यवस्था दूंगा।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): She has not taken anybody's names …(*Interruptions*) She has not taken any name

[*] Not recorded.

…(*Interruptions*) She has said *…* * and she is quoting from history …(*Interruptions*) Shri Baalu, you were not here, he has taken the name of *…** …(*Interruptions*) She has not taken anybody's name …(*Interruptions*) पद का नाम लेने से क्या प्राब्लम है? He had taken the name of *…** and at that time you had nothing to say …(*Interruptions*) *…** का नाम ले लिया । You have to listen now and there is no other option for you…(*Interruptions*)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, मुझे अपनी बात कम्प्लीट करने दीजिए ।…(व्यवधान) इन्हें तब रूल क्यों याद नहीं आया, जब वे नाम ले रहे थे ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इनको पूरा रूल पढ़ने दें ।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I would like read rule 352 (v). I quote:

> "Reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms."

हमारे जो पंजाब के *…* * हैं, वे हाई ऑथोरिटी के माने जाते हैं । हाई ऑथोरिटी परसन्स के बारे में हम डिबेट में बिना सब्सटेंटिव मोशन जिक्र नहीं कर सकते हैं ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, जैसे इन्हीं के सांसद ने कहा कि इतिहास को मैं बदल नहीं सकता, इसी तरह मैं भी इतिहास को मैनुफैक्चर नहीं कर रही हूं ।…(व्यवधान)

---
* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप मेरी बात सुनें। आप अपने वक्तव्य को जारी रखें। माननीय सदस्य ने नियम का जो विषय उठाया है, मैं उसे देख लूंगा और नियम प्रक्रिया के विपरीत यदि एक भी शब्द होगा, तो चाहे माननीय सदस्य ने बोला होगा या आपने बोला होगा, उसे निश्चित रूप से कार्यवाही से हटाने की व्यवस्था करेंगे।

…(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, जो नाम ये ले रहे थे कि किसी ने किसी को रात को रोटी खिलाई, तब तो यह रूल याद नहीं आया।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैंने वह बात हटा दी है। मैंने जो व्यवस्था दे दी है, उस पर सवाल मत उठाओ।

…(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, बिलकुल सरासर ***…**** था और उसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं तो विद प्रूफ बता रही हूं, आपको फोटो दिखा रही हूं और पूरा रिकार्डेड हिस्ट्री के बारे में बता रही हूं।…(व्यवधान) महोदय, इन्हें शायद मेरी बात पसंद न आए। मैं एक बार फिर आपकी तरफ से कहना चाहूंगी कि जलियांवाला बाग का बिलकुल सही बिल आया है। ये वे पार्टियां हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग में बेकसूरों को कत्ल किया गया था, इन्हीं की पार्टी के जो आज वहां सत्ता में बैठे हैं, उनके परिवार ने जनरल डायर को टेलीग्राम भेज कर लिखा, मैं बुक्स में से रिपीट कर रही हूं - *…* * congratulated *…** General Dyer through a telegram saying, `your action at Jaliwalabagh is correct and the Governor-General approves it.

सर, इस बात को जनरल डायर की जो ऑटोबायोग्राफी है, उसने भी माना है और इससे बड़ी बात *…* * जो इन्हीं की पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और *…* *…(व्यवधान) उनकी ऑटोग्राफी में भी उन्होंने खुद लिखा कि …* ने जनरल डायर को बधाई

---

* Not recorded.

दी ।...(व्यवधान) सर, इन फोटो में यह ... * और यह जनरल डायर हैं, दोनों हाथ मिला रहे हैं और विदेश में जिस चीज को ब्रिटिश राज ने कहा कि जलियावालां बाग कांड बुरा था, ...* ने कहा कि बहुत बढ़िया है ।...(व्यवधान) यह वह कांग्रेस पार्टी है । आज जिसकी बात कर रहे हैं, वह तो बोला नहीं कि उस टाइम क्या सोच थी ।...(व्यवधान) एक वीडियो फुटेज भी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं संसद में वह भी रखूँगी, जहाँ ...* डिगनिटरीज को वर्ष 1920 में मिल रहे हैं और माइकल ओ' डायर, जिसने इसका ऑर्डर दिया था ।...(व्यवधान) माइकल ओ' डायर के साथ हाथ भी मिला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और चल भी रहे हैं ।...(व्यवधान) यह उस फुटेज का हिस्सा है ...* और जनरल ओ' डायर, जिसने जलियांवाला बाग का आर्डर दिया था ।...(व्यवधान) सर, यह इतिहास मैंने नहीं लिखा, यह इतिहास रिकॉर्डिड है ।...(व्यवधान) मैं अपने एक-एक शब्द का प्रूफ दे सकती हूँ, लेकिन जिसका प्रूफ किसी को नहीं चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी ने, जहाँ जलियांवाला बाग के कत्ल के ऊपर मोहर लगाई ।...(व्यवधान) बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन ... *...(व्यवधान) हमारे ... * की हत्या करके 34 साल इंसाफ नहीं लेने दिया, उन लोगों को किसने बचा कर रखा, जिन्होंने कत्लेआम किए थे । ...(व्यवधान) आज भी उन्हें ...* बना रहे हैं, यही ...* बना रही है ।... (व्यवधान) ...* जो एक्यूज्ड है, आई विटनैस है, आज भी ... * उनको बचा रही है ।...(व्यवधान) सर, 1984 में अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला ...* के ऑर्डर से हुआ, यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास है ।...(व्यवधान) इस इतिहास को भी आप याद रखिए । यह इतिहास भी जिन्दा रहेगा । चाहे माइकल ओ' डायर हो, चाहे ... * वे जेल में क्यों हैं? आज ...* जेल में क्यों हैं, किस पार्टी से हैं?...(व्यवधान) हजारों सिखों के कत्लेआम किसने कराए? किसने बोला कि जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है ।...(व्यवधान) किस ...* ने बोला, यह इतिहास कौन भूल सकता है? खून का बदला खून किसने बोला? अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमले कराओ, सिखों को खत्म करो, किसने बोला? यह भी इतिहास है ।...(व्यवधान) ऐसी पार्टी जिसने जलियांवाला बाग का स्वागत किया हो, जिन्होंने अकाल तख्त साहिब पर हमले किए हों, उनको जलियांवाला बाग के बोर्ड में क्या, इनको तो देश से मुक्त करना चाहिए, ऐसी पार्टी और ऐसे लीडरों को और वह

---

* Not recorded.

देश की जनता कर रही है ।...(व्यवधान) मैं स्वागत करती हूँ और माननीय सांसद को जरूर बोलूँगी, मैं भी कहती हूँ कि जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया है, रोटी किदों खिलवाई जरा प्रूफ दिखाए, जैसे मैं दिखा रही हूँ ।...(व्यवधान) लोगों को बदनाम करना इनसे सीखिए । कत्ल खुद करते हैं, बधाई भी खुद देते हैं और नाम उनका लगाते हैं, जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके सिख कौम को आगे ले जाने के काम किए...(व्यवधान) यह इतिहास है और यह इतिहास मैंने नहीं लिखा, यह आपके ...* ने लिखा है ।...(व्यवधान) जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि शर्मनाक हादसा हुआ, जलियांवाला बाग में ... * ने बोला, बहुत सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ और ऐसे लोगों का बोर्ड में रहने का मतलब नहीं है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री दयानिधि मारन ।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Respected Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

Sir, this is my third term as a Member of Parliament in this House. I am thoroughly ashamed to see the scenes which are taking place here. I was born post-Independence. I studied history and I was proud of the history. I am sure, the present generation have never been part of the freedom struggle. We respect the freedom struggle. We respect each and every freedom fighter. We respect Mahatma Gandhi. We feel proud calling him the Father of our Nation. Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, I have never seen him but I am proud of him because he fought for the freedom of our country. We are proud of Pandit Jawaharlal Nehru ji because he was part and parcel of our freedom struggle. At that time, the history, which I learnt and which was taught to every Indian, was that the Congress Party was the only party which fought for the freedom struggle. Today, everyone is the by-product of the Congress Party. …(*Interruptions*) Today, every party is the by-product of the main party. We are a grown-up nation. As our Prime Minister said, this year is the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi and we are proud to celebrate it. As I learnt from the history which was taught to me, the Jallianwala Bagh massacre, where hundreds of Hindus were shot by General Dyer, was a shameful incident. As a young student, it pained me to even imagine that. The history, which I learnt, is that the General Dyer said: "I shot, I shot, I shot till the last bullet in the magazine was emptied. I shot, I shot…" Sir, tears were rolling

in my eyes. The British Parliament said: “General, stop it. You cannot talk like this. What you did was wrong.”

Sir, today, the people of India have given the majority to the BJP and the NDA, which we have to accept. It is a part of democracy. You should be magnanimous. You are in such a situation where magnanimity comes. The magnanimity comes with great powers and responsibilities. I am sorry to say but, today, there is no responsibility shown in this behaviour. It is a shameful day.

Why do you want to change the history? This Congress Party is different. It is the by-product of the earlier Congress Party. Why are you doing this? It is because you are not looking at the Congress Party which was headed by Pandit Jawaharlal Nehru ji or Gandhi ji. Today, you do not want to see Sonia Gandhi ji here and Rahul Gandhi ji here because you have political motives. After hundred years, you want to re-write history. What is this? Is it fair? You cannot change the history. The Mughals had come and concurred India. It is a fact. You cannot change the history. The Britishers had come and ruled us for more than 250 years. That is a history. What are we going to do with this? Let us build India.

Our Prime Minister is saying that we are looking for $5 trillion economy. Is this how we are going to make $5 trillion economy? Is it not shameful? Today, the youth of India are watching us. We should send a strong message that this Parliament is not to re-write history but to make history. We should make history in this Parliament.

Sir, we, from DMK, have also been affected by the Congress Party. My father was arrested during the Emergency. Mr. T.R. Baalu was arrested during the Emergency. We are learned to grow for the growth of our country. Let bygones be bygones and take steps forward rather trying to correct what has happened in the past. Everyone has got a history. We can say that the history was also written by Vajpayee ji. Many changes were brought by him. We are proud of them. No one is trying to correct anything. After Vajpayee ji's Government, the Congress Party got two terms. They never tried to rewrite history. Why are we wasting useful time of the Parliament in re-writing history?

Sir, I beg upon the Government, let us proceed forward. You have promised a lot to the youth of India. The youth are looking towards you. Please withdraw the Bill. Let there be peace. This is not the way the Parliament should run.

Thank you, once again, for giving this opportunity.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I oppose the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019. There are two points in the Bill. One is to delete the name of the President of the Indian National Congress. I thoroughly oppose the clause. I am not a member of Congress now for 20 years. But earlier, I had been a member of Congress for 35 years. But that is not the important point; Congress is the most important organisation in the history of the country. As Shri Dayanidhi Maran very rightly said, please do not try to rewrite history.

What happened in the Jallianwala Bagh? In Amritsar, there was curfew. Reginald Dyer went there and 10,000 people had gathered for Baisakhi celebration on 13th April. They had heard that Mahatma Gandhi might come to Amritsar. Mahatma Gandhi was not allowed to enter Punjab, but the crowd was still there. General Dyer was actually a Colonel; Mistakenly we call him General. General Reginald Dyer went there with his tommy guns. They fired and it is described that they fired till the last bullet was finished. Men, women and children tried to climb out of the Jallianwala Bagh. They were shot while they were climbing the walls; 20 of them died in a well inside the Jallianwala Bagh. It was the most horrific massacre in the history of India's Independence movement.

This was entirely due to a movement of the Congress. Congress was headed by Satyapal, Saifuddin Kitchlew and Rambhuj Dutt Chaudhary. Gandhi *ji* later visited Punjab. He was the man who set up the Jallianwala Bagh Memorial Trust and tried to raise donations during his visit to Punjab.

There was no Akali Dal at that time; Akali Dal was formed in 1920. There was no Sangh Parivar at that time; RSS was formed in 1926. So, it was wholly a Congress show. …(*Interruptions*) As a result of it, when the country became Independent, in 1951 the Jallianwala Bagh National Memorial Act was formed with the following persons: Shri Jawaharlal Nehru, Dr. Saifuddin Kitchlew, Maulana Abul Kalam Azad, the President of the Indian National Congress, the Governor of the State of Punjab, and the Chief Minister of the State of Punjab. It was because Shri Jawaharlal Nehru, Dr. Saifuddin Kitchlew, and Maulana Abul Kalam Azad were tall leaders of the Freedom movement, their names were included. Later in 2006 – Shri Jawaharlal Nehru had long died – the Prime Minister, the President of the Indian National Congress, the Minister in-charge of Culture, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, all that was included. Now you are seeking to replace the Leader of Opposition with the Leader of the single largest Opposition Party. I have no objection to that part of the amendment.

My question is simply this. Why should the Government, 68 years after the original Act, try and change and remove 'the Indian National congress'? I am not saying that the Indian National Congress today is the same as the Indian National Congress from 1919. But this is the successor organisation. It carries a load of history and you cannot rub out history. This is the effort which I strongly resent.

The Minister may well say that "I am RSS *kattar*; I will not keep any Indian National Congress. We shall pass it; we have got 303 Members." Yes,

you can, but history cannot be changed. History says that none of the RSS participated in the Freedom movement in 1930 and 1942. …(*Interruptions*)

Sir, I want to remind you that *…* * was banned after Gandhi's martyr.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई भी शब्द जो ऐसा हो, उसे कार्यवाही से हटा दिया जाए ।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: The *…** and others are disturbing the history because they are not part of the freedom struggle. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सभी ऐसे शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जाए ।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Even Dr. Shyama Prasad Mukherjee never went to jail. Let alone Golwalkar and Bhaurao Deoras - none of them went to jail. Jawaharlal Nehru spent nine years in British jail; Gandhi Ji spent seven years in British jail; Vallabhai Patel spent six years in British jail and Khudiram gave his life in the gallows but with the *…* * was not associated with the freedom movement at all. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज ।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

प्रो. सौगत राय: क्या …* कोई खराब शब्द है, अनपार्लियामेंटरी है?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रोफेसर साहब, फिर आप नियम और प्रक्रिया की किताब निकाल कर ज्ञान बाँट देंगे।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, मैंने इस किताब को एक सौ बार पढ़ा है । मेरी कौन-सी बात अनपार्लियामेंटरी है?…(व्यवधान) क्या हम …* नहीं बोल सकते?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये नियम मैंने भी पढ़ लिया है। आप सबने पढ़ रखा है। मैं भी बहुत बार पढ़ चुका हूं। माननीय अधीर रंजन जी ने यह किताब निकाल ली है। फिर कोई बात होगी, आप किताब निकाल लेंगे। आप प्रोफेसर हैं। आप बोलते समय इस किताब की नियम-प्रक्रिया का ध्यान रख लें।

प्रो. सौगत राय : सर, …* अनपार्लियामेंटरी नहीं है।…(व्यवधान) …* अनपार्लियामेंटरी नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अनपार्लियामेंटरी नहीं है, लेकिन इसमें यह भी है कि आप किसी संस्था का नाम नहीं ले सकते हैं। यह भी इसमें है।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, क्या हम नाम नहीं ले सकते?…(व्यवधान) बी.जे.पी. के जो पूर्वज हैं, मैं ऐसा बोलता हूं।…(व्यवधान)

कटारिया जी, बैठिए। …(व्यवधान) आप तो प्रचारक थे। …(व्यवधान) आप बैठिए।…(व्यवधान) राजेन्द्र अग्रवाल जी, आप भी प्रचारक थे, आप बैठिए।…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

बी.जे.पी. के जो पूर्वज थे, मैं ऐसा बोल रहा हूं ।...(व्यवधान) Sir, you had to remember that Bengal had a relation because *Kavi Guru* Rabindranath Tagore returned his knighthood to protest against this horrific killing.

Sir, the other thing is that Michael O Dyer was killed by Udham Singh in London. Unfortunately, Reginald Dyer who actually fired died peacefully in his bed. Though freedom fighters might have attempted to kill him but he was not killed but Michael O Dyer, who was Governor of Punjab at that time and who had given support to Reginald Dyer, was assassinated. The important thing is that General Dyer was later dismissed from service though he thought that he had worked for the British empire, he was dismissed from service.

Sir, Gandhi's Jallianwala Bagh National Memorial has come in by the Act in 1951. Today, the Culture Minister after having achieved this post recently is trying to re-write the history. Indian National Congress carries the name of the freedom struggle. We may not be there but if you try to obliterate the name of Congress, you are obliterating history and you are trying to promote a …* style of history that the country will never accept. I totally oppose this Bill which is against the national interests, which is against the national history, ethos and goes against the history of the freedom struggle and against all those people whose *purvaj* were not part of the freedom struggle.

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज़ादी की लड़ाई, जलियाँवाला बाग पर बहस हो रही है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इस विषय पर जो संशोधन हो रहे हैं, उन पर तो बहस कर लें, लेकिन इस संसद में कम से कम आज़ादी के आंदोलन और जलियाँवाला बाग के विषय पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाएं। चाहे इधर बैठे हुए दल के सदस्य हों, चाहे उधर बैठे हुए दल के सदस्य हों, हमें पूरा देश देख रहा है कि इस विषय पर भी हम दल के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। सामान्य रूप से चर्चा करते समय, जो संशोधन हैं, उन पर चर्चा कर लें, लेकिन इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Sir, I had listened to the various views on this. But, at the outset, let me say I am not opposing the Bill. I have a few suggestions which I wanted to make at the end. But before that, I would like to make a few other points. This is a very important subject for me because, though I start my speech with Jallianwala Bagh but at the end there is some link between Jallianwala Bagh and my constituency. So, Mr. Speaker, Sir, I need 5-6 minutes time. Do not press the bell. I will take a little more time.

Originally, the problem of Jallianwala Bagh arose with an Act, known as Rowlatt Act. When the Rowlatt Act was introduced in the Imperial Council, there were protests against the that Act. As Prof. Saugata Ray said, the protest was led by Satyapal Ji and Saifuddin Ji. The District Collector had called them and then they were sent to Dharamshala and because of that, there was a protest. Subsequent to that protest, with the call given by Mahatma Gandhi, they all assembled at Jallianwala Bagh.

12.56 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

It is very well known that the massacre was done by Brigadier Dyer who had come from Jalandhar for doing all this. He had got the audacity to say that the trucks with ammunition and machineguns were not allowed inside; otherwise, he would have finished all the people who had assembled there. The Jallianwala Bagh incident had shaken the whole country. Mahatma Gandhi Ji started the Non-Cooperation Movement after the Jallianwala Bagh incident, which was the major responsible factor for us to get the

Independence. After that incident of Jallianwala Bagh, many leaders at the regional level gathered many people.

Coming to our Andhra Pradesh, Alluri Sitarama Raju is a very great freedom fighter who had led the Rampa rebellion against the British for the cause of the Tribals. He had fought for the cause of the Tribals. The inspiration for him is the Jallianwala Bagh incident. He got moved by that. He was also killed by Major Gudal with the order of Rutherford who was the then Collector of Visakhapatnam area. Here, why I am bringing in Alluri Sitarama Raju is, he is from my place. He is from my constituency. He fought for this cause with the inspiration of Jallianwala Bagh.

Hon. Chairperson, I want you to listen to this point because there was a proposal 10 years back, which was approved in this august House, to unveil the statue of Alluri Sitarama Raju. It was approved by the Committee. Now, the statue is also ready. I had made a representation. So, I request the hon. House that on this 100^{th} Anniversary of Jallianwala Bagh, to consider and support the cause of unveiling the statue of Alluri Sitarama Raju, which is ready. I am appealing to all the parties -- Congress, BJP, DMK and Trinamool – to kindly support this.

Now, coming to the dispute, there is a proposal to remove the name of the President of the Indian National Congress. They said it is apolitical. I believe that it is genuinely apolitical. But it has been mentioned somewhere in the text. They have given a gap between ‘a’ and ‘political’. I do not think it is ‘a political’. It is apolitical. In some other texts it has been written as apolitical. I

believe in it. But my suggestion here is to settle the differences between this side and that side. There are three members who are supposed to be nominated by the Government. Of the three members, I would request the hon. Minister to consider giving the Indian National Congress President a place among the three members. It is not automatic. Or, you can consider any other leader of the Indian National Congress Party. Here, it is not out of place to say that this particular Trust, originally, when they wanted to start, was moved by Bharat Ratna Madan Mohan Malviya Ji. He was instrumental for this. He subsequently started the Hindu Mahasabha.

13.00 hrs

Last year, we all have honoured him. Modi ji has honoured him with the prestigious award 'Bharat Ratna'.

Finally, before I conclude my speech, I would like to tell the House that today is the Birthday Anniversary of Pingali Venkayya *ji,* who designed our National Flag. He was a member of the Indian National Congress. But, unfortunately, he died in utter poverty. …(*Interruptions*) There was nobody to look after him. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Please sit down.

Secretary-General.

13.01 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA *

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the National Medical Commission Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 29h July, 2019, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 1st August, 2019, with the following amendments:-

CLAUSE 4

1. That at page 3, line 27, *for* the word "fourteen", the word "twenty-two" be *substituted*.

2. That at page 4, line 16, *for* the word "six", the word "ten" be *substituted*.

3. That at page 4, line 20, *for* the word "five", the word "nine" be *substituted*.

* Laid on the Table.

CLAUSE 37

4. That at page 18, line 24, *after* the words "qualification to be equivalent", the words "for the purposes of teaching also." be *inserted.*

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House'.

2. Sir, I lay on the Table the National Medical Commission Bill, 2019, as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments.

13.02 hrs

THE JALLIANWALA BAGH NATIONAL MEMORIAL (Amendment) BILL, 2019….Contd

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important Bill. I have very little to say on this. We all have to remember that this is a discussion regarding Indian freedom struggle. It needs to be respected. It is not just one party that has fought for the freedom. We should remember that all the Indians together have fought for the freedom. We should not associate the freedom struggle with any political party. Every Indian has fought for his right to freedom and together it has been done.

Since it is about the freedom struggle, I would like to take this opportunity to remind the House some of the most important freedom fighters from the State of Andhra Pradesh. Usually, this kind of discussion is always political. But we also have to remember that there is South India and there have been many freedom fighters from South India also. They have sacrificed their lives for the freedom of our country.

Sir, Alluri Sitarama Raju, as is mentioned by the previous speaker, was one of the greatest freedom fighters from the land of Andhra Pradesh. He used to say:

"Kalchu, Veyi Sarlu Nannu Kalchu, Ayna Nee\nu Malli Pudathanu, Ee Janala Kosam, Mee Antham Chudadam Kosam Pudathanu Ani."

It means, 'Shoot me thousand times, but I will take birth again to see the end of you and to liberate the people of India.' That was the kind of spirit which the local leaders, the regional people had in their heart for the freedom struggle.

HON. CHAIRPERSON: They were not regional leaders. They were national leaders.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Yes, Sir. Thank you for correcting me. I accept that they were all national leaders.

Pingali Venkayya *ji,* who has also been just mentioned, was the great architect of the National Flag. To name a few, Potti Sriramulu Garu, Acharya N.G. Ranga Garu, Sardar Gouthu Latchanna, Tanguturi Prakasam Pantulu, Kaneganti Hanumanthu and the Rajagopala Naidu Garu, the grandfather of Shri Jayadev Galla, the hon. Member of Parliament; I think everyone here can relate with them. It is not from one side. Everyone can relate to the freedom struggle. That is how it should be remembered and respected.

Hon. Chairperson, Sir, through you, I want to share one incident of 1919 with the House regarding B.T. College, Madanapalle in Anantapur district. It is exactly 100 years till date when Dr. Rabindranath Tagore visited this college. At that time, Ms. Annie Besant was running this college. He gave his poem, *Jan Gana Man* – it was a poem till then – to the students, who gave a tune to it and composed it into a song. It is only after that it has come into wide acceptance as the National Anthem. So, long before it was declared as the

National Anthem, the song version of the *Jan Gana Mana* originated at B.T. College in Madanapalle in 1919. Dr. Rabindra Nath Tagore was so impressed with the tune that he wanted that tune composed by the students of B.T. College to be accepted as the song version of it.

A lot of people do not know about this. Even though I come from Andhra Pradesh, I did not know about it. One person, Shri Prajapati from that college itself was fighting for this to get it declared as a memorial. I would like to request the Central Government to highlight such places, which have great importance in the history of our country. These places are everywhere across the country. They should highlight all these places so that the regional boundaries, which restrict us from talking about problems at national level, are dissolved. We should take the freedom struggle as an opportunity for all Indians to unite together and come up in a much better way to take India forward.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, मैं जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए लिए शिव सेना की तरफ से खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जलियांवाला बाग संशोधन विधेयक सही समय पर पेश किया है। मेरी जानकारी में इस संशोधन विधेयक में प्रेसिडेंट, मेंबर और उनका पीरियड के बारे में तीन संशोधन किए गए हैं। दि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेरी जानकारी में जलियांवाला बाग ब्रिटिशों की क्रूरता की भूतकाल का स्मारक है और देश की देशभक्ति का प्रतीक है। जब हम सारे भारतवासी जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ते हैं या जब उसका नाम सुनते हैं, देशवासियों ने आजादी के लिए किस तरह से अपनी जान ब्रिटिशों के सामने रख दी थी, उसका प्रतीक जलियांवाला बाग है। वर्ष 1919 में जब ब्रिटिशों के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आज उसके सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी। तब कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कांग्रेस देशभक्तों का एक संगठन था, उसे कांग्रेस नाम दिया गया। जो उस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, वह आज की कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ी थी। इस संशोधन बिल को सही वक्त पर लाया गया है जब महात्मा गांधी जी ने आजादी के पहले की कांग्रेस 1950 में बर्खास्त कर दी थी। महात्मा गांधी जी की कांग्रेस अभी नहीं है। आज सौभाग्य की बात है कि आज कांग्रेस का भी कोई अध्यक्ष नहीं है।

आज 69 वर्षों के बाद इसमें संशोधन की जरूरत क्यों हुई? आज अगर कोई मीटिंग लेनी होती तो अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है और अगले पांच वर्ष आने वाला नहीं है। क्या पोस्ट को वैकेंट रखेंगे? मंत्री महोदय आप बहुत समझदार हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमारे दिल में आदर है, लेकिन उस वक्त की गांधी जी की कांग्रेस और अभी बिना अध्यक्ष की कांग्रेस में फर्क है। इस संशोधन के माध्यम से चाहे प्रधान मंत्री कोई भी हो, भारत का प्रधान मंत्री अध्यक्ष होना चाहिए, आज नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, कल कोई दूसरा प्रधान मंत्री हो सकता है। भारतीय कांग्रेस के नाम से अध्यक्ष बनाना, भूतकाल में

जितना धकेलने का काम करना था, कर दिया, लेकिन भविष्य में नहीं है। आज एक अच्छा संशोधन विधेयक लाया गया है।

सभापति महोदय, जब मैं जलियांवाला बाग संशोधन विधेयक पर बोलना चाहता हूं, मैं केन्द्र सरकार से एक विनती करना चाहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संगाम का एक महत्वपूर्ण चरण मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मुंबई के मैदान को अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया है, पहले उसका नाम अलग था। गांधी जी के नेतृत्व में सारे देशवासी इकट्ठा हुए और वहां से भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को जिस तरह से बताया, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ।

हमें वर्ष 1947 में आजादी प्राप्त हुई। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करना चाहता हूं, जैसे जलियां वाला बाग मेमोरियल का निर्माण देशवासियों के लिए किया वैसे ही 'भारत छोड़ो' आंदोलन का केंद्र मुम्बई में अगस्त क्रांति मैदान है, यहां अच्छा मेमोरियल होना चाहिए। भविष्य में 'भारत छोड़ो' आंदोलन का इतिहास लोगों के सामने आए, इसके लिए प्रावधान करें ताकि यादगार भविष्य में कायम रह सके।

महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगाया था, महात्मा गांधी आम आदमी के हित के लिए साबरमति से मेरे संसदीय क्षेत्र सिंधुदुर्ग में शिरोड़ा नाम के गांव से चलकर गए थे। लोग हाथों में नमक लेकर उनके साथ चले थे। वहां से एक गर्जना हुई और नमक सत्याग्रह हुआ। मेरी विनती है कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के लिए जितने रण संग्राम हुए, उनके इतिहास को कायम रखने के लिए मेमोरियल बनाने की आवश्यकता है।

नांदेड़ में गुरुद्वारा, जो सिखों का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, के लिए 3,500 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिए थे, तब कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री थे, लेकिन ट्रस्ट न होने की वजह से निधि का दुरुपयोग हुआ, सही तरीके से पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ।

शिरडी के सांई बाबा मंदिर में कम से कम 4,000 करोड़ रुपये भारत सरकार के माध्यम से दिए गए थे। इस निधि का विनियोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आज इस संशोधन विधेयक के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जैसे जिम्मेदार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति किसी ट्रस्ट के अध्यक्ष बनते हैं, तो सही है। आज के वक्त में सही है। मैं मंत्री जी और पंथ प्रधान जी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय सभापति जी, जलियांवाला बाग का नाम जब कानों में आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज़ादी के दीवानों के स्लोगन्स याद आते हैं –

"सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजु ए कातिल में है।"

माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, इस पर कई माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की है। मेरे से पहले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि मुम्बई के अगस्त क्रांति मैदान में भी स्मारक बनाया जाए। इस सदन में इतिहास बदलने की चर्चा हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, मुझे इसका नारा लिखने वाले समाजवादी नेता युसुफ मेहर अली की याद आ रही है, उन्होंने यह नारा दिया था।

"सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा
हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा"

यह गाना किसने लिखा था? यह गाना अल्लामा इकबाल ने लिखा था। मैं वहीं आ रहा हूं, निशिकांत जी, आपने मुझे पहली बार सही कहा है, वह पाकिस्तान चले गए। यह नारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए, लेकिन आज भी देश के बच्चे, नौजवान, हर हिंदुस्तानी दिल को छूने वाला गाना गुनगुनाता है -

"सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा
हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा"

मैं न कभी कांग्रेसी रहा हूं, मैं तो छात्र आंदोलन से एंटी कांग्रेस आंदोलन से निकला हूं।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम देश के सामने अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताना चाहते हैं? हम लोग इतने छोटे-छोटे इश्यूज पर भिड़ रहे हैं। इससे कौन-सा फर्क पड़ जाएगा? मैं इस बात को मानता हूं। जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को भंग कर दो। महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ कहा था। हम लोग सिर्फ महात्मा गांधी

और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ बातें, जो हमें सूट करती हैं, उनको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं लेकिन महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी में जो योगदान दिया, शायद उधर के लोगों को बुरा लगे, अगर मैं यह कह दूं कि जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, सरदार पटेल जी ने बैन किया था, यह हिस्ट्री में है, इसको भी बिल लाकर बदल दिया जाएगा । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिनका आजादी के आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था, वे वीर हो गए, लेकिन जिन्होंने आजादी के आंदोलन में कुर्बानियां दी, आज उनके इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है । मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जलियांवाला बाग के ट्रस्ट में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, यह इतना बड़ा विषय नही है । बड़ा विषय यह है कि हम लोग इस देश का जो इतिहास है, आजादी के आंदोलन का जो इतिहास है, उसको बदलने की कोशिश न करें । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि वे एक बार पुन: इस बिल पर विचार करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

کنور دانش علی (امروہہ): عزت مآب چیرمین صاحب، جلیاں والا باغ کا نام جب کانوں میں آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آزادی کے دیوانوں کے سلوگنس یاد آتے ہیں۔

سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے

دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے

محترم منتری جی جو بِل لائے ہیں، اس پر کئی ممبران نے یہاں بحث کی ہے۔ میرے سے پہلے بہت سے ممبران بحث کر رہے تھےکہ ممبئی کی اگست کرانتی میدان میں بھی اسمارک بنایا جائے۔ اس ایوان میں تاریخ بدلنے کی بحث ہو رہی ہے۔ ہندوستان چھوڑو تحریک 1942 میں شروع ہوئی۔ مجھے اس کا نارہ لکھنے والے سماجوادی نیتا یوصف مہر علی کی یاد آ رہی ہے، انہوں نے یہ نارہ دیا تھا۔

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اِس کی یہ گلستاں ہمارا

یہ گانا کس نے لکھا تھا؟ یہ گانا علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ میں وہی آ رہا ہوں، نِشی کانت جی، آپ نے مجھے پہلی بار سہی کہا ہے، وہ پاکستان چلے گئے۔ یہ نارہ لکھنے والے علامہ اقبال پاکستان چلے گئے، لیکن آج بھی ملک کے بچے۔بچے، نوجوان، ہر ہندوستانی دل کو چھو لینے والا گانا گُنگناتا ہے۔

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اِس کی یہ گلستاں ہمارا

میں نہ کبھی کانگریسی رہا ہوں، میں تو طلبا آندولن سے اینٹی کانگریس آندولن سے نکلا ہوں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ملک کے سامنے اپنی آنے والی نصلوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے ایشیوز پر بھِڑ رہے ہیں۔ اس سے کونسا فرق پڑ جائے گا؟ میں اس بات کو مانتا ہوں۔ جیسے ایک معزّز ممبر نے کہا کہ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ کانگریس کو بھنگ کر دو۔ مہاتما گاندھی جی نے بہت کچھ کہا تھا ۔ ہم لوگ صرف مہاتما گاندھی اور سردار ولّبھ بھائی پٹیل کی کچھ باتیں، جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں،ان کو ہم ماننے کے لئے تیار ہیں، لیکن مہاتما گاندھی اور سردار وّلبھ بھائی پٹیل نے ملک کی آزادی کے لئے جو رول ادا کیا، شاید اُدھر کے لوگوں کو بُرا لگے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جن لوگوں کا آزادی کی تحریک میں کوئی یوگدان نہیں تھا، سردار پٹیل صاحب نے بین کیا تھا،یہ تاریخ میں ہے اس کو بھی بِل لا کر بدل دیا جائے گا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جن کا آزادی کے آندولن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ، وہ ویر ہو گئے، لیکن جنہوں نے

تحریکِ آزادی میں بڑی بڑی قربانیاں دیں، آج ان کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جلیاں والا باغ کے ٹرسٹ میں کون بیٹھے گا، کون نہیں بیٹھے گا، یہ اتنا بڑا موضوع نہیں ہے۔ بڑا موضوع یہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک کی جو تاریخ ہے، آزادی کی تحریک کی جو تاریخ ہے، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کے ذریعہ سے سرکار سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک بار پھر اس بِل پر غور کریں۔ بہت بہت شکریہ ۔۔

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे भारत का सपना देखा था, उसे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐसे स्मारक में कोई राजनीतिक दल क्यों शामिल रहे? वर्तमान सरकार स्वतंत्रता से जुड़े ऐसे स्मारकों को राजनीति से दूर रखना चाहती है। इसलिए सरकार यह विधेयक लेकर आई है। इस साल जलियांवाला बाग नृशंस कांड के 100 साल हो चुके हैं। सदन के द्वारा उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का यही वक्त है । 13 अप्रैल, 1919 को अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर ने पंजाब स्थित अमृतसर में जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर धुआंधार गोलियां चला दी थीं। इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। स्वतंत्रता किसी पार्टी की धरोहर नहीं है बल्कि लाखों लोगों ने देश के लिए हर हिस्से से कुर्बानी दी है। पंजाब से लेकर बिहार, कश्मीर, असम और कन्याकुमारी तक अनगिनत पुनीत आत्माओं ने अपने प्राण न्योछावर करके आजादी दिलाई है।

महोदय, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार हमेशा से शौर्य पुरुषों की गिनती में गिना जाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया। जब भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई लड़ी तो कई प्रान्तों से इसका नेतृत्व किया गया था। हमारे आरा जिले से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। उस वक्त उनकी उम्र 80 वर्ष थी। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से अंग्रेजों की ताकतवर सेना को कई मौकों पर मात दी थी। जब 1857 का आंदोलन देश के अन्य प्रान्तों में ठंडा पड़ गया, तब भी वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जय प्रकाश नारायण, खुदी राम बोस, रामफल मंडल का कर्ज हम लोग आजीवन नहीं उतार सकते हैं।

मेरा निवेदन है कि आज के युवा भारत का परिचय इन महान विभूतियों से भी हो। लोग दूर-दूर से इनके स्मरण और जीवन से जुड़ी चीजों को देखें और प्रेरणा लें। हमारा कर्त्तव्य है कि हम

उन वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित करें। महोदय, मेरी तरफ से और हमारी पार्टी जे.डी.यू. की तरफ से इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और आशा है कि इस विधेयक पर जल्द से जल्द कानून बनेगा और जलियांवाला बाग स्मारक विधेयक, इस स्मारक के महत्व को और अधिक बढ़ाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह बिल पास होना स्वर्गीय उधमसिंह जी के लिए एक सच्ची श्रंदाजलि होगी, क्योंकि दो दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the year 2019 has been a very momentous year, especially, for me because this is the second time that I am speaking about Jallianwala Bagh.

This Bill was introduced in the month of February, which was, of course, in more detail as to who will be the Members of this Trust whereas in this new Bill very specific provisions are being amended. So, there is little scope actually to delve into as compared to what we had discussed last February. Of course, this is the month of August, which is another momentous month of every year. But we, who come from freedom fighter's family, always cherish the month of April where the National Week is always observed from 6th April till 13th April. These two dates reverberate in the minds of all freedom fighter families and those who cherish those golden days of *tyaag*, *tapasya* and *titikshya* of freedom struggle.

I would only like to mention here certain names that need to be remembered when we commemorate Jallianwala Bagh, and those names are Dr. Satyapal and Dr. Kitchlew. Rambhaj Dutt Chowdhury, Harkishen Lal and Duni Chand who had led a procession in Lahore on 16th April when Marshal Law had already been clamped on 6th April, and firing had already taken place in Jallianwala Bagh on 13th April. These three were Congressmen who were called to the Deputy-Commissioner's house. They were arrested and were deported from Punjab. Marshal Law was imposed in Punjab, and it had been reported that the *hartal* was broken by military force. The Marshal Law regime

was imposed from 15th April till 29th May, and that depicted a horrid tale of atrocious dealings.

When we talk of Jallianwala Bagh, I hope that most of our Members of this House have visited Amritsar; must have gone to the sacred Golden Temple; must have also visited Jallianwala Bagh; must have prayed there before the memorial; must have touched that *mitti*; and must have witnessed that well where a large number of people had jumped and laid down their lives. Some of us also must have seen the walls where the bullet marks are there, and must have just moved our hand over that to recollect what type of cry or what type of shouting and जो विलाप है, वह आज से करीब 100 साल पहले हुआ था।

All of us must have witnessed it and must have felt it, though we were born much much after that incident. What was their fault? They had gathered there. Some were relaxing because on 13th April Baisakhi was approaching, and some had come from their villages also to go to the Golden Temple. But, many of them had come to participate in the *hartal*, the non-violent call that Mahatma Gandhi had given.

They had come to know that while Mahatma Gandhi was travelling from Mumbai to come to Amritsar to address the gathering on the request of Mr. Satyapal and Dr. Kitchulu, he was prevented, he was arrested before he entered Punjab. On the borders of Punjab, he was arrested. He was taken out of the train, was taken by a vehicle and was brought to Delhi.

This news trickled down to Punjab after two days though he was arrested on 9th of April. Before that, on 29th March, the whole Punjab was boiling because it had witnessed two years of drought. Agriculture was failing. There was little employment there. Those people who had returned from First World War, after participating in the World War, they were told that if you fight for us in foreign countries, especially in Europe, you will be provided with sufficient power to administer yourself.

In 1919, the law that came into force said - Roulette Act - no *vakil,* no appeal, and no *daleel* because we are giving you power to administer yourself. Court will have no *vakil;* court will have no appeal, and there would be no *daleel.* You will not put any petition. Everything will be decided without you representing before the court because we are giving power to a certain section of the society. Against this, the whole country revolted and Mahatma Gandhi gave a call of Non-Cooperation. He said to the students, to the *vakil*s, to the educated mass that to non-cooperate with this *shaitani* Government. Come out of the courts, come out of the colleges, come out of the schools, and show total non-cooperation with the British Government and you do it through non-violence means, through *ahimsa,* through *satyagraha.* These people who were in Jallianwala Bagh, we will never know, even after 100 years, how many people were actually butchered.

The Hunter Committee which went into it, recorded that 365 or 395 people had died. But later on, after six months, another Committee which was appointed by the Congress Party, in which Motilal Nehru was a Member. At

that time, he was the Member of the Imperial Council. Mahatma Gandhi was a Member. That Committee went around Amritsar; went around Gujranwala; went around Lahore. Of course, those two are no more part of India today. But these were the areas where large scale atrocities were committed.

I have requested earlier in the previous Lok Sabha that a specific book has been compiled very recently; a very authentic book by Kishwar Desai, let our Library purchase that book. Documentary evidences of what type of atrocities were committed have been given.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: महताब जी, यदि आप उस पुस्तक का नाम बोल देंगे तो अच्छा रहेगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: `Real Story of Jallianwala Bagh' written by Kishwar Desai. From different points of view, many people have written in different ways. I would like to stand corrected because our impression has always been that ladies and children were killed. Not a single lady was killed in Jallianwala Bagh. But children were killed; they had their legs amputated. Boys aged 7 and 10 had just gone there to see as to what was happening. They were shot. People were not allowed to bring the wounded people for treatment and this continued for eight days because nobody was allowed to come out of his house. That was the time of torture and barbarism that was unleashed out by Gen. Dyer.

HON. CHAIRPERSON: Mahtab Sahab, please conclude. We all are proud of that history. We all are very much proud.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I would come to the Bill now. Before coming to the Bill, this history needs to be told again and again because there is a tendency to forget the history. As we all know, one who forgets history has a tendency to repeat those mistakes. Therefore, I would like to read out a Bill that was moved in this House on 4th December, 1950 by no less than Dr. Ambedkar who was the then Law Minister. I am just reading the Statement of Objects and Reasons of the Bill which later became the Jallianwala Bagh National Memorial Act of 1951 – "On 27th December, 1919, the Indian National Congress passed a Resolution at Amritsar because the National Congregation, जिसे अधिवेशन कहा जाता है, was held in Amritsar in December that the Jallianwala Bagh be acquired with a view to raising a memorial therein and perpetuating the memory of those who were killed or wounded in that place on the 13th April, 1919. In pursuance of this Resolution, the Jallianwala Bagh Memorial Fund was started in 1919. The site of the Jallianwala Bagh was acquired by this Trust which was a creation of the Congress Party. Out of the major portion of the subscription collected, trustees were appointed in whom the properties so acquired and the funds so collected were vested. Shri Jawahar Lal Nehru and Sardar Vallabh Bhai Patel are the present trustees. The object of this Bill is to place the Trust on a permanent statutory basis, establish a body corporate to be known as the trustees of the Jallianwala Bagh National Memorial, transfer to that body all the property and funds now vested in the present trustees and confer upon that body all necessary powers for carrying out the objects of the Trust."

I have read this because during that period, from 1919, till 1947 and till we attained Independence, whatever property was being acquired by the Indian National Congress, because it was a national party, was always delegated to a trust because, many a time, during that Freedom Struggle, the Congress was disbanded by the British Government. Once it gets disbanded, the whole property gets vested with the Government. That was the law. Even our personal property was also vested with the Government because my father and mother participated in the Freedom Struggle. The property that was acquired for the functioning of the National Congress to hold its office, to hold ashram, to hold different other training centres, all those were also acquired by the British during that time. But this Trust was created as a fund.

HON. CHAIRPERSON: You have taken enough time. Please conclude now. Okay, it is very good but there is a limited time. I am sorry for that.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : महताब साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं।

…(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: यह एक फंड था और यह सरकार से वेस्ट हो गया because by the time this Trust came into existence, Sardar was no more. He was the repository of all that fund because he was the treasurer of the Indian National Congress till he breathed his last. Till he breathed his last, he did not have a single rupee in his account. Whatever money was there was in the name of the Congress

Party. Therefore, I would say, let us not belittle ourselves by removing the President of Indian National Congress.

It was in 2006 that the UPA Government recognised the Leader of Opposition as a trustee. Who was then the Leader of Opposition? It was a Bharatiya Janata Party leader. The Leader of Opposition was not included earlier. There was no post of Leader of Opposition in 1951. In this Act, there is no Leader of Opposition. Only living member Dr. Kichlu was a trustee. Subsequently, …(*Interruptions*) Maulana Azad was not a living member in 1919 when that fund was created.

Now the Government is making a provision, very rightly, that the leader of the largest party in Opposition in Lok Sabha will be a member. What harm will it make if the leader of the Indian National Congress Party becomes a trustee? There are three other nominated members who can be removed if they do not attend the meetings.

I would also like to know, I think the Government is aware of this information, as to how many times this trust has met during the last 25 years and how many times the President of Indian National Congress had attended those meetings. The Government can put this information out. I do not know for sure whether the Government knows about it or not.

Sir, when I visited Jallianwala Bagh I saw in what dilapidated condition that trust is. The facade, the photographs, the little records that are displayed are all in a very wretched condition. I would request the Minister to pay a visit,

not just as a Minister but also as a citizen of the country. Then only he will find to what wretched state the whole memorial has reached.

Some changes have been made and I think the local MP has raised his voice against them. Why do you have to change the structure of the well? It should be maintained in its original condition as the Archaeological Survey of India does in the case of all its structures. Nothing should be changed and no tampering should be done.

The eternal flame that always burns at Jallianwala Bagh should continue to burn as it burns in our nationalist hearts to keep the flag of our nation flying high.

Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here with a heavy heart. Like Mr. Maran said, I was also born after Independence. But we grew up with the values of Independence.

I come from the State of Maharashtra which has made huge contribution to India's freedom struggle. We were brought up with the values of the Great Mahatma Gandhiji. We were highly influenced by the Constitution written by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Another tall leader who influenced all of us in Maharashtra and India with his contribution is Vinoba Bhave. The reason I am talking about these three people selectively is because Maharashtra has a very rich tradition and that rich tradition gets richer generation after generation by never being petty in politics.

We have also made trusts in the last sixty years. Several trusts were formed by the then Congress Party. Fortunately, we never left any group out. Be it a trust, be it a centenary year of any of the tall leaders of Maharashtra or the country, whenever we have anything, we take every voice along with us. That is the tradition and culture of Maharashtra.

For me it is actually surprising and disappointing that when you are in a position of such supreme power, there is no humility. You talk about leadership. I think the first quality of leadership is humility. I really see it missing today.

I am actually disappointed when my good friend Harsimrat Kaur Badal spoke. She is a personal friend of mine. But today I was actually disappointed

to hear her speech attacking the CM of Punjab when she said somebody's grandfather did something. If somebody's grandfather does something wrong, I do not think the society needs to run you down for that. Whatever had happened in that generation, the circumstances were different. Take for example Japan, United Kingdom or even Germany. Parliaments of all countries have regretted actions that were taken by them in the past.

If this is the case, then nobody in this House should go to London. Why are we going to London? You are running one thing in isolation. I am sure there is nobody in this House who has probably never been to England or London. You go there, you shop there, and you help their economy. Maybe some of us have not been there but so many people sitting on this side or that side, their children are studying in those organisations. So, I do not think it is fair to look at anything in isolation.

History is something we take pride of. The beauty of India exists in our culture. We have beautiful temples; we have beautiful languages. The Textile Minister is sitting here. She has worn a beautiful textile saree. Every textile saree has a story. It has family history in it. Each one has contributed to freedom and culture. So, rather than worrying and being petty about one small thing like a trustee, I think, it really makes you very small.

So, it is a very humble request to you, Sir. Yesterday, in one voice, we supported the hon. Minister of Women and Child Development. Today, she has brought out the issue of malnutrition. I think, the whole House is so happy to work against malnutrition. This is a programme, I remember, Dr. Manmohan

Singh Ji started. At that time, they were in the Opposition and they supported the malnutrition programme. So, it is a war. The Government is in continuity and history is something which we take pride of. People who work make mistakes. People who do not work do not make mistakes. That does not mean you need to change. This is our history and heritage. So, I urge for one small trustee. I think, that is the sense of the House on this side, which even Mahtab Ji said, just to keep somebody as a trustee. Let us rise above politics. There are a lot of things we have to fight against. Today, the market has crashed. So, rather than spending three hours on such a Bill, we should worry about the economy of this country. With these words, I oppose the Bill.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I rise to oppose this Bill with all the might as an Indian citizen as it is an affront to the entire glorious legacy of our freedom movement led by the Indian National Congress, under the selfless and able leadership of Mahatma Gandhi.

Before I get to the details of the Bill, and its sinister side, let me pay my homage to the great martyrs by recounting the tragedy of April 1919, for the benefit of our new generations, in particular, for the benefit of the leaders of the present ruling party who always betray a lack of knowledge of modern Indian history. Neither can they differentiate between mythology and science nor between history and mythology. For them, both history and science are as what their patrons in Nagpur understand them and teach.

The Jallianwala Bagh massacre took place on 13 April, 1919, when the troops of the British Indian Army, under the command of General Dyer, ordered their rifles to be directed towards the crowd of totally peaceful and unarmed Indian civilians, who had gathered in Jallianwala Bagh for a peaceful protest to condemn the arrest and deportation of two of our national leaders, Satya Pal and Saifuddin Kitchlew.

Sir, I do not want to go into the details. Needless to mention, the people who gathered there, who fell victims to the firing, were Congress supporters. They came there on the call of the Congress leaders. Those who have read the history of our freedom movement, especially of the critical years of the first half of the previous century leading up to our freedom, would know how the Congress Party responded to this gory massacre. It was with this tragedy

precipitated by the British that the freedom movement took an irreversible turn. The British would have at least, in private, regretted their own folly of causing to shed the blood of Indians there, as they found themselves at the receiving end of the collective Indian anger against them thereafter, which was so very effectively channelized by the Congress leaders to a point of compelling them to quit India finally. Mahatma Gandhi and the Indian National Congress announced the massive Civil Disobedience Movement soon after the Jallianwala Bagh massacre.

माननीय सभापति : क्या आप अपनी सीट पर नहीं खड़े हुए हैं?

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He is not in his seat. That is why his name is not shown on the screen.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay, you may carry on.

SHRI BENNY BEHANAN : The Trust referred to in the Bill is the Trust formed by the Indian National Congress in 1920 in memory of the great sacrifice made by the freedom fighters of Jallianwala Bagh. It was founded in 1920 as a symbol of India’s suffering and resistance against the British and as a tribute to the memory of the thousands valiant Congress freedom fighters who perished on that fateful day, in pursuit of our freedom and dignity. First, the Indian National Congress passed a Resolution to have a memorial built, and then, in 1923 the Trust formed by the Indian National Congress purchased the land for

the project. A memorial designed by an American architect, Benjamin Polk, was built on the site and inaugurated by the then President of India Dr. Rajendra Prasad on 13th April 1961 in the presence of Pandit Jawaharlal Nehru and other leaders. A flame was later added to the site.

When the people of our country cutting across all our diversities were fighting for our freedom by shedding their blood, let me remind the Members of the Ruling Party that this was when their own mother organisation, that is the RSS never even existed in the minds of its founders. Today, they are conveniently forgetting that the people of our country had convincingly rejected and resisted their idea of India so far. Today, they are trying to implement their obscurantist ideas, forcing their inward-looking and repugnant notions of nationalism on our country built upon the inclusive and liberal democratic foundations nurtured by the Indian National Congress all along.

That being the fact and a part of history, if the Government of the day and the Ruling Party have any issue with the Trust, in all fairness I ask the hon. Minister to hand over the Trust back to the Indian National Congress to whom it legitimately belongs. By seeking to keep the Congress leadership out of it and by striving to sever the Congress legacy attached to it, the Government is allowing itself to be a party to the desecration.

The main amendment provides for the deletion of 'the President of the Indian National Congress' as a Trustee. Whom is the Government trying to mislead and fool here? Do its patrons in Nagpur think that they can sever the connection of the Congress with this Trust, in the making of which the Party

had paid with the blood and sweat of its followers, by a mere legislation? The country is today paying a heavy price for hoisting this Party to power. I would like to warn those involved in this destructive and mischievous project. They terribly suffer from a total lack of sense of history. History will always belong to those who contributed to the making of it and not to those who are working overtime to unmake or rewrite it. Sooner or later, their concocted version of history will be consigned to the dustbins. What they are doing today will be proven to be half-clever. Howsoever they try to distort and re-write history, the people of India will never forget and forgive them, and one day they will show them where they actually belong- not in the pages of history but in the dustbins.

Let me quote the great English writer George Orwell: “The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.” Let us not destroy our own history and its people by this Bill which tries to obliterate the role of Indian National Congress and the symbols of the freedom movement. I humbly request the hon. Minister not to delete the ‘President of Indian National Congress’ as Trustee. Congress is not just a political party; it stands as a symbol through which India regained its self-respect and dignity besides belonging to the rights of all those who respect the value of tolerance and liberal democracy.

माननीय सभापति : केवल सुमेधानन्द जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप कृपया प्रारम्भ कीजिए।

…(Interruptions) [*]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । …(व्यवधान) कि आपने मुझे जलियांवाला बाग संशोधन विधेयक 2019 पर बोलने का मौका दिया । मैं अपनी बात कहने से पहले उन शहीदों के लिए एक क्रांतिकारी शहीद की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, जिसने उस समय का दृश्य अपनी आंखों से देखा था:

"सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो,
दुश्मने हिन्दुस्तां के दिल में डर पैदा करो ।
फूंक दो बरबाद कर दो आशियां सैयाद का,
शरबाजो! अब जरा फिरा से शरर पैदा करो॥"

महोदय, उस समय जो क्रांतिकारी थे, उनके दिल में एक पीड़ा थी और उस पीड़ा के तहत ही इस प्रकार की भावना थी । उस भावना के अंतर्गत ही ये जो जलियांवाला कांड हुआ, यह सामान्य रूप से नहीं हुआ । 1857 की क्रांति जब हुई और 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई, उसी समय से इसके बीजारोपण प्रारम्भ हो गए थे । मैं कांग्रेस के बंधुओं से एक बात कहना चाहूंगा । शायद यहां कांग्रेस के मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं । कांग्रेस का एक इतिहास है । पट्टाभि सीतारमैया ने इसको इंग्लिश में लिखा । हरीभाऊ उपाध्याय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप अच्छी तरह से पढें । समय निकालकर आपको इसे पढ़ना चाहिए । मैंने इसे चार-पांच बार पढ़ा है । मैं कांग्रेस के इतिहास के उद्धरण आपको दूंगा । आपको बहुत पीड़ा हो रही है कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष को इससे हटाया जा रहा है । कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज की कांग्रेस तक कांग्रेस के 17 टुकड़े हुए हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनें । सबसे पहले 1923 में तीन व्यक्तियों ने कांग्रेस को

---

[*] Not recorded.

छोड़ा, जिसमें मोती लाल नेहरू, एनी बेसेंट और चितरंजन दास थे। जो परिवार आज अपने आप को कांग्रेस का ठेकेदार मानता है, उनके बुजुर्ग तो सन् 1923 में ही कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे।

एक माननीय सदस्य: वापस भी आए थे।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : वापस आए थे, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 17 टुकड़े कांग्रेस के हुए थे और इसके बाद 1969 में माननीय इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से निकाला गया। उन्होंने कांग्रेस आई बनाई और वापस 1981 में आकर रार्ष्टीय कांग्रेस को बनाया। अत:, बंधुओं, मैं एक बात कहने के लिए निवेदन चाहता हूं। एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहूंगा:

एक व्यक्ति अध्यापक था। उसने अपने लिए कपड़े और पजामा सिलवाया। उनको पजामा पहनकर विद्यालय जाना था, तो जब उन्होंने देखा तो पाया कि पजामा लंबा था तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि देवी, मैं कल यह पजामा पहन कर स्कूल जा रहा हूं और स्कूल का इंस्पेक्शन होगा। आप इस पजामे को थोड़ा छोटा कर दीजिए, घर में मशीन है। पत्नी ने कहा कि मुझे समय नहीं मिलता, मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर उसने बेटी की बहू, जो वहीं बैठी थी, उससे कहा कि बेटी, तुम कर देना। उसने कहा कि मैं भी अपनी ड्यूटी पर जाऊंगी, मैं भी नहीं कर सकती। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम पजामे को थोड़ा छोटा कर दो। बेटी ने सोचा कि पिताजी बार-बार कह रहे हैं, इसलिए उसने कैंची उठाई और दो इंच उस पजामे से काटा और सिलकर खूंटी पर टांग दिया। फिर बेटे की बहू ने विचार किया कि मेरे ससुर कितना काम करते हैं, पैसा कमाकर घर में देते हैं। उसने भी पजामे को उतारा और उसको काटकर फिर टांग दिया। उसके बाद पत्नी के मन में आया कि ये मेरे पति हैं और मैंने साथ फेरे लेते समय कहा था कि मैं हर सुख-दुख में साथ दूंगी। क्या मैं यह पजामा भी छोटा नहीं कर सकती? उसने भी पजामा 4 इंच काटकर छोड़ दिया। अगले दिन मास्टर जी ने जब पजामा पहना तो वह न पजामा न और न …* आज …* की यह हालत हो

---
* Not recorded.

गई है । …(व्यवधान) जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात ये लोग कर रहे हैं । …(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि …(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द हो तो उसे निकाल दीजिएगा । गौरव जी, मैंने निर्देशित कर दिया है। अब प्लीज आप बैठ जाइए। मैंने बोल दिया है कि कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द होगा, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। यह अधिकार चेयर को लेने दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने बोल दिया है। I have already instructed them.

…(व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।…(व्यवधान) बार-बार एक शब्द आता है कि यह संस्था कहां थी? बंधुओं के कांग्रेस पार्टी के कई वक्ताओं ने बोला है । मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब गांधी जी अफ्रीका से आए थे और अफ्रीका से आने के बाद जब उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई थी और हड़ताल की बात की थी। यदि उस समय सबसे पहला कोई मूवमेंट हुआ था, तो 30 अप्रैल को दिल्ली में हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक लाख लोगों के जुलूस का नेतृत्व किया था। यह कांग्रेस की पुस्तक है। आप अपना इतिहास इसमें पढ़कर देख लीजिए। एक लाख लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वामी श्रद्धानंद जी जब चांदनी चौक और घंटाघर के सामने आए थे, वहां अंग्रेजों ने बंदूकें लगा दीं और कहा कि अगर आगे बढ़ोगे, तो गोली चला दी जाएगी। स्वामी श्रद्धानंद जी अपने कुर्ते का बटन खोलकर आगे बढ़ते हुए कहा कि हिम्मत हो तो, गोली चलाओ और अंग्रेजों को बंदूकें हटानी पड़ी थीं। जब बात साम्प्रदायिकता की आती है, स्वार्थ की बात आती है। स्वामी श्रद्धानंद

जी उस जुलूस को लेकर जामा मस्जिद के सामने पहुंचे थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने पहली बार जामा मस्जिद की मीनार से एक लाख लोगों को संबोधित किया था। आप कहते हैं कि कहां चले गए हैं?

सभापति जी, कांग्रेस की स्थापना सन् 1885 में हुई थी। उससे दस साल पहले आर्य समाज की स्थापना हुई थी। मैं दादा से बात करना चाहूंगा। आपके कोलकाता का आर्य समाज विधान सरणी कांग्रेस का अड्डा रहता था, गढ़ रहता था, जहां पर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी।…(व्यवधान) पट्टाभि सीतारमैया को महात्मा गांधी जी ने 1935 में एक आदेश दिया था। वह आदेश यह था कि आप जेलों का सर्वे करिए कि इन जेलों में किस विचारधारा के लोग हैं। पट्टाभि सीतारमैया ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मैं उत्तर भारत की जेलों में गया हूं। वहां पर वैदिक विचारों को मानने वाले महर्षि दयानंद जी के शिष्य 85 प्रतिशत जेलों के अंदर हैं। मैं उनका शिष्य हूं। मैं स्वामी गुरू जी के गुरू जी स्वामी स्वतंत्रानंद थे, उनके गुरू जी स्वामी श्रद्धानंद थे और उनके गुरू जी स्वामी दयानंद जी थे। हम उस परंपरा के आदमी हैं और आप बार-बार मुझ पर अंगुली उठाते हैं कि इस तरफ कितने लोग हैं। मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना इतिहास उठाकर देखिए, परिवार का इतिहास उठाकर देखिए, बाकी इतिहासों को देखिए। यहां पर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फिर तकलीफ होगी। जो 1857 की लड़ाई हुई थी, उस लडाई में पंजाब के जिस घराने ने सहयोग दिया था, उसको महेन्द्रगढ़ और नारनौल दान में दिए गए थे। जो उनके पुत्र महेन्दर सिंह थे, उनके नाम पर महेन्द्रगढ़ नाम पड़ा था। आप कहां-कहां की बात करेंगे। अगर इन राजा-महाराजाओं की बात करने लग जाएंगे, तो आप फिर वहां से तूफान बनकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप देश के इतिहास को पढ़कर देखेंगे, तो देश के इतिहास में जिन लोगों ने काम किया है, उनका नाम कहां है।

सभापति जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि रास बिहारी घोष, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेन्द्रनाथ बसु, तेज बहादुर सप्रू, विपिन चन्द्र पाल, क्या दिल्ली में पिछले 50-55 सालों में किसी ने इनके नाम पर किसी सड़क का नाम रखा है? क्या डॉ सत्यपाल, जिन्होंने जलियांवाला बाग के

अंदर नेतृत्व किया था, सभी माननीय सदस्यों ने डॉ सैफुद्दीन किचलू का नाम लिया है, क्या हिन्दुस्तान में एक भी सड़क ऐसी नहीं थी कि डॉ सैफुद्दीन किचलू के नाम के पर हो?…(व्यवधान) मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। जो लोग दिल्ली में बैठे थे, क्या उन लोगों ने उनका नाम लिया था? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के इतिहास में एक परिवार को छोड़कर कितने लोगों ने नाम दिया है?

सभापति जी, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अमृतसर, पंजाब के अंदर जब जलियांवाला कांड होना था। 6 अप्रैल को एक आंदोलन की घोषणा हुई थी, लेकिन उसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई थी। उससे पहले चाहे वह गुजरांवाला था या कोई और था, कलकत्ता में आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी जी जब मुंबई से चले थे, उनको रास्ते से गिरफ्तार करके अहमदाबाद भेज दिया गया था, वह दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन पंजाब के प्रत्येक शहर के अंदर आंदोलन हुआ था। लाहौर में हुआ था। माननीय महताब जी, आप इस बात का उल्लेख कर रहे थे। पंजाब का ऐसा कोई शहर नहीं बचा था, जिस शहर के अंदर रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ था। बंगाल के अनेक शहरों के अंदर मूवमेंट हुआ था। मुंबई में मूवमेंट हुआ और सब जगहों पर हुआ था। बहुत से लोगों की यातनाएं दी गई थीं। गुजरांवाला में तो यह स्थिति थी कि एक किसान को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बच्चे ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके यह कहा गया कि बताओ तुम्हारे बेटे कहां पर हैं? वहां नहीं बता पाया था कि मेरे बेटे कहां पर हैं।

<u>14.00 hrs</u>

वह बता नहीं पाया कि मेरे बेटे कहां हैं। मान्यवर बंधुओ, उस किसान को इतनी यातनाएं दी गईं – उसके नाखूनों को पकड़ कर खींच दिया गया और भी अन्य यातनाएं दी गईं। जनरल डायर ने तो बाद में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप कांग्रेस के इतिहास में उन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, उन्होंने कमेटी के सामने, जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के सामने उसने जो बयान दिए हैं, डायर ने जो बयान दिए हैं, आप यदि उन बयानों को पढ़ते हैं तो विचार आता है कि कितना अत्याचार उस

व्यक्ति ने किया । उधम सिंह ने, जब वह छोटा सा बालक था, उस अत्याचार को उस बालक ने अपने आंखों से देखा और बाद में उसी जलियांवाला बाग़ में जा कर उस व्यक्ति ने वहां की मिट्टी उठा कर उसकी कसम खाई थी कि इस मिट्टी के अंदर मेरे जिन बुज़ुर्गों का रक्त पड़ा है, जब तक उसका बदला नहीं ले लूंगा, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा । मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह परिवर्तन हो रहा है, वह इसीलिए हो रहा है । माननीय महताब जी ठीक कह रहे थे, मैं दीना नगर में पढ़ा हूँ, मैं गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ और मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है । गुरुदासपुर में मैं रहा हूँ । लगातार दस साल रहा हूँ । मैं तो साल में दस बार जलियावाला बाग़ जाता था । उस जलियावाला बाग़ की दुर्दशा, अगर कांग्रेस का अध्यक्ष जा कर वहां देख लेता, उसमें तनिक भी देशभक्ति की भावना होती तो उसकी स्थिति बदली जा सकती थी ।

बंधुओ, अब की बात करते हो, मैं आपको 15 साल पहले की बताता हूँ । माननीय एमपी साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ । …(व्यवधान) गुरुजीत जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग़ इस प्रकार इतिहास का केन्द्र है, जिसमें 350 से अधिक लोग शहीद हुए, 1500 सौ आदमी घायल हुए, हजारों आदमी जेल गए, उस केन्द्र को तो इतना सुंदर बनाना चाहिए था । …(व्यवधान) जो भी आदमी अमृतसर जाता है । …(व्यवधान) अब तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । …(व्यवधान) बंधुओ, लेकिन 80 साल के बाद उनको याद आई है । …(व्यवधान) जब उनके बलिदान को 80 साल हो गए, तब कांग्रेस को उनकी याद आई है कि सरदार उधम सिंह का स्मारक बनाना चाहिए । …(व्यवधान) उनको पता था, कई बार कांग्रेसियों ने सीखा है कि साहब, गांधी जी को छीन लेंगे, पटेल जी को छीन लेंगे । इनको भय था, माननीय … * को भय था कि उधम सिंह का स्मारक भी भाजपा वाले बना देंगे तो फिर तुम हाथ मसलते रह जाआगे । …(व्यवधान) इसलिए बड़ी जल्दी-जल्दी में उसकी आधारशिला रखी है । …(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं इसका समर्थन करता हूँ कि इसकी धाराओं में परिवर्तन करना चाहिए । …(व्यवधान) मैं आशा करूंगा कि भविष्य में आप दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबां में झांकें कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, कौन-कौन से

* Not recorded.

घराने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं? …(व्यवधान) उनके परिवार का इतिहास क्या है? …(व्यवधान) उनका बलिदान क्या है? …(व्यवधान) आप अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे। …(व्यवधान) मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। …(व्यवधान) धन्यवाद। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: ये सब अनावश्यक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। Nothing would go on record.

…(Interruptions) …[*]

माननीय सभापति : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. जी, आप बोलिए। अपनी सीट से बोलेंगे तो नाम आएगा, यह सबके ध्यान में आ गया होगा। अपनी सीट से बोलिए – आपका नाम आ रहा है। यह ध्यान रखें।

…(व्यवधान)

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): *Vannakam* Sir, we are here to discuss in this extended Session of Parliament a Bill of this nature. The country is looking at us. We have given them reason that we are extending this Parliament to introduce important Bills and what Bills are we introducing today. We are introducing the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019. What does it amend? It amends that a trustee to be removed from the Indian National Congress and to be introduced a member from the largest Opposition party. Is it really that important? Have we extended this session for this?

What does the people judge the Government upon? You might have a majority today. But this is a circle of life. This Parliament Building is a very good example of this. It is in the shape of a circle. Here everything comes back. What have we witnessed before? Have we not witnessed a brutal

---

[*] Not recorded.

majority which was better than this? Have we not witnessed the House which had more than 400 Members from the Congress Party under Rajiv Gandhi?

The people of this country will judge you upon the magnanimity of you. Is this magnanimous enough for you to bring a Bill which just changes the trustee member which was made by the Congress? The country will decide how the Government is deciding upon what you have done for the down-trodden; what you have done for the poor; what you have done for the children; what you have done for the women; and what you have done for women empowerment. This is the magnanimity that is expected from the Government. Yes, we respect the majority. We are not opposing everything. Our Party DMK has supported you in so many Bills. We have supported you in the matter of Special Economic Zones, Child Rights, etc. We are not opposing blindly but we want to stress the point that important Bills should be brought in and we will surely support you on that.

You can also witness a model of Jallianwala Bagh in Tamil Nadu. Sixteen people were killed in the Sterlite controversy in the State of Tamil Nadu. When the Jallianwala Bagh incident happened, General Dyer was pulled up by the British Parliament; he was questioned and he was stripped off his job and had to retire from the Army. But here in this case no one has been held accountable. The AIADMK Government in the State has held no one accountable for this incident and no action has been taken against anyone. In the Jallianwala Bagh incident the Britishers killed Indian people and Members here have said not one woman died but here in this case we have an example where a 17 years old girl was shot in her mouth and no action has been taken

against the person who gave this shooting order. Since this is a matter relating to the Home Ministry, we want action to be taken against this. We do not support this Bill. We uphold the Dravidian culture and our party's name is also Dravida Munnetra Kazhagham. We will always fight for our rights. We want our rights to be upheld always.

Sir, I would also like to take this opportunity to request the hon. Minister, through you, to confer the Bharat Ratna award on our social reformist and our great leader Kalaignar Karunanidhi and also have a statue erected inside the Parliament premises. I would like to conclude by citing the UNESCO citation awarded to Periyar. UNESCO has awarded this and the words written there are -- the prophet of the new age; the Socrates of South East Asia; father of social reform movement and arch enemy of ignorance, superstition, meaningless customs and base manners. We want a similar citation to be awarded to the *Tandey i* Periyar.

Thank you.

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): महोदय, मैं आज जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस अवसर पर सरदार उधम सिंह जी को याद करना आवश्यक है।

14.07 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

दो दिन पहले ही उनकी पुण्य तिथि थी। मैं सर्वप्रथम उनको और जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय सभापति जी, यह संशोधन विधयेक जो माननीय मंत्री जी लाए हैं, इस पर अभी कांग्रेस के वक्ता द्वारा बड़ी आपत्ति की जा रही थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, जिससे देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे प्रधान मंत्री जी कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तभी कुछ ऐसा करते भी हैं। हमारी सरकार ने कई स्मारक बनवाए हैं, चाहे वह दिल्ली में अम्बेडकर जी का स्मारक हो, चाहे रामेश्वर में एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्मारक हो, चाहे नर्मदा के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मारक हो। इन स्मारकों में हमारी सरकार ने यह नहीं कहा कि इसका ट्रस्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होगा। बल्कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा, जो नियमत: सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वे होंगे। उस ट्रस्ट के इतिहास से जुड़े हुए अगर कोई हैं तो वे होंगे और इसलिए जलियांवाला बाग जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें स्थाई तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके ट्रस्टी थे, उसको चेंज करने की बात हमारी सरकार ने की है। पाँच साल तक जो मैम्बर है, उसको नहीं हटाया जा सकता। उसको कैसे बीच में भी हटाया जा सकता है, यह भी संशोधन हमारी सरकार लाई है और अगर आप देखेंगे तो जितने मैम्बर्स हैं, जलियांवाला बाग की घटना, हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो गाँव में हमारे दादा-दादी द्वारा कहानियाँ सुनाई जाती थीं और नाटक होता था, नाटक में जनरल डायर का जो स्वरूप दिखाया जाता था, उससे हम लोग डर जाते थे। इतनी वीभत्स घटना जलियांवाला बाग में हुई थी।

उस समय उन शहीदों की याद में स्मारक बना। उस समय हो सकता है कि इसकी आवश्यकता रही हो, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है। उसमें प्रधान मंत्री और विपक्ष का नेता लिखा था। उसमें यह नहीं लिखा था कि जिसे विपक्ष की मान्यता नहीं है, तो सबसे बड़े दल के

नेता को तो हम शामिल ही कर रहे हैं, तो इस नाते यह संशोधन बहुत आवश्यक था। मुझे लगता है कि केवल जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन चलाया। उसमें चौरी चौरा की घटना हुई, वहाँ पर भी कई लोग शहीद हुए। पूरे देश में वह आन्दोलन चला। तमाम ऐसे देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, स्थान हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए। जैसे चौरी चौरा है, इलाहाबाद में सिविल लाइन में चन्द्रशेखर आजाद पार्क है, वहाँ पर भी राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए। मेरे जिले में छावनी शहीद स्थल है, जहाँ पर 200 से ज्यादा नौजवानों को स्वतंत्रता आन्दोलन के समय फाँसी पर लटका दिया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि वहाँ पर भी एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने लगातार यह प्रयास किया है कि ऐसी संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से चलनी चाहिए, उनमें सरकार का प्रतिनिधित्व होगा, इतिहास से जुड़े हुए लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, तो मुझे लगता है कि वे संस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चलेंगी।

अभी मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहा था कि जलियांवाला बाग का जो स्मारक बना है, समय-समय पर उसकी देखभाल होती है या नहीं होती है। अभी हमारे शिव सेना के एक नेता जी कह भी रहे थे कि इसकी बैठक हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर आज बैठक की आवश्यकता पड़ जाए, तो शायद कांग्रेस के पास कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है और इसीलिए यह संशोधन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनको राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए। देश की आजादी से जुड़े हुए नौजवानों को याद करना चाहिए और उस इतिहास से लोगों को परिचित भी कराया जाए।…(व्यवधान)

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं अंडमान-निकोबार गया था। अंग्रेजों के समय में लोगों को काले पानी की सजा देकर अंडमान-निकोबार भेजा जाता था। वीर सावरकर जिस कमरे में रहते थे, मैंने उस कमरे को देखा। कोई भी कांग्रेस का नेता, तमाम लोग वहाँ गए भी होंगे, वहाँ जाकर कोई भी उस कमरे को देख सकता है।…(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि देश में ऐसे नौजवान, जो पढ़ने-लिखने में बहुत अच्छे हैं, कुछ क्राइटेरिया

निर्धारित करके, सरकारी व्यवस्था से ऐसे नौजवानों को वहाँ का टूर कराना चाहिए ।...(व्यवधान) वहाँ जाने से उन्हें प्रेरणा मिलेगी ।...(व्यवधान) वहाँ नौजवानों को भेजना चाहिए ।...(व्यवधान) उनको प्रेरणा मिलेगी ।...(व्यवधान) वे वहाँ जाएंगे, तो निश्चित रूप से देश के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा ।...(व्यवधान) आने वाले समय में हिन्दुस्तान और आगे बढ़े, इस दिशा में वे लोग काम करेंगे ।...(व्यवधान) मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, आपने मुझे जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, यह बिल माननीय मंत्री जी उचित समय पर लाए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हमारे नागरिक, स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे, मैं सबसे पहले उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस बिल को माननीय मंत्री जी सही समय पर लाए हैं, इसके लिए मैं मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ। वे इस बिल को क्यों लाए, इसके दो रीजन हैं। एक रीजन तो यह है, जैसा अभी बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट खाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष न होने की वजह से वहाँ पर किसको नियुक्त किया जाए, यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि वे इस पद के लायक हैं या नहीं। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे इस पद के लायक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। उन्होंने स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर के बारे में हर बार टिप्पणी की है, हर बार उन्होंने स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर का अपमान किया है, उसकी वजह से पूरे देश की भावना दुखित है। इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, पुणे में भी एफआईआर दर्ज की गई है। पिछली बार उनके द्वारा दिल्ली की रैली में स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर को डरपोक कहा गया। उन्होंने कहा कि स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर को फ्रीडम चाहिए और इसके लिए वे अंग्रेजों के सामने झुके। यह सब गलत इतिहास वे लोगों के सामने लाए। कांग्रेस की यही नीति रही है कि जो-जो स्वतंत्रता सेनानी उन्हें अच्छे लगे, वे उनका इतिहास लोगों के सामने लाए।…(व्यवधान) जो स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस को अच्छे नहीं लगते हैं, वे उनका इतिहास लोगों के सामने नहीं लाए।…(व्यवधान) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का हर बार कांग्रेस ने अपमान किया है।…(व्यवधान) ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पद के लायक नहीं हैं, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ।…(व्यवधान) इस बिल के माध्यम से वे एक अच्छा बिल लाए हैं।…(व्यवधान)

स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर जी का जो अपमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, काँग्रेस ने किया, इसके लिए उन्हें माफी माँगनी चाहिए।…(व्यवधान) महोदय, अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो आपके यहां साउथ के जितने स्वातंत्र्य सेनानी हैं, उनका इतिहास भी लोगों के सामने नहीं

लाया गया।...(व्यवधान) काँग्रेस ने देश में स्वातंत्र्य सेनानियों का जो इतिहास लाया, इसमें भी उनकी भूमिका संशय में है। एक गलत इतिहास काँग्रेस के माध्यम से लोगों के सामने लाया गया। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो-जो स्वातंत्र्य सेनानी हैं, पूरे देश के स्वातंत्र्य सेनानी हैं, उनका इतिहास देश के सामने आना चाहिए। यहां साउथ के माननीय सदस्यों ने अपने यहां के स्वातंत्र्य सेनानियों के बारे में जिक्र किया, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, देश को पता नहीं है। इसलिए जिन लोगों का देश की स्वतंत्रता में योगदान था, वह देश के सामने आना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि काँग्रेस ने जिन-जिन स्वातंत्र्य सेनानियों का अपमान किया, उनका इतिहास लोगों के सामने आना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर जी के कार्य का सम्मान करने के लिए उन्हें 'भारत रत्न' देना चाहिए।

धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Jalianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2018.

Sir, when we visit Jalianwala Bagh National Memorial, our mind is filled with emotions of national pride and patriotism. Jalianwala Bagh Movement Is known for a very big contribution of our martyrs in the Freedom Struggle. I am not going into the history of the entire case. But it is quite unfortunate today that the House is being divided. A political controversy has come in the name of martyrs and in the name of National Memorial like Jalianwala Bagh. It is quite unfortunate to have political divide on this issue. It is absolutely unnecessary; and the precious time of this Parliament is being used to delete the words, “the President of the Indian National Congress” as a Trustee. What is the Government going to gain by this?

Sir, if we look at the history, on 30th April, 1919, the brutal massacre was done by General Dyer, and the entire country, the whole world condemned this incident. In 1920, the All India Congress Committee Session was held in Amritsar where they adopted a Resolution to establish a National Memorial. In the year 1923, the Congress party purchased the land for the Memorial for Rs. 10 lakhs. In the year, 1950, the CWC passed a Resolution to create a Trust to manage the affairs of the Jalianwala Bagh Memorial. Then, in the year 1951, the same Congress party decided to move a Bill in the Parliament. So, a National Memorial Bill of 1951 passed in the Parliament under the leadership of the Congress party. Subsequently, it became a law in which the Congress President is the *ex-officio* Member of the particular Trust.

Here, how can you negate or how can you avoid the role of the Indian National Congress in constructing the Memorial as well as managing the affairs of it? What harm will it create if the Indian National Congress is representing the Trust? Is it the politics of consensus?

Sir, what is the purpose and intent of this National Memorial? It is to provide and establish the national integrity among the minds of the coming generations. We are remembering the contributions of our martyrs, who have laid their lives for our freedom. I am speaking in the Parliament today only because of our forefathers, who had fought for the freedom of this country. This Memorial is to be used for integrating the people of this country, beyond politics, beyond caste, beyond religion, beyond language. But now, we are dividing the people of the country in the name of a Memorial. It is quite unfortunate on the part of the Government in bringing such a Bill so as to have a political division in this House.

I would like to say that the deletion of words, "the President of the Indian National Congress" as a Trustee is not required. Now, we are having a controversy of the debate on who has made the contribution. Absolutely, I do not belong to Congress party. But let us look at the history. Most of the hon. Members including Prof. Saugata Rayji, Shri Dayanidhi Maran, have made a suggestion. You can make history. A very good political mandate is there with the BJP and the NDA led by Shri Narendra Modi. But that political mandate shall never be misused for rewriting the history of Indian Independence. Then definitely, it would be having adverse effects. Let us have a positive politics.

Why should you always be relying on the negative politics? It is absolutely a negative politics.

Sir, if you go through the Bill, its sole purpose is to delete "the President of Indian National Congress" as the *ex-officio* Member of the Trust. It is the sole intention of bringing this Bill. This House is an extended House. The time of the extended House is precious. This time is being used to delete the name of the Indian National Congress President from the Trust is quite unfortunate. This is not a constructive and a positive politic. I humbly urge upon the hon. Minister, my learned friend, to please withdraw this Bill. Last time also, we have discussed about the Bill. Except the political difference, what else is there as far as the Congress Presidency is concerned. Once again, I appeal to the hon. Minister and the Government to withdraw the Bill. Let us have a consensus that those who have contributed to the nation building should be remembered forever. You cannot take back the history. You cannot rewrite the history by omitting the Congress President from the *ex officio* member. It will never forgive you.

I urge upon the Government to please withdraw the Bill. Let us have a political consensus. Let us accept among each other. Then only the country can progress and the thing which you are aiming at is to be achieved.

With these words, I conclude.

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I rise to oppose this Bill. I am from the family of freedom fighters. I grew up by hearing the stories of Jallianwala Bagh massacre and other atrocities which were faced by our parents. My grandfather was there in Jallianwala Bagh at the time of massacre. Somehow, he was lucky and he survived. He told me the stories, the way they went village to village for collecting *anna* or half *anna* to buy a piece of land. In one incident, which he narrated to me, his feet were tied with a rope and the other end of the rope was tied with a horse. They were dragged on the road for yards and yards and beaten up after that just because they were going village to village for collecting money to buy a land for the memorial.

The Jallianwala Bagh Memorial Act came into existence in 1951 for erection and management of the memorial in the memory of those killed or wounded on Baisakhi, the 13th April, 1919. Baisakhi is an important religious festival of Sikhs as on this day 10th Sikh master Guru Gobind Singh ji founded Khalsa Panth.

Sir, if you look at the chronology of events upto Jallianwala Bagh massacre, on 13th April, 1919, Congress leaders and freedom fighters Shri Satyapal and Dr. Kitchlew from Amritsar were arrested and sent to Dharamshala. Both of them were at forefront of protests against Britishers. They believe that the oppressive Government could be thrown out by united front of Sikhs, Hindus and Muslims. This led to a strike in Amritsar and on the same day Mahatma Gandhi ji's entry was banned in Punjab. This led to a strike. A crowd of about 50,000 people marched against the deportation of two

congress leaders. The crowd, however, was stopped near railway over-bridge and fired upon which resulted in death of about 30 people. This was happened two days ahead of Jallianwala Bagh massacre. There were strong protests by Congress. The civil administration had called the Army. On the same day, in the afternoon, on Baisakhi, 13th April, 15,000 to 20,000 people gathered at Jallianwala Bagh at 4.30 p.m. on the call of Congress leader to protest against draconian Rowlatt Act.

Gen. Dyer arrived at 5.15 p.m. and he ordered fire which went on for 20 minutes in which 65 soldiers fired 1650 rounds. The result was that 1000 people were killed and other 500 were injured. The worst thing was that nobody was allowed to have any medical aid. None of the wounded were allowed be lifted to be taken to hospital.

INC was in the forefront of the freedom struggle and maximum of those went to jail and faced atrocities were Congressmen.

The present dispensation were nowhere or had no role in the freedom struggle but were helping the Britishers against the freedom fighters. Now they are trying to rewrite the history and rub the sacrifices of Congress in the freedom struggle, which will not happen. Instead of wasting their energy and time, they should stress the British Government to apologise for the massacre as the British Government, till this point of time, has not issued any apology.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI JASBIR SINGH GILL : The British Prime Minister David Cameron apologized for the killing of 13 protesters in Northern Ireland by British troops

on ‘Bloody Sunday’ in 1972. And just months after Mr. Cameron’s visit, came an acknowledgment of Britain’s another colonial-era atrocity: the crackdown on the ‘Mau Mau’ uprising in Kenya in the 1950s. Britishers paid 19.9 million pounds to more than 5000 Kenyans. The Government of India should pressurise the UK to apologise for the worst condemnable act in which thousands of peaceful, unarmed Indians were killed.

HON. CHAIRPERSON: Please be quick.

… (*Interruptions*)

SHRI JASBIR SINGH GILL: Sir, my last point is this. The ruling NDA have a huge majority – I would rather say a brute majority – and they claim to have tall leaders, world-class leaders in their rank and file. I think, they should show magnanimity. They have promised the countrymen the moon, a five-trillion economy, to make India a super power. But, I think, this is small political one-upmanship which they are into. …(*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत सेंसेटिव और राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल के मामले को लेकर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं ठीक छः मिनट के बाद अपने आप ही रुक जाऊंगा। सर, मुझे बीच में मत टोकिएगा।

ये जो जलियांवाला बाग की कहानी पढ़ रहे हैं और मैं सुबह से भी बार-बार सुन रहा था कि किसी के **…*** की बपौती है। इस कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 में हुआ था। ए. ओ. ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस जब बनी थी, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि अंग्रेजों के सामने पढ़े-लिखे लोगों की बात रखने के लिए हमें एक प्लेटफार्म चाहिए। …(व्यवधान) इसलिए कांग्रेस का गठन हुआ था। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : I will check the records.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी : उस टाइम कुछ सम्भ्रांत परिवार के लोग …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I will check the records. If anything is unparliamentary, definitely it will be removed.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी: केवल अंग्रेजों की **…*** करने के लिए ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस का गठन हुआ। **…**(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the records; do not worry.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी : वर्ष 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटे, तो उन्होंने लौट कर कहा कि गरीब लोगों की बात रखने के लिए कांग्रेस होनी चाहिए और एक जन-आंदोलन का नाम कांग्रेस होना चाहिए। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जी के आने के बाद जन-आंदोलन के लिए कांग्रेस बनी थी। …(व्यवधान) वरना पहले ह्यूम कांग्रेस, जो अंग्रेज था, उसके नेतृत्व की कांग्रेस थी।

---

* Not recorded.

इसके बाद कांग्रेस बन गई। कांग्रेस बनने के बाद जलियांवाला बाग की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे …(व्यवधान) क्या एक सप्ताह तक किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ एजिटेशन किया? एक सप्ताह तक किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ रोष प्रकट किया? अगर ये जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। ये जनरल डॉयर से … * हुए थे …(व्यवधान) अगर ये जलियांवाला बाग की कांग्रेस की बात करता था, मैं प्रेसिडेंट से पूछना चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, please take your seats. If I find any thing unparliamentary or any personal remarks, I will ask to remove from the proceedings. Do not worry Members.

श्री रमेश बिधूड़ी : सभापति महोदय, अगर ये जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे, जलियांवाला बाग के अंदर इन्होंने खुद कहा, बार-बार सत्यपाल जी का नाम ले रहे हैं, बार-बार किचलु जी का नाम ले रहे हैं। क्या उनका नाम मेमोरियल में नहीं आना चाहिए था? उनका नाम इनको याद नहीं आया, …(व्यवधान) बार-बार कह रहे थे, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कभी संघ की बात करते हैं। संघ जब वर्ष 1925 में बनी, कांग्रेस के नाम से आजादी मांगने वाले लोग अंग्रेजों की … * कर रहे थे। …(व्यवधान)

सभापति महोदय, संघ का निर्माण क्यों हुआ? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग और केवल जाति की राजनीति करने वाले लोग देश की आजादी 1947 में हो गया। 1947 में महात्मा गांधी जी को समझ में आ गया, उन्होंने कहा था अब लोकतांत्रिक पद्धति में चुनाव होंगे और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। …(व्यवधान) वह कांग्रेस समाप्त हो गई।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : I will go through the record.

* Not recorded.

…(*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी : सभापति महोदय, 1969 में कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा थे, जब उनसे बगावत हुई, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने अपने मुंह से कभी निजलिंगप्पा का नाम लिया है? …(व्यवधान) वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? जब कांग्रेस की अध्यक्षता की सीट से परिवार की बेटी को पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया गया था, तब कांग्रेस का नाम कांग्रेस(आई) हो गया था । …(व्यवधान) देश की आजादी कराने वाली निजलिंगप्पा की कांग्रेस थी न कि एक परिवार की कांग्रेस थी। उस कांग्रेस से रोटी खाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

…(*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी: सभापति महोदय, मुझे कनक्लूड करने दीजिए । कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बार-बार कहते हैं, जिस कलॉज को हटाया जा रहा है, …(व्यवधान) उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष उसका चयेरमैन क्यों हो? वह नेशनल प्रोपर्टी है …(व्यवधान) नेशनल संग्रहालय है। मोदी जी का बड़ा मन देखिए, …(व्यवधान) आपको देश के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया।

…(*Interruptions*)

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आप बैठिए । ये बोलने नहीं दे रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: You address the Chair.

…(*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : सभापति महोदय, आप उनको पहले बैठाइए, हाऊस आर्डर में नहीं है। वे फिर बोल रहे हैं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Your people are speaking.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go in record.

…(*Interruptions*) … *

श्री भगवंत मान: सभापति महोदय, अभी हम बीजीपी एक माननीय सदस्य का भाषण सुना, उन्होंने कहा जलियांवाला बाग …(व्यवधान) । इनको चुप कराओ ।

HON. CHAIRPERSON : You address the Chair.

…(*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : महोदय, इनको चुप तो कराओ ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, your time is running out. You address the Chair.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair. Your time is running out.

श्री भगवंत मान : माननीय सभापति जी, मैं बोलना चाहता हूं, मैं चुनकर आया हूं। …(व्यवधान) अभी सत्ताधारी पक्ष से माननीय सदस्य बोल रहे थे। …(व्यवधान) उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग एक स्टोरी है।

सर, यह स्टोरी नहीं है, यह तथ्य है।…(व्यवधान) आप फिर खड़े हो गए।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your turn is over. Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री भगवंत मान: यह तथ्य है।…(व्यवधान) यह स्टोरी नहीं है। यह प्रेमचंद मुंशी की लिखी हुई स्टोरी नहीं है। वहां हजारों आदमी मारे गए थे।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, बड़ी मुश्किल से सत्ताधारी पक्ष के सामने मौका मिला है।

HON. CHAIRPERSON: Mr. Bhagwant Mann, you please address the Chair.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

श्री भगवंत मान : मैं एड्रैस कर रहा हूं। वर्ष 1919 में जलियां वाला बाग हत्याकांड हुआ था, अब हम 2019 में हैं, उस घटना को 100 साल हो गए। वहां लोग क्या करने गए थे? उस समय के नौजवान थे, क्या करने गए थे? प्लानिंग करने गए थे कि अंग्रेजों को इस देश से कैसे निकालें? दुख की बात यह है कि खास तौर से आज भी पंजाब के नौजवान पार्कों में इकट्ठे होते हैं, वे प्लानिंग करते हैं कि अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचें? हमने क्या कर लिया? उनको मरवाने का क्या फायदा हुआ? उनको शहीद करवाने का क्या फायदा हुआ? काले अंग्रेज आ गए, हम फिर वहीं आ गए।

मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूं। जलियां वाला बाग में यह घटना हुई थी। जलियां वाला बाग में लोग कुंआं देखने तो बहुत जाते हैं जहां लोगों ने छलांगें लगाई थीं, लेकिन वहां दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया है। अगर 100 साल बाद जलियां वाला बाग को याद करना है, पहली बात यह है कि कांग्रेस, अकाली, बीजेपी से आजाद करो। जलियां वाला बाग किसी एक का नहीं सबका है। यह किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसे सबसे आजाद करो। ...(व्यवधान) मैं कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) कांग्रेस का चेयरमैन, अकाली दल का चेयरमैन या बीजेपी का चेयरमैन, उसका कोई चेयरमैन नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)

शहीद ऊधम सिंह जी जलियां वाला बाग जिस दिन गए, उस दिन वह पिंगलवाड़ा में थे। उनकी ड्यूटी जख्मियों को पानी पिलाने की लग गई थी। उन्होंने मिट्टी उठाकर कसम खाई कि मैं इसका बदला लूंगा। सुनाम मेरी कांस्टीटुएंसी में है, संगरूर में सुनाम एक कस्बा है। वे सुनाम से इंगलैण्ड गए और 22 साल बाद बदला लिया। वे यौद्धा थे, उन्होंने 22 साल सब्र भी किया। उन्होंने सोचा कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन बदला लूंगा। क्या शहीद ऊधम सिंह जी के लिए यहां से कोई श्रद्धांजलि दी गई? यहां कोई बुत ही लगा दीजिए। ऐसे आदमियों के लिए हम एक-डेढ़ घंटा डिबेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका बुत नहीं लगा रहे हैं। ये सांवरकर की बात कह रहे हैं, सांवरकर ने माफियां मांगी थीं, 25 लैटर हैं सांवरकर के।...(व्यवधान) जब काला पानी में थे, माफियां मांगी थीं कि मुझे माफ कर दो।...(व्यवधान) ऊधम सिंह ने कोई माफी नहीं मांगी।...(व्यवधान) उसने जनरल डायर को किंगस्टन हॉल में गोली मारकर पिस्तौल दे दी थी कि मैंने अपने हजारों आदमियों का बदला ले लिया। जब जनरल डायर ने वहां हजार आदमी मार दिए थे, शहीद कर

दिए थे, उस दिन रात को डिनर कहां किया था, ...* के घर पर। मैडम आ गईं, इनके घर पर किया था। पूछो, मैं गलत बोल रहा हूं।...(व्यवधान) इनके घर पर किया था।...(व्यवधान)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल): आप सबूत दिखा दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: ...* (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: आप देखिए, इसमें क्या है? ...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : आप कैसे बोल सकती हैं? ...*...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: आप सबूत दिखाइए।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : अब इन कागजों से कुछ नहीं बनेगा, यह तो हिस्ट्री है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Virendra Singh.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Virender Singh ji, if you want to speak, please speak. Otherwise, I would request the hon. Minister to reply.

... (*Interruptions*)

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय, इस संसद ने बहुत से ऐतिहासिक मुद्दों पर बहस देखी है। मैं समझता हूं कि इस ऐतिहासिक मुद्दे पर जो बहस हो रही है, इसको पूरा देश और दुनिया देख रही है। ऐसे कई ऐतिहासिक मुद्दों पर बहस हुई है, जिनकी गवाह संसद है। आज जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बहस हो रही है, इसके लिए मैं भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक मुद्दे पर बहस के लिए देश की संसद को प्रेरित किया है, जो देश की जनता को भी प्रेरित करेगी।

सभापति महोदय, मैं बलिया से सांसद हूं, जो 1942 के आंदोलन का केंद्र रहा है। पिछली बार बहुत दिनों तक मैं भदोही से सांसद था, जो 1857 के आंदोलन का केंद्र रहा है। आजादी की लड़ाई के दिनों में भदोही में 22 लोगों की फांसी हुई थी, वहां ठाकुर झूरी सिंह की स्मृति में राष्ट्रीय

* Not recorded.

स्मारक बना है। मुझे लगता है कि 1857 के आंदोलन ने ही 1942 के आंदोलन को प्रेरित किया था। 1942 के आंदोलन में हमारे क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूं, मोहम्मदाबाद में छात्रों ने आंदोलन करके देश को आजादी का रास्ता दिखाया था। मोहम्मदाबाद में भी एक स्मारक बना है, जहां बाबू शिवपूजन राय जी ने अपनी शहादत दी थी। 1942 में बैरिया तथा सुखपुरा में जो शहीद स्मारक बना था, उस आंदोलन के केंद्र में कौशल किशोर थे तथा सुदर्शन सिंह उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे । मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया से मंगल पांडे ने 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किया था।

महोदय, राष्ट्रीय आंदोलन को किसी भी राजनीतिक मुद्दों को बहस में नहीं लाना चाहिए। आज राष्ट्रीय मुद्दे पर संसद में जो बहस हो रही है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहस संसद में हास्यास्पद न बने, इसकी भी कोशिश जरूर होनी चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे या राष्ट्रीय सवाल पर हमारे मतभेद कहां हैं? जिस कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस कांग्रेस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महामना मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया भी होते थे, उसी कांग्रेस में ई.एम.एस.नंबूदरीपाद और डांगे भी होते थे। कांग्रेस के नेतृत्व में सब लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे देश की आजादी की लड़ाई के राष्ट्रीय सवाल पर लड़ रहे थे। क्षमा कीजिएगा, वह कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी थी। वह कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी। जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि डॉ.हेडगेवार नागपुर में उस कांग्रेस के क्रांतिकारी कार्यकर्ता होते थे, वे भारत के इतिहास को देख लें। कुछ लोग इतिहास बदलने की बात करते हैं। इतिहास में इतनी ताकत होती है कि कोई माई का लाल इतिहास नहीं बदल सकता, उसकी सत्यता जरूर प्रमाणित होनी चाहिए। बलिया, जहां से मैं आता हूं, चित्तू पांडे, ठाकुर जगन्नाथ सिंह, कौशल किशोर, शिवपूजन राय जैसे लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उस इतिहास को कौन बदल सकता है? किस में ताकत है उस इतिहास को बदलने की? रोना रोने से भारत का इतिहास कभी बदलने वाला नहीं है। मैं कह सकता हूं कि भारत के ऐतिहासिक तथ्य को सम्मानित करने तथा श्रेष्ठता प्रदान करने का जो प्रयास हमारी सरकार ने किया है, इस संसद को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। 1942 के आंदोलन के महान नेता जय प्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में राष्ट्रीय स्मारक बनाने की प्रेरणा आज के गृह मंत्री और

पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह ने दी है। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला किया है, वह स्मारक बन रहा है, जिस ट्रस्ट का चेयरमैन मैं हूं।

अब मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जब जलियांवाला बाग स्मारक बना था तो उस समय कांग्रेस का फैसला हुआ था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे।…(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: अगर आपको मालूम नहीं है तो हमें मत बताइए। सौगतराय जी हमें मत बताइए। आप जाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इतिहास पढ़िएगा…(व्यवधान) हमें मत बताइए। मैं सुभाष चन्द्र बोस के इतिहास के बारे में जानता हूं। जिस कांग्रेस ने सुभाष बाबू को अध्यक्ष बनने के बाद भी उसकी कैबिनेट नहीं बनने दी…(व्यवधान)

14.46 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज कनक्लूड कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं अपनी बात एक मिनट में पूरी करके समाप्त करता हूं…(व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह जो बिल जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 लाया गया है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं और मैं कह सकता हूं कि जितने राष्ट्रीय स्मारक इस देश में हैं, उनके रख-रखाव का काम संस्कृति मंत्रालय भी करे। मैं यह कहकर अपनी बात पूरी करता हूं।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। इस जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर 21 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अभी परमिशन नहीं दी गई है, प्लीज बैठ जाइए। नाम मुझे तय करना होता है और किसी को तय नहीं करना होता, प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और उनका आभार मानता हूं। इस चर्चा का प्रारंभ गुरजीत जी औजला, हरसिमरत कौर जी, दयानिधि मारन जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री राम मोहन नायडु जी, विनायक राऊत जी, दानिश अली जी, रामप्रीत मण्डल जी, भर्तृहरि महताब जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, श्री बैन्नी बेहनन जी, सुमेधानन्द सरस्वती जी, हरीश द्विवेदी, राहुल शेवले जी, एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, जसबीर सिंह जी गिल, रमेश जी बिधूड़ी, भगवंत जी मान और अन्त श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने किया। मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बात इस चर्चा के प्रारंभ में कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा शुरू में कहा था कि यह राष्ट्रीय स्मारक है और राष्ट्रीय स्मारक कोई राजनीतिक स्मारक मात्र नहीं हो सकता। उस घटना को 100 वर्ष हो गए हैं। उस घटना पर किसी को मतभेद नहीं हो सकता, जो इतिहास में लिखा है, वह न आप बदल सकते हैं, न कोई और बदल सकता है। मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आप अंगुली उठाने से पहले इस बात पर विचार कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, जिनका मैं जवाब दूंगा। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। इस चर्चा को जिस तरह से हम निचले स्तर पर लेकर गए हैं, उससे मैं दुखी भी हूं और उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदा भी हूं। मुझे लगता है कि हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी को आज बधाई देने का दिन है। इस राष्ट्रीय स्मारक को राष्ट्रीय बनाने की कोशिश है, राजनीति से दूर करने की कोशिश है। आप इस बात से क्यों हैरान हैं? अगर आप यह मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं तो फिर आप उसका जवाब दीजिए। अध्यक्ष

जी मैं दो तीन-तारीखों से हमारे मित्र ने शुरूआत में की थी, उनसे पूछना चाहता हूं। वर्ष 1951 में ट्रस्ट बना था। ट्रस्ट के जो आजीवन सदस्य थे, वे तीन इस देश की राजनीति के शिखर पुरुष थे। पहले प्रधान मंत्री आदरणीय जवाहर लाल नेहरू, दूसरे डॉ सैफुद्दीन किचलू जी और तीसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं आपके माध्यम से इस देश को यह बताना चाहता हूं कि ट्रस्ट बना और ये उसके स्थायी सदस्य थे। जवाहर लाल नहेरू जी दिनांक 27.05.1964 को नहीं रहें, डॉ शैफुद्दीन किचलू जी का 09.10.1963 को देहावसान हो गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद दिनांक 22.02.1958 को नहीं रहे। आप वर्ष 2006 में जागे, आपको 40 साल से ज्यादा उन स्थायी मैम्बर्स को नियुक्त करने में लग गए, क्या यह सच्चाई नहीं है?

क्या यह सच्चाई नहीं है? मुझे लगता है कि अपने इतिहास को टटोलना चाहिए। ठीक है, आपने इनका स्थान नहीं भरा, लेकिन वर्ष 1970 में श्रीमती गांधी इस देश की प्रधान मंत्री थीं और जगजीवन राम जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस ट्रस्ट की अध्यक्षता श्रीमती गांधी ने की, जगजीवन राम ने नहीं की। यह कागज मेरे पास है। जिस दस्तावेज की मैं बात कर रहा हूं, वह मेरे पास है। मैं आपको दूसरी घटना बताता हूं कि वर्ष 1998 में जब सोनिया गांधी जी ने उस ट्रस्ट की अध्यक्षता की, तब देश का प्रधान मंत्री कौन था? मुझे लगता है कि हमारे लिए नियम, कानून, कायदे और एक्ट की कीमत है, हम उनको बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके एक्ट में क्या था? आप जलियांवाला बाग के उस स्मारक को, मेरे मित्र वहां से आते हैं, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपको किसने रोका था? यदि इस ट्रस्ट में शहीद सरदार ऊधम सिंह के परिवार का कोई सदस्य होता तो क्या इस देश को एतराज होता? मुझे लगता है कि यह आलोचना का सवाल नहीं है। आज 100 साल गुजर गए हैं, अगर आप अपने नेताओं को भूल गए, जो 50 साल से नहीं रहे और आप उनके उत्तराधिकारी नहीं तय कर पाए, यह अपराध हम पर मत डालिए। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, देश को भी देना पड़ेगा, संसद को भी देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कई चीजें हैं, इस सच को आप स्वीकार कीजिए कि यह राष्ट्रीय स्मारक है। अगर आप यह मानते हैं कि हम इसमें नेता, प्रतिपक्ष ही बने रहने देते तो क्या आप उसके पात्र हैं? अगर यह बात इस संशोधन में कही गई है तो मैं नहीं मानता हूं कि यह कोई गलत बात है। इसलिए हम जिस स्तर तक इस

बहस को ले गए हैं, मुझे लगता है कि असहमति हो सकती है, आपके मन में यह बात हो सकती है, लेकिन मैं एक आध्यात्मिक परम्परा से आया हुआ व्यक्ति हूं। मेरे आराध्य परम पूज्य बाबा श्री ने मुझसे कहा था कि सत्य को प्रमाण की नहीं, प्रणाम की अवश्यकता है। आज के दिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 100 साल पूरे होने के बाद, शताब्दी पूरी होने के बाद, अगर हम उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं तो ऐसे स्थानों को राजनीति से मुक्त कर देना चाहिए और वह दिन आज है, जिसे मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं चाहता था कि यह बिल दो दिन पहले आता। अगर यह बिल फरवरी, 2019 में पारित हो गया होता तो आप कल्पना कीजिए कि वह दिन कितना अच्छा होता कि 13 अप्रैल, 2019 को जब शताब्दी पूरी हो रही होती, तब हम इसको समर्पित कर रहे होते।

माननीय भर्तृहरि महताब जी यहां बैठे हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि वास्तव में वहां क्या-क्या हुआ है। भर्तृहरि महताब जी, वहां पर बहुत-से काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, वहां पर काम अभी भी चल रहे हैं। अभी वहां पर लगभग साढ़े उन्नीस करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं, जो आपने अपेक्षा व्यक्त की थी। एएसआई के ही सुपरविजन में वह काम चल रहा है। इस पर भी बवाल है, इस पर भी आपत्ति की गई है। इस पूरे वर्ष भर में सरकार ने देश के सारे राज्यों में गोष्ठियां की हैं। जलियांवाला बाग की शताब्दी पर, उन बलिदानियों की स्मृति में पूरे देश में कार्यक्रम हुए हैं। जलियांवाला बाग में जो निर्माण चल रहा है, उस निर्माण से आपकी असहमति किस बात को लेकर है? अगर एएसआई वह काम कर रही है, जैसा भर्तृहरि महताब जी ने कहा, आप उसके स्वरूप को बदल तो नहीं सकते, वे चीजें जहां की तहां होनी चाहिए। आप बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस समय की कांग्रेस से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी ने भी अपने वसीयतनामे में लिखा है और मैं मंत्री होने के नाते उस 'गांधी दर्शन' का उपाध्यक्ष हूं। वहां जाकर वह वसीयतनामा पढ़िए कि गांधी जी ने क्या लिखा है चार लाइनों में। यदि आप चाहते हैं कि मैं सदन में उसे पढ़ूं तो मैं उसे पढ़ देता हूं। मुझे लगता है कि कई बार हम जल्दबाजी में कुछ चीजें बोल जाते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर मैं गांधी जी के वसीयतनामे को पढ़ूंगा तो फिर इन लोगों को आपत्ति होगी कि क्या पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम कई बार चर्चा करने से पहले …(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने कहा था

कि अब देश आज़ाद हो गया है, इसलिए हमें कांग्रेस नाम की संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। अब किसी विरोध और बैनर की जरूरत नहीं है। …(व्यवधान) वसीयतनामा मैंने नहीं लिखा है, इसे महात्मा गांधी जी ने लिखा है। आज आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज का दिन …(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के मित्रों से दूसरी बात कहना चाहता हूं। जब यह घटना घटी तो उसमें आम लोग शहीद हुए। क्या आम लोगों को उस ट्रस्ट में स्थान नहीं मिलना चाहिए?…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : वसीयत मतलब विल।…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : वसीयत मतलब विल।…(व्यवधान) वह उन्हीं के अखबार में छपा था। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अनुसंधान की आदत है, मुझे लगता है कि गांधी जी की 150वीं जयंती भी है। दादा को वह भी याद रखना चाहिए कि केवल जालियांवाला बाग की शताब्दी वर्ष नहीं है।…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): … * को नमन करते हैं।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : …(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि बार-बार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वह बनाया। कांग्रेस के एक माननीय सदस्य कह रहे थे, वह अपने-आप में सही थे, आम आदमी ने पैसा इकट्ठा किया है और कांग्रेस ने बाद में पैसा दिया है। इतिहास आपने ही लिखा है किसी और ने इतिहास नहीं लिखा है, इसलिए बार-बार यह कहना कि आम आदमी ने शहादत दी, आम आदमी ने उसमें पैसा दे कर बनाने का काम किया।…(व्यवधान) मैंने आपके समय में नहीं बोला।…(व्यवधान) हम आपको यह भी याद दिला दें, आप उसको पढ़िए कि जितना पैसा इकट्ठा किया गया था, उसमें पांच-छ: हजार रुपये बच गए थे। बाद में जब जमीन खरीदने की जरूरत पड़ी और पैसे कम पड़े तब कांग्रेस ने पैसा इकट्ठा किया है। आप जिन मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं,

---

* Not recorded.

जिन्होंने उस समिति को बनाया, पैसा एकत्रित किया, उन्होंने कांग्रेस को वर्ष 1923 में छोड़ दिया था। …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : वह फिर वापस आए। …(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : वह कह चुके हैं, मुझे पता है। मुझे लगता है कि यह विवाद का विषय नहीं है। आज जिस प्रकार से यह निर्णय हुआ है। इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। हम किसी के इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यह गर्व से कहेंगे कि हम इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक में 100 वर्ष बाद जो परिस्थितियां बदलती हैं, उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े जोर से कह रहे थे कि जो इतिहास भूलते हैं, वे मिट जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद यह गलती आपने की थी, जिसका परिणाम आप भुगत रहे हैं।

मैंने पहले ही कहा है कि इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है, इतिहास छूट सकता है। मैं दमोह से चुन कर आया हूं। वर्ष 1842 की क्राति की शुरुआत दमोह से हुई थी। वहां एक राजा किशोर सिंह थे।…(व्यवधान) मुझे लगता है कि बहुत सारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। राजा किशोर सिंह लड़ते-लड़ते मर गए। उनका शरीर न जिंदा मिला और न ही मुर्दा मिला। इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला। दमोह वह जगह है, जहां पर अंग्रेज दो बार हारे। जिस बुंदेला विद्रोह की मैं बात कर रहा हूं, वह इतिहास में दर्ज है, आप उसे पढ़िए। मैं भर्तृहरि जी की बात से सहमत हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं। हमारे शिवसेना के मित्र राऊत साहब ने कहा है, मैं आपके माध्यम से सदन और देश को कहना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि संस्कृति और इतिहास का पुनर्लेखन न हो, लेकिन कम से कम पुनर्निरीक्षण हो। जो लोग छूट गए हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि उनको सम्मान मिलना चाहिए? आप असम से आते हैं, वहां 140 इंसान एक साथ गोली से मारे गए थे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि उनको स्थान मिलना चाहिए?

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में दो स्थान हैं। एक फसियाआम कहलाता है जो देवरी, जिला सागर में है। वहां 62 लोगों को फांसी दी गई। उसका नाम फसियाआम हो गया, लेकिन वहां पर एक चिन्ह नहीं है। मैंने सांसद होने के नाते निधि देने की कोशिश की, लेकिन हम स्मारक के लिए निधि

नहीं दे सकते हैं। अगर लड़ना है तो इन बातों के लिए लड़िए। हमारे यहां फंसियानाला है, जहां 27 लोग मारे गए, उनमें एक छ: महीने का एक बच्चा भी मारा गया। ऐसा नहीं है कि इतिहास कोई कमजोर है या हम इतिहास पर गर्व नहीं करते हैं! आप अंगुलियां उठा कर किसको बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देश में ऐसी जगह होगी, जहां 50 से ज्यादा, 25 से ज्यादा या 100 से ज्यादा लोग मारे गए होंगे, क्या उनको चिन्हित नहीं करना चाहिए, क्या उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए? जब आप यह कहेंगे तो क्या हम ढूंढ़ेंगे कि किसके नाम यह से करें? मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्मारकों को राष्ट्रीय ही रहने देना चाहिए। हम ने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस ट्रस्ट में रहेगा। हम ने कभी नहीं यह कहा कि हमारा नॉमनी ऐसा होगा, लेकिन आप बार-बार अंगुलियां उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहस जिस स्तर पर होनी चाहिए थी, वह नहीं है।

15.00 hrs

आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम उन बलिदानियों को नमन करते हैं तथा उस अत्याचार का प्रतिवाद करते हैं। 100 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमें जाने, उन बातों को पहचानें, यह सबसे बड़ी चीज थी। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए वह सिर्फ एक स्मारक हो सकता है, आपके लिए वह ट्रस्ट हो सकता है, वह हमारे लिए मामूली स्मारक या ट्रस्ट नहीं है। हम जानते हैं कि वहां हमारे बलिदानी पुरखों का खून है, उसकी गंध हमें उस मिट्टी से आती है और हमें उसका सम्मान करना होगा।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन्हें ये बातें कभी याद नहीं आईं।…(व्यवधान) ये बेतुकी बहस कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहता हूं कि मेरा पहला खेड़ा पड़ावोहानी है, जहां आज पाकिस्तान की सीमा में हैं, लड़ते-लड़ते यहाँ पहुंचे हैं। हमें छाती ठोककर कहने का अधिकार है कि वे हमारे पुरखे थे और उनका रक्त वहां पर है। हमें उसका गर्व है, लेकिन आपने कभी गर्व नहीं किया। मैं संस्कृति मंत्री के नाते अपने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और मैं वहां जाऊंगा। उस मिट्टी को कलश में भरकर लाऊंगा और अपने प्रधान मंत्री जी को दूंगा। उस कलश को नेशनल म्यूजियम में रखेंगे, ताकि लोगों को इतिहास पता लग सके। यह बात

आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको लगता है कि हर समय राजनीति हो रही है । इन संशोधनों में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके कारण किसी राजनैतिक पार्टी को कोई तकलीफ हो । यदि तकलीफ हो रही है, तो केवल इस वजह से कि वे सोचते हैं कि हम केवल राजनीति करना जानते हैं और केवल राजनीति करना चाहते हैं ।

महोदय, अंत में, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और यही विनती करूंगा कि इसे राजनीति का पूर्वाग्रह मत बनाइए । यदि यह परिवर्तन इस बिल में है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो सबसे बड़े दल का नेता इसमें हो । एक तरफ तो आप हमारा विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ आप हमारी सराहना भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इरादा कभी किसी का नहीं हो सकता । प्रधान मंत्री डेजिगनेटेड पद पर वहां हैं, इसलिए इस बिल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिस पर सदन को आपत्ति होनी चाहिए । मैं आपके माध्यम से सदन से विनती करता हूं कि सर्वसम्मति से इस बिल को पास करके इस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, we want Division. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं –

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

<u>लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब लॉबीज़ खाली हो चुकी हैं।

महासचिव महोदया, पहली बार मतदान हो रहा है। कई माननीय सदस्य नए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप सूचना को दो बार रिपीट कर दें।

ANNOUNCEMENT RE: OPERATION OF AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System: -

1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.

2. When the hon. Speaker says “Now Division”, the Secretary-General will activate the voting button whereupon “RED BULBS” above display boards on both sides of hon. Speaker’s Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.

3. For Voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously “ONLY” after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the GONG.

   Red “VOTE” button in front of every Hon’ble Member on the Head phone plate

   and

   any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat’

Ayes	:	Green Colour
Noes	:	Red Colour
Abstain	:	Yellow Colour

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another GONG, is

heard and the Red BULBS above plasma display are “OFF”.

5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

   (i) If buttons are kept pressed before the first GONG.

   (ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till second GONG.

Hon. Members can actually see their votes on display boards installed on either side of the hon. Speaker’s chair. In case vote is not registered, they may call for voting through slips. If I explain in brief, because it is a long description, just pay attention to the sound of the gong, the first sound and the second sound. As soon as you hear the first sound of the gong, you press both buttons, one on top of your desk and another which has got three buttons. I can also explain in Hindi but I am just telling you. The hon. Members have to press these two buttons simultaneously after the first sound of the gong is heard. You keep pressing both the buttons till you hear the second sound of the gong. That is the only part you can keep in mind. You can see on both sides, if you press the green button, then you can see on your seat whether the green signal has appeared or not. मैं आपको हिन्दी में भी बता दूंगी ।

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे पुन: रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SOME HON. MEMBERS: Sir, we want Division.

SECRETARY-GENERAL: Now, I will start the process of Division. When I will press the button, you will hear the sound of the gong and then you can start voting.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, अगर आप सबकी सहमति हो तो इलैक्ट्रोनिक सिस्टम से दोबारा मतदान करा दें।

माननीय सदस्यगण, कोई भी बटन अभी प्रेस नहीं करें। जब आपको दोबारा बोला जाए, तब प्रेस करें। सभी माननीय सदस्य बटन छोड़ दें। बटन से अपने-अपने हाथ हटा लें।

मैं इसे पुन: रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब मतदान।

<u>लोक सभा में मत विभाजन हुआ :</u>

DIVISION -1 **AYES** **15.15 hrs**

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

*Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ambareesh, Shrimati Sumalatha

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Barla, Shri John

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

*'Bhole', Shri Devendra Singh

*Bhoumik, Sushri Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

---

* Voted through slip.

Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Dharmapuri, Shri Arvind

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gao, Shri Tapir

*Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gogoi, Shri Topon Kumar

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Hans, Shri Hans Raj

Hegde, Shri Anantkumar

*Hembram, Shri Kunar

Jadav, Dr. Umesh G

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

---

* Voted through slip.

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Kher, Shrimati Kirron

Kishan, Shri Ravi

Kol, Shri Pakauri Lal

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri P. Raveendranath

Kumar, Shri Santosh

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ramprit

Mandavi , Shri Mohan

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr.(Prof.) Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Shri Santosh

Paswan, Shri Kamlesh

Patel(Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

*Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Pujari, Shri Suresh

Raghavendra, Shri.B.Y.

---

* Voted through slip.

Rai, Shri Nityanand

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ranjan, Dr. R. K.

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddy, Shri G. Kishan

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saini, Shri Nayab Singh

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Seth, Shri Sanjay

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G M

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh(Retd.) , Gen. Dr V. K .

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

*Singh, Shri Virendra

*Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Soren, Shri Sunil

Subba, Shri Indra Hang

Suman, Dr. Alok Kumar

*Supriyo, Shri Babul

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A Narayana

Tamta, Shri Ajay

Thakur , Shri Gopal Jee

---

* Voted through slip.

Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Yadav , Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Giridhari

NOES

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Baalu, Shri T.R.

Behanan, Shri Benny

Bordoloi, Shri Pradyut

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chellakumar, Dr.A.

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Gandhi, Shri Rahul

Gogoi, Shri Gaurav

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Jawed, Dr. Mohammad

*Jayakumar, Dr. K.

Kanimozhi, Shrimati

*Kora, Shrimati Geeta

Kuriakose, Adv. Dean

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Moitra, Sushri Mahua

Muraleedharan , Shri K.

Natarajan, Shri P.R.

Prakash, Adv. Adoor

---

* Voted through slip.

*Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Raja, Shri A.

Ray, Prof. Sougata

Roy, Shrimati Mala

Sardinha , Shri Francisco

Singh, Dr. Amar

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

*Suresh, Shri Kodikunnil

Thangapandian, Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi

Thirunavukkarasar. Shri Su.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

*Venkatesan, Shri S.

ABSTAIN

NIL

---

* Voted through slip.

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम यह है **:**

हाँ : 214

नहीं: 30

अनुपस्थित : 00

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 धारा 4 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my amendment is to include the President of the Indian National Congress or the member of working committee of All India Congress Committee nominated by the President of the All India Congress to be incorporated in clause (b) of page 1 for line 6.

I beg to move:

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes : 214 + S/Shri Babul Supriyo, Karadi Sanganna Amarappa, Parbatbhai Savabhai Patel, Virendra Singh, Dr.Heena Vijaykumar Gavit, S/Shri Devendra Singh'Bhole', Kunar Hembram, Sushri Pratima Bhoumik and Shri Mahendra Singh Solanky=223

Noes : 30 + S/Shri S. Venkatesan, Kodikunnil Suresh, Shrimati Geeta Kora, Shri T. N. Prathapan and Dr. K. Jayakumar =35

Abstain : 00

Page 1, *for* line 6, *substitute*,--

‘(*i*) for clause (*b*), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(*b*) the President of the Indian National Congress or the member of working committee of All India Congress Committee nominated by the President of the All India Congress,”.’. (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we want division. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी डिविजन मांग सकता है।

अब मतदान:

…(व्यवधान)

SECRETARY-GENERAL: I am starting the process of division.

DIVISION -2 **AYES** **15.20 hrs.**

*Aujla, Shri Gurjeet Singh

Baalu, Shri T.R.

Behanan, Shri Benny

Bordoloi, Shri Pradyut

Chaudhary, Shri Santokh Singh

*Chellakumar, Dr.A.

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Gandhi, Shri Rahul

Gogoi, Shri Gaurav

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Jawed, Dr. Mohammad

*Jayakumar, Dr. K.

Kanimozhi, Shrimati

Kora, Shrimati Geeta

Kuriakose, Adv. Dean

---

* Corrected through slip for 'Ayes'.

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Moitra, Sushri Mahua

Muraleedharan , Shri K.

*Natarajan, Shri P.R

Prakash, Adv. Adoor

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Raja, Shri A.

*Ray, Prof. Sougata

Roy, Shrimati Mala

*Sardinha , Shri Francisco

Singh, Dr. Amar

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suresh, Shri Kodikunnil

Thangapandian, Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi

Thirunavukkarasar. Shri Su.

---

* Corrected through slip for 'Ayes'.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

*Venkatesan, Shri S

* Corrected through slip for 'Ayes'.

NOES

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

*Ajgalley, Shri Guharam

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ambareesh, Shrimati Sumalatha

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

*Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

*Barla, Shri John

*Beniwal, Shri Hanuman

*Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

---

* Voted through slip.

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

'Bhole', Shri Devendra Singh

*Bhoumik, Sushri Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

*Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chatterjee, Shrimati Locket

*Chaudhary, Shri P. P.

*Chaudhary, Shri Pradeep Kumar

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

* Voted through slip.

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

*Dharmapuri, Shri Arvind

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

*Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

*Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

---

* Voted through slip.

Gao, Shri Tapir

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gogoi, Shri Topon Kumar

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

@Hans, Shri Hans Raj

Hegde, Shri Anantkumar

*Hembram, Shri Kunar

*Jadav, Dr. Umesh G

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

*Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

*Joshi, Shri Pralhad

@ Corrected through slip for 'Noes'.

* Voted through slip.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

*Kachhadiya, Shri Naranbhai

*Kamait, Shri Dileshwar

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

*Kashyap, Shri Suresh

@Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Kher, Shrimati Kirron

Kishan, Shri Ravi

Kol, Shri Pakauri Lal

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Kaushlendra

---

* Voted through slip.

@ Corrected through slip for 'Noes'.

[*]Kumar, Shri Narendra

[@]Kumar, Shri P. Raveendranath

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

[*]Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

*Mallah, Shri Kripanath

[*]Mandal, Shri Ramprit

Mandavi , Shri Mohan

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

---

[*] Voted through slip.
[@] Corrected through slip for 'Noes'.

Meghwal, Shri Arjun Ram

*Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

*Muniswamy, Shri S.

*Munjapara , Dr. (Prof.)Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Naik, Shri Raja Amareshwara

[@]Naik, Shri Shripad Yesso

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

[*]Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

[@] Corrected through slip for 'Noes'.

[*] Voted through slip.

Pandey, Shri Santosh

Paswan, Shri Kamlesh

*Patel(Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

*Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

*Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

*Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Prakash, Shri Jai

---

* Voted through slip.

*Pramanik, Shri Nisith

Pujari, Shri Suresh

[*]Raghavendra, Shri.B.Y.

Rai, Shri Nityanand

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

[*]Ram, Shri Vishnu Dayal

*Ranjan, Dr R. K.

*Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

*Rawat, Shri Ashok Kumar

*Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddy, Shri G. Kishan

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

---

[*] Voted through slip.

*Sagar, Shri Arun Kumar

*Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saini, Shri Nayab Singh

Sangma, Kumari Agatha K.

*Sao, Shri Arun

Saraswati, Shri Sumedhanand

*Sarkar, Dr. Subhas

*Saruta, Shrimati Renuka Singh

*Seth, Shri Sanjay

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Mahesh

*Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

---

* Voted through slip.

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr.Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G M

*Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh(Retd.) , Gen. Dr V. K .

Singh, Dr. Jitendra

*Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

*Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Giriraj

* Voted through slip.

Singh, Shri Lallu

*Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

[*]Singh, Shri Virendra

*Solanky, Shri Mahendra Singh

*Soni, Shri Sunil Kumar

*Soren, Shri Sunil

Subba, Shri Indra Hang

*Suman, Dr. Alok Kumar

Supriyo, Shri Babul

---

[*] Voted through slip.

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tamta, Shri Ajay

*Thakur , Shri Gopal Jee

*Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

*Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Udasi, Shri S. C.

*Uikey, Shri Durga Das

Vardhan, Dr. Harsh

*Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Yadav , Shri Krishna Pal Singh

---

* Voted through slip.

[*]Yadav, Shri Ashok Kumar

[@]Yadav, Shri Giridhari

ABSTAIN

NIL

[*] Voted through slip.

[@] Corrected through slip for 'Noes'.

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यधीन,* मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 33

नहीं : 156

अनुपस्थित : 00

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल – उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes : 33+ Prof. Sougata Ray, S/Shri P.R Natarajan, S. Venkatesan, Francisco Sardinha , Gurjeet Singh Aujla, Dr. K. Jayakumar and Dr. A. Chellakumar - S/ Shri Kanakmal Katara, Shripad Yesso Naik, Hans Raj Hans, P. Raveendranath Kumar and Giridhari Yadav = 35

Noes : 156 + S./Shri Kanakmal Katara, Shripad Yesso Naik, Hans Raj Hans, P. Raveendranath Kumar, Giridhari Yadav, Pralhad Joshi, Dr. Satya Pal Singh, S/Shri Naranbhai Kachhadiya, P. P. Chaudhary, Vishnu Dayal Ram, B.Y. Raghavendra, Sanjay Kaka Patil, Janardan Singh Sigriwal, Guharam Ajgalley, Tirath Singh Rawat, Parbatbhai Savabhai Patel, Mitesh Patel(Bakabhai), Dr. (Prof.)Mahendra Munjapara , Dr. Umesh G. Jadav, S/Shri S. Muniswamy, Annasaheb Shankar Jolle, Ratansinh Magansinh Rathod, Dr. Subhas Sarkar, S/Shri Shantanu Thakur, Virendra Singh, Shrimati Poonamben Maadam, Shrimati Keshari Devi Patel, S/Shri Nisith Pramanik, John Barla, Kunar Hembram, Vijay Kumar Dubey, Ramesh Bind, Rebati Tripura, Pradeep Kumar Chaudhary, Shrimati Renuka Singh Saruta, Sushri Pratima Bhoumik, Shrimati Queen Oja, S./Shri Ashok Kumar Rawat, Arun Kumar Sagar, Anurag Sharma, Arvind Dharmapuri, Mahendra Singh Solanky, Durga Das Uikey, Anil Firojiya, Sunil Baburao Mendhe, Vijay Baghel, Sunil Kumar Soni, Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Hanuman Beniwal, Mahabali Singh, Dileshwar Kamait, Brijendra Singh, Chunni Lal Sahu, Arun Sao, Sanjay Seth, Suresh Kashyap, Dr. Alok Kumar Suman, S./Shri Ramprit Mandal, Horen Sing Bey, Kripanath Mallah, Ashok Kumar Yadav, Gopal Jee Thakur , Dr R. K. Ranjan, S./Shri Sunil Soren and Narendra Kumar =221

Abstain : 00

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:

Page 1, *after* line 10,-

insert "(*da*) the Member of Parliament representing the area where the Jallianwala Bagh National Memorial is situated;". (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I demand a Division.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION - 3 **AYES** **15.25 hrs.**

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Baalu, Shri T.R.

Behanan, Shri Benny

Bordoloi, Shri Pradyut

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chellakumar, Dr. A.

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Gandhi, Shri Rahul

Gogoi, Shri Gaurav

Hansdak, Shri Vijay Kumar

*Haridas, Kumari Ramya

Jawed, Dr. Mohammad

*Jayakumar, Dr. K.

Kanimozhi, Shrimati

Kora, Shrimati Geeta

Kuriakose, Adv. Dean

---

* Voted through slip.

*Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Mahtab, Shri Bhartruhari

*Moitra, Sushri Mahua

Muraleedharan , Shri K.

Natarajan, Shri P.R

*Prakash, Adv. Adoor

*Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Raja, Shri A.

Ray, Prof. Sougata

Roy, Shrimati Mala

Sardinha , Shri Francisco

Singh, Dr. Amar

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suresh, Shri Kodikunnil

Thangapandian, Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi

---

* Voted through slip.

[*]Thirunavukkarasar. Shri Su.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

*Venkatesan, Shri S.

---

[*] Voted through slip.

NOES

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

*Ambareesh, Shrimati Sumalatha

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Barla, Shri John

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

---

* Voted through slip.

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Sushri Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bind, Shri Ramesh

*Bisen, Dr. Dhal Singh

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

*Chaudhary, Shri Pradeep Kumar

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

---

* Voted through slip.

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

*Damor, Shri Guman Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Annpurna

*Devi, Shrimati Rama

Dharmapuri, Shri Arvind

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

*Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

*Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

*Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

---

* Voted through slip.

Gao, Shri Tapir

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gogoi, Shri Topon Kumar

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Hans, Shri Hans Raj

Hegde, Shri Anantkumar

*Hembram, Shri Kunar

Jadav, Dr. Umesh G.

*Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

*Joshi, Shri Pralhad

---

* Voted through slip.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

*Kashyap, Shri Suresh

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Kher, Shrimati Kirron

Kishan, Shri Ravi

Kol, Shri Pakauri Lal

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Voted through slip.

Kumar, Shri P. Raveendranath

Kumar, Shri Santosh

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Majumdar, Dr. Sukanta

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ramprit

Mandavi , Shri Mohan

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

*Mendhe, Shri Sunil Baburao

---

* Voted through slip.

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

*Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

*Nishad, Shri Praveen Kumar

*Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

---

* Voted through slip.

Pandey, Shri Santosh

Paswan, Shri Kamlesh

Patel(Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

*Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Prakash, Shri Jai

---

* Voted through slip.

Pramanik, Shri Nisith

Pujari, Shri Suresh

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rai, Shri Nityanand

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

*Ranjan, Dr. R. K.

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

*Reddy, Shri G. Kishan

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

---

* Voted through slip.

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

*Sai, Shrimati Gomati

Saini, Shri Nayab Singh

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Seth, Shri Sanjay

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Voted through slip.

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr.Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh(Retd.) , Gen. Dr V. K .

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Dharambir

*Singh, Shri Giriraj

* Voted through slip.

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

*Singh, Shri Virendra

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Soren, Shri Sunil

Subba, Shri Indra Hang

Suman, Dr. Alok Kumar

Supriyo, Shri Babul

* Voted through slip.

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tamta, Shri Ajay

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Udasi, Shri S. C.

*Uikey, Shri Durga Das

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Yadav , Shri Krishna Pal Singh

---

* Voted through slip.

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Giridhari

ABSTAIN

NIL

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यधीन,* मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 28

नहीं : 199

अनुपस्थित : 01

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes : 028+ Shri S. Venkatesan, Sushri Mahua Moitra, Shri Su. Thirunavukkarasar, Kumari Ramya Haridas, Shrimati Jyotsna Charandas Mahant, Shri T. N. Prathapan, Dr. K. Jayakumar and Adv. Adoor Prakash =036

Noes : 199 + S./Shri Pralhad Joshi, Giriraj Singh, G. Kishan Reddy, Ashok Mahadeorao Nete, Virendra Singh, Shrimati Sumalatha Ambareesh, , Dr. Chandra Sen Jadon, Shri Kunar Hembram, Dr Dhal Singh Bisen, S./Shri Praveen Kumar Nishad, Pradeep Kumar Chaudhary, Shrimati Rama Devi, Shrimati Queen Oja, Shrimati Gomati Sai, Shrimati Sharda Anil Patel, Sushri Sunita Duggal, S./Shri Guman Singh Damor, Durga Das Uikey, Anil Firojiya, Sunil Baburao Mendhe, Suresh Kashyap, Dr R. K. Ranjan and Shri Jayadev Galla =222

Abstain : 001 - Shri Giriraj Singh wrongly voted for Abstain. Later on, he corrected through slip for Noes =000

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, एक मिनट सुनिए। पहले सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहादत दी है, जिस देश के लिए इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी है, जिस देश के लिए राजीव गांधी जी ने शहादत दी है, आपको लगता है कि उसी देश की फैमिली के लोग …* दिखाएंगे। …(व्यवधान)

<u>15.32 hrs</u>

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhary, Prof. Sougata Ray, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज खोल दी जाएं।

* Not recorded.

15.32 ½ hrs

DAM SAFETY BILL, 2019

माननीय अध्यक्ष : अब हम बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 लेंगे. माननीय मंत्री जी, एक मिनट। हाउस ऑर्डर में आ जाए। माननीय सदस्यगण, जिसको सदन से बाहर जाना हो, चले जाएं। सदन में खड़े होकर बात मत कीजिए।

माननीय मंत्री महोदय।

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): I beg to move:

> "That the Bill to provide for surveillance, inspection, operation and maintenance of the specified dam for prevention of dam failure related disasters and to provide for institutional mechanism to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ प्रस्तावना रख दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहते हुए जल का संचय कर उपयोग में लेने के लिए बांध बनाने का बहुत पुराना इतिहास विश्व भर में रहा है। दुनिया भर में हाइड्रोइलैक्ट्रिसिटी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए और फ्लड प्रिवेंशन के लिए ऐतिहासिक काल से अब तक हजारों-हजारों बांधों का निर्माण हुआ है। दुनिया भर के बांधों की यदि लार्ज डैम्स की संख्या की तरफ देखा जाए तो अब तक 50 हजार से ज्यादा बांध दुनिया भर में बनाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इतिहास की ओर दृष्टि डाली जाए तो दुनिया में जो सबसे पुराना बांध बनाने का मानव निर्मित बांध का इतिहास है, वह 3000 ईसा पूर्व में तत्कालीन मेसोपोटामिया

में, जो वर्तमान में जॉर्डन देश के हिस्से में आता है, वहाँ कुछ बांधों की श्रृंखला का निर्माण उस समय के लोगों ने किया था । उसमे 'जावा' नाम का बांध सबसे पुराना है, ऐसा आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर है । इजिप्ट, रोम, श्रीलंका में ईसा पूर्व के इतिहास में भी अनेक-अनेक बांध बनाने के उल्लेख मिलते हैं । आज की तारीख में सबसे पुराना बांध, जो आज भी फंक्शनल है, काम कर रहा है, वह बांध सीरिया का lake Homs Dam है, जो पिछले 2600 वर्षों से उचित रख-रखाव और प्रबंधन के कारण आज भी उपयोग में आ रहा है, आज भी सर्विस प्रोवाइड करता है ।

महोदय, यदि हम भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत के लिखित इतिहास में जिस सबसे पुराने बांध का उल्लेख है, चोल राजवंश द्वारा grand anicut नाम से जो बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, उसका उल्लेख मिलता है । अगर दुनिया के कुल 10 पुराने बांधों के बारे में अध्ययन किया जाए, जो आज भी फंक्शनल हैं, तो उनमें से 5 बांध भारत और जापान में स्थित हैं।

महोदय, बांधों की सुरक्षा और उनकी बढ़ती हुई उम्र विश्व भर के इंजीनियर्स के लिए चिंता का विषय है और गंभीर चिंतन विश्व भर में इस दिशा में होता है । मैं अत्यंत दुख के साथ आज सदन में यह कहना चाहता हूँ कि कल ही इंग्लैंड में एक बांध टूटने का समाचार मिला है, जिसमें लगभग 6 हजार लोगों को बेघर-बार होना पड़ा और वह भी इसलिए संभव हुआ, क्योंकि उस देश में बांध की सुरक्षा को लेकर अत्यंत उन्नत प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है । यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो प्रबंधन के उचित प्रोटोकॉल, राष्ट्रव्यापी प्रोटोकॉल न होने के कारण से पिछले ही महीने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का तिवारे बांध टूटा था, उसके कारण से 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी ।

महोदय, जैसा मैंने कहा कि बांधों की बढ़ती हुई उम्र देश भर के इंजीनियर्स के लिए चिंता का विषय है । यह गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है । यदि दुनिया भर में बांधों की लार्ज डैम श्रृंखला का देखें, तो चीन में 19 हजार बांध हैं, उसके बाद अमेरिका है और तीसरा नम्बर भारत का है । भारत में 5,745 ऐसे रेजरवायर्स आज हैं या निर्माणाधीन हैं । इन 5,745 बांधों में से 293 बांध ऐसे हैं, जिनकी आयु 100 साल से ज्यादा हो गई है । देश के कुल बांधों में से लगभग 20 प्रतिशत

से ज्यादा बांध ऐसे हैं, जिनकी आयु 50 साल से 100 साल के बीच में हो गई है। जो देश में कुल 5,745 बांध हैं, उनमें से 80 प्रतिशत बांधों की आयु 25 साल से ज्यादा है।

महोदय, हालांकि बांध के टूटने के खतरे और बांध की वय/उम्र का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। बढ़ती हुई उम्र के साथ जिस तरह से बांधों के रख-रखाव और उचित प्रबंधन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से इसे पूरा विश्व स्वीकार करता है। बांध का टूटना न केवल एक जान-माल के खतरे को पैदा करता है, अपितु बाई फेल्योर ऑफ डैम पूरी रिवेराइन इकोलॉजी को प्रभावित करता है। वहाँ की फ्लोरा, फोना आदि सब चीजें उससे प्रभावित होती हैं। जैसा मैंने इस विधेयक के इंट्रोडक्शन के समय में भी निवेदन किया था कि भारत में जो कुल बांध हैं, उन बांधों के 92 परसेंट डैम्स ऐसे हैं, जो डैम्स इंटर स्टेट रिवर बेसिन पर स्थित नदियों पर बने हुए हैं।

महोदय, इसलिए यह आवश्यक है, क्योंकि बांधों की सुरक्षा अंतरराज्यीय विषय है, इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि बांधों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश भर का एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया जाए। इंजीनियरिंग और तकनीकी के इस युग में यदि कोई बांध या ऐसा स्ट्रक्चर टूटता है, तो जैसा मैंने निवेदन किया कि वह न केवल जान-माल का खतरा बनता है, प्रस्तुत करता है, अपितु पूरे विश्व में एक राष्ट्रीय शर्म का विषय भी बनता है। यह पूरे विश्व में एक चिंता का विषय बनता है। पूरे विश्व के अभियंता इस बात का अध्ययन करते हैं कि वहाँ जो बांध टूटा था, उसके पीछे क्या कारण थे? यदि कारण यह पाया जाए कि बांध का उचित रख-रखाव और प्रबंधन नहीं हुआ था, उसके चलते बांध फेल्योर हुआ है, तो यह निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए शर्म का विषय बनता है। भारत में अब तक कुल 40 बांध टूटने के प्रकरण हुए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रकरण वर्ष 1979 में गुजरात के मोरबी में मच्छु बांध टूटने का है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय 15 हजार से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।

महोदय, उस बांध के टूटने के बाद, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह से अभियंताओं के अध्ययन का क्रम रहा है कि जब कोई बांध टूटता है, तो विश्व भर के अभियंता/इंजीनियर्स उसका

अध्ययन करते हैं। भारत में भी उसका अध्ययन किया गया। उसके बाद इस देश में इस बात की चर्चा हुई, आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में भी एक ऐसा प्रोटोकॉल बनना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, जिससे देश में बांधों की सुरक्षा की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी चिंतन किया जा सके। वर्ष 1982 में पहली बार इस दिशा में चिंतन प्रारम्भ हुआ। एक कमेटी कांस्टीट्यूट की गई। उस कमेटी को, जो देश में उस समय तत्कालीन डैम सेफ्टी की प्रैक्टिसेज़ बनी हुई थीं, उनके अध्ययन के साथ-साथ एक नई डैम सेफ्टी प्रैक्टिस बनाने के लिए प्रोटोकॉल बनाने की जिम्मेदारी दी। वर्ष 1986 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2002 में डैम सेफ्टी के लिए एक ड्राफ्ट बिल बना करके सारे प्रदेशों को भेजा गया।

महोदय, अत्यंत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वर्ष 2002 से लेकर, आज 17 साल बीत जाने के बाद भी केवल एक प्रदेश बिहार ने अपना पूरा डैम सेफ्टी एक्ट, जो ड्राफ्ट बिल था, उसके आधार पर बनाया। आदरणीय प्रेमचन्द्रन साहब यहां बैठे हैं, केरल राज्य ने वर्ष 2006 में अपने वाटर एंड इरीगेशन एक्ट में संशोधन करते हुए डैम सेफ्टी का एक चैप्टर 2006 में जोड़ा। माननीय प्रेमचन्द्रन साहब साहब उस समय मंत्री थे।

महोदय, देश भर में यह चिंता का विषय उस समय भी था। देश भर में इसकी चर्चा के बाद में वर्ष 2010 में वैस्ट बंगाल की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपनी असेम्बलीज में एक रिजोल्यूशन पारित करके भारत सरकार से, भारत की संसद से आग्रह किया कि आप एक ऐसा बिल प्रस्तुत करें, एक ऐसा कानून बनाएं, ताकि हमारे यहां हम उसको एडॉप्ट करेंगे और हमसे प्रेरणा लेकर पूरे देश के अन्य प्रांत भी उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे देश में बांधों की सुरक्षा को लेकर एक समुचित व्यवस्था की जा सके। वह बिल जिस दिन प्रस्तुत हुआ, उसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद विस्तार से स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर विचार किया। उसने विचार करके अपनी तरफ से उसमें संशोधन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में जो संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में वह बिल पास न हो सका, वह संसद पर टेबल होता, उससे पहले उस संसद सत्र की आयु समाप्त हो गई थी। उसके

बाद में आंध्र प्रदेश का रीआर्गनाइजेशन हो गया, इसलिए तकनीकी रूप से वह बिल नहीं लाया जा सकता था, लेकिन इस विषय की महत्ता को समझते हुए, जो ड्राफ्ट बिल उस समय राज्यों में सर्कुलेट किया गया था और बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसकी अनुशंसाओं के आधार पर ही यह नया बिल लाकर, इस महत्वपूर्ण विषय पर नया विधेयक लाकर हमने आज चर्चा के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको लेकर स्टैण्डिंग कमेटी का रिएक्शन था और उन्होंने अनुशंसा की थी। उस समय हम उसे संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत लाए थे। स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी अनुशंसा में यह लिखा कि संसद को ऐसा कानून बनाने की पूरी शक्ति प्राप्त है। उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस में लिखा है कि 'संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 56 के संदर्भ में संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है।'…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह 246 है।

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: I am not yielding. I stand corrected.

महोदय, वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 2010 में, जब बिल आया और जब यह स्टैण्डिंग कमेटी के पास गया तो स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी दूसरी मुख्य अनुशंसा में लिखा है कि इस कानून को बनाने में इतनी देरी क्यों की गई? स्टैण्डिंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यों ने, जो उस समय विद्वान सदस्य थे, उन सबने उसके बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उस समय उसके अध्यक्ष गोगोई साहब थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टैण्डिंग कमेटी की जो अनुशंसा थी, उसके आधार पर हमने सॉलिसिटर जनरल से राय माँगी। सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी राय में यह कहा कि अनुच्छेद 246, read with Entry 56 and 97 of List 1 of Seventh Schedule, संसद, ऐसे विषय में, जो लोक हित में, जन हित में आवश्यक है, उस पर कानून बनाने में सक्षम है। चूंकि संसद के

सामने आज यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं माननीय सदस्यों को इस विधेयक के मुख्य पहलुओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थाएँ काम करती हैं – नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, वह बड़े बाँधों की सुरक्षा के मानक तय करती है। वह, व्यवस्थाओं में सुधार, ऑपरेशन एण्ड मेनटेनेंस और उसके प्रोटोकॉल्स के साथ-साथ नीतियां बनाने में राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। जो रिपोर्ट्स या नीतियां कमेटी बनाकर देती हैं, उन्हें लागू कराने के लिए सेन्ट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो आज भी काम करता है। ठीक इसी आधार पर, राज्यों में भी इसी तरह की द्विस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन चूंकि ये चारों संस्थाएं एडवाइज़री रोल में काम करती हैं, इन्हें किसी भी तरह की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए ऐसा संज्ञान में आया है कि राज्यों के स्तर पर जिस गम्भीरता से इस दृष्टिकोण में, इस महत्वपूर्ण विषय पर काम किया जाना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक में भी इन्हीं द्विस्तरीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इस द्विस्तरीय व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण बनाने का उपबन्ध हमने किया है। समिति एक टेक्निकल बॉडी है। वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी, जिसमें राज्यों के सदस्य भी होंगे, केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे और इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी होंगे, जो मिलकर राष्ट्रव्यापी बाँध सुरक्षा एवं परिचालन की नीतियों का निर्धारण करेंगे।

इसके साथ-साथ हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो उपबन्ध किया है, वह राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण का है। जो नीतियां कमेटी बनाएगी, उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी के रूप में राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो वर्तमान में व्यवस्था है, उसी के अनुरूप स्टेट लेवल पर भी इन्हीं तरह की दो संस्थाएं - स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान हमने किया है, जो राज्यों में समय-समय पर ऑपरेशन एण्ड मेनटेनेंस से संबंधित और बाँध सुरक्षा से संबंधित सारे विषयों का अध्ययन भी करेंगे और इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम भी करेंगे।

कुछ ऐसे स्थान हमारे संज्ञान में आए हैं, माननीय निशिकांत दुबे जी बार-बार इस बात की चर्चा करते हैं कि देश में ऐसे 13 बांध हैं, जिनका ओनर कोई दूसरा स्टेट है और बांध किसी दूसरे स्टेट में स्थित है। उन सारे बांधों के बारे में कई बार ऐसा संज्ञान में आया है और वहां सुरक्षा को लेकर बहुत सारी खामियां हैं। वर्तमान में हमने इस विधेयक के माध्यम से जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, वह स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी, ताकी उन बांधों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, देश में बांधों की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा और इमरजेंसी सिचुएशन से जुड़े हुए एक्शन प्लान भी होने चाहिए। बांध टूटना ही केवल दुर्घटना नहीं हो सकती है, बल्कि उसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा के कारण भी बांधों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसके लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने की व्यवस्था पूरे विश्व भर में है। यदि इमरजेंसी एक्शन प्लान को प्रैक्टिल रूप से देखा जाए, तो आज देश के अधिकांश बांधों के लिए समुचित इमरजेंसी एक्शन प्लान नहीं बना है। जब बार-बार इंस्पेक्शन होती है, वर्तमान में जो एजेंसी है, वह इंस्पेक्शन करती है और बार-बार नोटिफाई करती है। प्रदेशों के डिवीजन के पास कुछ ऐसे बांध हैं, जिन पर दोनों प्रदेशों का स्वामित्व है। उन बांधों के संबंध में मैं सदन के सदस्यों के पास जाकर निवेदन करूंगा कि यदि आप उस बांध की गैलरी में जाकर देखेंगे, तो दोनों प्रदेशों ने अपने-अपने हिस्से के बांध को अलग-अलग कर लिया है। एक ही बांध के दो टुकड़े हैं, घर का आधा टुकड़ा इधर है और आधा टुकड़ा उधर है। उस बांध का एक प्रदेश में किस तरह से रख-रखाव किया जा रहा है और दूसरा प्रदेश किस तरह से रख-रखाव कर रहा है, इन दोनों में आपको फर्क दिखाई देगा। यह इतनी बड़ी

संरचना है, जिस पर खतरा होने के कारण लाखों लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है, पूरी व्यवस्था खतरे में आ सकती है, पूरी इकोलॉजी खतरे में आ सकती है। आज उन बांधों की सुरक्षा को फौरी तौर पर लिया जा रहा है। हमारे लिए यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में बांध सुरक्षा के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। इसके साथ ही बांध के जो ओनर्स हैं, उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सबिलिटी और क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस दोनों होना आवश्यक है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। इस विधेयक की महत्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए मैंने विश्व भर के कई बांधों के टूटने के बारे में चर्चा की है। जैसा मैंने कहा कि यह केवल बांध टूटने की बात नहीं है, बल्कि कई बार ऑपरेशनल मैन्टेनेन्स प्रॉपर नहीं होने, मैन्टेनेन्स के प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं करने, मानसून के समय एक साथ ज्यादा पानी छोड़ने तथा समय पर पानी रिलीज नहीं करने के कारण भारी आपदाओं का इतिहास इस देश में रहा है। पिछली बार केरल में जो बाढ़ आई थी, हमारे प्रेमचन्द्रन साहब इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे, क्योंकि उसका भी कारण यही था। हमारे लिए यह आवश्यक है कि देश में इस तरह का एक प्रोटोकॉल बने, इस तरह की एक संवैधानिक व्यवस्था बने कि देश के सारे बांधों की सुरक्षा होनी चाहिए। हम बेशक यह मानते हैं कि यह संपत्ति राज्य की है। मैं आपके माध्यम से इस सदन के सारे सदस्यों, बांधों के ओनर्स, राज्य सरकारों और सारे पीएसयूज़ को इस बात के लिए स्पष्ट शब्दों में अवगत कराना चाहता हूं कि हम बांधों पर अधिकार नहीं करना चाहते हैं। बांध आपकी ही प्रॉपर्टी हैं, बांध आपका ही रहेगा, उसमें जो पानी है, वह भी आपका रहेगा, उससे बनने वाली बिजली भी आपकी रहेगी, पानी में जिसका जितना शेयर है, उसका उतना ही रहेगा। बांध का स्वामित्व लेने और उनके ऑपरेशन व मैन्टेनेन्स में हस्तक्षेप करने का हमारा कतई इरादा नहीं है। मैं एक पवित्र भाव के साथ केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। यह तबाही को रोकने से जुड़ा हुआ विषय है। इस भावना को समझते हुए और इसके साथ न्याय करते हुए, इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। मैं आप सभी से निवेदन

करता हूं कि पवित्र भाव से लाए हुए इस बिल को आप सभी पास करें। आपके सहयोग के लिए मैं सभी सदस्यों का आभार तथा अभिनंदन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि बांध संबंधी विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

15.55 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, before dwelling upon the subject matter of the legislative document, I would like to browse on the odyssey of water conservation, water reservation in our country and across the world.

With the first human settlement about 6,000 years ago, humankind are confronting two-fold challenges. First is to protect themselves from flood; and second is to conserve water so as to ensure the supply of water for domestic use and irrigation.

Storage of water is not new to us. Earlier, the storage of water was used to be in the cistern, in the *tanki.* In Palestine and Greece, those *tankis* are atill in use. The earliest dams to retain water in large quantities, as has been stated by the hon. Minister, are: Jawa Dam in Jordan, Wadi al-Garawi, Egypt. One of the oldest operational dams is Quatinah Barrage in Syria.

All the Great Civilisations in the world starting from Civilisation of Nile, Tigris, Euphrates, Harappa, Mohenjo-daro, Huang He flourished on the basis of water management. So, water management is inherent in our civilisation, and in our existence also. Even in Chandogya, one of the principal Upnishads, it has been depicted that the all rivers discharge their waters into the sea; they lead from sea to sea. The clouds raise the vapour and it releases the rain. This is the hydrological cycle. The geography of our Indian empire was sculpted on water and wind.

Therefore, now, our struggle is to escape from water scarcity. The hon. Minister has talked about largest dams across the world starting from first USA, then China and then India.

But I would like to draw the attention of the House that the *per capita* storage capacity in North America is 6,150 cubic meters. In Russia, it is 6,016 cubic meters. In Austria, it is 4,729 cubic metres In China, it is 2,486 cubic metres. But in India, it is a meagre 262 cubic metres.

We have no dispute with them insofar as dam safety is concerned. If it was so, the Bill would not have come in the year 2010. The hon. Minister has already raised the issue, which was supposed to be raised by us. Virtually, in anticipation to our queries and clarifications, the hon. Minister was competent enough to deal with all the matters, which might have come during the discussion. So, the hon. Minister has rightly done his job.

But here, I would simply like to draw the attention of the House that experts had suggested that the Bill of 2010 may be brought under Entry 56 of the Union List to be expedient in public interest; only to the point of 'to be expedient in pubic interest', they have invoked Article 246. The Bill of 2010, gave States the flexibility and option to enact the law. The Bill of 2019 makes it mandatory for all the States to comply, and it takes away such flexibility. The Bill of 2019 would also override any existing Inter-State Agreement related to dam safety. Therein lies the rub.

16.00 hrs

You are trying to convince the House that you are going to have a great endeavour for the safety of our dam. Before coming over here, you should have a threadbare discussion and a deliberation with all the concerned States to resolve the issue so that you did not have any necessity to come over here and to spell out the nuts and bolts of dam safety aspects.

I may refer Clauses 49 and 50, the language of several sections of the Bill suggest that the State Dam Safety Organisation is appeared to be subservient to the National Dam Safety Organisation. इसलिए सभी को डर है कि आप उनके ऊपर इन्क्रोच कर रहे हैं, यह हमारा डर नहीं है। आप डेलिब्रेटिव एप्रोच क्यों नहीं अपना रहे हैं। यह मेरा कहना है। आप मोटे तौर पर हमारे सारे क्लेरिफिकेशन का जवाब पहले ही दे चुके हैं।

The Bill specifies that the Central Government can amend these schedules through a notification if deemed necessary and the functions of such authorities, that are established in the Bill, should be specified in the main part by Parliament and not delegated to the Government. The Central Government has the power to alter the function of the State Governments and State Committees on dam safety through a notification.

डर इस बात का है कि आप नोटिफिकेशन करेंगे और शिड्यूल बदल देंगे, उनके ऊपर आप इन्क्रोचमेंट करेंगे, डर स्टेट का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है। आप हिंदुस्तान का एनिकट कह रहे थे। शायद मंत्री जी आप स्वीकार करेंगे कि हमारे कॉटन साहब ने

1840 ई. में गोदावरी का जो पार्च्ड लैंड था, उसको ग्रीनरी बना दिया था। उनकी मूर्ति अभी राजमुन्दरी में स्थापित हुई है।

The Chairperson of the Central Water Commission is the *ex-officio* Chairperson of the National Commission on Dam Safety. The representative of CWC is a member of each State Committee on Dam Safety as per Clauses 5 and 11. The CWC is involved in policy making about dams. It is also involved in their approval, guiding, design, financing, monitoring, approval seismic parameters and so on. The dam safety is essentially a regulatory function. The CWC is in clear conflict of interest of being involved in the dam safety mechanism. These are the infirmities that have been observed.

The CWC is entrusted for different jobs. You have been brought CWC in another job. So, there may be a conflict of interest. Also, CWC has had a poor track record in dam safety and hesitant to place blame on dam operators for the wrong and unsafe operation of dams. You have referred to Kerala inundation. Yes, during that Kerala inundation, we have incurred a huge financial loss, physical loss and infrastructural loss. In our country, 44 per cent of dam failures are result of breaching.

I would simply suggest the hon. Minister that you should conduct a pre-monsoon and post-monsoon inspection of all the dams. Only Tamil Nadu and Himachal Pradesh are conducting these kinds of inspections. There is an allegation against you and your Ministry that you are going to centralise everything. The National Regulatory Committee and the National Dam Safety Authority are meant to device safety policy, implement guidelines, recommend

regulation, however, the process of maintaining and protecting the dams previously came under the ambit of State Government. You have explained it.The Bill is focussed on structural safety of dams and it does not address the issue of operational safety in sufficient manner. You have tried to explain it but still there is a gap between lip and cup.

Also, insofar as the appointment of specialist members is concerned, the Bill requires appointment of up to three members out of total 21 members 'specialists in the field of dam safety and allied fields' nominated by the Central and State Governments respectively as members of NCDS and SCDS. However, there is no mention of these persons having an independent track record, nor is there any mechanism mentioned regarding the metrics according to which these individuals will be selected.

There are many issues that still need to be addressed. The Bill has a clear focus on structural safety of dams. The CAG report on 2015 Chennai floods revealed that indiscriminate discharge of water from Chembarambakkam reservoir had caused a huge loss. This was a human error. The overarching subject of 'Dam' previously came under the ambit of State Governments but now dam safety will be regulated by your organisation.

Dam inherits displacement of the common people. Do you have any clause or do you have anything at your disposal under the Bill to offer compensation to the affected families? आज तक कितनी फैमिलीज़ अफैक्टिड हुई हैं? कितना कम्पैनसेशन दिया गया है? कितने बांध बनाने से पहले डैम प्रोजेक्ट्स को साइड में रख दिया है, नहीं बना पाए हैं क्योंकि डिसबर्समेंट, कम्पनेसेशन की फाइल साइन नहीं हुई है, आप

इसका ब्यौरा देंगे तो अच्छा होगा । हम प्रपोज करते हैं कि there is a need for an independent regulator as well as for a precise definition of stakeholder.

ये मामूली चीजें हैं, हम चाहते हैं कि आप इनपर गौर करें, इसे संज्ञान में लें। हम चाहते हैं कि डैम्स की सेफ्टी बरकरार रहे। हम सबको मालूम है कि हमें आज या कल पानी के लिए बड़ा तरसना होगा। मनी और पानी में अभी फर्क यह है कि पानी मनी से आगे निकल चुका है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आजादी के समय 5177 क्युबिक मीटर थी और आज घटकर 1545 क्युबिक मीटर हो गई है। यह कहा जाता है कि 1700 क्युबिक मीटर से कम हो तो वाटर स्ट्रैस होता है, हम इससे भी नीचे उतर गए हैं।

मैं अपने राज्य के बारे में एक बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। हमारे राज्य में डीवीसी में सात बांध बनाने का प्रपोजल था जबकि अभी चार ही बने हैं। इसके साथ फरक्का बैराज और तीस्ता प्रोजेक्ट हैं। बंगाल के तीन हिस्सों में बैराज और बांध के कारण कभी हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। बंगाल लोअर राइपेरियन में स्थापित है। निशिकान्त जी कहते हैं कि कभी-कभी बिहार और झारखंड से पानी नीचे चला जाता है। हम नहीं चाहते कि झारखंड से पानी यहां आए, लेकिन क्या करें, लोअर राइपेरियन स्टेट है इसलिए पानी तो आएगा ही। डीवीसी, फरक्का बैराज और तीस्ता प्रोजेक्ट का अभी जो हाल है, मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ बताकर हमें खुश करेंगे।

हम चाहते हैं कि डैम सिक्योरिटी बिल को चुस्त-दुरस्त तरीके से पारित हो। इसके साथ मैं जरूर कहूंगा कि एन्क्रोचमेंट नहीं किया जाना चाहिए। सूबे की सरकार को वंचित नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान फैडरल कंट्री है, सारे सूबे फैडरल कंट्री के कम्पोनेंट हैं, सबको साथ लेकर आप काम कीजिए। नमस्कार।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thanks to the hon. Speaker and the hon. Chairman and also to our Party leaders for providing me a chance to speak out of priority.

I rise to support this Bill. At the time of introduction, I was opposing the introduction of the Bill on technical grounds and also merely on constitutional grounds. Still I support the contents of the Bill.

Sir, why am I supporting the Bill? It is because this Bill is pertaining to the dam safety of the country as a whole. As you have rightly said in the opening remarks, the exclusive intention of this Bill is to have the dam safety. It has nothing with the water distribution or sharing of water. So, I fully support this Bill.

Sir, dams have played a key role in the rapid sustainable agricultural and rural growth of our country. During the last 50 years, India has substantially invested in dams and related infrastructure in India. There are 5,254 dams which are completely constructed and 447 dams are under construction. In the world, India stands third for the number of dams, it has. After China and US, India stands in 3rd position.

Coming to the dam failures, as per the International Commission of Larger Dams, there are 200 notable failures of large dams in the world till 1965. Globally, 2.2 per cent of the dams which were built before 1950 have failed. But the failure rate of dams built since 1951 is less than 0.5 per cent.

Sir, in India, first dam failure was in Madhya Pradesh in 1917 when the Tigra dam failed due to the overtopping. So, the worst dam failure which we have experienced was in the year 1979, that is the Machhu dam failure in Gujarat. More than 2000 people have died. In total, there are 36 dam failures which had happened and experienced in India.

According to me, the reasons are as follows. Number one is inadequate design and poor quality of construction are the causes of dam failure and it is also due to breaching.

Sir, I think that the rate of accidents over dam failures is 44 per cent but for overtopping, it is 25 per cent as a whole.

Coming to the point of dam safety, it is a big concern for India because 75 per cent of the large dams in India are more than 25 years old. About 164 dams are more than 100 years old including Mullaperiyar dam which is more than 133 years old and that too, it is made of surkhi and lime. An unsafe dam badly maintained can be hazard to human life, flora and fauna and the entire environment ecology will be adversely affected. So, what is the need for a Dam Safety Bill? In this scenario, comprehensive legislation of dam safety is highly essential in India since we do not have a legal and institutional architecture for dam safety.

The existing organisation of National Committee on Dam Safety and the existing organisation of the Dam Safety in the States do not have any statutory powers and only advisory in nature. So, the present Dam Safety Bill empowers

the dam safety to address all the issues concerning inspection and surveillance of the maintenance and operation of the dams and emergency action plan is also there. So, it provides a National Committee on Dam Safety; it provides a National Dam Safety Authority and the State Committee on Dam Safety. Three main organisations are there.

Sir, I have objections to the Bill or my reservations to the Bill. I will conclude within a short span of time.

This is my first objection. Hon. Minister may kindly note that Section 8 sub-section 1 clause 2 of the Bill says the Chairman of the National Dam Safety Authority is a single man authority, that too, a person who is not less than the rank of an Additional Secretary. Such an important authority, National Dam Safety Authority, is being chaired by an Additional Secretary. This means the seriousness has not been put on the Dam Safety Authority. An officer not below the rank of an Additional Secretary is not sufficient to meet the purpose. So, my first suggestion is that the dam safety involves more complex, sensitive and technical matters. It is better to ensure that a competent technical person be the head of the authority with more Members.

Let us have multiple number of members with a competent technical person as the Chairman. I do not prefer a judge. Let it be a competent technical person as the Chairman with multiple members. That is my first suggestion.

The second objection to the Bill is regarding section 9 (3). There is no appellate authority to appeal against the decision of the single-member authority. The decision of an Additional Secretary shall be final means it is against the basic principles of natural justice. So, that is the second objection which I would like to make.

Third one is about section 24(1). If the specified dam is in a State owned by another State, there will be a chance of non-representation of the State, where the dam is situated, in the National Committee on Dam Safety, as the State representatives, who are seven in number, are coming by rotational basis. I will just elucidate this point to understand it. According to the provision section 24 (1) – I fully agree –some dams are situated in my State but they belong to Tamil Nadu. For example, there is the Parambikulam-Aliyar Project Agreement in which four dams are involved. They are Parambikulam, Peruvaripallam and Thunakkadavu as well as Mullaperiyar Dams. Though all these four dams are situated in the State of Kerala, the owner of the dams is the State of Tamil Nadu. In such a situation, the Surveillance and Dam Safety Organisation of Kerala has no power over these dams. According to section 24 (1) of this Bill, the entire power or authority will be vested with the National Committee on Dam Safety. …(*Interruptions*) Why? I will tell you. Mr. Raja, I am supporting it.

It is because a dam belongs to a particular State but it is being situated in another State. No State can give justice to another State. We know water is such a sensitive subject. So, it is absolutely a correct provision you have made

in the Bill. I support the Bill. But, at the same time, my suggestion is, let the Kerala representative and the Tamil Nadu representative be there in the National Committee on Dam Safety as permanent members. Then only, we can resolve the dispute in an amicable manner. That is the third suggestion which I would like to make.

I will conclude by making the bullet points. Sir, coming to the drawbacks in the Bill, first one is, the whole dam safety mechanism is dominated by the Chairman of the Central Water Commission. A representative of the CWC is being a member of each State Committee on Dam Safety. The track record of dam safety of the Central Water Commission is not good. If we examine the Kerala flood of 2018, the CWC claimed that the dams cannot be blamed for worsening of the flood situation which happened in Kerala, when all evidences and reports are contrary to the facts. That is the track record of the Central Water Commission. Kindly review that position.

My second point is, there is no inclusion of compensation to be given to the victims of dam failure. When a dam failure takes place, nothing is being mentioned in the Bill regarding the compensation to be given to the victims.

My third point is, the Bill does not define or interpret the term 'stakeholders'. Who are stakeholders? It was there in the Dam Safety Bill of 2018 but unfortunately, it is missing now.

My fourth point is, the Bill does not mention the qualification and the independent track record of the members to be appointed in the National

Committee on Dam Safety and the State Committee on Dam Safety and there is no mechanism for their selection.

My fifth point is, the dam safety should be integrated with the land use planning.

My sixth point is, the Disaster Management Authority does not have a significant role as per the Bill. The Dam Safety Authority and the Disaster Management Authority have to act in close association but unfortunately, their significant role is missing in the dam safety activities as per the Bill.

My seventh point is, the critical lacuna in the Bill is that this Bill is too focussed on the structural safety of dams and not so much on the operational safety.

My eight point, which is last but not the least, is very important. A mandatory provision to have the Dam Break Analysis is compulsory for all the dams. That is also missing in the Bill. I do accept there is an emergency action plan but unfortunately, the Dam Break Analysis is missing in this Bill.

With these suggestions, though there are limitations, I do appreciate that this is a good beginning. Something is better than nothing. So, I congratulate the hon. Minister and the Government for bringing such a Bill. Hence, I do support this Bill.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to register some views on behalf of my party.

Sir, I rise to oppose the Bill. I oppose the Bill since it is an onslaught on the federal structure of the Constitution. I am really surprised by the vehement argument that has been advanced by Mr. Premachandran. …(*Interruptions*)

When Mr. Premachandran advanced his arguments vehemently at the time of introduction of the Bill, I think there were legitimate grounds in his argument and, of course, we supported him when he talked about the legislative competency of this House to bring this Bill.

On the other day also, I expressed my views. Even when the Government of India Act, 1935 came into existence, the framers of the Constitution were very clear that both land and water subjects should be within the purview of the State. They are duly and correctly inherited by our present Constitution. Even at the time of framing of our Constitution, they were not compelled but were keen that both land and water should be State subjects.

First of all, when both the subjects, land and water and storage of water, that is, dam, are both within the purview of the State, how can this House bring in a law?

Secondly, the motto of the Bill, as is mentioned in the Bill itself, is surveillance, inspection, operation, and maintenance of specified dams across the country. We will have to see whether this Bill is really going to protect the dams. As far as my State, Tamil Nadu is concerned, when our former Chief

Minister, late Dr. Karunanidhi was in the Government in 1990, he created a Dam Safety Directorate. Almost 30 years back, a separate Directorate was created by an Executive Order. It shows that even at that time our State had a vision of how the dams have to be protected and maintained.

We also passed a Resolution in 2018 in this regard. It was a unanimous Resolution and not representing a political entity. I may kindly be permitted to read as to what that Resolution says:

> "That as the proposed draft Dam Safety Bill, 2018 contains clauses which violate the rights of Tamil Nadu, especially with respect to the Dams constructed by the Government of Tamil Nadu in the neighbouring State, and would cause various problems in their maintenance and operation, this House urges the Central Government to take up the legislation on Dam Safety only after consulting the States and after arriving at a consensus and till then, keep in abeyance the process of legislating on Dam Safety."

In 2018 itself, a unanimous Resolution has been passed in the Tamil Nadu Legislative Assembly. But no consultation has been done with the Government of Tamil Nadu by the Central Government. Even minimum courtesy was not extended to the State, if at all the Government is going to bring in a Bill. Is it not the duty of the Central Government to have a discussion with the State? So, I am really surprised and I have my own apprehensions. The Resolution being already passed by the State of Tamil Nadu, the

Legislature of Tamil Nadu was not even consulted. Why? That has to be explained. Why the Government is bringing it in such a hurry?

Thirdly, India is a participant under the Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP), which is being funded by the World Bank. Any project under this scheme will be monitored by the Central Water Commission (CWC).

The World Bank has brought Regulatory Frameworks for Dam Safety which details an exhaustive study of dams in the global context. The introduction of the study defines dam safety. I will read:-

> " "Dam safety" can be understood as referring to the factors that influence the safe operation of the structure of the dam and the appurtenant structures, and the dam's potential to adversely affect human life, human health, property, and the environment surrounding it. This means that dam safety is also concerned with the adequacy of the operations and maintenance of the dam, as well as its plans for dealing with emergencies and with limiting the adverse impact of existing dams on human life, human health, property, and the environment."

After giving the definition of 'dam safety', the report discusses how dam safety is regulated by the various governments in various countries. This is a very pertinent point. In Brazil, there is no legislation; only an Executive Order is there. In Australia, it is a State Subject. In Canada, mere guidelines are framed

by the Dam Association. In China, Reservoir Safety Regulation is there. In France, there is a mere government circular. In Mexico, only Central Water Commission takes care of it. In Russia, there is a federal law. In the USA, there is a federal law.

Now, I come to a State like India which we can call federal or quasi-federal. There is a comparative analysis of dam safety regulations by the World Bank and on page 61, it deals with countries like India having federal, semi-federal or quasi-federal system. It says:

> "A number of the countries studied have decentralised governmental structures in which relations between the central government and state or local governments become an important issue. In these countries, the regulatory scheme usually addresses the relationships between the different levels of government. This is important both in order to accommodate the requirements of the governmental structure in the country and to avoid duplication or ambiguity in the regulatory framework applicable to any particular dam."

Sir, this is very important. The World Bank, having applied its mind to various countries, came to the conclusion that there should not be a central legislation. On this score, I oppose the Bill.

Now, I come to the Bill. Let us have a look at what the Bill says. The Government wants to create four bodies – National Dam Safety Committee

under clause 5, National Dam Safety Authority, State Committee on Dam Safety and State Dam Safety Organisation. I am not able to understand this nomenclature. I am really confused. How many bodies are being created? Shri Premachandran was right. Merely an Additional Secretary is maintaining the whole national authority. This is completely unheard of.

Then, the National Dam Safety Committee, which is being created under clause 5, is not only having double role, but a dubious role. Let me detail how. A body cannot be advisor as well as regulator. It is admitted world over. As per the First Schedule of the Bill, the following are the functions of National Committee on Dam Safety. The first one is that 'for the purposes of maintaining standards of dam safety and prevention of dam failure related disasters, ….'. The fourth one reads 'evolve comprehensive dam safety management approach….'. The fifth one says 'render advice on any specific matter relating to dam safety which may be referred to it by the Central Government …'. How can a body be both the advisor and the regulator?

Then, what is the purpose of Dam Safety Authority under clause 8? The general understanding must be that when there is a Dam Committee, and you are coming for a national authority, some sort of accountability must be there between the authority and the committee because you are creating the Authority under the Additional Secretary which is under a big committee. Where is it?

Please read section 8 (4). It says that the Authority will not report to the Committee. It says: "The Authority will shall comply with such directions as

may, from time to time, be given to it by the Central Government”. Who is sitting in the Central Government? It is the Chairperson, Central Water Commission. In the Authority, it is the Additional Secretary. So, even the Additional Secretary is not reporting to the Chairman. He is giving all advices to the Government. Who is sitting in the Government? I do not know that. I do not know whether it is Chief Secretary or the Cabinet Secretary. Who is representing the Government of India there?

Let me refer to section 9 (2). It is still more dangerous. It says: “Without prejudice to the provisions contained in sub-section (1), the Authority shall make all endeavours to resolve any issue between the State Dam Safety Organisations of States or between a State Dam Safety Organisation and any owner of a specified dam in that State.” The word used is “Resolve”. This word has been very carefully used. It says that the Authority shall make all endeavours to resolve any issue between the State Dam Safety Organisations of States or between a State Dam Safety Organisation and any owner of a specified dam in that State. What does it mean? They are sitting in different States. It means you want to adjudicate the matter.

Then, let us come to the State Committee on Dam Safety. Who is the Chairman of the National Dam Safety Committee? It is the Chairman of the Central Water Commission. When you are having the Chairman, Central Water Commission in the Committee, then why are you having a Member from the Central Water Commission in the State Committee on Dam Safety? What does it mean? It means, sitting in Delhi, through your Chairman, you want to

command all the States. You want to do it by putting your own man in the State Committee. Is it fair? That is why I am saying that it is an onslaught on the federal system of the Constitution.

Finally, I want to say this. There is no proper application of mind. The Bill has been brought in haste.

Please refer to sections 38 and 50. Section 50 says: "The Central Government may give such directions, as it may consider necessary, to the State Government where that Government is the owner of the specified dam and to the owner of a specified dam in any other case for the effective implementation of the provisions of this Act." You created four bodies. But in section 50, you say that the whatever directions that the Central Government gives would be final and that they are binding upon the States. Then, what is the necessity for these four bodies? It is completely a bad law. There is complete chaos.

So, all these issues must be addressed. Unless and until these issues are addressed, there is no use of this Bill. It is better to withdraw this Bill. So, we oppose the Bill.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Mr. Chairman, Sir, thank you.

I rise to support the Dam Safety Bill, 2019. At the time of introduction and even today, an issue was raised with respect to the legislative competence of the Parliament to take up this Bill. Entry 17 in the State List of VII Schedule is very clear about this. This Entry is subject to Entry 56 of List I, that is of the Union List. It says: "Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of Entry 56 of List I". If we read the entry 17 of the State List, we may come to the conclusion that it is within the competence of this Parliament to legislate with respect to this subject, that is, 'dam safety'.

16.35 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

So, entry 56 of the Union List reads like this and I quote: "Regulation and development – these expression are very important - of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

Keeping in view of the spirit of entry 56 of the Union List of the Seventh Schedule, it is specifically mentioned in Clause 2 of the Bill and it says: "It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the regulation of uniformed dam safety procedure for specified dam to the extent hereinafter provided." So, it is in consonance with the entry 56 of the Union List of the Seventh Schedule.

So, if the entry 17 of the State List and entry 56 of the Union List are read together, we can reach to a conclusion that regulation and development with respect to the dam safety is within the jurisdiction of the Parliament. Basically, the regulation and development have a wide range and dam safety, usage of water, distribution of water and allocation of water are also included in it.

This issue also came before the Supreme Court in regard to Cauvery water dispute in 1992. The Supreme Court took the view that the regulation and development is wide enough to include the dam safety also.

Apart from this, all ancillary matters with respect to water relating to dam safety come under within the purview of the entry 97. So far as the legislative power of the Parliament is concerned, it is under Article 246. Kindly see the Article 246(3). It specifically provides that, “subject to Clauses (1) and (2), the Legislature of any State has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II of the Seventh Schedule of the Constitution.”

So, subject to Clauses 1 and 2, if both the entries – entry of the Union List and entry of the State List of the Seventh Schedule – are read together, it is clear that entry 97 have an overriding effect. So far as the Union List is concerned, it deals with the specific terms and so far as the State List is concerned, it deals with the general terms. The entry in the Union List takes effect notwithstanding the entry in State List. So, in case of applying the principle of interpretation, the reconciliation of List 1 and List II, List I will have

an overriding effect with respect to what is contained in entry 56. So, on the basis of the principle of pith and substance, the dam safety will not fall under the entry of the State List II.

Apart from this, the subject of legislature cannot be divided into such a watertight compartment and overlapping is inevitable. Therefore, even there is overlapping, that can be ignored. Even it is assumed for a moment that the legislative competence is not under entry 56, then kindly see the residuary power of the Parliament that is under the entry 97 with Legislature Competence of Parliament under Article 248.

Entry 97 specifically provides for any other matter not enumerated in List II and List III including any tax not mentioned in either of those Lists. So, 'dam safety' may also fall under the entry 97 of the Union List I. Therefore, the Parliament have the full legislative competence to enact this law.

HON. CHAIRPERSON: There is something more also written in that line.

SHRI P. P. CHAUDHARY : Yes, Sir. I am coming to it.

Apart from this, article 248, which deals with residuary powers, read with entry 97 states that it is exclusive power of the Parliament to legislate with respect to a matter like dam safety because the expression 'dam safety' is not provided in entry 17 or any other entries. Therefore, it is also covered by entry 97.

सभापति महोदय, अगर इस बिल पर आया जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने लम्बे समय के बाद यह बिल

आया है। देश में 5344 लार्ज डैम्स हैं और 441 अण्डर कंसट्रक्शन हैं। कुछ डैम्स ऐसे हैं, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, वे करीब 293 डैम्स हैं। 1041 डैम्स जो हैं, वे 50 से 100 साल के बीच पुराने हैं। इन डैम्स का इंस्पैक्शन हो, ऑपरेशन हो, इनकी मेंटेनेंस हो। ये सब जरूरी है to ensure safety, and prevent dam failure-related disasters. हमने पहले देखा था कि बिल का आइडिया कंसीव हुआ, जैसा मंत्री जी ने बताया। वर्ष 1982 में सी.डब्ल्यू.सी. चेयरमैन के तहत एक कमेटी गठित की गई और उसने अपनी रिकमेण्डेशंस दीं। वर्ष 1986 में रिकमेण्डेशंस देने के बाद भी लम्बे समय तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इस तरह का कानून आ जाए। यह स्टैण्डिंग कमेटी में गया और स्टैण्डिंग कमेटी ने भी अपनी रिकमेण्डेशंस दीं। इस पर कई स्टेट गवर्नमेंट से ओपिनियन मांगा गया। फाइनली अब यह बिल इण्ट्रोड्यूस होकर आपके सामने कंसीड्रेशन के लिए आया है। जहां तक डैम्स की बात करें, इनमें बहुत ही ह्यूज इनवेस्टमेंट होता है और बहुत ही क्रिटिकल इन्फ्रास्टक्चर्स होते हैं। मल्टीपरपज जो इरीगेशन के लिए हों, पावर जनरेशन के लिए हों, फ्लड मोडरेशन के लिए हों, ड्रिंकिंग वाटर के हों या इण्डस्ट्रीज परपज के लिए हों। अनसेफ डैम्स ह्यूमैन लाइफ को भी खतरा पहुंचाते हैं। उनमें चाहे इकोलॉजी हो, क्रॉप्स हो, हाउसेज हों, बिल्डिंग्स हों या रोड्स हों, डैम की सेफ्टी बहुत जरूरी है। यदि हम देश में पहले के टोटल डैम्स फैल्योर देखें तो 36 हुए हैं, जिसमें राजस्थान में 11 हुए हैं। मेरे खुद के लोक सभा क्षेत्र में जो जसवंत सागर डैम है, वह भी डैमेज हुआ। उससे पानी और जान-माल का नुकसान हुआ। इस बिल के आने के पहले जो अथॉरिटीज थीं, चाहे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी हो, सेंट्रल एण्ड स्टेट डैम ऑर्गेनाइजेशंस हों, लेकिन ये स्टेच्यूटरी बॉडीज नहीं थीं, सिर्फ एडवाइजरी थीं। अब इनको स्टेच्यूटरी शेप में पावर दी गई है और पूरा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया गया है। हम अगर नेशनल लेवल पर देखें तो यह टू टीयर सिस्टम है, कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एण्ड अथॉरिटी ऑन डैम सेफ्टी। इस बिल में इनका कॉन्स्टीट्यूशन प्रोवाइड किया गया है। इनके फंक्शन बहुत इलेबोरेट हैं, जो शैड्यूल 1 और 2 में है। इसके इस्टैब्लिशमेंट और फंक्शंस भी बहुत अच्छी तरह से दिए हुए है। जहां तक स्टेट्स की बात है, उसमें स्टेट कमेटी और उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका कॉन्स्टीट्यूशन, उसके फंक्शंस शैड्यूल 3 में दिए हुए हैं। इसके अलावा

इण्डपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो है, वह डैम सेफ्टी इवोल्यूशन करेगा। अगर इस पूरे बिल को देखा जाए तो यह बिल अपने आप में एक एक्जोहस्टिव है। उसके साथ ही मंत्री जी ने ऑनरशिप की बात की है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट यह समझती हो कि ऑनरशिप स्पैसिफिक डैम की नहीं रहेगी, क्योंकि इसका परपज डैम सेफ्टी के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाने का है, न कि ऑनरशिप को डिस्टर्ब करने का है। इस बिल में जहां तक ज्यूरिडिक्शन ऑफ डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी की बात है, लेकिन जहां तक कॉस्ट की बात है, चाहे कॉस्ट ऑफ इनवेस्टीगेशन हो, लेकिन रिस्पोंसिबिटी और ऑब्लिगेशन ऑनर की रहेगी। यूनिफॉर्म लॉ बनाने की बात, मेजर्स करने की बात है, वह इस एक्ट द्वारा की गई है। क्लॉज 48 में साफ लिखा है, क्योकिं हम देखते हैं कि इसमें कई तरह के और भी लॉज हो सकते हैं तो किसी तरह का लॉ होगा, लेकिन क्लॉज 48 provide करता है कि notwithstanding anything contained in any provision of law. The provision contained in Clause 48 of this Bill have an overriding effect.

जहां तक पॉवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन देने की बात है, अभी श्री ए. राजा साहब ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन जरूरी है, क्योंकि जब ये सारी की सारी सर्विलांस रिपोर्ट आएंगी और सारा का सारा इंस्पेक्शन आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे यह पावर देना बहुत जरूरी है। रूल्स बनाने की पॉवर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हैं और रेग्युलेशन बनाने का पॉवर अथॉरिटीज के पास है। इसलिए यह जो बिल आया है, इस बिल के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बिल को सपोर्ट करता हूं। इस बिल यूनैनेमसली पूरा हाउस पास करे, यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : As a pleader, you have fought the case.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Chairperson, Sir. Again, I rise to oppose the Bill. Unfortunately though the Minister I hold him in very high esteem, you leave me with no option but to oppose the Bill that you brought in.

As the point ordained very succinctly put it, he said, thousands lived with love but not one without water. So, it is my job today to stand here and plead for both the share of your Government's love and an equitable share of this nation's water.

When he talked about water as a resource, water is a resource which have traditionally been governed by the legal framework of three doctrines the world over. India is no exception. The first is the doctrine of public trust. When we are talking about resources like air, seawater and forest, it says that these are of such vital importance to everybody. Let nobody can be excluded from it. So, as a result of which we can't put them in the private ownership. They are held in trusteeship by the Government. So, that is the first principle that governs anything like water.

The second principle is the doctrine of riparian rights. Again, there are two things. One is the natural flow. Do you own the land on which river flows or the waterbody flows through? Then, you naturally have the right over it. Second right is the right of reasonable use. That is, if you are an adjacent owner, do you also have right over it? Indian law gives right to both the natural flow users and the reasonable use. So, both the people are looked after.

The third is the principle of prior appropriation, which means that as the first user, I have the right to use the water but I must use it for beneficial use and I must use it for the purpose that I have to be using it for. For example, in a water scarcity, if I am allowed water for irrigation, then, I cannot use it for washing mica. Whatever is left over, the second users may use it for appropriation. So, these are the three doctrines that govern something like water. This is the basic principle on which any kind of law which governs water.

In India, when we are talking about water, water fortunately, I would say, falls in the State List – Entry 17 of List II. I say fortunately because water is something every State wants to have control over obviously. So, it is fortunate in that way. So, water supplies, irrigation and canals, drainages and embankments, water, power are all in the State List. However, it is subject to the provisions of Entry 56 on List I, which is in the Federal List. The Union List deals with the regulation and development of Inter-State Rivers and Waterways to the extent to which regulation and development under the control of the Union declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

In this case, this particular Bill you brought in, is taking away the power of the State Government to manage dam safety, for dams which have even been constructed by its own resources and which don't have inter-State ramifications. In this case, the provision of Entry 56 of List I does not apply.

The basic problem with this Bill we have is that it is infringing upon the federal structure and upon the power of the States. If you want to bring in

something for safety, as a Central Government, you have a right to talk about the safety, and something which affects the safety of people. To do that in consultation, it should not be a directive. Everything that this Government does is in the nature of a *mandamus;* it is in the nature of a directive. We are saying, please consult the States. Do something which does not infringe upon the federal structure of the Constitution.

This Bill seeks to do exactly that. This Bill is completely silent on the devolution of funds from the Centre to the States to carry out the various measures for dam safety. In the last five years, for example, in West Bengal, we have spent Rs. 243 crore on dam safety which is still going on. This Bill is silent on it. You tell us that you are saving. If I look at the financial memorandum of this Bill, this tells me that you are spending Rs. 70 crore plus Rs. 33 crore plus Rs. 47 crore to set up these authorities and to set up the structure. You are completely silent on what the flow of funds is going to be to look after dam safety. So, what I understand is that we look after everything, we pay for everything, but you tell us how to do it. That does not seem very fair.

Now, if we go through this Bill chapter by chapter. The first and a few of the speakers before me have touched upon these very same points. We are talking about the National Committee on Dam Safety. You have set up a 21-member committee, you have got the chairperson and then you have ten people which are nominated by the Central Government, seven people from States who are also nominated by the Central Government and three experts

who are also nominated by the Central Government. So, you have the body of twenty-one people who were essentially nominated by the Central Government. How do you have a body where you have ten members from the Centre and only seven from the States where the dams are physically located? Even those seven members would also be rotated every three years. Every single State in which a large dam exists should have representation on this and the States should have full freedom to nominate members to the Committee. Here you are saying that I will give you only minority, I will not give you majority members but I will also let you choose who you sent and I will choose who you sent. So, basically, you can ride rough shod over everything. All the decisions that you pass will be only the Central Government decisions. There is no question of any State having any say in the National Committee. So, that is something very wrong with Chapter II, clause 5.

Then we come to the National Dam Safety Authority that you are setting up. The National Dam Safety Authority is going to be the single body that you say is going to look after the dam safety of all dams of India in which case, you are putting somebody on the rank of Additional Secretary. That is it. Is that what you think is a level of competence required for a body of this nature? That is something which is absolutely stark.

Third, you are setting up the State Committee on Dam Safety. Here, again, in chapter 4, clause 11, you are calling it by name of State Committee but you are laying out in the Bill the choice of the constitution of the State Committee. So, you are telling the State who you can put on it; who its

members should be, you are spelling it out; what the timing should be, it is 180 days, you are spelling it out; and how long will it be, three years, you are putting it down. Sir, you are inviting yourself home to my house for dinner, you are telling me who I should invite and you are also telling me that I can only serve Dhokla and Chaas. You are setting the menu also. That is little unfair. If you are setting up a State Committee, please leave it to the States to see what can be put there. Otherwise, you are infringing on the States completely. There is no question of the federal structure left anyway.

Let us look at the other provisions. The Union Government will take under its control the regulation of uniform dam safety. Again, there is no question of funding. You say you will exercise control, you will give directions but you will not take any financial responsibility. Now, this is not fair.

When we go into the State Dam Safety Organisation which is chapter 4, Section 14, West Bengal already has a State Dam Safety Organisation which was set up in the year 2006 under the Irrigation and Waterways Department. So, it performs very similar functions to what you have laid out in Sections 16 to 20 of the Bill. So, you should have a proviso here which says that if the States already have a State Dam Safety Organisation, there should be an exception for those States. It should only be for those States that do not have a State Dam Safety Organisation as of the date of the commencement of this Bill. If you already have one, are we going to put that body aside? Are you going to set up a new body to override our existing body? The Bill is again silent on that. It seems that the existing body of West Bengal is going to

become defunct as of the commencement of this Bill and that you will put something on our heads.

When you read Section 41, you deal with the punishment for obstruction in duty. It is a very draconian Section. It says, “whoever obstructs any employee of the National Committee or the State Committee, which by the way you have nominated, shall be punishable by up to one year in prison”. Now, that seems a bit much. Since you have control of everything, you can have some non-implementable directives which are given which may not be in the interest of the State. So, if a State Government official goes and says, “I do not think that this is right for that local authority to do it right now”, you can send him to prison.

You have set up the National Dam Safety Authority. Subsection 3 of Section 9 says that every decision of the said authority is final and binding. So, you have given yourself supreme power. This should be supportive; this should not be directive. Please substitute ‘giving directive’ with ‘giving advice’. Give us the right to accept it; give us the right to reject it. Make it consultative. You bring in a Bill without consulting the States. You are setting up Committees where we do not have representation, which are full of your nominees only. We understand that you care about the dam safety in the country but the States do care about the safety of the dams which are located in their territory. You cannot take away what the Constitution gives us.

Coming to the conflict of interest, this has already been touched upon by speakers previously, you have got the Chairman of the Central Water

Commission as the *ex-officio* Chairperson of the National Commission on Dam Safety. So, this is a regulatory body and he is the Chairperson. But, the CWC is also involved in policy making. So, you have the same person who is making policy, who is guiding design, who is doing the financing, who is also doing the regulation. This is a basic conflict of interest.

In a world where *jiski laathi, uski bhains* works, since you have got 303 you can do anything. You can put the 303 everywhere. But, that is not the point. The point is, please do not continue to bring in pieces of legislation that ride roughshod over the rights of the States. You are doing this with everything.

I really hold the Minister in high esteem. I really hope that for once he will rise above the directives of whoever this came from, try and see where we are coming from and withdraw this Bill and take it back to the Committee. Let us incorporate the changes that we and other Members of the opposition are bringing. We are all interested in dam safety. These are dams that are on our territory. We have to have a say about them. And we hope you would do that.

Thank you so much.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Mr. Chairman, thank you for giving me this opportunity to talk on the Dam Safety Bill, 2019. On behalf of YSR Congress Party, we support the Bill.

The Bill aims to provide a robust legal and institutional framework of State and Central Governments for safety of dams. The Bill further envisages prevention and mitigation of dam-failure related disasters by way of proper surveillance, inspection, operation and maintenance of all dams in the country to ensure their safe functioning.

However, some States and Parties are opposing this Bill. I would like to remind this august House that such a Bill was previously withdrawn from Lok Sabha. The objection of some of the States was that since water comes under State List, it is a completely unconstitutional move on the part of the Centre aimed at taking control of dams. Tamil Nadu is one of the strongest critics through the years. Karnataka, Kerala, Odisha and many more States also were critical of this. As far as my limited knowledge goes, they opposed this on the ground that it encroaches upon the sovereignty of States in managing their dams, and that this violates the principles of federalism enshrined in the Constitution. The perception of some States is that this is an attempt by the Centre to consolidate power in the guise of safety concerns. Therefore, I urge upon the Government to show magnanimity and clear this scepticism.

सर, मैं इस सदन को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य ने हिंदी में बोला है, थोड़ा तालियां तो बजा दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, in the year 2002, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Ji dreamed of interlinking of rivers.

17.00 hrs

He designed a plan to overcome the shortage and the deficit of water across the country. As a part of the plan, the idea was to transfer surplus water of Himalayan rivers to the peninsular rivers across the country. Under the leadership of Atal Ji, the aim was to combine the network of nearly 60 rivers covering a distance of 15,000 kms., to make the project one of the largest ever in the world and also to integrate the massive hydro power projects that could generate thousands of megawatts of electricity. All these things were just like a dream. I hope under this Government, the project of interlinking of rivers may become a reality.

Also, I would like to mention in this august House that average rainfall in the country is about 4,000 billion cubic metres. If I am not wrong, land of two times the size of our country can be irrigated by it. I will give you a rough estimate by the irrigation experts that 1 TMC of water could irrigate 10,000 acres of land. Kindly correct me if my sources are untrue. Therefore, it is really ignominy for our Government that in spite of having abundant water resources, we are still unplanned. A large amount of water is unutilised and is drained into the sea.

Sir, I would like to tell you that in my State, in the Godavari Basin, in the year 2017, almost 3,000 TMC water got unutilised and drained into the Bay of Bengal.

HON. CHAIRPERSON : I think, you have told me this earlier. Water should also go to the sea.

SHRI MARGANI BHARAT : Sir, the pathetic situation is that there are deadly disputes between the States for a very few TMC of water. In this context, I will give you an example. In China, as we all know there is an engineering marvel, called the Three Gorges Dam. That is the largest dam in terms of power station. It almost produces 22,500 megawatts of electricity. Why can our country not have such a project? We have to learn from our neighbouring nations like, China, Japan and Korea which are developing at a huge pace.

As we are going to celebrate 75 years of Independence, we are still a developing country. In my childhood, I used to hear a slogan, called 'Our India is a developing country'. But now standing in this noble House, I am still hearing that our country is a developing country. We have to retrospect what exactly the fault is. Every Member in this hon. House has to retrospect and think what had been done all these years and what we have to do in the coming years. As I am standing in this noble House as a Member of Parliament, I could sense in the coming future, we will move forward towards the goal of development. I think, the reforms have already started stepping towards the development. Under the leadership of Narendra Modi Ji, we hope that our country will flourish.

Therefore, I humbly submit to the hon. Minister that the Polavaram project was given national status under the Andhra Pradesh Re-organisation Act of 2014. I would like to remind this House that under the dynamic leadership of our former Chief Minister Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy, almost 95 per cent work of the Left canal and Right canal related to Polavaram project got completed. With the financial support given by the Central Government, 70 per cent of the main headworks has also been completed. The expenditure incurred for the Polavaram project till date is Rs. 11,282 crore as a national project. But earlier, for the Right canal and Left canal, we spent more than Rs. 5000 crore. An amount of Rs. 6727 crore has been released by the Central government and still the balance amount of Rs. 4554 is yet to be reimbursed by the Central Government to the State.

As far as the resettlement and rehabilitation part of the project is concerned, there are many villages and tribals who have to be settled by the Government in a speedy process so that the work is completed within the time frame and the cost estimate will not escalate further. The Polavaram project should be considered to be a national project.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT : You mean it should be declared a national project constructed by the State Government.

SHRI MARGANI BHARAT: That is why we have been requesting for the timely release of funds. As per the official data from the Jal Shakti Ministry, our country has 5264 large dams, 437 dams under construction and 293 dams aged more than 100 years. In my constituency Rajahmundry, there is the Dowleswaram barrage which was constructed by Sir Arthur Cotton in the

British era and it is aged over 160 years. I would like to remind this House that nearly 1300 dams were constructed in the British era. Therefore, unsafe dams can cause hazard to human life, flora and fauna, public and private assets and environment. India has had 36 dam failures in the past. Hence, we request this Bill to be passed. We hope that under the leadership of Shri Narendra Modi, our country will have bright future and I pray the Almighty to empower Jal Shakti Minister with more shakti to complete Atalji's dream.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, आपने मुझे बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं अपनी पार्टी की तरफ से बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर अपनी बात रख रहा हूँ और मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, देश भर के कुल 5,745 बांधों को इस बिल के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा। इन 5,745 में से 100 बांध ऐसे हैं, जो 100 साल पुराने हैं। इनमें से 1,140 बांध ऐसे हैं, जो 50 से 100 साल पुराने हैं। बांधों का उचित रख-रखाव न होने से पिछले समय में बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं। देश के कुल बांधों में से 670 बांध ऐसे इलाकों में हैं, जहाँ भूकम्प आने की सबसे ज्यादा संभावना है।

महोदय, एक महीना पहले रत्नागिरी में तिवारे डैम के टूटने से 24 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इसके कारण 60 गाँवों को भारी नुकसान हुआ था। यहाँ स्थानीय लोंगो और किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। महोदय, महाराष्ट्र में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां छोटे बाँध बने हैं। कोंकण ऐसा क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। कई सारे बाँध मिट्टी से बने हैं। जब रत्नागिरि में तिवरे बाँध टूटा था तो मीडिया में ऐसी खबर आती थी कि क्रैब्स ने बाँध की मिट्टी में छेद कर दिया, उसके कारण बाँध के टूटने की संभावना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है? अगर क्रैब्स की वजह से बाँध टूटते हैं तो मिट्टी से बाँध बनाते समय क्या सरकार द्वारा विशिष्ट जाली लगाने का प्रयास किया जाएगा?

महोदय, देश में छोटे-बड़े बहुत-से बाँध हैं, लेकिन आज के समय में बाँधों की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। आज देश में बाँधों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है, लेकिन जो बाँध पुराने हैं, उनका नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। ब्रिटिश काल से अपने देश में कई छोटे-बड़े बाँध बने, जिनमें बारिश की वजह से मिट्टी जमा होती रही है। मिट्टी जमा होने के कारण कई बाँधों में पानी की क्षमता कम होती जा रही है। इस मिट्टी को निकालने के लिए क्या सरकार इस बाँध सुरक्षा विधेयक द्वारा कुछ काम करेगी? उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पवना डैम 10 टी.एम.सी. का है और वर्ष 1972 में वह डैम बना। इसे करीब 40 साल हुए हैं। वर्ष 2015 से लेकर तीन सालों तक मैंने उस डैम में जमा हुई मिट्टी को निकाला है। कोई सरकारी मदद नहीं ली।

स्थानीय किसानों और संस्था के सहयोग से मैंने करीब 125 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाल कर उस डैम से पानी की क्षमता को एक से डेढ़ महीने तक बढ़ाया। उस डैम से पानी पिम्परी चिंचवाड़ शहर में जाता है।

डैम में भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण, खासकर महाराष्ट्र में आगे आए, जब काँग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। उस सरकार में कई सारी ऐसी घटनाएं घटीं कि वहां भ्रष्टाचार के मामलों के सामने आने के बाद भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन काँग्रेस और एनसीपी के कार्यकाल में जो मंत्री थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र कर्जत में कोंडाण बाँध की टेन्डर में कीमत 55 करोड़ रुपये थी। उसे बढ़ाकर 560 करोड़ रुपये कर दी गयी। उस मामले में तीन अधिकारी जेल में गए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार पर ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

महोदय, वर्ष 1979 में गुजरात में मोरबी बाँध भारी बारिश की वजह से टूटा, जिसका जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया। उसमें करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा, 6 साल पहले भारत-नेपाल की सीमा पर कोसी नदी पर बना बाँध टूटा था, जिसकी वजह से हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा।

महोदय, देश भर में नए डैम्स का कार्य शुरू है और कई सारे डैम्स बन चुके हैं। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है तो डैम के करीब बस्ती भी बड़ी होती जाती है और ज्यादा होती जाती है। आज अगर नदी की हालत देखा जाए तो उसकी हालत इसलिए खराब होती है कि ड्रेनेज का पानी नदी में जाता है और उसके आस-पास जितनी बस्तियां हैं, उनका पानी भी उसमें जाता है। आज देश भर के डैम्स का पानी आबादी बढ़ने के कारण खराब हो गया है।

कई सारे डैम्स 40-50 साल पहले बने। जैसे कि मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। मेरे ही क्षेत्र में पवना डैम बना है। जब उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया था तो उसे केन्द्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य सरकार करती है तो राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण करते समय जमीन के बदले जमीन देने का वादा वहां के किसानों को किया था। पर, आज तक मावल के किसानों को

जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई। डैम को बने हुए करीब 45 वर्ष हो गए, लेकिन किसान आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

महोदय, वर्ष 2010 में भी ऐसे ही विधेयक के अलग-अलग संस्करण संसद में पेश किए गए थे जबकि राज्यों के द्वारा इसका विरोध होने से कोई भी संस्करण पास नहीं हो पाया है। केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी सिफारिश दी थी, उसके अनुसार बांधों की सुरक्षा के लिए इस बिल को लाया जाना जरूरी है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस बिल के पास होने के बाद राज्यों के अधिकारों का हनन न हो सके।

सभापति महोदय, आज देश भर में बहुत सारे बांधों का निर्माण हो रहा है। इन बांधों का निर्माण करते समय उनके रख-रखाव की जो क्षमता होती है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कई सारे बांध लीकेज हो जाते हैं। उनका ठीक ढंग से रख-रखाव नहीं होने के कारण हर साल बांधों से ज्यादा पानी लीकेज हो जाता है और उससे बांध असुरक्षित हो जाते हैं। हमें इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात सदन में रखता हूं। धन्यवाद।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर बोलने तथा सदन की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इसका प्रभाव सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पीने के पानी, उद्योगों एवं भूजल संचयन आदि बहुद्देशीय उपयोगों में होता है। अत: जनसाधारण के लिए बांध सुरक्षा एक मुख्य चिंता का विषय है। इसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

महोदय, यह तीसरा मौका है कि यह बिल लोक सभा में पेश हुआ है। इससे पहले 30 अगस्त, 2010 और दूसरी बार वर्ष 2018 में पेश किया गया था, किन्तु लोक सभा के अवसान के कारण यह बिल पास नहीं हुआ। इस बिल पर स्टैंडिंग कमेटी में गहन विचार-विमर्श हो चुका है। अब पुन: इस बिल को पेश किया गया है और चर्चा भी चल रही है।

महोदय, कई राज्य पहले से ही बांधों की सुरक्षा अधिनियम लागू कर चुके हैं। बिहार पहला राज्य है, जो वर्ष 2006 में ही अधिनियम लागू कर चुका है। आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल भी अपने-अपने राज्यों में बांध सुरक्षा अधिनियम पर एक समान केन्द्रीय कानून के पक्ष में अपने मत दे चुके हैं।

महोदय, इस कानून के द्वारा 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई और 10-15 मीटर की ऊँचाई वाले सभी बांधों को शामिल किया गया है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी का गठन, राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के गठन करने का प्रावधान है। सभी के द्वारा अपने-अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्धारण किया जा रहा है। पूर्णरूपेण एकाउंटबिलिटी सुनिश्चित की जा रही है। समय-समय पर सुरक्षा और निरीक्षण के आँकड़े तैयार करने की व्यवस्था होगी। आपात स्थिति में कार्य योजना का प्रारूप पहले से तैयार करने की व्यवस्था होगी। सभी बांधों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। केन्द्र के पास सभी मुख्य शक्तियां प्रदत्त होगी, किन्तु राज्यों को भी अपने नियम बनाने की शक्ति उपलब्ध होगी।

17.18 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

महोदया , देश में करीब 5,344 बडे बांध हैं, जिनमें से करीब 293 बांधों की आयु 100 वर्ष या उससे अधिक है। 1,041 बांधों की आयु 50-100 वर्षों की है। करीब 40 बांध जर्जर स्थिति में आ चुके हैं। किसी भी समय बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। वैसे भी पहले करीब 36 बांधों पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों ने पिछले 50 वर्षों में बांधों के रख-रखाव और सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च कर चुके हैं कि वह खर्च के हिसाब से अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है।

महोदया, मैं बिहार से आता हूं। बिहार में, विशेषकर उत्तर बिहार में नदियों का जाल है। वहां बांधों का समुचित रख-रखाव नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है। बाढ़ से लाखों-करोड़ों रुपये के जान-माल की क्षति हो रही है। बिहार में करीब 24 बांध हैं, जो करीब 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के हैं। अभी दो बांध निर्माणधीन हैं। इन सभी बांधों से मुख्यत: सिंचाई का काम होता है। किसानों की जीविका इन्हीं बांधों पर निर्भर है। इसके अलावा, बिहार में दो बहुत बड़े बैराज हैं। एक इन्द्रापुरी है, जो वर्ष 1873-74 में तैयार हुआ था। यह रोहतास जिले में सोन नदी पर बना है, जो करीब 1,407 मीटर लंबा है। इससे मुख्यत: सिंचाई का काम होता है। आसपास के कई जिलों एवं झारखंड के दो जिलों में इसी परियोजना से सिंचाई के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। अभी इस बांध की स्थिति भी जर्जर हो रही है। दूसरा बैराज, बिहार-नेपाल की सीमा पर कोसी नदी पर बना है, जो सहरसा जिले में है। यह बिहार के लोगों के लिए एक विनाशकारी बांध कहलाता है। इसका निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1950 में इस उद्देश्य के लिए किया गया था कि बरसात के समय नेपाल से आने वाले अधिक पानी को रोका जाए एवं बिहार को बाढ़ के संकट से बचाया जाए। अभी तक का अनुभव है कि यह हमेशा बिहार के लोगों की त्रासदी का मुख्य कारण बना है।

महोदया, पूरा विश्व 2008 की कोसी बांध की त्रासदी को याद कर सिहर उठता है। यह घटना आधी रात को हुई थी। कोसी का बैराज कुशहा में टूटा था और बिहार के करीब 5 जिलों को

पूर्णरूपेण बर्बाद कर दिया था। इसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों-करोड़ों की जानमाल की क्षति हुई। आज भी लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं। बिहार सरकार ने इस त्रासदी में अपने अथक प्रयास से लोगों की पूरी मदद पहुंचाने का काम किया तथा भारत सरकार ने भी मदद की।

उत्तर बिहार पूरी तरह नेपाल सीमा से लगता है। यहां प्राय: सभी नदियां नेपाल की ओर से प्रवाहित हो रही हैं। अत: बरसात के समय नेपाल में अधिक वर्षा होने से पानी का दबाव इन नदियों द्वारा बिहार के करीब 12-14 जिलों पर पड़ता है। बांध के रख-रखाव में देरी और समुचित संसाधन समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण वह सुरक्षित नहीं रहता है। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में भी देरी होती है। कार्य योजना समय पर तैयार नहीं हो पाती है। ये सभी मुख्य कारण हैं। नए कानून बनने से इनमें सुधार होने की पूरी आशा है।

महोदया, बिहार में वर्षा अधिक हो या न हो, किन्तु बाढ़ आती ही है। इसका मुख्य कारण है कि कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, तो कभी झारखण्ड से अधिक पानी आ जाता है। साथ ही नेपाल की नदियों द्वारा पानी का बहाव बिहार को उठाना पड़ाता है। ऐसी परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आना हर वर्ष रोजमर्रा की बात हो चुकी है। क्या केन्द्र सरकार बिहार को अपने हालात पर छोड़ देगी या बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए कोई स्थाई निदान करेगी?

महोदया , माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि नेपाल के साथ केन्द्र सरकार पानी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नीति के अनुसार समझौता करे। बिहार-नेपाल सीमा पर हाई-डैम बनाया जाए। इससे पानी को रोका जा सकता है। इससे बिहार के साथ-साथ नेपाल के तराई वाले इलाके को भी फायदा होगा, बिजली का उत्पादन भी होगा। इससे बिजली के साथ-साथ राजस्व भी प्राप्त होगा।

महोदया, मैं अपनी पीड़ा आपको बताना चाहता हूँ। इस वर्ष हम लोग बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित हैं। उत्तरी बिहार के करीब 14 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक करीब 150 लोगों की जानें जा चुकी हैं। एनडीआरएफ की 19 टीमें सहायता कार्य में लगी हुई हैं। 152 रिलीफ कैम्प्स स्थापित किए गए हैं, जिनमें करीब 67 हजार लोगों को सुरक्षित रखा गया है। गृह राज्य मंत्री जी को सारी असुविधा से हमने अवगत करा दिया है। वहां 350 कम्युनिटी किचन स्थापित किए

गए हैं। हमारे नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिन-रात बाढ़ पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्हें हरसंभव राहत पहुँचाई जा रही है।

दक्षिण बिहार के औरंगाबाद, सासाराम, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, नवादा एवं शेखपुरा जिलों में औसत से 36 प्रतिशत बारिश कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति है। माननीय मंत्री जी यहाँ सदन में बैठे हैं। जब वे जवाब देंगे तो बिहार की पीड़ा एवं उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ और सुखाड़ का सर्वे कराकर इससे निजात कैसे मिलेगी, उसके बारे में बताने की कृपा करेंगे। साथ ही नेपाल सरकार से भारत सरकार बातचीत कर हाई-डैम बनाने की दिशा में जो प्रयास कर रही है, इसकी भी जानकारी देश की जनता को देंगे।

मैं अपनी पार्टी जेडीयू की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

*__SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD):__ Thank you Hon. Madam Chairperson for giving me an opportunity to speak on this important bill. I would like to thank Jal Shakti Ministry for bringing two revolutionary bills which can change the water resources scenario in India. I feel proud that I was a Minister in this Ministry in Maharashtra Cabinet with the blessings of Hon. Sharad Pawar ji. I have a good knowledge of this issue and hence I feel very comfortable to speak on this issue. Maharashtra has always guided this country. Panchayati Raj System was introduced by late Yashwant Rao Chavanji in Maharashtra for the first time. After that Panchayat committees, Zilla Parishad, District committees and Planning committees were also introduced by Yashwant Rao Chavanji. Hon. Chairperson, around 5250 projects are there throughout the country and around 250 important projects are in Maharashtra. While inaugurating Ujni Dam project in Pandharpur, Hon. Chavanji had apologized 'Vithal' for stopping the water of Chandrabhaga River and today this project is providing water for drinking and irrigation purposes to the entire area. He had set up the first Central Design Organization (CDO) in this country 60 years ago at Nashik, Maharashtra. Likewise, when Hon. Sharad Pawar ji was Chief Minister of Maharashtra, during 1985-90, Dam Safety Organization (DSO) was constituted 30 years ago. Today we are only taking his work and vision forward. This is a welcome step and I must congratulate you. But, I find some shortcomings in this Bill. One Telangana MP yesterday talked about lift irrigation facility being provided to 45,000 lac hectres of land. That water is being provided by Maharashtra through

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

Godavari River Ravine and this decision was taken during our regime. Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) was the first of its kind of authority in India. You are a newly elected Government and if you replicate this throughout the country, it would be a great help to solve the water crisis. I would like to mention one more thing here. You have covered all the major dams under this legislation and you have missed out minor and medium dams.

I would like to request you to include medium and minor projects too. I have one more request to make. Many major dams in our country were constructed 50 to 100 years ago. All the dams have accumulated silt and hence their storage capacity has been reduced to 60% only. So, desilting work should be carried out in all the major and old dams so that their storage capacity could be enhanced to the maximum level. It would help to realize your dream of providing 'Har Ghar Jal'. But no provision of funding has been made in this Bill. So arrangement of a Corpus Fund should be there. Maharashtra has set an example in this regard. After establishing DSO, Maharashtra Government earmarked 10% of its annual budget for this department only for this purpose. If you replicate this at the Central level, it would be bring about more success. The data regarding safety and security of the dams should be made public annually and there is no mention in the Bill in this regard. Hon. Atal Behari Vajpayeeji was the Prime Minister when severe earth quake hit the State of Gujarat. Vajpayeeji appointed Shri Sharad Pawar ji to be in the Committee on Disaster Management. The reason behind this was the expertise and experience of Pawar ji. He had rehabilitated the victims of

Latur earthquake in Maharashtra very quickly and efficiently. At last, we should also be ready for any mishap or calamities. I would like to reiterate that sufficient amount of fund should be allocated for desilting work to increase the storage capacity of these dams. You have brought a revolutionary Bill and I would like to congratulate you. I hope that the water crisis would be resolved in the near future and water disputes would be settled. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Human civilisation has flourished by utilising natural resources like water. Throughout the world, human habitations have tried to utilise and modulate water for their own use. As the Member from the YSRCP was speaking, very recently he had told me – I was just prompting to say this - that we need fresh water to flow into the sea. Unless fresh water flows into the sea, we will not have clouds and if we do not have clouds, we will not have fresh water in the land. But what is happening during these modern days? We have to tame the rivers. We are not allowing water to flow into the sea. If that happens at some point of time, it will create further disaster. That is the reason why in the Bay of Bengal, we have so much of low pressure, and low pressure brings rain into the sea. We do not have this type of rain in the Arabian Peninsula because no river flows into the sea. There is very little fresh water that goes into the Arabian Sea. We can see this on both sides of our peninsular India.

I will come to the Bill first but before coming to that, I would just mention that I had mentioned last time in 2018 when this Bill was first introduced that there are a lot of incongruities in this Bill. I would not compare this Bill with the Bill that was introduced in 2010. This has been a rather progressive Bill and a lot of steps have been taken to make it good for the country. But dam failure has been a major concern. It has affected a large population in our country. It all started perhaps much earlier, I would say, in 2001 when the first effort was made that there has to be a cohesive attempt to see how our dams are

functioning. During that time, an issue was also raised about the owner of the dams and who is responsible for their maintenance. Does the Union Government have any power to oversee the functioning and maintenance of these dams? And what would be the role of the State Governments? In their wisdom, at that time, it was first contemplated to take all the States into confidence and let them act as per the constitutional provisions of article 246.

That was mentioned by our learned *Adhivakta* Shri P.P. Chaudhary, who said 'let first two States request the Union Government or let the two State Assemblies pass Resolutions in their Assemblies requesting the Union Government; or respective States can also prepare their own dam safety provisions.'

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): It is Article 252.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Okay, it is Article 252. कंस्टिट्यूशन की धारा बहुत कंफ्यूजिंग है।

Article 252 is on 'Power of Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State.' इस हिसाब से बिहार राज्य ने अपने लिए डैम सेफ्टी एक्ट बना लिए। The State of West Bengal and another State had passed a Resolution that the Union Government can do it. But all these were relating to the Bill of 2010; and that Bill is not before us today. Before us today is the Bill of 2019, which is a corollary of the Bill of 2018. Here, I would say one thing that still matters is Article 256, which has been repeatedly stated by the hon. Minister. It has to be in public interest. And, to be in public interest, it has to have a Resolution passed in this House.

I would say, the Dam Safety Bill, 2019, which is before us today, is a much improved version of the Bill of 2010 that was referred to the Parliamentary Standing Committee. However, a number of States have expressed their apprehension about the Bill. An apprehension is there that the Union may take control over all the dams. This Dam Safety Bill, 2019 has been brought under Entry 56, and not under Article 249 or Article 250 of the Constitution as was contemplated earlier.

What does Entry 56 say? Entry 56 says:

> "Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest."

So, to describe it in public interest, should we believe now that if a disaster happens somewhere, the Union Government will appropriate the power unto itself?

The idea of the federal character of our Constitution was: 'You empower the States and they will take all the responsibilities; and it is not that you empower the Union and the Union will take all the responsibilities.' Even today, in the Constitution it is stated: "Union of States". It is a Union of States. Therefore, I felt very happy. On the other Bill, which was being piloted by the present Jal Shakti Minister, I asked as to why he repeatedly mentioned 'Centre, Centre'. The Centre is something which is acquiring all the powers. If it is a Union, you have a camaraderie of all the States.

डॉ. निशिकांत दुबे : मंत्री जी ने इसे मान लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब : उन्होंने मान लिया, इसलिए मैं इन्हें शाबासी दे रहा हूं। यहां क्या हो रहा है?

Through this Bill, you are acquiring the power. You want to give certain things, even advice from the top. It is not a top down mechanism, which can function in respect of dam safety. The States should be empowered so that they will take care of themselves because these dams have been erected by the States themselves from their funds. There are very rare instances where the Union Government has invested in construction of the dams.

Madam, however, for use of this Entry for passage of DSB, 2019, Parliament will also need to declare that dam safety is expedient in public interest. Even if Parliament were to declare that, about eight per cent territory of the country, which is not part of the Inter-State river basins, would remain outside the purview of the Dam Safety Bill, 2019. Yet the Dam Safety Bill, 2019 says that it covers all the specified dams, meaning all large dams of the country.

That specification has already been mentioned by our hon. Member from JD(U). This Bill is certainly an improvement from DSB, 2010 by inclusion of, and I quote, “Failure related disasters”. This was not there in 2010. There are many things not just a structural failure in the definition of dam’s failure and dam incident. Yet, I would say, there is still no inclusion of compensation to the victims of dam failures or dam incidents which was a key recommendation of the Parliamentary Standing Committee of 15th Lok Sabha in 2011.

The Dam Safety Bill, 2019, continues to suffer from a number of lacunae. Here, I would like to mention that it is not that ‘bad’ is the greatest

enemy of ‘good’. It is always ‘better’ which is the greater enemy of ‘good’. But do not think that, when the Opposition is recommending something or suggesting certain things, they do not want this to be done. They want a better Bill or a better Act. For example, the whole dam safety mechanism is dominated by the Central Water Commission with Chairperson of CWC being the Chairman of National Committee on Dam Safety, a representative of CWC being member of each State Committee on Dam Safety. The CWC is also involved in policymaking about dams, in their approval, guiding designs, financing, monitoring, approving seismic parameters, flood forecasting and so on and so forth. Dam Safety is essentially a regulatory function and thus CWC has clear conflict of interest in being involved in the dam safety mechanism. The CWC also has had very poor track record in dam safety and the Kerala episode is the latest instance.

The second point is that the dam safety mechanism has to essentially work in public interest and the people at risk are the biggest stakeholders, not only the State Governments. Unfortunately, the Bill does not even define who are the stakeholders of dam safety, though the term stakeholder is used in the Dam Safety Bill, 2019, in ensuring safe design, planning, construction, operation and maintenance of dams. This implies that all the information about dam safety should be promptly placed in the public domain and the Bill itself should mandate this. This is lacking.

The Bill requires appointment of up to three, out of a total of 21 members, specialists in the field of dam safety and allied fields, nominated by the Union and State Governments respectively as members of NCDS and

SCDS. But there is no mention of these persons having an independent track record, nor is there any mechanism mentioned as to how they will be selected.

The language of several sections, for example, in Chapter VI of the Dam Safety Bill, 2019, suggests that State Dam Safety Organisation is subservient to the National Dam Safety Authority. It is no wonder that the States regard the DSB, 2019 with suspicion. India has, according to the latest version of the National Register of large dams, 5,701 large dams including 447 under construction and 5,254 completed projects. For 194 of these projects Central Water Commission does not even know the year of construction! Out of the rest 5,060 completed large dams, over 87 per cent are more than 20 years old and about 370 are over 70 years old. Moreover, even newer dams are known to suffer both structural and operational failures. Does this Bill create a credible statutory dam safety mechanism? Here, I would like to just mention that one of our Members mentioned about the Seventh Schedule. I do not know whether the Minister will subscribe to what his colleagues mentioned from Rajasthan. The Seventh Schedule, List I–Union List says: “97. Any other matter not enumerated in List II or List III including any tax not mentioned in either of those Lists.”

I am not a lawyer by profession. Neither have I studied in any law college. But, as far as I understand, this is something which does not give total power to the Union Government to make law. It deals specifically and only with taxation.

I am not going through whatever provisions are there, but, before I conclude, I should also mention that dam safety is a primary concern of this

country. To protect life and property of the people of our country, there is a need, but it has to be a regulatory mechanism. That regulatory mechanism cannot be a top-down approach. Empower the States; they should do it. If you feel that they do not have requisite expertise, then that type of support can be provided. But once you have such a top-down mechanism, it will not help in the long run.

Thank you, Madam.

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak. As the House is aware, there are about 5300 large dams in India, out of which around 293 are more than 100 years old and 1041 are 50 to 100 years old. Nearly 92 per cent of these dams are on inter-State rivers.

Dams play a key role in fostering rapid and sustained agricultural growth and development and they are vital for ensuring water security of the country. As we all are aware, a badly maintained, unsafe dam can be a hazard to human life, flora and fauna, public and private assets and the environment.

I am happy to say that over the last fifty years, India has invested substantially in dams and related infrastructure. India ranks third after USA and China in the number of large dams but there needs be to done much more in future. International bidders may be invited to generate more power, including solar and hydel, and also to maintain the latest technology like that of China to meet future demands.

More than 4000 large dams will reach the minimum age of 50 by 2050 preparing the ground for a future water crisis. Large dams are acknowledged for their contribution in providing water security directly, and food and energy security indirectly.

Meanwhile, rapid growth in demand for water due to population growth, increasing urbanisation, changing lifestyle and consumption patterns, inefficient use of water and climate change pose serious challenges to water security. The visible challenges such as rising population, change in consumption patterns, urbanisation, increase in demand for water for

agriculture, industries and energy, and the phenomenon of climate change have to be tackled immediately.

Some dams have lost 25 per cent of their live storage capacity. Due to siltation, the irrigation activities in the command area have severely been disrupted and this impact has a cascading effect on food security and the socio-economic status of the farmers.

Now, I come to the issue regarding my State, Telangana. ‘Water’ comes under the State List; hence the interests of the Telangana State must be protected at any cost and they should not be disturbed.

In Telangana, dams like Nagarjunasagar are conflict-ridden in sharing of water between Andhra Pradesh and Telangana since decades. As many as 14 dams in Telangana State require urgent repairs.

In September 2017, our Telangana State had sent proposals to the Central Water Commission seeking Rs. 645 crore for rejuvenation of 29 old dams. The said proposals were forwarded to the World Bank for funding. But the funds are still awaited. In this regard, I also request the Government to accord national status to water projects in Telangana like Kaleswaram and Palamuru Ranga Reddy which is the dream of our hon. Chief Minister of Telangana State, Shri K. Chandrasekhara Rao.

Sir, additional grants may be sanctioned for irrigation purpose for reservoirs upto 20 tmc of water.

States may be empowered with full powers to undertake their maintenance, protection and everything concerning this subject linking with the Central Government.

Krishna and Godavari rivers have hundreds of small dams and reservoirs which are the lifeline of our Telangana State people in their day-to-day life, and they need to be protected on top priority.

With these few words, I would like to conclude my speech.

Thank You Madam.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I am supporting this Bill. I have come from that place where more than nine dams are there including Idukki arch dam and Mullaperiyar dam. While introducing this Bill, our hon. Minister has stated that the serious discussion on dam safety has started with the Mullaperiyar dam's controversy. I am not going into the merits and demerits of the Mullaperiyar case and on its judgements also. But I have to express the serious feelings of our own people with regard to the fear and threat from the Mullaperiyar dam.

Sir, every man-made structure has its own lifespan. Let it be the Parliament building or the India Gate. Similar is the case of dams. There are serious and important study reports that came out with regard to the Mullaperiyar dam. The dam is situated at an earthquake zone. The IIT report has stated this. The Central Water Commission's Report, 1979 pointed out that the dam is in a dangerous condition and recommended that it should have been decommissioned decades before.

Our hon. Supreme Court directed as to reduce the water level at the time of recent floods because of the apprehensions over its capacity and safety of the dam. We are living under the scare because if anything happens to this dam, then we can say Kerala will be divided into two parts. It is not only affecting my own district but also my surrounding districts. Lakhs and lakhs of people will be victims. Kerala will be divided into two parts.

I am supporting this Bill to any extent for the safety of dams. The study reports states that all the old and aged dams should be decommissioned.

I am coming to this Bill. There are so many concerns expressed from different parts of the country with regard to the legislative competency of the Parliament to enact this Bill and its impacts on rights and authorities of States on their dam management. The concerns are already expressed by the hon. Members.

Moreover, the Central Government may misuse the super powers after the enactment of this Bill. The political pressure may come from the Central Government to each and every State relating to the dam safety issues.

As per Clause 5(1)(c), the Central Government can nominate its representatives to the different Committees of the State Government. It is a clear-cut encroachment on the principle of federalism. We all know, there are three Schedules, namely Schedule I, Schedule II and Schedule III. The powers and functions of each Committee have been given there. Those powers and functions may be amended by a Notification by the Central Government. That means, vesting the power with the Executive, Government, to amend the Act is very strange and it is against the settled principles of law.

At the same time, the Preamble of this Bill states that it is for preventing the dam failure disasters. It is not for the system management after the dam failure. It is for preventing the dam failure disasters. If this is the real intention of the Government, then there must be a comprehensive study and assessment of those dams which are vulnerable to such disasters. …(*Interruptions*)

I am concluding. I will take only two minutes.

Clause (6) of this Bill talks about the function of the National Committee on Dam Safety. Its function is given under the Schedule I. I am suggesting that the First Schedule must include an entry regarding the study of the present conditions, structural details and expected lifespan of those dams which have already crossed 100 years of age. The dams, which have crossed 100 years, must be categorised separately and there must be a separate provision for such dams. It has to be de-commissioned by a recommendation in real time.

The National Dam Safety Committee must be conferred with the power to determine the maximum water level in each dam, according to its capacity. The capacity of the dam must be assessed on the basis of its age and other relevant factors. All the stakeholders should be heard in the process of determining the water level.

I am coming to the conclusion. I do appreciate the Central legislation. But at the same time, I would say that more deliberation with the stakeholders and States is required before the enactment of this Bill. I am supporting this Bill in the context of dam safety. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON : Now, it is six o' clock. If everyone agrees, the time of the House may be extended till both the Bills listed against Item No.4 & 5, are passed.

SEVERAL MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: So, the time of the House is extended.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Chairperson, I stand here to support the Dam Safety Bill, 2019. मैं इस तरफ से भी सुनता आ रहा हूं और उस तरफ से भी सुनता आ रहा हूं। I have gone through this Bill. फिर भी हमारे राइट साइड के साथी कहते हैं कि it is a kind of challenge to the federal structure. और इसका मिसयूज करेंगे। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि this NDA Government is headed by hon. Prime Minister, Narendra Modi Ji, the man who can do no wrong.इसलिए मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जल शक्ति मंत्रालय को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि इस मंत्रालय में शक्ति जरूर है। Wisdom of *shakti* and wisdom of safety has been limited to the structural safety. इसमें हमने केवल स्ट्रक्चलर सेफ्टी पर ही ज्यादा ध्यान दिया है। According to me, it is right that we should further widen the scope. I come from Arunachal Pradesh. Sometimes, we used to call it a powerhouse of future India.

<u>18.00 hrs</u>

सीडब्ल्यूसी ने एस्टिमेट किया है कि अरुणाचल प्रदेश में 55 हज़ार मेगावॉट हाइड्रो पावर इस्टैब्लिश की जा सकती है। इस कंट्री की रिक्वायरमेंट 1.43 हज़ार मेगावॉट की है, जिसमें से हम इंडिया में केवल 58 हज़ार मेगावॉट ही हार्नेस कर पाए हैं।

अत: ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम, मैं यह चाहता हूं कि हम इस स्कोप को और आगे बढ़ाएं।

I will not go through all the clauses of the Bill because they have been thoroughly defined. There is no question of federal disturbance with the States. The authority has been established at the Centre as well as in the States. Clear and detailed guidelines have been set up. So, there is no scope of mismanagement and misuse of this Bill in future.

मैं जलशक्ति मंत्रालय से आज यही कहना चाहूंगा कि हमारे नॉर्थ-ईस्ट, पूवोत्तर के राज्य एक एप्रिहेंशन की स्टेट में हैं। We have got a stretch ranging from Sikkim to Arunachal Pradesh to Nagaland. हम एप्रिहेंशन में इसलिए हैं, क्योंकि अगर डैम बनेगा तो वह एक दिन टूटेगा और अगर एक दिन जब वह टूटेगा तो उससे माल और ह्यूमन्स डिवास्टेट हो जाएंगे। हम इस एप्रिहेंशन में हैं। मैं आज शेखावत साहब को धन्यवाद दूंगा कि वे आज यह डैम सेफ्टी बिल, 2019 लेकर आए हैं। इससे हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में और बाकी प्रदेशों में भी यह शक्ति ज़रूर आएगी कि इस डैम में फ्यूचर है। इससे एक क्लीन पावर जनरेट हो सकेगी, जिससे एनवायर्नमेंट क्लीनलिनेस आएगी। इसकी कॉस्ट सस्ती है, लेकिन मैं बताता हूं कि हम आज डैम के बारे में एप्रिहेंशन में क्यों हैं।

My colleague, Mr. Bordoloi from Assam is sitting here. He is from Congress. He was the Power Minister in Assam and he knows everything about Northeastern region. Arunachal Pradesh has five major tributary basins at mighty Brahmaputra river. We have got international river basins with China and Tibet. We have river basins with Bangladesh also. There are inter-State river basins with Assam and Bhutan also. The Central Water Commission has given clearance for construction of a multi-purpose project in Dibang Valley with a capacity of 2880 megawatt. In my native area Siang, a project with

1700-megawatt capacity has been approved. In Subansiri, a 2000-megawatt capacity project in Luhit has also been sanctioned.

There is an apprehension in the minds of the people of Assam and Arunachal Pradesh. The apprehension is about construction of dam and its safety. I want to know from the hon. Minister how do we continence the people of Assam and Arunachal Pradesh about the safety measures. Though the Minister assures that they will ensure the safety of dam, dam safety is not in its structure only. We have to take care of the upstream and downstream drains as well as of landmass and humans around it. That is the main issue there. Whenever the Government of India starts construction of a dam, the people of Assam have this apprehension and think that it should not be constructed.

चेयरपर्सन मैडम, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि ऐसे कई एनजीओज़ हैं, जिनमें लाल एनजीओ भी हैं, ग्रीन एनजीओ भी हैं, जिनको यह हाउस समझ जाएगा । They are confusing the society. So, we need to remove this apprehension from the minds of the people and enlighten them about the usefulness of dams at the river basins of Arunachal Pradesh.

आज सारी नदियां अरुणाचल प्रदेश से फ्री फ्लो से ब्रह्मपुत्र में जाती हैं। हर साल ब्रह्मपुत्र में ह्यूमैन लॉस, ऐनीमल लॉस, लैण्ड लॉस, सब कुछ लॉस होता है। हम गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से कितना कम्पेनसेशन मांगेंगे। यह हर साल होता है, इसलिए मैं जल शक्ति मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि यह विषय केवल जल शक्ति मंत्रालय का नहीं है, यह पावर मिनिस्ट्री का भी है, यह फॉरेस्ट एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का भी है। ये तीन डिपार्टमेंट एकजुट होकर आएंगे, then, I can proudly say in this House that 55,000 MW power generation is estimated by the CWC, but Arunachal Pradesh can generate more than 55,000 MW power, which is

the need of the hour for our country, mother India. इसलिए मैं यह जल शक्ति मंत्रालय से कहना चाहूंगा, क्योंकि हाइड्रो-पावर की परमिशन मिलती है, एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का क्लीयरेंस नहीं है, फारेस्ट मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शंस हैं । So, I would like to see a unified government machinery to establish good kind of strong mega dams in Arunachal Pradesh so that we can regulate water flow to Assam and Bangladesh.

Madam, I belong to the Adi tribe, one of the major tribes of Arunachal Pradesh. The Brahmaputra passes through my home-town where it is called the Siang. The Council of Adis has agreed to construct the stage III of Siang Dam on River Brahmaputra inside Arunachal Pradesh, लेकिन आज यह नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज भी हैं और मैं जल शक्ति मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि our PSUs are doing all these things. They are filing cases against the State Government for construction of mega dams in Dibang Valley of Arunachal Pradesh. दिबांग वैली नाम से एक बहुत बड़ा डैम 2880 मेगावाट का है। एन.एच.पी.सी. इस इश्यू को लेकर कोर्ट में चली गयी। नेगोशिएट होकर पब्लिक का विश्वास लेकर यह एक पावर जनरेशन हुआ था। It is a multi-purpose dam through which we can have irrigation facility, drinking water and water reservoirs in future in Arunachal Pradesh.

Whatever floods occur in Assam – I hope, Shri Bordoloi will join me - we can control them by controlling the flow of water in reservoir and regulating the release of water as per the need and necessities of the river flow. हम इससे फ्यूचर में बना सकते हैं। मैं जल शक्ति मंत्रालय से यही कहूंगा कि केवल आप सेफ्टी में मत जाइए, डाउन स्ट्रीम में भी जाइए। आप पूर्वोत्तर राज्यों को डेवलप कीजिए so that power can be

developed, as per the necessity of the future, in the North-Eastern States of this country.

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। Thank you.

* **DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. I strongly oppose this Dam Safety Bill, 2019. Tamil Nadu on the whole is opposing this Bill. Since the introduction of this Bill, the People of Tamil Nadu and the political parties have been opposing this Bill.

The reason for that opposition is Section 24 (1) of this Bill which says, “Where the specified dam in one State is owned by another State, then the authority can be construed as the Dam Safety Organisation for the purpose of this Act.” This section says that if a dam owned by a State is situated in another State, then the powers of the Dam Safety Organisation will be of the authority. The Union Government is therefore taking charge of the control of four dams owned by Tamil Nadu--Mullaiperiyar, Parambikkulam, Thunnakkadavu, and Peruvaaripallam. All these four dams owned by Tamil Nadu are situated in Kerala. Tamil Nadu will be worst affected if the Union Government captures all the powers relating to the complete maintenance and safety relating to all these four dams. I sincerely believe that Tamil Nadu will be the only State in the country which will be worst affected by this Dam Safety Bill. As Tamil Nadu is suffering because of its total dependency for water on the neighbouring States, I wish to bring to the kind notice of hon. Minister that as these dams owned by Tamil Nadu are in located in other States, Tamil Nadu will be much affected.

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

On the basis of agreements between two States, these dams are being maintained. Once this Bill becomes an Act and when the powers are totally taken away by the Union Government, the understanding and harmony between the two States will be affected. Not only that this will pave way for taking away the rights and sovereignty of the States concerned, but this will also lead to affecting the harmony between the neighbouring States. I want to register this fear in this august House. Union Government has so far taken decisions against Tamil Nadu in all the river-water sharing disputes relating to Cauvery, Mullaipperiyar and Palar. This has led to tension and violence in both the States. Although the hon. Supreme Court gave its verdict for not constructing any dam across Cauvery, Union Government has granted approval to Karnataka for constructing dam at Mekedatu across river Cauvery. Particularly the Environment Ministry has granted permission.

As there are instances that Union Government is working against the interests of Tamil Nadu, I am afraid and I want say that if the powers relating to maintenance and safety of these four dams are taken away by the Union Government, then that action will be against the interests of Tamil Nadu. The southern and western districts of Tamil Nadu will be much affected due to this and will become like a desert. Tamil Nadu Government has already passed a Resolution against this Bill in the State Legislature in the year 2018. Main opposition parties including the DMK have registered their objection and condemnation against this Bill.

Therefore taking into consideration the view of Tamil Nadu, in a way respecting the sentiments of the people of Tamil Nadu, Hon. Minister should refer this Bill for the consideration of the Standing Committee of Parliament. This Bill should not become an Act which can pave way for taking away the powers and the rights of the States, and affecting the relationship between the States concerned.

On behalf of Viduthalai Chiruththaigal Katchi, VCK, I wish that this Bill should be withdrawn or referred to the consideration of Standing Committee. Thank you for this Opportunity. Vanakkam.

*__SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI):__ Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. It is my duty to bring to the notice of hon. Minister some of the demands of the Government of Tamil Nadu.

As per Section 24(1) of the Bill, if a dam by a State is situated in another State, National Dam Safety Organisation will function as State Dam owned Safety Organisation and keep the control of that dam. I request the hon. Ministry to clarify on the points relating to control of such dams and the powers of Tamil Nadu in this regard. Even though from dams, namly, Mullaiperiyar, Parambikkulam, Thunnakkadavu, and Peruvaaripallam, all these four dams are situated in Kerala territory, Tamil Nadu is looking after the maintenance of these dams under a longstanding agreement. In a case filed by Tamil Nadu on its powers, the Constitutional Bench of the hon. Supreme Court has upheld its verdict on 7.5.2014 about Mullaiperiyar. Hon. Chief Minister Shri Edappadi Palaniswamy through his letters dated 15.6.2018 and 14.12.2018 have urged that until a consensus is arrived at through the consultation process with the States concerned, this Dam Safety Bill should not be introduced but rather withdrawn.

I want to bring to the notice of hon. Minister that through a Resolution passed in the State Assembly of Tamil Nadu on 26.6.2018, such a demand is put forth before the Union Government. I am aware of the fact that hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji , with a foresighted vision, has brought this Bill

---

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

for protection of dams and ensuring equal sharing of water by the to people. Regarding the dam in Kerala, which is maintained by Tamil Nadu, some political parties, some State organisations, through films, in their vested interests, are creating panic, instilling fear and spreading rumours about the dam safety and dam's failure. This causes several hurdles in the maintenance and safety-related work of such dams.

I sincerely request the hon. Minister to add stringent measures in this Bill in order to control such malicious activities. Because such activities with ill intention, affect the maintenance work of dams. I should talk about the Mullaiperiyar dam. Engineer Pennicuick constructed this dam 133 years ago, after spending all his earnings from London like assets and jewellery. After coming to Tamil Nadu, Pennicuick diverted the Mullaiperiyar river from Kerala to Tamil Nadu and constructed a dam over that river for providing water to the people of Tamil Nadu. This dam is very strong even after 133 years. Union Government should honour Pennicuick appropriately for his extraordinary contribution. The stand of my Party AIADMK and that of the Tamil Nadu Government are one and the same-- that the interests of people of Tamil Nadu should be protected as per the verdict of hon. Supreme Court.

I also urge that without affecting the interests of the State of Tamil Nadu and by upholding the Constitution and federal structure of this country, this Dam Safety Bill should be implemented. I also request the Hon. Minister to kindly consider the demands of Tamil Nadu put forth by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu. Thank you for this Opportunity. Vanakkam.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सभापति महोदया, बात यह है कि सदन तो चल रहा है, लेकिन बाहर से खबर आ रही है कि कश्मीर में सिक्योरिटी एडवाइज़री जारी की गई है। सभी सैलानियों को वापस लाने के लिए कहा गया है। सभी सैलानियों को वापस लाया जाए, ऐसी बात हो रही है। सिक्योरिटी एडवाइजरी चालू की गई है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं। I am sorry

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बिजनेस से रिलेटेड पाइंट ऑफ आर्डर पर बोलिए।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Government should come out with a statement. Why has the security advisory been issued?

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, please sit down. Let the business continue. I am sure, whatever information is required to be given, it will be given.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सभापति महोदया, सिक्योरिटी एडवाइज़री जारी की गई है।…(व्यवधान) हाउस के बाहर स्टेटमेंट दिया जा रहा है।…(व्यवधान)

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Please do not create panic in the House…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, please be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मैं अभी देखती हूं **I** Just now, Shri P. Raveendranath was talking about the punishment for people who create panic situation in dam safety. Let Shri Hanuman Beniwal speak and we will consider this later.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदया, आपने मुझे इस सदन में बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से हमारे मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मारवाड़ से आते हैं। इन्होंने निश्चित रूप से इस पर बहुत बड़ी चिंता की है, वह दो बिल सदन में लेकर आए हैं। पहला अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पर था और दूसरा आज बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 का है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी सोच है कि आने वाले समय के अंदर किस तरह से बांधों की सुरक्षा की जाए। बांधों से जो बहुत बड़े नुकसान हुए हैं, पहले बांधों से जो घटनाएं घटित हुई हैं, अभी मंत्री जी एक घटना का जिक्र कर रहे थे कि वर्ष 1979 के अंदर सबसे बड़ी घटना घटित हुई है, जिसमें हजारों लोग मौत के शिकार हो गए थे। निश्चित रूप से बांधों पर केन्द्र का उतना ही अधिकार है, जितना राज्यों का अधिकार है। मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके अंदर हम राज्यों का हक-अधिकार नहीं छीन रहे हैं। बांधों की ओर आम जन की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार चिंतित है। इसलिए बिल लेकर सदन के अंदर आए हैं। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदया, इस विधेयक से बांध सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी और देश में स्थित बड़े बांधों से अधिक निर्माणाधीन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि देश में 293 बांध ऐसे हैं, जिनका इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है।

सभापति महोदया, इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि बांध महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसका सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और औद्योगिक प्रयोजनों एवं इसके बहुद्देश्यीय उपयोगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है। कोई असुरक्षित बांध मानव जीवन, पारिस्थितकी और सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्तियों के लिए

संकट का कारण बन सकता है। इसलिए बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व बन जाता है।

महोदया, मैं सरकार का धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो सौ दिन की कार्य योजना है, उसके अंदर आप ऐसे-ऐसे बिल ले कर आए हैं – मज़दूरों का बिल आया, आम उपभोक्ता का बिल आया, न्युनतम मज़दूरी का बिल आया, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बिल आए और जम्मू-कश्मीर का मामला भी आया। आज बांधों का बिल भी आया है।

महोदया, नदी-नालों को जोड़ने की योजना - अटल बिहारी जी ने एक सपना सोचा था कि देश की तमाम नदियों को जोड़ कर, जहां बाढ़ आती है, वहां बांध बने और जो सूखे इलाके हैं – जैसे हमारा राजस्थान सूखा इलाका है, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर, जहां सिंचित क्षेत्र नहीं है, वहां सिंचित क्षेत्र बढ़े और उसी की परिणति बदलने के लिए आज यह बिल बहुत कारगर साबित होगा।

इसके अंदर हमारे विपक्ष के कई साथी कह रहे थे कि इससे राज्यों के अधिकार चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे राज्यों के अधिकारों में कोई दखलंदाजी होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश में जो जल समस्या है, वह किसी पार्टी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। मैंने तो जल वाले विधेयक पर बोलते हुए यह भी कहा था कि जिस तरह से तेल को, आप मानते हो कि किसी इलाके के अंदर तेल निकलता है तो वह तेल, गैस आदि सब राष्ट्र की संपत्ति होती हैं, उसी तरह से जल भी पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। बहुत बड़ी सोच के साथ यह उठाया गया कदम है। विपक्ष में बैठे लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।

महोदया, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2019 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमिटी की स्थापना की बात कही गई है। यह समिति बांध सुरक्षा संबंधी नीति विकसित करेगी और ऐसे विनियमों की सिफारिश करेगी, जो उस प्रयोजना के लिए उपेक्षित हो।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर यह बिल जो आज लाया जा रहा है, बांधों के सरंक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से हमारे राजस्थान की कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान की मौसमी नदियां जहां भी हैं, उनसे बरसात के समय उफान से कई बार विकट हालात भी हुए हैं। इसलिए उनके बहाव क्षेत्र के पास बांधों के निर्माण हेतु योजना बनाई जाए ताकि जल संकट का समाधान हो सके।

महोदया, जिस तरह हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी ने सड़क निर्माण में घटिया काम करने वालों के खिलाफ मुकदमे का प्रावधान किया है, निश्चित रूप से कोई बांध अगर टूट जाता है, तो क्रिमिनल केस भी दायर होता है, बांध बनाने वालों के खिलाफ और इंजीनियरों के खिलाफ होता है। लेकिन उसके अंदर यह प्रावधान भी मंत्री जी आप जरूर करें कि उसकी मॉनिटरिंग करने वाले अफसर पर आपराधिक मुकदमा हो। अगर बांध निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो तो कोई केन्द्रीय समिति इसकी जांच करे। मैं तो इसके अंदर यह भी कहूंगा कि जो भी ऐसे मसले हैं, उनमें संसदियां समितियां बननी चाहिए। अलग-अलग सांसदों के दल जाने चाहिए और वह भी रिपोर्ट करे, ऐसा होना चाहिए।

सभापति महोदया, इसके साथ ही मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि राजस्थान के संपूर्ण बांधों की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की जाए। क्योंकि आज जो हमारे रामगढ़ का रामगढ़ बांध है, सन् 1982 के अंदर जब हमारे देश में एशियाड हुआ था तब जयपुर के रामगढ़ बांध में नौकायन की प्रतियोगिता हुई थी। लेकिन आज वह खाली है। वहां इतना अतिक्रमण हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन उसके बावजूद रामगढ़ के बांध का अतिक्रमण नहीं हट रहा है क्योंकि जितने भी अतिक्रमी हैं, वे कहीं न कहीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नज़दीकी हैं। मैं तो यह कहूंगा कि जो राजस्थान के अंदर सत्ता है, वे अतिक्रमी उनके नज़दीकी लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रामगढ़ से अतिक्रमण नहीं हट रहा है। जोधपुर का उम्मेदसागर

बांध हो, चाहे बांसवाड़ा का माही जवाहर सागर हो, ये जितने भी बड़े बांध हैं, इनके रख-रखाव के साथ, सिंचित क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, इसके अंदर मैं निवेदन करूंगा कि इसको देखा जाए।

सभापति महोदया, कई बार उच्च न्यायालयों के निर्णय आए, मगर राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके…(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मेरा एक निवेदन यह था कि मंत्री जी भी राजस्थान से आते हैं, हम लोग राजस्थान से आते हैं और बहुत बड़ी उम्मीद, पूरा देश आज मोदी जी की तरफ देख रहा है कि राजस्थान के अंदर भी वे दिन आएँगे। हम मारवाड़ के उस इलाके से आते हैं, जहाँ पाँच-पाँच, सात-सात किलोमीटर तक पैदल चलकर घड़े भर कर महिलाएँ पीने का पानी लेकर आती थीं, वहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ सिंचाई का पानी आएगा।

मैं धन्यवाद दूँगा कि कई योजनाएँ ऐसी बनीं, वहाँ पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाईं, जोधपुर, नागौर जो मंत्री जी का और मेरा नजदीकी क्षेत्र है, वहाँ पीने का पानी जरूर आ रहा है, लेकिन सिंचाई का पानी वहाँ पर आए। मंत्री जी अंतर्राज्यीय बिल नदियों का लेकर आए थे। राजस्थान को उससे कैसे जोड़ें, राजस्थान के बांध कैसे भरे और जितने भी बांध हमारे राजस्थान के अंदर हैं, उनकी भराव क्षमता अच्छी हो, अतिक्रमण हटे। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की तरफ से बिल का समर्थन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जल्दी से जल्दी अटल जी का और मोदी जी का सपना पूरा हो और देश के अंदर हर घर खेत को सिंचाई का पानी मिले।…(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदया, बांध सुरक्षा विधेयक पर जारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। देश में बांधों की सुरक्षा, समुचित निगरानी, निरीक्षण और प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक लोक सभा में पेश किया गया है, जो कि सराहनीय है एवं आम लोगों के लिए काफी संतोषप्रद है। विधेयक के उद्देश्यों में यह कहा गया है कि बांध एक महत्वूर्ण आधारभूत संरचना है, जिसका निर्माण सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और औद्योगिक प्रयोजन के लिहाज से जल के बहुद्देश्यीय उपयोगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है। बांध सुरक्षा पर पिछले 9 सालों से लगातार प्रयास चल रहे हैं। इस विधेयक पर स्थायी समिति में चर्चा हो चुकी है। इस विधेयक में महत्वपूर्ण बात यह है कि डैम की सुरक्षा, निगरानी, निरीक्षण जैसे कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, राज्य स्तर पर राज्य बांध सुरक्षा समिति एवं राज्य बांध सुरक्षा संगठन है, जो देश के डैम्स से लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित लाभ प्रदान करेंगे। देश के कई डैम्स बहुत ही पुराने हैं, जिन पर मरम्मत कार्य होना अति आवश्यक है। विधेयक में जिन समितियों का प्रस्ताव दिया है, उन सभी का कर्त्तव्य और कार्य का निर्धारण किया है। इस तरह से यह बिल पूरी तरह से जिम्मेदारी निश्चित करने वाला विधेयक है। हमारे देश में प्राकृतिक आपदा, सुखाड़ एवं बाढ़ जैसी समस्याएँ देश में हर साल आती हैं। कहीं पानी ज्यादा होने से बाढ़ आ रही है और कहीं पानी की आवश्यकता से कम होने पर सुखाड़ जैसी समस्या का समाधान करना पड़ता है। इस विधेयक से हम अधिक पानी वाले क्षेत्रों से पानी लेकर कम पानी के क्षेत्रों में पानी पहुँचा कर किसानों की समस्या का निदान करने में सक्षम हो सकते हैं। इस कार्य में हमारे डैम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आज के दिन जिस परिस्थिति से हमारे संसदीय क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी, मोतीहारी बिहार के जिस-जिस जगह पर जिस तरह से हम लोगों को देखने को मिला है, वहाँ जान-माल की जो क्षति हुई है, उसने बहुत असहनीय पीड़ा दी है।

सरकार बाढ़ की बार-बार आने वाली समस्या का सामना करने के लिए प्रस्तावित समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। इस कार्यदल को शीघ्रता के साथ काम करना चाहिए, पानी के भंडारण के लिए डैम, बांध बनाने होंगे। नेपाल सरकार के साथ बातचीत ही नहीं, अपितु सकारात्मक बातचीत करनी चाहिए, जिससे शीघ्र हल निकल सके। जैसे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कार्य शुरू किए थे, जो फाइल बन चुकी थी, जो नदी से नदी जोड़ कर सब के हित के लिए काम सोचे थे, आज भी वह फाइल पड़ी हुई है और उसके बाद जिसकी सरकार आई, उसने कभी सोचा नहीं कि किसानों से लेकर लोगों को कितनी दिक्कत पहुंची है। आज हमको लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री द्वारा ही यह काम सम्भव हो सकेगा।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत केवल राहत में राशि करने का प्रावधान है, बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई भी इस निधि से की जाए। किसानों को, गरीब लोगों को बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। साथ ही साथ सदन से अनुरोध है कि बांध का निर्माण कार्य में अच्छी क्वालिटी का मेटिरियल प्रयोग किया जाए और डैम्स भी क्वालिटी वाले होने चाहिए।

अगर इन बांधों, डैम्स में कोई खराबी या कोई कटाव आए तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खुशी की बात है कि इस जिम्मेदारी की इस विधेयक में विस्तार से व्याख्या की गई है।

महोदया, बांधों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नम्बर पर है, जबकि पहले व दूसरे नम्बर पर क्रमश: अमेरिका और चीन है। बड़े बांधों से चिंता का मुख्य कारण यह है कि बांधों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है। इसके कारण वर्षा के दिनों में बांधों के टूटने से बड़े पैमाने पर जन हानि होने के साथ-साथ सम्पत्ति का भी नुकसान होता रहा है।

मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्र सहित देश में छोटे-बड़े बांधों के आसपास लाखों लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परन्तु यह चिंता का विषय है कि देश को लगभग 75 प्रतिशत बड़े बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 150 से अधिक बांध 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। कोई भी असुरक्षित बांध मानव जीवन, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों के लिए खतरनाक है।

महोदया, नेपाल के तराई क्षेत्र से निकलकर मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली बिहार की नदियों में आने वाले पानी के तेज प्रवाह से हम लोग अवगत हैं। इस कारण वर्ष 2017 एवं 2019 में बूढ़ी गण्डक, लालबकेया, मनुष्यमारा एवं बागमती इत्यादि नदियों में अचानक आए पानी के कारण इसके दबाव को रोकने में इनके पुराने एवं जर्जर तटबंध नाकाफी साबित हुए है। जिससे लालबकेया नदी के बलुआ गोआवारी बांध, सपही बांध, जमुआ बांध तथा बागमती नदी के भकुरहर बलुआ टोला बांध एवं मसहां नरोत्तम बांध के टूटने से जान-माल की भारी क्षति हुई है। वहीं बागमती नदी के रामपुर कंठ बांध एवं बेलवा घाट बांध बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसका खामियाजा सैंकड़ों लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा है और इसमें जान-माल की भी भारी क्षति हुई है।

महोदया, मैं बांधों के टूटने से होने वाली क्षति, उनकी विभिषिका से भली-भांति परिचित हूँ। मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत इस जन-कल्याणकारी बांध सुरक्षा विधेयक का हृदय से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Madam Chairperson, as far as dam safety is concerned, I fully agree that there has to be a federal agency to look after it and ensure the safety of the dams.

Madam, I actually think that the present Bill which is being discussed today is half-sighted and lacks a broader perspective. I will tell you why. Take the case of the Brahmaputra River system. The Brahmaputra River originates in the Chemayungdung Glacier in the Western Tibet and it flows 1,150 km eastward and then it flows as Tsangpo River in Tibet, China, then it enters Arunachal Pradesh by the name of Siang River, and finally it enters Assam as Budha Lui which means Brahmaputra; we call it Budha Lui.

The Brahmaputra is the only main river in the whole world. Brahmaputra is the 'Son of Brahma', the Creator of the Universe. When it enters Bangladesh, it proliferates into three rivers – Meghna, Padma and Jamuna.

In the same river course, the Chinese have built several big dams, and hydro-power projects, and there are unconfirmed reports that they are planning to divert the water to their dry areas. If that happens, what will happen to the downstream areas? I would just try to draw the attention of the hon. Minister, if China diverts the water of the Brahmaputra River in the Tibet region, then the mighty river Brahmaputra is likely to dry out in the downstream areas.

And then, the famous biodiversity of the eastern part of India that we all know of will also wither. The floodplains ecosystem that we have there would also be eclipsed. The world famous one-horned rhino that we have in

Kaziranga will probably die of starvation and gradually go extinct because enough food will not be available for them. Not only that, if China diverts water, what will happen to the lower riparian States? Livelihood of millions of people up to Bangladesh will be in jeopardy. That being the case, what is the role of the Jal Shakti Mantralaya in this? That is what I want to draw your attention to.

Take the case of river Colombia. River Colombia originates in the head waters of British Columbia in Canada. It flows down to USA covering several States in Canada. Flowing through Washington State and Oregon in USA, it finally merges into the sea on the west coast of Northern California. On the whole 2,000 kilometres course of river Colombia, they have built 62 dams. Colombia river basin sustains 58 million hectares of land. They have an international protocol. They have a dam governance protocol. That is why they are able to maintain the water flow at each dam and they are able to maintain the spillways. They are maintaining everything under that protocol. That is what we need.

I would urge upon the Government of India, through you, Madam, that the Jal Shakti Mantralaya should look beyond. It should arrange to have a multilateral agreement with different countries. Brahmaputra is not a one-state river. It flows through several countries like China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and of course India. So, why cannot we have a multilateral agreement?

Jal Shakti Ministry has got a broader role. Hon. Minister Shekhawat Ji is here. I do not think his colleague … * will take up cudgels on his behalf on these issues. Shekhawat Ji has to take the initiative. Jal Shakti Ministry should reach out to the PMO and the External Affairs Ministry and have a broader perspective.

HON. CHAIRPERSON : The name should not go on record.

SHRI PRADYUT BORDOLOI : I understand, Madam, I am sorry.

What I am saying is that we must have an international protocol. There has to be a reservoir regulation policy with an international protocol. That is the need of the hour. This protocol can cover issues like dam safety, issues like water recharge, spillway management, and in the downstream areas, river draining, de-sedimentation, dredging etc.

Madam, the Power Ministry is only concerned over power projects. There is the Lower Subansiri hydroelectric project in Assam. That project was given to NHPC. They ignored all aspects. They ignored the environmental issues. They ignored all other issues. When you take up a power project, environmental impact analysis is carried out. But, this environmental impact analysis covers an area of only five to ten kilometres.

---

* *Not recorded.*

Madam, there is a proposal for putting up as many as 165 hydroelectric projects in Arunachal Pradesh. Imagine what will be the cumulative impact in the downstream area! That is why I say that the Jal Shakti Ministry should have a broader view and they should take everybody into account and carry forward. Thank you.

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदया, आज हम जिस मुद्दे पर सुबह से बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारे यहां फॉरेस्ट एरिया में ब्रह्मसती डैम बहुत सालों से लम्बित है। उस क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी समाज, गवली समाज के लोग रहते हैं। आज वहां पर ब्रह्मसती डैम के लिए कई सालों से फॉलो-अप हो रहा है।

18.39 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

महाराष्ट्र के सिडको ने उसके सर्वे के लिए आठ लाख रुपये दिए हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि आठ लाख रुपये में कोई सर्वे क्लियर होगा। आज हम वहां पर लोगों को टैंकरों से पीने का पानी प्रोवाइड कर रहे हैं।

मुझे आप बताइए कि आज हम लोगों को पीने के लिए पानी टैंकरों से दे रहे हैं। विदर्भ में चिखलदरा एक फैमस टूरिस्ट एरिया है, सिर्फ पानी की समस्या की वजह से वह आज तक महाराष्ट्र में नोन नहीं हो पाया। आज हम टैंकर से पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के कितने पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वहां डैम बन जाएगा, तो काफी सुविधा मिलेगी। हम किसानों के खेतों में पानी प्रोवाइड करने के लिए सिंचाई की योजना ला रहे हैं। हमने उस क्षेत्र में ब्रह्मसती डैम का प्रोविजन किया है। अगर चिखलदरा में ब्रह्मसती डैम बन जाएगा, तो वहां के आदिवासियों तथा गवली समाज के साथ-साथ परतवाड़ा, आंचलपुर, दरियापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की सुविधा मिल सकती है। अगर हम किसान की खेती की बात करते हैं, वहां पानी पहुंचाने की बात करते हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर ब्रह्मसती डैम लाया गया, तो वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा। अगर टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहां के जो लोकल लोग दूसरे स्टेट में जाकर रोजगार करते हैं, शायद वहां के बच्चों को वहीं पर रोजगार मिलेगा। ये चीजें होनी बहुत ही जरूरी हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और विनती करूंगी, हम अपने क्षेत्र के लोगों की सिक्योरिटी के लिए चिंतित रहते हैं। पिछले दिनों 3 जुलाई को रत्नागिरी में एक डैम पर दुर्घटना हुई थी। अगर हम रत्नागिरी में 14 साल पहले बने हुए डैम की सिक्योरिटी लूज करते हैं, तो वहां पर लोगों की हानि होने का डर होता है। हम जिस ठेकेदार तथा कंपनी को डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट देते हैं, उसे ही यह जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वह उस डैम की मेनटेनेन्स करेगा, ताकि वह डैम बनाने के वक्त उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे। अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, तो वह इतना अच्छा घर बनाता है कि उसे 50 साल तक उस घर को देखने की जरुरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी जवाबदारी हम खुद लेते हैं। हमें कांट्रैक्टर तथा कंपनी को जवाबदार बनाना चाहिए, क्योंकि उसी कंपनी या कांट्रैक्टर को 20 सालों तक उस डैम का मेनटेनेन्स करना है। इससे मुझे लगता है कि डैम की जो हानि हो रही है, वहां दुर्घटना के कारण लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, उससे हम कहीं न कहीं बच सकते हैं।

महोदय, आज जिस हिसाब से डैम के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए सरकार 2-3 साल का टाइम लिमिट देती है। उसी टाइम लिमिट में हमारे डैम का प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्प्ल दे रही हूं, अगर हम उस डैम के प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें 10 साल का समय लगता है, तो मुझे लगता है कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आगे चलकर 900-1000 करोड़ रुपये से ऊपर हो जाएगी। यह एग्जाम्प्ल है। हम जोर देते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने का जो टाइम लिमिट है, अगर वे उसी टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार के जो पैसे हैं, बेसिकली वह सरकार के पैसे नहीं हैं, बल्कि पब्लिक के पैसे हैं, वे वेस्ट होते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 1000 करोड़ रुपये का हो गया, तो मुझे लगता है, यह ठीक नहीं है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, हमारे क्षेत्र में सिंचाई के अभाव के कारण बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। …(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। यह बहुत जरूरी विषय है और किसानों की सिंचाई से संबंधित है। 20-25 साल पहले डैम निर्माण के लिए जिन किसानों की जमीन गई थी, उनको उस

समय जो पैसे दिए गए थे, मुझे लगता है कि आज उनके परिवार के पास न खेती की जमीन है, न कोई दूसरा काम है और न ही उनके बच्चों के लिए कोई नौकरी है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए।

महोदय, जैसे हमारे यहां पीड़ी, टाकड़ी, चंद्रभागा, बागड़ी, सामदा, वगाड़ी, वास्ती, करजगांव प्रकल्प हैं...(व्यवधान) महोदय, मुझे दो मिनट का समय तो देना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन प्रकल्पों में जिनकी भी जमीनें गई हैं, आज हमें उनके लिए एक बार जरूर सोचना चाहिए। जितने किसानों की जमीनें इन प्रकल्पों में गई हैं, 10 साल पहले जमीन का जो रेट था, उससे कम से कम 50 परसेंट बढ़ाकर या आज के हिसाब से पैसे देने चाहिए। आज उनके पास न तो जमीन है, न नौकरी है, न ही रोजगार के कोई दूसरे साधन हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करूंगी कि उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आज के हिसाब से पैसे देने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहूंगी कि देश में 5,264 डैम के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, उनमें जिस डैम की फेल्योर रिपोर्ट है, उनमें करीब 36 डैम्स की फेल्योर रिपोर्ट्स हैं। उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें चार महाराष्ट्र के डैम हैं। इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी मंत्री महोदय से मांगना चाहूंगी। महाराष्ट्र में जो चार डैम्स फेल्योर हुए हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं और उनके लिए आगे क्या प्रोविजन है? धन्यवाद।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I would like to speak from here.

HON. CHAIRPERSON : Your name is not to be displayed on the screen.

…(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Dam Safety Bill 2019. The proposal of setting up the Dam Safety Authority was collecting dust in the corridors of power for nearly four decades since this idea was first conceptualized in 1982. The State of Andhra Pradesh adopted a Resolution and sent the same to the Union Government for enacting legislation on dam safety some time in 2009-10. I am happy to see that this is finally being taken up by this Parliament and seeing the light of the day.

Clause 5 of the Bill talks about the composition of the National Committee on Dam Safety. I am satisfied with the way the Government wants to constitute the Committee. But I am not happy the Government is appointing only seven Members from 29 States and that too on a rotation basis. Let me give an example of my own State of Andhra Pradesh. The Bill says that the Committee has to be constituted within two months from the date of notifying this Act. Suppose this Bill is passed and notified this month itself and in the first slot Andhra Pradesh is given representation, its term will expire in 2022 because the period of the Committee is for three years. If you calculate, Andhra Pradesh will not get next representation until 2037. So, I strongly feel that this is a way long period for any State to stay outside the Committee. So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to give representation to all

States in the Committee. When we have representation of all the States in other forum like GST Council, what is the harm in providing a similar provision in the National Committee on Dam Safety?

The Polavaram project in the State of Andhra Pradesh was given the status of the national project by the Union Government in pursuance of the Andhra Pradesh Re-origination Act in 2014. The Jal Shakti Ministry has given its approval for which I am very grateful to the Minister. Even the Technical Committee has approved the revised DPR of Rs. 55,000 crore and only the approval of the Finance Ministry is required. But now I am given to understand that the Government has constituted one more committee on this subject.

I would take just a minute to go back to the background of this project. The Polavaram project was first conceptualized in 1941 at a cost of Rs. 6.5 crore. As mentioned by my fellow Member of Parliament from Andhra Pradesh, all clearances were obtained between 2004 and 2009 and the Right and Left canals were completed during Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy's regime. In 2014, the Andhra Pradesh Re-origination Act declared it a national project and the Polavaram Project Authority was set up. By June 2018, during the Telugu Desam Party's Government under the leadership of Shri Chandrababu Naidu, most of the land acquisition was completed and the diaphragm was also completed. In January 2019, we entered the Guinness Book of World Records by pouring 32,100 cubic metres in 24 hours to complete the major portion of the project.

It has been a long and painful journey and even after all of this, I take a strong objection to this process of constituting committee after committee when we have been waiting for so long to complete this project. Much of the money has already been spent and we are waiting to be reimbursed by the Central Government. Even though it is a national project, Shri Chandrababu Naidu spent the State's money to bring it to this stage and we are waiting for that reimbursement.

I urge the hon. Minister to be pragmatic, magnanimous and generous towards Andhra Pradesh and see that the approved funds of Rs. 55,000 crore is released and the Polavaram project is completed in a time-bound manner.

Sir, my next point is this. Many States, particularly Tamil Nadu, Kerala, etc., have expressed their strong reservations on the Bill since it is encroaching upon the rights of States under Clause 24 of the Bill. It may be true. I am not going into the merits and demerits of this issue. All I wish to say is that you are making the Central Water Commission as the Chairman of the National Committee on Dam Safety. It would mean that the CWC would function as the advisor and regulator. This point has been brought up. So, I am looking forward for the hon. Minister to answer this.

Finally, the hon. Minister, on record, has said that there are nearly 5400 large dams in the country. Of this, 293 are more than 100 years old and 1000 dams are 50 to 100 years old.

In A.P., we have the Dowleswaram Barrage, which was constructed in the year 1850 and is nearly 170 years old. The Prakasam Barrage was constructed in 1855 and there are nearly 50 other dams and reservoirs in A.P. that are very old.

So, I would like the hon. Minister to explain the House as to what he is going to do under the proposed Bill for the structural and operational safety of these dams.

With these words, I conclude my speech.

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की गंभीर समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरा लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर शिवालिक और मोहंड की पहाड़ियों से सटा हुआ है, लेकिन यहां कोई छोटा या बड़ा डैम नहीं है । इसके बावजूद यहां बरसाती नदियों की भरमार है । बरसात के पानी के कारण तहसील बेहट, सहारनपुर और देवबन्द में हर साल तबाही मचती है । खेतों की फसल, सड़कें, बिजली के खंबे तबाह हो जाते हैं और जमीन का कटाव भी भारी मात्रा में होता है । लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित होते हैं ।

मैं अपने क्षेत्र की परेशानी बताना चाहता हूं, और मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बरसात के पानी से जमीन के कटाव को रोकने का प्रबंध किया जाए । इन तहसीलों में गांव में टूटे तटबंधों और बांधों की मरम्मत कराई जाए और नया निर्माण कार्य भी किया जाए । यहां भारी बरसात के कारण सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं, जिससे सभी गांवों का संपर्क तहसील व जनपद मुख्यालय से कट जाता है । इसके कारण मजदूरों, स्कूल के बच्चों का जनपद और तहसील मुख्यालय में आना-जाना बंद हो जाता है ।

माननीय सभापति जी, बेहट तहसील के बादशाही बाग के गांव मगनपुरा का पुल वर्ष 2012 में आई बाढ़ में बह गया था । इस पुल को बनाने का ऐलान पिछली सरकार ने किया था । यह पुल बेहट तहसील को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरखंड से जोड़ता है, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है । इसी तरह से बेहट तहसील के हुसैन मलकपुर, शाहपुर और दबकोरा गांव में बाढ़ की वजह से टापू बन जाते हैं । यहां नदी पर पुल बनाया जाए और बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाए जाएं । इस मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बड़े आंदोलन भी किए गए और लोक सभा, विधान सभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है । मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि एक बार फिर से हुसैनपुर, शाहपुर का पुल बनवाने का काम किया जाए ।

माननीय सभापति, उत्तराखंड से आई बाढ़ से सहारनपुर के ढमोला नदी के किनारे बसे देवपुरम, पुष्पांजली, विहार, खान आलमपुरा, वाल्मिकी बस्ती, संतनगर, शांति नगर, जेल चुंगी, नुमाईश कैंप सहित अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ आई थी। इससे कई दर्जन मकान तबाह हुए थे और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। यहां भी तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र की तहसील बेहट, सहारनपुर और देवबन्द के अंदर बाढ़ से प्रभावित सभी गांवों में कार्य योजना बनाकर कार्य कराया जाए। धन्यवाद।

*SHRI P R NATARAJAN (COIMBATORE): Hon. Chairperson, Vanakkam.

I see this Bill as the one which is aimed at taking away the rights of the State Governments. Without giving financial assistance for construction or maintenance of a dam or to file a case restoring the rights on a dam, the Union Government, through an amendment Bill, is trying to bring the safety of all the dams under its control . The dams owned by a State and situated in another State, most particularly, four dams maintained by Tamil Nadu are in Kerala. Without seeking consultation from the State concerned, the Union Government wants to take away all the rights pertaining to the safety of that dam. Even the State Authority will have two members nominated by the Union Government, This is nothing but interfering in the rights of the State Government. The hidden agenda in this move of the Government is to give the rights of drinking water to the Multinational companies. In my Coimbatore constituency and the neighbouring Tiruppur constituency, the supply rights for drinking water has been given to a Multinational company called Suez. This Bill is aimed at helping the Government to fulfil its hidden agenda which is so dangerous to the country. Another important aspect is that no individual or any volunteer can file a case against this amendment Bill. Only the authority can file a case. This itself is violation of power. All the State Governments will be treated as municipalities under this Central Government. This Union Government wants to treat a State as a municipality. Several Acts like Ground

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

Water Management Act, Inland Waterways Act, are aimed at taking away the rights of the State Government so. I therefore urge the Union Government to withdraw this Dam Safety Bill, 2019.

Thank You.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Considering the fact that a lot of dams in our country are over 100 years old, I welcome this very important Bill. Most of our structures are definitely man-made and highly susceptible to various factors like natural calamities amongst others.

I am given to understand that the time given to speak for independent MPs is very short. So, I will try to come as quickly as possible to the points I want to make.

My State of Karnataka has 236 large dams, out of which, 44 dams are around hundred years old or more. I want to bring to the notice of the hon. Minister a disturbing fact. There have been cracks noted in the structure of Krishnaraja Sagar Dam which falls in my constituency of Mandya. Experts feel that this is due to the illegal mining activity and high intensity quarry blasts that happen in the vicinity of the dam. Mining has been banned in the 20 kilometre radius around the dam yet it continues unabated thanks to the local political-criminal-official nexus sadly.

I need not spell out the potential disasters that could arise out of such a situation. I certainly hope that the hon. Minister would look into this aspect. I would urge the Minister to include it in this most important Bill to prevent any potential disasters arising out of this in my region of Mandya.

With these words, I conclude and support the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Thank you for being brief.

<u>19.00 hrs</u>

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Hon. Chairperson Sir, thank you for giving me this opportunity to speak in support of the Dam Safety Bill, 2019. At the very outset, I would like to congratulate the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji for taking special interest in trying to bring forward this Bill which is already at a belated stage. I must also congratulate the hon. Minister of Jal Shakti for effectively piloting this Bill whose conception, for the first time, is almost older than me. The first time the idea of bringing about a Bill of this nature to protect the dams of this country originated in the year 1982. Since then there have been multiple efforts made to bring about a legislation which will ensure constant surveillance, inspection and monitoring with regard to the safety of the numerous dams that are there in this country. Unfortunately, that legislation did not see the light of the day due to a host of reasons. This particular attempt, I am sure, will bear fruit because this particular Bill is brought about under article 246 of the Constitution of India read with Entry 56 and 91 of List 1.

Sir, one of the principal challenges that have been thrown up by the Opposition to the Government is about the legislative competency of the Bill. It is being argued that the Union Government does not have the legislative competence to legislate on matters regarding distribution of water and since water is a State subject under List 2, the Union Government has no legislative competence to legislate so far as this subject is concerned. Briefly, I would like

to allay the fears of the Opposition by taking them through the primary provision by which we derive the legislative competence. The Union Government derives the legislative competence to legislate on all matters under article 246 of the Constitution of India. The two Entries of 56 and 91 very specifically lay out the powers of the Union Government. Let me read out Entry 56 of List 1. It states that regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament, by law, to be expedient in the public interest.

Hon. Chairman, Sir, one of the principal changes that has been brought about in this legislation, in its latest *avatar*, is the declaration of the `expedient in public interest' which clearly empowers the Parliament to legislate under Entry 56. Also, the doctrine of pith and substance is not something that is foreign to the Indian constitutional jurisprudence. I would just want to read one important observation that the hon. Supreme Court made in its Constitution Bench judgement in the Ujagar Prints *versus* Union of India wherein it elucidated on how Entries in the Union List or the Lists under the Constitution must be read.

In para 48, hon. Supreme Court espouses that Entries to the legislative lists are not sources of legislative power but merely topics or fields of legislation and must receive a liberal construction inspired inspired by a broad and generous spirit and not in a narrow pedantic sense. The expression "with respect to" in article 46 brings in the doctrine of Pith and Substance in the

understanding of the exertion of the legislative power and wherever the question of legislative competence is raised, the test is whether the legislation, looked at as a whole, is substantially 'with respect to' the particular topic of legislation.

Therefore, if a cursory reading of the legislation and its provisions are made, one can certainly ascertain that the Pith and Substance of the legislation is primarily to look after maintenance, surveillance and safety of the dams and has nothing absolutely whatsoever in controlling the ownership, controlling of water or any other such ancillary subjects which the Opposition may have any fears over.

There is not a single provision in the Bill which can be construed as something that makes an assault on the federal structure of the Constitution and it is something which has been repeatedly bandied about by the Opposition.

I would like to point out two specific issues as briefly as possible as to why a Bill of this nature is imperative in today's times. In 2017, the CAG conducted an inspection as to how many States had conducted regular inspection of dams in their jurisdictions before and after the monsoon. To the surprise and dismay of this House, we may learn that in 2017 the CAG Report brought to light that only two States, Tamil Nadu and West Bengal, out of the 17 States which were audited, conducted a pre-monsoon and post-monsoon audit on the safety of their dams.

Therefore, the issue of dam safety ensuring that there is perpetual surveillance and continuous monitoring of the quality of dams is something that needs to be given a statutory status.

The other most important thing that this Bill envisions is that as a country, we are moving towards forming a national protocol on standardising the measures that are required to address issues of dam safety. In 2002, the World Bank came out with a Report wherein it made a comparative and contrasting study of various dam safety legislations across 22 different countries in the world. I think, hon. Member, Shri A. Raja made a passing reference to this Report. But one critical input in this Report or a suggestion in the Report is that, in all important countries, whether it is the United States or Russia or Canada, most of the dam safety regulations are made at the federal level.

It must be kept in mind that India is a Union of States unlike the United States which is a Federation of States and therefore, the Union Government in India has far more legislative power to legislate for the whole country than in other countries like the US and Australia. However, by its own admission, in the United States today, there is a federal law which governs this field and dam safety regulation is governed by laws which apply for the whole of the United States and therefore, India must also make efforts to legislate at the national level for all the States.

I want to bring in two very important novel points which the Bill bring about. The Committee on Dam Safety issues a lot of advisories and guidelines to many State Governments but as there are no penal provisions, these guidelines cannot be enforced in a strong manner. There are penal provisions in this Bill, which will enforce the guidelines of the National Dam Safety Authority as well as the State Dam Safety Organisations.

Lastly, Sir, the different Committees, which have been envisioned, like the Committee on Dam Safety, the Dam Safety Authority, the State Committee and the State Dam Safety Organisation, will work in partnership to ensure that only particular objective is taken care of. That objective is regarding the safety of our dams.

There is only one particular request that I would make to the hon. Minister. Though this is a well thought out legislation, in my humble opinion, the legislation does not fix accountability in case there is a failure of a particular dam. It envisions provisions, which will deal with failures of dams. It has penal provisions to deal with. But in case, if any guideline or direction is not implemented, then what would be the penal consequences that follow?

However, this Bill will be a more comprehensive legislation if consequent penal provisions are also incorporated in this Bill to fix the accountability of errant officials or errant owners of the dams.

I congratulate the Government and the hon. Minister for having brought this Bill and I support it wholeheartedly. With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak in support of the Dam Safety Bill, 2019, which is aimed at developing uniform safety procedure for all the dams across the country, particularly the major dams, numbering 5,344. Out of it, 293 dams are more than 100 years old, and 1,041 dams are 50 to 100 years old.

In the locality of the place where I come from, there is Hirakud Dam, which is the longest major earthen dam of the world. This dam was constructed in the year 1948. I want to apprise the entire House that at that time there was no Judiciary, there was no Media, there was no Human Rights Commission. The people were just asked to go away. मुझे लगता है कि लोग भारत और पाकिस्तान पार्टिशन होने के बाद जान बचाने के लिए जैसे भागे, हीराकुड डैम बनाने के समय ऐसा ही हुआ, लाखों लोग, 25,000 families were ousted. The number of families ousted is also a world record. Never ever in the history of world, a huge number of persons were displaced for a particular project.

मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक उनका रिहैब्लिटेशन भी नहीं हुआ है, उनको मुआवजा नहीं मिला है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि उन लोगों के रिलेटिव्स, जो आज भी जिंदा हैं, उनकी पहली पीढ़ी मर चुकी है, दूसरी पीढ़ी भी आधी मर चुकी है, तीसरी पीढ़ी, the persons who have born, are suffering the same wounds inflicted on their forefathers. उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हीराकुड डैम का स्वास्थ्य भी खराब है। उसमें बहुत बड़े-बड़े होल्स हो चुके हैं, and I think, the Hirakud Dam is dying a natural death. So, it needs immediate repairing. Unless it is repaired, this dam may collapse at any time. मेरे क्षेत्र के

लोग बरसात आने पर नहीं सोते हैं। उनको यह लगता है कि कभी न कभी डैम टूट जाएगा। वर्ष 1982 में ऐसा हुआ था। एक अफवाह के कारण हजारों लोग भागने लगे। ऐसा दो बार हो चुका है। अभी भी वहां लोगों को विश्वास नहीं है।

So, I demand that let the relatives of the persons, who have been displaced, be paid adequate compensation.

अभी तक उनको पट्टा नहीं मिला है। एक लखनपुर ब्लॉक है, जहां लोग डिसप्लेसमेंट के बाद रहते थे। जब एमसीएल आ गया तो वे दोबारा डिसप्लेस हुए और जब ओपीजीसी आ गया तो वे तीसरी बार डिसप्लेस हुए। वे तीन बार डिसप्लेस हो चुके हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। हीराकुड डैम की रिपेयरिंग होनी चाहिए। हीराकुड से इंडस्ट्रीज को पानी दिया जाता है और उनसे जो वेस्ट निकलता है, उसे वे नदी में भेज देते हैं।

डाक्टर्स का कहना है कि इस कारण बारगढ़ जिले में कैंसर रोगी बढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हीराकुंड डैम को लेकर जो समस्याएं हैं, उनका हल जल्द से जल्द निकाल कर समाधान करें।

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): सभापति जी, मैं आज इस बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने झारखंड के कुछ डैम्स के इश्यूज आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि झारखंड बहुत सारी परियोजनाओं के मामले में सफरिंग स्टेट है। मसानजोर डैम का काम वर्ष 1951 में शुरू हुआ था और वर्ष 1955 में कमीशन हुआ था। 94 स्क्वेयर किलोमीटर झारखंड की जमीन इसमें ली गई, लेकिन 2,26,000 हैक्टेयर बंगाल की जमीन की सिंचाई हो रही है और हमारे झारखंड की सिर्फ 8,100 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है। उस समय बिहार और बंगाल के बीच क्योंकि, झारखंड उस समय नहीं बना था, वर्ष 1978 में इस स्थिति को देखते हुए एक करार हुआ था कि सिदुस्वरी डैम बनाकर झारखंड को दिया जाएगा, लेकिन वह भी नहीं दिया गया।

<u>19.16 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष महोदय, झारखंड में सिर्फ 12 प्रतिशत इरीगेशन लैंड है और हमारे यहां लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा हमारे यहां के लोगों ने ही आपको जमीन दी है और सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। एक और प्रोजेक्ट मैथन है, जहां दामोदर वैली कारपोरेशन प्रोजेक्ट है और उल्टे बंगाल की सरकार झारखंड सरकार से पैसा मांग रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजली उत्पादन हो कर बंगाल जा रही है, जमीन हमारी गई है, पानी में हमारी जमीन जलमग्न हुई है, लेकिन बंगाल सरकार सारा फायदा ले रही है।

ऐसे ही बिहार में चानन एक प्रोजेक्ट है, जिससे कि झारखंड के गोड्डा जिला को पानी मिलना था, लेकिन वर्ष 1970 में पानी मिलना था, लेकिन 50 वर्ष में पानी नहीं मिला है। वहां 55 प्रतिशत सिल्टेशन हो गया है, उसे कौन निकालेगा, इसकी भी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। झारखंड सबसे ज्यादा डैम्स के प्रोजेक्ट में सफर कर रहा है, क्योंकि सैकेंड इरीगेशन प्रोजेक्ट के तहत झारखंड को 10 डैम्स मिलने वाले थे, जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। मैं यहां एक और डैम

का जिक्र करना चाहूंगा जो कि वर्ष 1989 में बनना शुरू हुआ था - राडू नदी जलाश्य। यह आंग्डा और सिली, दो ब्लाक्स में वर्ष 2015 में बनना था, 850 करोड़ रुपये की यह योजना थी, लेकिन आज वर्ष 2019 में इसकी लागत 1600 करोड़ रुपये हो गई है और अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसी तरह से यदि समय और बढ़ जाएगा, तो योजना की रकम बढ़ती जाएगी और नुकसान सहना पड़ेगा। मैथन, मसानजोर, पंचायत गुमानी प्रोजेक्ट हमारे यहां दो दशक से लम्बित है, वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। इतनी सारी योजनाएं हैं, जिनसे झारखंड के लिए सिंचाई में फायदा देने का काम करना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा झारखंड के साथ न्याय किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, अभी इस बिल पर चर्चा जारी है और एक बिल पर चर्चा शुरू होनी है। आज डिनर की व्यवस्था तय हुई है। एमपीज के लिए रूम संख्या-70 में 8.15 बजे के बाद, मीडिया के लिए रूम संख्या-54 में 8.30 बजे के बाद, स्टाफ के लिए रूम-73 में 8.30 बजे के बाद और सिक्योरिटी एंड पर्सनल्स के लिए रूम संख्या-74 में 8.30 बजे के बाद खाने की व्यवस्था तैयार रहेगी।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

19.19 hrs

DAM SAFETY BILL, 2019 – Contd.

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, मैं दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं इस बिल को लाने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमारे कुछ साथी अभी इस बिल का विरोध कर रहे थे। उनके पास भी भरपूर अवसर था कि वे 15वीं लोक सभा में इस बिल को पास कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वे यह बोल रहे थे कि यह फेड्रल सिस्टम पर अटैक है, लेकिन यदि आप इस बिल को ध्यान से, ढंग से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सबसे अच्छा बिल है। इस बिल के संबंध में सभी दलों के मेरे मित्रों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें इसका बिना विरोध किए इसको पास कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल से अच्छा बिल किसी को नहीं मानता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब डैम की फेल्योर होती है तो उस डैम का पानी यह नहीं देखता कि वह किस दल के आदमी को बहाकर ले जाएगा या किस धर्म के आदमी को बहाकर ले जाएगा। इसलिए, इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इस बिल का हमें बिना विरोध किए इसे पास कर देना चाहिए।

महोदय, हम एग्रो इकोनॉमी हैं। हम कृषि आय को दोगुना करना चाहते हैं, हर खेत को पानी देना चाहते हैं। हम 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' की बात करते हैं, लेकिन बिना डैम्स के हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, आज उस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी कमी है। वहां डैम बनाया जाना बहुत आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की भी समस्या है। ग्राउंड में फ्लोराइड मिलता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में डैम बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की बात करूंगा। वहां नर्मदा पर एक डैम बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं कि वह डैम पिछले आठ-दस सालों से बनकर तैयार है, उसका सिर्फ गेट बंद होना है। हम उस गेट को बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ लीगल इश्यूज़ हैं। आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जब उस डैम का गेट बंद होगा, तब हम हमारे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल इंदौर को पानी दे पाएंगे। ये कुछ इश्यूज़ हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस डैम की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि इस डैम में सेंटर की कुछ ड्यूटीज़ हैं और स्टेट की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। जैसे अभी कई लोग बात कर रहे थे कि उनके यहां छोटे, बड़े डैम्स हैं। The provisions of this Bill are applicable to certain types of dams. जो लार्ज डैम्स हैं, जिनकी हाइट 15 मीटर से अधिक है, ऐसे डैम्स पर इसके प्रोविजन्स लागू होंगे। ऐसे डैम्स, जिनकी हाइट 10 मीटर से 15 मीटर है, उनमें कुछ एडिश्नल डिज़ाइन्स और स्ट्रक्चरल कंडीशन्स की गई है, उन पर भी प्रोविजन्स लागू होंगे, इसलिए यह कहना बहुत गलत है कि राज्यों के अधिकारों पर हम अतिक्रमण कर रहे हैं।

इस बिल में नैशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी का प्रोविजन है, जिसमें राज्यों के सदस्य, डैम्स के एक्सपर्ट्स और सेंटर के लोग भी रहेंगे। इसका मुख्य कार्य यह होगा - formulating policies and regulations regarding dam safety standards and prevention of dam failures, and analysing causes of major dam failures and suggesting changes in dam safety practices. नैशनल लेवल पर जो हमारी नैशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी रहेगी, इस अथॉरिटी का यह मुख्य कार्य यह देखने का रहेगा कि हमारी नैशनल कमेटी की जो रिकमनडेशंस हैं, वे प्रॉपर्ली लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इन रिकमनडेशंस को एग्ज़िक्यूट करने के लिए स्टेल लेवल पर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन बने हुए हैं। स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी भी बनी है, ताकि पूरे तरीके से यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी प्रकार किसी भी डैम का फेल्योर न हो।

हमारे यहां अर्दन डैम्स होते हैं, कांक्रीट डैम्स होते हैं, कम्पोज़िट डैम्स होते हैं, डैम्स विद स्लूस-गेट्स होते हैं, विदआउट गेट्स होते हैं। इन सभी प्रकार के डैम्स के फेल्योर के अलग-अलग

कारण होते हैं। इन सभी कारणों को मिटिगेट करने के लिए इस बिल का आना बहुत आवश्यक था। इसमें यदि कोई राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करता है या इसमें बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी इसमें प्रावधान है। यह पहली बार एक ऐसा अच्छा बिल आया है, जिससे हम अपने डैम्स को सुरक्षित रख सकेंगे।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज पानी की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए हमको लार्ज डैम्स बनाने पड़ेंगे। आज कई राज्यों में पानी की कमी है। अगर हमें इस पीने के पानी की कमी को दूर करना है तो हम उसे डैम्स के माध्यम से ही कम कर सकते हैं। हम ग्राउंड वॉटर पर नहीं जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने विधेयक पर बहुत अच्छी बहस की। हालांकि, उन्होंने बहस तो नहीं की, बल्कि अपने अच्छे सार्थक सुझाव रखे। माननीय सदस्य रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, तब ही उन्होंने यहां इतने सार्थक सुझाव रखे हैं।

माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य का टैक्निकल रूप से उपयोग लीजिएगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अभी आपको नहीं बोलना है।

श्री बालक नाथ, आप एक मिनट पंद्रह सैकेंड में अपनी बात रखिए।

श्री बालक नाथ (अलवर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रधान मंत्री जी का जो दूरगामी सपना है, वह आने वाले भारत की जरूरत है। आज भी हमारे भारत में गर्मियों के सीजन में अनेक स्थानों पर टी.वी. और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें देखने का मिलता है कि लोग एकत्रित होकर दूर से पानी लाते हैं। उसके लिए प्रधान मंत्री जी की जो दूरगामी सोच है कि आने वाले भारत की सबसे बड़ी जरूरत है तो वह पीने का पानी है। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दिन-रात मेहनत करके, इस विधेयक को लोक सभा के पटल पर रखा है, जिससे आने वाले समय भारत के लोगों को समान दृष्टि से पीने का पानी मिले। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इसके अंदर दस मीटर से ज्यादा हाइट के डैम्स भी लिए हैं। हर डैम इसके अंतर्गत हो। केन्द्र सरकार यह भी देखे कि हर डैम जिसके अंदर पानी आता है, उसकी व्यवस्था सही है या नहीं। उसके अंदर सिल्ट जमा होती है। अलवर के आस-पास सिलीसेड डैम है, जयसमंद डैम है, प्रताप बांध है, बालेटा डैम है, विजय मंदिर डैम है। जब से मैं उस क्षेत्र में आता-जाता रहता हूं तब से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि उनके अंदर काफी मात्रा में सिल्ट जमी हुई है। सिल्ट जमा होने के कारण भूजल स्तर के बढ़ोतरी में रुकावट पैदा होती है। समय-समय पर उनकी सिल्ट को भी बाहर निकालने का भी प्रावधान हो, ताकि राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक उचित बजट सिल्ट निकालने के लिए भी उपयोग में आए। इसके साथ-साथ डैम्स के आस-पास की जगह होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि डैम्स के आस-पास की जगह किसानों की है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस डैम में जितना भी जल-भराव का क्षेत्र हो, वहां से उन किसानों को अलग से किसी स्थान पर जमीन देकर, उस डैम की पूरी जमीन पानी भराव के काम आए। इसके साथ-साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जितने भी डैम्स हमारे देश में हैं, ये हमारे पूर्व के बने हुए डैम्स हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत में जिस प्रकार से पानी की जरूरत होगी, उसको देखते हुए भविष्य में हम कहां-कहां डैम्स बना सकते हैं, उसके लिए भी एक आयोग बने, एक कमेटी बने, जो ऐसा सर्वे पूरे भारत में करे कि कहां नया डैम बन सकता है और कहां पानी एकत्रित हो सकता है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया। मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे तीन मिनट का समय दिया है, मैं उसी समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: केवल दो मिनट का समय है।

श्री अर्जुन लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपकी तरफ से है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां राजस्थान में उदयपुर झीलों की नगरी से जाना जाता है। यह लेक ऑफ सिटी उदयपुर है। राजा-महाराजाओं ने झीलों का निर्माण कराया। एक झील का पानी, जैसे ही वह झील भर जाती है तो दूसरी झील में और दूसरी झील भर जाती है तो तीसरी झील में जाता है। पिछोला झील का पानी फतेह सागर झील में और फतेह सागर झील का पानी उदय सागर में जाता है तथा उदय सागर झील का पानी वागल्या में जाता है। इस तरह से पुराने समय में राजा-महाराजाओं ने झीलों का निर्माण कराया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में जयसमंद बांध 1730 में राजाओं ने बनाया था। उसे लगभग 289 साल हो गए हैं। यह इतना पुराना बांध है। इस बांध की क्षमता 14650 Mcft पानी का बांध है और उससे लगभग 16,000 हैक्टेयर की सिंचाई की जाती है और 14,400 हैक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र है। इसका 630 Mcft पानी पीने के लिए उदयपुर शहर को दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, यह बड़ा बांध है, उस बांध में हर साल पानी ओवर फ्लो हो जाता है। उस बांध का पानी जाखम डैम में, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है और प्रतापगढ़ से दरियाबाग तथा ग्रेविटी से जयसमंद में जाए। हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस वसुंधरा राजे सरकार ने उसके लिए सर्वे कराया था और बजट का प्रावधान किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माही का पानी जयसमंद में डाला जाए और जयसमंद का पानी उदयपुर लाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे देवास के लिए मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जो सपना देखा था, लेकिन स्वर्गीय भैरों सिंह जी ने और वसुंधरा राजे जी ने उस सपने को पूरा किया। फेज फर्स्ट और सेकेण्ड का बजट देकर अब थर्ड और फोर्थ का बजट देवास बांध को उदयपुर शहर के लिए 1000 एमसीएफटी पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे उदयपुर शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और मैं यह अवसर नहीं दूंगा कि आप मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए बोलें। दो-तीन मिनट में चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मेरा खुद का पार्लियामेंट्री एरिया, जो होशंगाबाद, नरसिंहपुर है, बगल में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में दो बड़े बांध हैं।

अध्यक्ष महोदय, देश में कितने बांध हैं, कितने निर्माणाधीन हैं, यह माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया और यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। यूएस में सबसे ज्यादा बांध हैं, चाइना दूसरे नंबर पर है, हम तीसरे नंबर पर आते हैं, इतनी डिबेट के बाद यह भी सभी जान गए। मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अपोजीशन की तरफ से जैसे यह कहा गया कि यह राज्यों का विषय है, भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमको जब तक हम इस फेडरल स्ट्रक्चर को बड़े भाई, छोटे भाई की तरह को-ऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे, मुझे लगता है कि इस देश में जो हमारे संविधानविद हैं, जिनकी मंशा थी इस देश को बेहतर गति से चलाने की, शायद वह मंशा पूरी नहीं होगी।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो हमारा डैम सेफ्टी बिल है, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मैं आपके माध्यम से केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी बनाई गई, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें आपने भारत सरकार के 10 प्रतिनिधि रखे हैं, राज्य सरकारों के 7 प्रतिनिधियों का इसमें समायोजन किया है, 3 डैम सेफ्टी विशेषज्ञ इसमें समाहित किए गए हैं। मेरा अनुरोध है कि बांधों के साथ मछली पालकों का जीवन जुड़ा रहता है। हर बांध के साथ मछली पालक जुड़े रहते हैं। इसमें मछली पालकों का एक प्रतिनिधि और चूंकि किसान भी नहरों के माध्यम से बांध के उपयोग में जुड़ता है, अत: किसानों का एक प्रतिनिधि भी इसमें जोड़ा जाए, तो मैं सोचता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कमेटी बांधों का रेगुलेशन, बांधों को टूटने से रोकना, बड़े बांधों के टूट के कारणों का निरीक्षण करना, इन सभी की मॉनीटरिंग करेगी।

माननीय मंत्री जी, इसमें आपने अपराध और सजा का प्रावधान किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपराध संज्ञेय तभी होंगे, जब शिकायत सरकार द्वारा या बिल के अंतर्गत गठित किसी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। मेरा अनुरोध है कि अगर गवर्नमेंट फेल्योर या फेडरेशन फेल्योर होता है तो इसमें अपराध का मापदण्ड तय करने के लिए तीसरी संस्था क्या होगी? इसमें व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई शिकायत आती है तो उसको भी संज्ञान में लिया जाए। इस बिल के अंदर अगर आप यह प्रावधान भी करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अन्य महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहता हूं। हमारे यहां तवा प्रोजेक्ट है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तीन-चार जिलों में उसके पानी से सिंचाई होती है और हिंदुस्तान में होशंगाबाद गेहूं उत्पादन में एक नंबर का जिला बना, उसकी वजह केवल तवा डैम है। उसके अंदर लगातार सिल्ट जम रही है। इसमें जो मॉनीटरिंग कमेटी बनेगी, वह इसके प्रबंधन और सुरक्षा के अलावा इन चीजों को भी देखेगी कि बांध की पानी भंडारण की क्षमता अगर घट रही है तो दोबारा से पानी को कैसे रिस्टोर करें, पानी को रोकने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी इस कमेटी को काम करने के लिए अलग से फोकस करके प्रोग्राम देने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982 में बरगी बांध बना। 20-25 सालों से लगातार वह बनता रहा और वर्ष 2000 के बाद, वर्ष 2006-07 में नरसिंहपुर जिले को उसका पानी मिला। जहां कुछ हजार करोड़ रुपये से बांध बनना था, वहीं उसके बनने के दौरान लागत 50 से 55 गुना बढ़ी। मुझे लगता है कि इन चीजों पर कहीं न कहीं चेक एण्ड बैलेंस होना चाहिए कि बांध बनाने की जो निर्धारित सीमा है, उसे निर्धारित समय में ही पूरा किया जाए ताकि उसकी कॉस्ट न बढ़े।

माननीय अध्यक्ष जी, सतना के हमारे माननीय सांसद जी बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-11 वर्षों से सतना के सांसद जी लगातार बरगी डैम का पानी सतना में उठाते रहे हैं। मुझे यह कहने का मौका मिला है कि बरगी का पानी सतना जाना है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो टनल बन रही है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वह

टनल प्लेन जमीन पर क्यों बनाई जा रही है? वह टनल लगभग वर्ष 2008 से बनना शुरू हुई है और अभी तक केवल साढ़े चार किलोमीटर ही बनी है। 12 किलोमीटर अभी भी बननी शेष है। वह नहर जमीन के ऊपर जा सकती है। उसको चेक कराएं और उसका काम कैसे तेजी से होगा, कैसे हर क्षेत्र में बरगी बांध का पानी तेजी से पहुंचेगा, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। मैं पुन: आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बिल का समर्थन भी करता हूं। धन्यवाद।

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने 40 वर्षों के लंबे सफर के बाद जो बिल पहले आ जाना चाहिए था, वह आज उसको लेकर आए हैं, इसलिए वह बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे यहां उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक अगर हर जगह पानी देने की व्यवस्था नदियों से है, तो वह केवल हिमालय से निकलने वाली नदियों की वजह से है। चाहे वह गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास और जो पाकिस्तान में जाने वाली नदियां हैं। सतलुज नदी पर 80 साल पहले भाखड़ा बांध बना था और जिस बांध का नाम गोविंद सागर है, उसमें बहुत सिल्ट है। पहला, उस सिल्ट को इस बांध में से कैसे निकाला जाए। दूसरा, बारिश के दिनों में रावी, व्यास और सतलुज में बने बांधों में से बहुत ज्यादा पानी नीचे तक आ जाता है, जो बहकर पाकिस्तान में जाता है।

मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि हरिके पत्तन या उससे ऊपर कहीं पर एक बांध बनाया जाए, ताकि राजस्थान को भी राजस्थान कैनाल के माध्यम से पूरा पानी दिया जा सके। उसके साथ ही साथ, क्योंकि एक भांखड़ा बांध प्रबंधक बोर्ड है, वह पानी हिमाचल से आता है और पंजाब से होकर निकलता है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ में पंजाब के ज्यादा अधिकारी हैं। वह जरूरत के हिसाब से अपने लिए पानी का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा को पानी ना जा सके, इसलिए उन नहरों की रिपेयर भी नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सफर करते हैं। उसके हिस्से का अधिकारी हरियाणा या राजस्थान का होना चाहिए। उसी प्रकार से एक किशाऊ बांध है, जिसके बारे में हम बार-बार जिक्र करते हैं। मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि मंत्री जी समय रहते यह जरूर आश्वासन दें कि किशाऊ डैम जिसका पानी छः राज्यों में है और जिसका ज्यादा पानी दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा को मिलना है। यह बहुत जरूरी है, इसका समाधान जल्दी किया

जाना चाहिए । इसके साथ ही साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछली योजनाओं में एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कहा था कि शारदा-यमुना एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका ज्यादातर पानी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के माध्यम से इस देश को सिंचित करेगा। आप उसके बारे में भी जरूर विचार करें।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। यह महत्वपूर्ण बिल बांधों के साथ ही साथ उनके परिचालन के क्षेत्र में आने वाले लोगों की जान और माल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह देश लगभग पिछले 40 सालों से इस महत्वपूर्ण बिल का इंतजार कर रहा था। उस बिल पर इस सदन में 31 साथियों ने गंभीरता के साथ चिंतन किया है, चर्चा की है और अपने विचारों को प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, इसलिए मेरे सभी साथी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा। अधीर जी से लेकर धर्मवीर जी तक कुल 31 साथियों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विवेक, अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर, कुछ ने तकनीकी विषयों को लेते हुए और कुछ ने राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के साथ खड़े होकर इस बात को स्वीकार करते हुए अपने विचारों की विवेचनाएं यहां पर की हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नए भारत बनाने को लेकर संकल्पबद्ध और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली इस सरकार ने देश में सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न विषयों, आम आदमी की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों के लिए नई परिभाषाएं गढ़ने का काम किया है, चाहे वह सड़क सुरक्षा का विषय हो। अभी इसी सप्ताह में हम सभी साथियों ने यहां पर बैठकर सड़क सुरक्षा के विषय पर आदरणीय नितिन गडकरी जी द्वारा प्रस्तुत बिल को पारित किया था। चाहे वह रेल और रेल के पैंसजर्स की सुरक्षा का विषय हो, चाहे स्पेस सिक्योरिटी का विषय हो, चाहे डेटा सिक्योरिटी का विषय हो। इस देश में सुरक्षा का एक नया वातावरण बनाने के लिए, ताकि सुरक्षित वातावरण में एक समृद्ध भारत बन सके, हमने इस दिशा में एक नई यात्रा प्रारंभ की है। पिछले पांच सालों की सरकार ने यह विश्वास निश्चित रूप देश और विश्व में जगाने में सफलता प्राप्त की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की सीमित्ता है। अभी एक और बिल भी सदन में पारित होना है। जिस तरह से सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, यदि मैं एक-एक व्यक्ति के विचार के बारे में, जो क्वेरीज़ उन्होंने रेज की हैं, अगर उनके बारे में बात करूंगा तो शायद बहुत

लंबा समय लगेगा । लेकिन कुछ मूल विषयों के बारे में, जिनके बारे में लगभग सभी लोगों ने जिन विषयों के बारे में चिंता व्यक्त की है, उन विषयों के बारे में मैं अपना प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु से आने वाले मेरे साथी - आदरणीय ए.राजा जी ने जिस विषय को लिया था, बहन महुआ जी ने जिस विषय को लिया था और एक-दो और साथियों ने भी जिस विषय की चर्चा की थी कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस केन्द्र सरकार की और संसद की है या नहीं है । मुझे लगता है कि उसके बारे में, अधीर दा ने, जब हमने बिल इंट्रोडक्शन किया था तो उस समय विरोध किया था, लेकिन बाद में, उन्होंने अभी सहमति व्यक्त की है । लेकिन इसके अतिरिक्त भी, इसके उपरांत भी माननीय विद्वान वकील, माननीय पीपी चौधरी साहब ने और छोटे भाई तेजस्वी सूर्या साहब ने जिस तरह से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बात की है, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । मैं यह मानता हूँ कि सदन इस बात से संतुष्ट है कि संसद को इस बात का अधिकार, संविधान प्रदत्त उपबंधों के अधीन है कि संसद देश के नागरिकों की सुरक्षा के व्यापक हितों को देखते हुए, इस तरह के कानूनों का प्रबंध कर सकती है, चाहे वह रेसिड्युअल पॉवर के रूप में करे, चाहे प्राप्त शक्तियों के आधार पर हो या अन्य उपबंधों के आधार पर हो ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा विषय है, जिस पर सबसे ज्यादा मेरे विपक्ष के साथियों ने चिंता व्यक्त की थी – अधीर दा से ले कर बाकी सब ने, जैसे बहन महुआ जी ने उसके बारे में बहुत आक्षेप लगाए कि राज्यों के साथ में कन्सलटेशन नहीं हुआ, मुझे लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन में कुछ कमी रह गई है । यह बिल सन् 2016 में राज्यों को कन्सलटेशन के लिए सर्क्युलेट किया गया था । राज्यों ने अपने-अपने विषय में इसके बारे में अपने विचार लिख कर भेजे थे । तमिलनाडु से आने वाले साथी रविन्द्र जी ने अभी इसके बारे में उल्लेख भी किया था । जो 37वीं नैशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जो अभी वर्तमान में व्यवस्था है, उसकी मीटिंग हुई थी । उस मीटिंग में लगभग सारे प्रदेशों के उपलब्ध प्रतिनिधियों ने इस बिल के ऊपर व्यापक विचार-विमर्श किया था और लगभग सबने इस बिल के ऊपर, इस बिल की आवश्यकता पर और इस बिल

में बनाए गए उपबंधों पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। तमिलनाडु से आने वाले सांसद साथियों ने इस बारे में चिंता व्यक्त की और यह उल्लेख किया कि तमिलनाडु की सरकार इससे सहमत नहीं है। लेकिन मैं यह आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी के लिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के सदस्यों ने भी, जो उस बैठक में उपस्थित थे, उन्होंने भी इस उपबंध के लिए, जो बांध और ऐसे राज्यों के बांध, जो अन्य राज्यों में स्थित हैं, उनके बारे में जो प्रावधान आपने किए हैं, उनसे हम सैटिसफाइड हैं और सन् 2010 के बिल की अपेक्षा में जो आपने सुधार किए हैं, उनसे हम सहमत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता की है कि हम, हालांकि मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में भी इस बात की चर्चा की थी कि हम बांधों का न कंट्रोल लेना चाहते हैं, न ऑपरेशन और मेन्टेनेंस लेना चाहते हैं, न उसके जल पर कोई अधिकार जताना चाहते हैं, न बिजली पर कोई अधिकार जताना चाहते हैं, न उसकी सिंचाई की व्यवस्था में किसी तरह का हस्तक्षेप करना चाहते हैं और न उसके वॉटर शेयर में किसी तरह का कोई इंटरवीन करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ माननीय सदस्यों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की थी।

अध्यक्ष महोदय, अधीर दा ने जिन कुछ विषयों के बारे में बात की थी, उन्होंने फरक्खा बैराज के मेंटेनेंस के बारे में बात की, तीस्ता बैराज के मेंटेनेंस के बारे में बात की और इसके अतिरिक्त कनफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट के बारे में बात की थी कि सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन को जो अध्यक्ष बनाया गया है, माननीय महताब साहब एवं कुछ अन्य सदस्यों ने भी उसके बारे में चर्चा की है कि सीब्ल्यूसी के चेयरमैन को आपने अध्यक्ष बनाया और सीब्ल्यूसी के सदस्यों के लिए इस बिल में यह प्रावधान किया है कि वे स्टेट कमेटीज़ में भी रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारे बड़े प्रदेशों के प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे प्रदेश भी भारत में हैं, जिनकी यह तकनीकी क्षमता नहीं है कि वे अपने यहां पर इस तरह के उपबंधों के आधार पर, इस तरह के प्रोटोकॉल्स के डिज़ाइन कर सकें, डिसाइड कर सकें। साथ ही साथ सीडब्ल्यूसी का प्रतिनिधित्व रखने के पीछे जो मंशा है, वह केवलमात्र इतनी है कि

उस पर्टिक्युलर बेसिन में काम करने वाले वाला सीडब्ल्यूसी का वरिष्ठ अधिकारी, जो डायरेक्टर लैवल का अधिकारी है, वह अधिकारी, क्योंकि उस बेसिन में काम करने का उसे अनुभव है, उस बेसिन की समझ उसे है, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी सपोर्ट की आवश्यकता स्टेट कमेटी को पड़े तो एक तकनीकी विशेषज्ञ उसमें रहे। इसके अतिरिक्त उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की, न तो केन्द्र सरकार की और न ही इस बिल के माध्यम से कोई भी मंशा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जिन विषयों के बारे में बात की गई, मैं विस्तार से उन विषयों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एन.के. प्रेमचन्द्रन साहब ने एक सिंगल मैन अथॉरिटी के बारे में कहा और एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी उस अथॉरिटी को गवर्न करेगा, उस अथॉरिटी को हैड करेगा । जो नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी बनेगी, वह बेसिकली टेक्नीकल बॉडी है और जैसा मैंने प्रारम्भ में भी कहा था कि वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी। किस तरह की आवश्यकताएँ हैं, विश्व भर में किस तरह से डैम सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे उस पर्टिक्युलर डैम की हाइड्रोलॉजी, उस जगह की सिस्मोलॉजी, उस जगह की आवश्यकता को देखना होता है। अभी बहुत सारे बांधों की सेहत के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा की। उन सारे विषयों को देखते हुए, उस पर्टिक्युलर डैम के लिए या पूरे देश भर में राष्ट्र व्यापी प्रोटोकॉल किस तरह से बनाया जाना है, इसके बारे में वह अपने सुझाव देगी और वह जो पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी को गवर्न करने के लिए, उस पॉलिसी का इम्प्लिमेंटेशन हो सके, हम किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं जताना चाहते।

माननीय भर्तृहरि महताब साहब कह रहे थे कि अगर टॉप डाउन अप्रोच से आप काम कर रहे हैं, यह टॉप डाउन अप्रोच से काम करने की मंशा माननीय मोदी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में काम करने वाली सरकार की नहीं है। पिछली सरकार जब मोदी-1 बनी थी तो माननीय मोदी जी ने बाहें पसार कर सब का स्वागत करते हुए कहा था कि एक कॉपरेटिव फेडरलिज़्म के सिद्धांत पर काम करने वाली सरकार है। हम सब को साथ लेकर, सब का विश्वास लेकर, सारे देश की एक साथ प्रगति और उन्नति करने के लिए काम करेंगे। इस तरह की आशंका कि हम इस बिल

के माध्यम से राज्यों पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह आशंका निर्मूल है, यह आशंका व्यर्थ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेमचन्द्रन साहब ने इमरजेंसी एक्शन प्लान के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि डैम ब्रेक एनालिसिस...(व्यवधान) वह अधिकांशत: हमेशा हर चीज में इंटरवीन करते हैं और उन्होंने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। कुछ लोगों ने और भी उस विषय की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अगर बांध टूटता है तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे, उसके बारे में आपने इसमें कोई प्रोविजन नहीं किए हैं। जो तकनीकी समिति है, वह तकनीकी समिति इन सब विषयों की चिन्ता करेगी। इसके साथ-साथ बाढ़ से होने वाले इफेक्ट्स, डैम ब्रीच के कारण से, बाढ़ आने के कारण से या अन्य किसी कारण से उस डैम में ओवर स्पिल होने के कारण से जो बाढ़ आती है या एक साथ मानसून के समय में एक्सेसिव वाटर छोड़ने के कारण से जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसमें इफेक्ट होने वाले क्षेत्र, बाढ़ की तीव्रता, बाढ़ से होने वाले नुकसान, बाढ़ का अध्ययन करने के बाद में ही इमरजेंसी एक्शन प्लान बनते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज इमरजेंसी एक्शन प्लान अनेक बांधों के नहीं हैं। जब हमने ड्रिप की योजना को लिया था और ड्रिप की योजना पर जब हमने काम करना प्रारम्भ किया था, डैम रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने लिया, अब तक हमने 180 से ज्यादा बांधों के, जो बड़े बांध हैं, ऐसे 180 से ज्यादा बांधों के लिए इस तरह का इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने का काम किया है। जब उन बांधों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, ऐसे अनेक बांधों की चर्चा अभी हमारे विद्वान साथियों ने की और उन्होंने कहा कि हमारे बांध लीक हो रहे हैं, वहाँ से पानी निकल रहा है। ओडिशा से आने वाले प्रतिनिधि ने हीराकुंड डैम की चर्चा की। अनेक ऐसे बांध थे, जिन बांधों की सेहत वास्तव में चिंताजनक थी और वह चिन्ता ही निश्चित रूप से इस कानून को बनाने, इस कानून को लाने के पीछे अनुप्रेरक के रूप में काम कर रही थी। उन बांधों की भी चिन्ता करते हुए हीराकुंड डैम के लिए 600 करोड़ रुपये की योजना बना कर, उसकी सेहत को ठीक करने का काम किया है। उसके गे्टस को रिपेयर करने का काम किया है। फरक्का बैराज की चर्चा अभी की गई, फरक्का बैराज के सारे गेट्स को बदलने का

काम चल रहा है। लगभग 80 प्रतिशत उसके गेट्स बदल दिए गए हैं और बहुत जल्दी उसके बाकी गेट्स बदल दिए जाएँगे। पश्चिम बंगाल के कुछ बांधों की चर्चा पश्चिम बंगाल से आने वाले कुछ मित्रों ने की। मैं दु:ख के साथ, अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो ड्रिप योजना हमने लागू की थी, उसमें इंट्रेस्ट शो नहीं किया, उसमें भागीदार नहीं बने और अभी भी ड्रिप योजना के तीसरे फेज के लिए हमने उनको पत्र लिखा है कि वह इसमें साथ में आए, साथ जुड़े ताकि हम उनके बांधों की भी सुरक्षा का काम इस योजना के माध्यम से कर सकें।

बहन महुआ जी ने यह कहा कि अब्स्ट्रक्शन अगर कोई कहेगा तो उस पर आपने पेनॉल्टी का क्लॉज रखा है। सब विद्वान साथियों ने इसकी चर्चा की है कि अनेक बांध ऐसे हैं, जो बांध दूसरे राज्यों में स्थित हैं। ओनर कोई और है और बांध किसी दूसरे राज्य में स्थित है। कल अगर ऐसी समस्या हो कि वह राज्य उसमें जाने से इंकार कर दे, तो उसमें किसी तरह से कानून का उपबंध होने की आवश्यकता थी। वैस्ट बंगाल के बांध तो पूरे झारखण्ड में हैं, आदरणीय निशिकांत जी बार-बार उसकी चर्चा करते हैं। उनको सुविधा देने के लिए इस तरह के कानून का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त जो-जो कहा गया है, लगभग-लगभग जो मोटे विषय थे, उनके बारे में मैंने जवाब दिया है। बांधों की सुरक्षा हम सबका उद्देश्य है, बांधों की सुरक्षा ठीक तरह से हो और देश खुशहाल बने, इन सारे विषयों को लेकर इस कानून में उपबंध किया गया है। आप सभी मित्रों ने अपने विचारों के द्वारा, अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन किया है, सहयोग किया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आप एक-एक स्पष्टीकरण पूछ लें।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी से क्लेरिफिकेशन पूछने का अवसर दिया है।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कराई। आज जो आवश्यकता है, खासकर हम जिस

झारखण्ड प्रदेश से आते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगी, मैं झारखण्ड के बारे में बताती हूँ कि झारखण्ड प्रदेश को बंगाल के साथ हमेशा परेशानी हो रही है। कई डैम्स, जिनकी चर्चा माननीय निशिकांत जी ने की, आज डैम झारखण्ड में है, लेकिन हमें उससे बहुत फायदा नहीं मिल पाता है, चाहे वह सिंचाई की बात हो या पेयजल की बात हो। मसानजोर डैम दुमका में है, उसके बारे में दुमका के लोग लगातार आन्दोलन करते हैं, उस पर चर्चा होती है कि हमें वहाँ से कम से कम सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। पहले एक करार हुआ था, आज हमें उससे कोई फायदा नहीं मिल पाता है। उसी तरह से मैथन डैम है, उसी तरह तिलैया डैम है, हरेक डैम को हम देखें तो इनका कैचमेंट एरिया झारखण्ड है, लेकिन इनका ज्यादा फायदा बंगाल को मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूँगी, चूँकि झारखण्ड सूखा की चपेट में है, आप देख रहे होंगे कि इस बार भी झारखण्ड में ज्यादा बारिश नहीं हुई है और पूरा झारखण्ड सूखे की चपेट में है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि चाहे डैम के प्रबंधन की बात हो, डैम सुरक्षित हो, उसके साथ-साथ उस डैम का सिंचाई के क्षेत्र में झारखण्ड के लोगों को फायदा होना चाहिए। झारखण्ड के लोग पूरी तरह से सिंचाई पर ही निर्भर हैं। ऐसे बड़े-बड़े डैम्स के माध्यम से हमें सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को फायदा हो सके। वहाँ के लोगों को डैम से पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि झारखण्ड एक पठारीय प्रदेश है। वहाँ जो भी बारिश होती है, बारिश का सारा पानी बह जाता है। मैं आग्रह करूँगी कि माननीय मंत्री जी उस पर भी ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मंत्री जी, हम सारे जवाब आपसे अभी नहीं चाहते हैं। मैंने आपसे तीस्ता और डीवीसी के बारे में भी पूछा था। तीस्ता आज तक सम्पूर्ण नहीं हो सकी है, पता नहीं इसमें फंडिंग की कमी है या नहीं है। डीवीसी के बारे में भी आप बाद में बता दीजिएगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है।

मैं फरक्का बैराज के बारे में बोलना चाहता हूँ। वहाँ इंडो-बांग्लादेश वाटर शेयरिंग करार है और इसके चलते भागीरथी नदी में, मतलब जैसे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट बांध से जुड़ा हुआ है,

नेशनल वाटरवेज बांध से जुड़ा हुआ है। बांध के साथ-साथ पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। गंगा नदी में लीन सीजन में पानी की सप्लाई कम हो जाती है, तो जो जहाँ जाता है, वह सब स्टैन्डिंग हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या उपाय है? यह नम्बर एक प्रश्न है।

दूसरा, मैं आपसे पर्यावरण की बात कह रहा हूँ कि लार्ज डैम भी बनने चाहिए। मैंने आपसे यह भी पूछा था कि अभी कितने सारे लार्ज डैम आपको बनाने चाहिए और इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या हिसाब है, वह आप कैसे कर पाओगे? हम यह जानकारी भी आपसे लेना चाहते हैं। अभी देने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आपके पास जाएंगे, आप इसमें काफी दिलचस्पी लेते हैं, यह मुझे अच्छा लगता है। पर्यावरण के बारे में केरल की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट में माधव गाडगिल ने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वह लार्ज डैम के खिलाफ है, क्योंकि उससे वहाँ के पर्यावरण को काफी हानि होने की संभावना है। इसके साथ-साथ कस्तूरीरंगन कमेटी भी बनाई गई थी। क्या इनके साथ आपका कोई सम्पर्क नहीं रहता है? वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका क्या को-ऑर्डिनेशन है? हम चाहते हैं कि बाँध की कैटेगरी हो, उसका क्लासिफिकेशन हो कि किस तरह का बाँध है, मतलब वह मेजर है, मीडियम है या लार्ज है? इसका जरा ब्यौरा दीजिए।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. India has four per cent of water for an 18 per cent population of the world. So, we are all aware that it is a big challenge.

A lot of projects not just in my State, but country-wide have forest issues, and sometimes they get delayed due to repairs or canal issues get pending or maintenance becomes a challenge because we do not have clarifications or permissions from the Forest Department. Can you commit to us that you would help and intervene in our States in a timebound manner? Otherwise, it takes years to do it, and the pricing of the whole thing collapses. In my own State,

Godavari and Krishna basins in Marathawada and Vidarbha, are actually suffering because of this issue.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, मिनिस्टर साहब अभी तीन इश्यूज को क्लैरिफाई नहीं कर पाए?

डैम सेफ्टी चेक करने के लिए जिस समय डैम बना, उस समय का डिजाइन एण्ड ड्राइंग्स, और डाटाबेस चाहिए। डाटाबेस कितना है क्योंकि उस समय और अभी के कंस्ट्रक्शन में काफी कोड्स चेंज हो गए हैं। डैम्स के इश्यूज काफी चेंज हो गए हैं। उनका डाटाबेस कितना है? अगर डाटाबेस नहीं है तो आप उसे कैसे चेक कर पाएंगे?

सर, मेरा दूसरा क्लैरिफिकेशन है कि हमारे बॉर्डर कंट्रीज में डैम्स बने हुए हैं। अगर वहां कोई उसे अफेक्ट करे तो उसका इफेक्ट हमारे देश पर आएगा। उसे कैसे सॉल्व करेंगे?

सर, मेरा एक और इम्पॉर्टेन्ट इश्यू है। हाउस में एनवायरनमेंटल क्लियरेंस की बहुत बात की गयी है। एक्चुअली, इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरनमेंटल क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। हम क्यों यह बात बता रहे हैं क्योंकि इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स का मतलब ही यह होता है कि अगर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं तो वहां ग्रीनरी बढ़ती है। ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, फार्मर्स को डेवलप करने के लिए इस एनवायरनमेंटल क्लियरेंस के बारे में भी हाउस में बहुत से माननीय सदस्यों ने बात की है। इसे भी थोड़ा क्लैरिफाई करें, नहीं तो इस इश्यू को बाद में भी थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, Mr. Speaker, Sir. Thank you, Mr. Minister, for your detailed reply. Actually, I have got two specific clarifications.

Firstly, you have mentioned that since 2016 you have actually been consulting with the States on this particular Bill. Hence, this has been possible

as a result of your detailed consultation. My specific clarification on this issue is this. Did all the States, in writing, agree to the composition of the National Committee in which there will be 10 Members of the Centre chosen by the Centre; 7 Members from the State, but chosen by the Centre; and 3 Experts also chosen by the Centre? Was this composition agreed to by any of the States in writing? Similarly, I would like to know with regard to the State Committees also. Did the States agree to the fact that the Centre would be telling them on how many Members or of what tenure and who they should be?

Secondly, under this new National Dam Safety Authority, you have, for example, WAPCOS, which is a safety organisation, Government of India Undertaking. The West Bengal Government has right now hired it to do the safety audit, which we have done pre-monsoon and post-monsoon. What is going to happen -- under the new regime -- to organisations such as this, which are under the Government of India and are currently doing safety audits? Thank you.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सभी माननीय सदस्यों ने लीगल और टेक्निकल बातें कीं। माननीय मंत्री जी ने उनके रिप्लाई में भी कहा कि नेशनल डैम सिक्योरिटी कमेटी के माध्यम से लीगल और टेक्निकल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2009 की एक न्यूज आई है। सेन्ट्रल सिक्योरिटी एजेंसी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब एण्ड हिमाचल प्रदेश को एक मैसेज दिया था कि भाखड़ा नांगल डैम पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इस एक्शन प्लान में हम लीगल और टेक्निकल चीजों पर विचार करेंगे, लेकिन भविष्य में हमारे देश को टेररिस्ट अटैक से जो खतरा है, क्या इस एक्शन प्लान में उस पर विचार किया जाएगा क्योंकि

मुम्बई पर जब अटैक हुआ था तो मुम्बई के मोडक सागर और मिडिल वैतरणा डैम पर भी टेररिस्ट अटैक का थ्रेट था। क्या इसके बारे में मंत्रालय विचार करेगा?

20.00 hrs

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह बिल हमारे लिए ही आया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा एम.पी. हूं, जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए पी.आई.एल. में हाईकोर्ट में हैं। आप समझिए कि 100 स्क्वायर किलोमीटर, एक-दो किलोमीटर की बात नहीं है, बल्कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे यहां मसानजोर डैम है, जो मयूराक्षी नदी पर है और यह मेरे लोक सभा क्षेत्र से निकली है। इससे बंगाल के ढाई लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। मेरे क्षेत्र में केवल आठ हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। उसमें भी अभी तक बंगाल सरकार ने कैनाल नहीं बनाई है। उससे जो बिजली का उत्पादन होता है, वह पूरा का पूरा बिजली बंगाल लेता है। बंगाल वहां से 30 किलोमीटर दूर से शुरू होता है।

सर, मैंने इसलिए पी.आई.एल. किया है, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। उसका एक वाल टूट रहा था, इसलिए हम उसको रिपेयर करने के लिए गए, लेकिन बंगाल की पुलिस वहां आकर हमारे सारे अधिकारियों को उठा कर ले गई। हमारे दुमका की जो मंत्री थी, अन्नपूर्णा जी वहां की बेटी हैं। हम सभी को एक वाल का रिपेयर करने के लिए एजिटेशन करना पड़ा। मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, चाहे सिलटेशन का सवाल हो, यदि कहीं पर सबसे ज्यादा सिलटेशन हुआ है, तो हमारे चानन नदी में हुआ है। चानन नदी भी हमारे यहां से निकलती है। इसमें 55 परसेंट सिलटेशन है। यदि किसी बांध में सबसे ज्यादा सिलटेशन हुआ, तो हमारे यहां हुआ है। हम मसानजोर की चर्चा बार-बार कर रहे हैं। आज मैं दोनों ही केसेस में पी.आई.एल. में रांची हाई कोर्ट में हूं। क्या भारत सरकार मेरे साथ या झारखंड के लोगों के साथ चानन तथा मसानजोर में न्याय करेगी, यदि न्याय करेगी तो कब तक करेगी?

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): My clarification is with regard to rehabilitation and resettlement concerning Polavaram project. When can we expect release of funds for resettlement and rehabilitation of tribals and villagers? It has nothing to do with the construction of Polavaram project.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Clause 49 of this Bill provides that the Central Government is competent to amend any provision of the Schedules I, II and III. Now, my clarification from the hon. Minister is this. This provision is part of this Bill. Parliament is competent to legislate with respect to this Schedule. Is it constitutionally permissible to delegate Parliament's legislative power to the Central Government that these Schedules can be amended by way of notification issued in the Official Gazette only? It is because the legislative power of Parliament cannot be delegated to the Central Government.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग, डूअर्स और तराई के जो इलाके हैं, वे सेस्मिक जोन के हिसाब से चौथे नंबर पर आते हैं। कांग्रेस के जमाने में यह पारित हुआ था कि तीस्ता नदी पर 27 डैम्स बनाए जाएंगे। इनमें से चार डैम्स बन भी चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि प्लैन की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में जो डैम बनता है, वह अलग टाइम का होता है। अगर वहां पहला वाला डैम टूट जाता है, तो सारे के सारे डैम्स टूट जाते हैं और यह आदमियों के लिए काफी रिस्की हो जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तीस्ता नदी को लेकर क्या विचार है? अभी तक वहां जितने भी डैम्स बने हैं, वहां के लोगों को पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है। क्या उसके लिए कुछ किया जा रहा है? धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी से उनके चैम्बर में मिल लीजिए, वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सम्मानीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे लिबर्टी दी है कि मैं बाद में सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके क्लैरिफिकेशन के बारे में लिखित रूप से बता सकूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने विचार व्यक्त करते हुए भी कुछ सदस्यों ने कहा था और वापस क्लेरिफिकेशन में भी वही चीज पूछी है। तेलंगाना से आने वाले मित्र ने पोलावरम डैम के बारे में चर्चा की, आंध्र से आने वाले मित्र ने पोलावरम डैम के बारे में चर्चा की। पोलावरम डैम नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ है। पोलावरम डैम में भारत सरकार ने, जो खर्च किया है उसके रीअम्बर्समेंट की बात जयदेव गल्ला साहब ने भी की। रीअम्बर्समेंट के लिए फाइनेंस ने कुछ आपत्तियां लगाईं और उनको कहा था कि जो खर्च, जिस राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल की वह बात करते हैं, उसके लिए जो पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे, उस पांच हजार करोड़ रुपये का एक बार ऑडिटेड एकाउंट प्रस्तुत करें। तीन हजार करोड़ रुपये के लगभग का एक ऑडिटेड एकाउंट अभी प्रस्तुत हुआ है, बाकी अभी शेष है। वे प्रस्तुत करेंगे, तब इसके ऊपर आगे रीअंबर्समेंट पर विचार होगा।

दूसरा विषय, माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि यह कब तक पूरा होगा? मैं माननीय सदन के संज्ञान के लिए और माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि पोलावरम प्रोजेक्ट के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुख होता है कि राज्य सरकार ने कल एक बार फिर टेंडर को, जो कनसैशनर था, उसका टेंडर कैंसल कर दिया। मुझे लगता है कि यह एक नया अवरोध होगा और आने वाले समय में इसमें कितना समय लगेगा, इस समय के बारे में मुझे …(व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT: I was talking about rehabilitation and resettlement.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: इसके कारण कॉस्ट एस्किलेशन भी निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। मेरी बहन महुआ जी ने स्टेट कंसल्टेशन के बारे में बात की। हमने सभी स्टेट्स को कंसल्टेशन के लिए भेजा था। जिन स्टेट्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन्स दीं, अपनी तरफ से प्रतिक्रियायें व्यक्त कीं, हमने

उनको एड्रेस करने का प्रयास किया है। मैं दु:ख के साथ कहता हूं कि वेस्ट बंगाल प्रदेश ने उसमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के बारे में बात की। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी टेक्निकल बॉडी है, जैसा मैंने कहा कि वह रेग्युलेटरी अथॉरिटी नहीं है। जयदेव गल्ला जी ने भी अपनी बात करते हुए इस बात के लिए चिंता व्यक्त की थी कि सात सदस्य आप राज्यों से लेंगे, उसका नंबर इतनी देरी से आएगा। पहली बात मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि जैसा कहा गया कि राज्यों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं होगा, राज्यों के प्रतिनिधि राज्य ही तय करेंगे, लेकिन राज्यों के प्रतिनिधियों की जो चिंता की है, निश्चित रूप से नियम बनाते समय हम इस बात का उपबंध करेंगे कि बड़े राज्य, जिनमें ज्यादा संख्या में बांध हैं, उनके लिए एक अलग से कैटेगरी बन जाए, ताकि उनको इतने वर्षों तक इंतजार न करना पड़े। बाकी माननीय सदस्यों ने जो क्लेरिफिकेशन्स मांगे हैं, वह सबके पास मैं लिखित में भेजने का प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि बांध संबंधी विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। चूंकि जिन सदस्यों ने इस विधेयक पर संशोधनों की सूचना दी है, वे सदन में अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं सभी खण्डों को एक साथ सभा के निर्णय के लिए रखूंगा।

खण्ड 2 **से** 56

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है**:**

"कि खण्ड 2 से 56 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 56 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है**:**

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20.10 hrs

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2019 (*AS PASSED BY RAJYA SABHA*)

माननीय अध्यक्ष: अब मद संख्या 5 - भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 ली जाती है।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to move:

> "That the Bill to amend the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, given the lateness of the hour and the fact that this is a Friday evening, I will submit, through you, to the hon. Members, only the essential points of the amendments that we are seeking to bring this evening.

Sir, I would like to recall that the need for a regulator in the aviation sector was first felt when the airports sector was opened up to the private players in the year 2006. And this legislation came into being in 2008. I would like to submit, through you, to the hon. Members, Sir, that contrary to the broad impression that is sought to being created that

there is some very big privatisation programme going on today, the reality of the matter is that the privatisation of airports which was undertaken in 2006 through the privatisation of Delhi and Mumbai airports today constitutes 34 per cent of all traffic, whereas the six airports that we have under consideration for privatisation account for only six per cent. एक तरफ 34 परसेंट, जिसकी प्राइवेटाइजेशन वर्ष 2006 और 2008 में हुई, जब इस लेजिसलेशन को लाया गया था। अब जो चर्चा चल रही है, अगर हम छ: हवाई अड्डों की प्राइवेटाइजेशन करते हैं, तो कुल मिलाकर छ: प्रतिशत बनता है।

Sir, this piece of legislation was introduced in 2008 and it has served its purpose because it seeks to determine the tariffs for aeronautical services, it protects the reasonable interests of the users and consumers and provides for the operation of efficient and viable airports.

Sir, the main issue that we have to confront is that when the legislation was introduced in 2008, a major airport was defined as one which had a passenger throughput of 1.5 million passengers per year. Today if we reflect back to 2008, the 1.5 million passengers per annum throughput constituted 1.3 per cent of the 117 million passengers at Indian airports in 2008.

मैं आपके सामने और आपके माध्यम से हाउस के सामने वर्ष 2008 से चलकर अब 2019 में पैसेंजर ट्रैफिक की स्थिति रखना चाहता हूं। इस समय सिविल एविएशन सैक्टर की पेनिट्रेशन सिर्फ सात प्रतिशत है और यह ग्रोथ 17 प्रतिशत हो रही है। इस समय ओवरऑल पैसेंजर्स की संख्या 117 मिलियन से 345 मिलियन तक हो गई है। So, the first amendment that we

are bringing is to substitute in the definition of a major airport the figure 1.5 million by 3.5 million.

Sir, the second amendment is to ensure that those airports which have been privatised or those which we plan to privatise, we will insert a new subsection 1A in section 13 of the Act which will be an enabling provision that in case the bidding document for the bid for that airport itself provides for the amount of development fees, tariff or tariff structure which would be determined by the authority. In this model the market itself will determine the charges.

Sir, I would like to clarify one or two points which have risen in the public discourse on this subject even after this process is gone through, and the amendment is necessary because the civil aviation traffic has increased. We have gone from 117 million passengers in 2008 to 345 million passengers. But even after this, 16 major airports will remain within the ambit of AERA. We have a situation that out of the total number of airports that are there, 16 airports will be under AERA and the remaining airports will be excluded. So, in other words, those airports, which will be excluded will not go to private players but those airports will be regulated by the Ministry of Civil Aviation.

Sir, it is always a great privilege, when you preside over the House, for Ministers who are relatively newcomers, like me, to present the Bill. I know that some of us succumb to the temptation of speaking longer but I will resist that temptation this evening. Therefore, given the lateness of the hour, I will confine myself to those limited introductory comments. I have a circle of friends around me who have been threatening me with all kinds of consequences. I will not go

with that. But I would just submit, Sir, I stand ready to provide any clarifications that the individual Members might have. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप चिंता मत कीजिए। मैं चेक कर लूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ**:**

"कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, I would like to thank the hon. Minister for the explanation given on this Bill. This Bill seeks an amendment to the principal Act of 2008. The amendment has been sought with an objective to address the exponential growth in the civil aviation sector with the number of passengers and airports both registered. Well, it is most welcome. When the need is more, the facilities should be increased to address the need. Now-a-days, we all take aircraft for travel through the airports. The facilities in the airports got to be improved.

20.18 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

With the kind of passenger traffic increasing, it is really demanding on the Government to increase the facilities, I agree to that. The amendment also sought to accommodate the interests of the private partners in the infrastructure project development by incentivising them through a market-oriented tariff determination model.

The hon. Minister has said that the airports handling 3.5 million passengers per annum will be classified as major airports. He also said that it is not for the private parties. That means, the Civil Aviation Department has to take care of it. I feel that adequate attention may not be paid to those smaller airports, despite the passengers paying for the air ticket and travelling through those airports. I request the hon. Minister that this concern should be addressed. The change of definition of major airports widens the number of annual passengers from 1.5 million to 3.5 million.

The minor airports are left outside the purview of the principal Act. Nowhere has the Minister addressed or the Bill has mentioned what to do with the minor airports. It is good that the Minister has explained that they will not be given to private people. To that extent, I am happy. But what is the Government going to do with minor airports and what are the arrangements the Government is going to make if it is going to concentrateg more on the major airports and going for PPP mode etc? I request the Minister to address this part elaborately.

My next point is on the limits of the regulatory authority in determining the tariff structure or development in respect of an airport. Has this been incorporated in the bidding document which is the criteria to award the operatorship of the service? Again, I feel that there is a big change taking place that the authority is coming out of tariff fixing and it is just playing a supervisory role and it is left to the private party to fix the tariff. It would be nice if the hon. Minister elaborates as to how the Government and the Civil Aviation Ministry are going to control the tariff system. As a passenger, I am bothered

about what amount I pay when I travel from Delhi to Chennai. I am not bothered about who is controlling it or who is increasing it or decreasing it. But it is the concern of the Ministry or the Government to see that the tariff is kept under control. Just playing a mediatory or supervisory role is not adequate; it is giving loose reins to the private party. What is the corollary of it? Allowing the private party to fix the tariff means pushing the authority in a consultative role. Here again, in my opinion, the private parties may not maintain good quality, although you may have several checking agencies to control that. As a passenger, I fear that because of the competitive bidding, you are going to select the parties on L-1 basis. If that is the process on which you are going to select them, I am afraid the quality of the service will go down because L-1 will provide lesser quality than the L-2. I request the hon. Minister to address this issue also.

Further, this will lead to fuelling monopolistic aspirations of the private partners. It is happening now. Even the other day, the hon. Minister was answering a question regarding privatisation of the airport and he mentioned that about five or six parties were concerned. When the Members of this House asked who is the party he is interested in or how he is going to select the party, he mentioned the name, but I do not want to mention the name here. That indicates very clearly that the Government is moving towards a monopolistic approach. A single party will dominate several airports and that party will decide what it wants to give to passengers. Definitely, that party will not be in a position to give what an ordinary passenger wants at the airport. I request the hon. Minister to keep it in mind while replying on this issue.

The passengers and aircraft companies are limited by the choice to use the services offered by the airport. This can allow airports to charge heavily for the services on both the aircrafts and the passengers. Kindly note that the airlines are not going to take any increase in the cost of services. Ultimately, the passenger who puts his foot in the aircraft, has to pay it. I am sure the hon. Minister will take care of the passengers in this case.

The private investors, in their attempt to win the bids, will bring down their costs by compromising on quality, as I have already mentioned. There is an attempt to reduce the role of regularisation and the ambit of regularisation. The Bill says that the Authority shall not determine it, provided it is consulted for tariff “within the bidding document”. This is my concern.

The operatorship will be determined through bidding process which would increase the competitiveness of the service providers, whereas the role of the Authority is also to monitor the set standards of performance to enhance quality, continuity and reliability. This Bill is silent on the monitoring mechanism. Rather, it seeks to promote competitiveness in exchange for profit maximisation. This is just for the private parties’ profit maximisation. Ultimately, the private partners would be benefitted by this who are going to operate the entire system. Your role is clearly designed that you will be only an observing party and onlooking party and you have no role to control them. This aspect should be taken care of.

Sir, I am the only speaker from my Party. The intent of the Government does not align with bettering the services as it has made no suggestions to improve the performance. The definition of ‘major airports’ would be changed

based on the passengers' throughput. However, in the Statement of Objects and Reasons of the Bill, the reason for quoting 3.5 million has not been backed by any data pertaining to the increase in the consumer update. The arbitrariness of the new definition needs factual backing.

This is my request. I would like to point out one error which is there in the Bill. In the Statement of Objects and Reasons, an increase from 12 to 27 airports has been quoted, whereas in 2008, there were 16 airports that were recognised under AERA, 2008.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I appreciate the kindness. Friendship helps in Parliament.

Sir, the hon. Minister in his opening speech talked about privatisation. I do not think that any of us are against privatisation. I am glad that a policy which was started by UPA in 2017, is what you are continuing with. The governance is about continuity. So, I congratulate for continuing the good work started by the UPA. Meghwal Ji …(*Interruptions*) You were not in that Committee. Those were the glorious days of UPA.

But, I remember, this was started on a serious note. When the Standing Committee recommended it, Shri Yashwant Bhave Ji was the first person to take this job. That is how the process was started in India for the first time.

There are just two quick and very small questions that I would like to ask the hon. Minister. You yourself are saying that it is one of the fastest growing parts of our sector in our economy, which is wonderful. It is a service industry. The more people benefit from it, the better it is for the nation. More jobs are created and travelling becomes easier for everybody and affordable on top of that.

My question to you is this. When it is growing at such an extent, why are you removing it? If not now, five years from now, again you will have to bring this Bill and bring those airports. So, what is really the logic behind the same? Instead of that, why do you not expand the regulator, rather than making two separate regulators? Now, there will be two regulators doing the same job. My only worry of a regulator is that the AAI will be the operator as well as the regulator. The whole past experience of this country is not about you and I. It is

about the service industry that I am talking about. I remember when I had very young children, the airports were a nightmare and the delays were miserable. I think sometimes you do not have to go abroad, you can just go and spend the whole evening at the airport and it feels that you could be anywhere in the world.

So, the regulator and the operator being the same thing, the past experience of our country is that the service always goes down because there are no checks and balances.

So, by removing these airports, what are we going to achieve? The regulator is meant to be an independent body, but now the Government will become one. Is the Government taking away powers, if you could kindly clarify it? That is why we have got the regulators. It was the Standing Committee's unanimous suggestion.

So, when we have a Regulator, which is doing a good job, rather than expanding it, you are reducing its power and taking it to the Government. So, could you kindly clarify on that?

I think any system should have one law. You are talking about 'one nation one election'. You are trying to bring in so many uniformities in the country. Then why are we having two Regulators? Does it not sound slightly regressive from what the policies of your Government are? If you could just clarify both the points.

Let me put on record that we are not against privatisation. Privatisation has given good results for this country. We are happy that you are taking a step forward. As long as it is transparent and fair, it is good. The consumer is benefiting and I think you must take such steps.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, यह कानून में छोटा संशोधन है, फिर भी इस पर कुछ चर्चा करने की आवश्यकता महसूस होती है। ओरिजनल एक्ट के सेक्शन 13 में एक मूल संशोधन है। एयरपोर्ट रेगुलेटरी ऑथोरिटी का एक ओवरसाइट, जो उसके दाम, टैरिफ के डिटरमिनेशन का अधिकार था, शायद वह कहीं न कहीं इस संशोधन के कारण उसमें परिवर्तन किया गया। अब यह तय कर दिया गया है कि 'ऐरा' का जो ओवरसाइट था, जिससे वह तय करेगा कि एयरपोर्ट का कितना खर्चा, कितनी लायबिलिटी और कितना इंटरेस्ट है। अब भविष्य में जब भी टेंडर होंगे, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में तय हो जाएगा कि इस एयरपोर्ट की लायबिलिटी क्या है, इसका दाम कितना है और उसके आधार पर इसमें एक बड़ा संशोधन किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार ने इसके बारे में कुछ सोच-समझ कर किया है तो इसके पीछे कुछ पॉजिटिव विचार होगा।

सेक्शन -13 के बारे में सुप्रिया जी कह रही थी। एयरपोर्ट की एफिशिएंसी, क्या सर्विसेज दे रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, cost of improving efficiency and concession offered by the Government, ये बहुत सारे पॉइंट्स सेक्शन-13 में हैं। उन्हें विलोपित तो नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर है कि इस संशोधन के माध्यम से किसी बीड में जो अब जाएंगे, उस बिड में इन प्रावधानों के आधार पर शायद वन टू वन बेसिस पर टेंडर में होगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ओवरऑल 'ऐरा' के प्रावधान के दृष्टिकोण से शायद नहीं होगा।

हम लोग जिस एयरपोर्ट को अवार्ड करेंगे, 'ऐरा' का प्रीडिटरमिन्ड टैरिफ था कि इतना खर्च वगैरह होने के बाद आपका दाम इतना आएगा और आप लोगों से यही वसूल सकते हैं। शायद मंत्रालय ने इसमें बीच में कोई संशोधन किया हो तो मुझे आइडिया नहीं है। अभी जुलाई में कुछ बीडिंग्स हुए थे और उस बीडिंग्स में इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखा और छः एयरपोर्ट हाइएस्ट बीडर को दिया गया। उसके पीछे कोई न कोई अच्छा तर्क होगा जो अच्छे काम के लिए होगा। इनमें अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलौर हैं। ये हाइएस्ट बीडर को मिले हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार उतना नियंत्रण जरूर रखेगी कि उसकी कॉस्टिंग न बढ़ जाए। कहीं ऐसा नहीं है कि वह मोनोपोलाइज कर जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है।

एक और संशोधन किया गया है। पहले लगभग 15 लाख यात्री थे, उसे 35 लाख तक पहुंचाया गया है। 'ऐरा' की परिधि में जितने एयरपोर्ट्स आते थे, उनकी संख्या हमने 15 सोचा था, अब वह 16 हैं, वह संख्या घट गई है। महोदय, मूल रूप से यह कानून है।

हम इससे आगे बढ़ते हैं तो 'ऐरा' वर्ष 2008 में, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2008 में दिल्ली और मुंबई में बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स आएं, उनके साथ-साथ समानांतर रूप से इन हवाई अड्डों पर नियंत्रण रहे। कहीं न कहीं उसके लिए इसकी तैयारी की गई। हम जानते हैं कि भारत डोमेस्टिक सेक्टर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब बन चुका है। आज लगभग 225 बिलियन रुपये का इनवेस्टमेंट है और अगले पांच वर्षों में एयरपोर्ट सेक्टर के निर्माण में लगभग सवा चार सौ से साढ़े चार सौ बिलियन रुपये का निवेश होगा। यह सचमुच में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अभी जो पिछला बीड हुआ है, उसमें बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। It is a very positive sign for the country and it is going in the right direction.

इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप इस सदन में बहुत पुराने हैं, जिस समय मैं अगल-बगल में था। आज थोड़ा राजनीतिक विषय यह है कि देश में प्रधान मंत्री जी ने बहुत नए विषय शुरू किए हैं। जन-धन क्रांति है, मुद्रा योजना क्रांति है, आयुष्मान योजना क्रांति है, स्वच्छता क्रांति है, बिजली क्रांति है, तो इस सदन को एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि आज से 14 साल पहले देश में एक और प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने देश में दो क्रांतियों को मेरी नजर में जरूर बढ़ावा दिया था। एक ग्रामीण सड़कों की क्रांति थी और पूरे भारत में आज भी हम उसे लेकर चल रहे हैं, वह बड़ी क्रांति थी। वह दिशा आज भी है। एक दूसरी सबसे बड़ी क्रांति जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी वर्ष 2003 में देश में लाए थे, वह शायद देश भूल गया है। वह क्रांति एविएशन के क्षेत्र में थी। सौभाग्य से जिस कुर्सी पर माननीय मंत्री पुरी जी बैठे हैं, मुझे बहुत कम उम्र में उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। हो सकता है कि कई स्थानों पर पन्ना पलटेंगे, तो उन संचिकाओं में मेरे हस्ताक्षर भी देखने को मिल सकते हैं। उस समय वर्ष 2003 के कुछ निर्णय आप सभी को इस सदन में याद दिलाना चाहूंगा। मेरे मित्र यहां बैठे हुए हैं। मैं इस विषय को रखना नहीं चाहता, लेकिन मैं बोल रहा हूं। वर्ष 2007 के बाद लोग चर्चा करते हैं कि इस देश में सिविल एविएशन

सैक्टर में क्या हुआ है? हो सकता है कि लोग उस व्यक्ति को भूल गए होंगे या उसे पागल करार दे दिया होगा। मुझे याद है, मैं अपने मंत्रालय में बैठता था और एक बहुत हांफता हुआ व्यक्ति आता था और वह हांफते-हांफते सभी चैम्बर और मंत्रालय में घूमता था। जब वह मेरे चैम्बर में आता था, तो मैं उसे चाय पिलाता था। मैं उससे पूछता था कि तुम अफसरों से इतना झगड़ा करके रोज क्यों आते हो? उस व्यक्ति ने इस देश में ऐसी चीज स्थापित की और आज हम जो लो कास्ट एयरलाइन और नो फेयर एयरलाइन की बात करते हैं, एक व्यक्ति था जो बैंगलुरू का रहने वाला था और उद्यमी था और उसने लो कास्ट एयर लाइन शुरू की, जिसका नाम कैप्टन गोपीनाथ था और जिस दिन कैप्टन गोपीनाथ थे, उस समय सहारा था, उस समय जेट था, उस समय इंडियन एयर लाइन्स था। क्षमा कीजिए, यह व्यवस्था में होता था, इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी कि इस व्यक्ति का हवाई जहाज भारत में न उड़े। लोग कहते थे कि यह टिकट लेस यात्रा की बात करता है। यह कहता है कि अपने जहाज को रंग करके उससे पैसा लगाएंगे और जैसी ये बातें करता था, लोग उसे पागल करार देते थे। मैंने उसे बिठाया और इस देश में पहली लो कास्ट एयर लाइन्स भारत में शुरू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हस्ताक्षर करने का मौका मुझे मिला, इसे मैं अपनी उपलब्धि मानता हूं। आज जो कुछ है, उसकी शुरुआत वाजपेयी जी ने की थी और आज 'उड़ान' उसी गति का बड़ा रूप दूसरे रूप में मोदी जी ने बढ़ाया है। उस समय ये अधिकारी नहीं थे और मुझे याद है, मुझे नहीं पता कि यह बताना उचित है, इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वे मेरे ज्वॉइंट सैक्रेटरी हुआ करते थे। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, मैं उनसे पूछता था कि साहब यह बताइए कि दिल्ली से पटना एयर लाइन्स आती है और यहां से रांची जाती है जिसमें एक या दो पेसेंजर होते हैं, फिर वह आगे जाती है, तो आप क्यों नहीं पटना की टिकट दो हजार रुपये में बेच देते हैं जो ट्रेन के बराबर है। सब कहते हैं कि दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता है। पिछले 55 वर्षों में इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया ने वह कर दिया, जो आज कर रहे हैं, यह 50 साल पहले से कर सकते थे। जब मैंने उस कुर्सी पर बैठकर यह कहा था, तो मुझे भी कार्यालय में कहा गया कि इस मंत्री का दिमाग ही खराब है, क्योंकि ऐसी बात कर रहा है कि हवाई जहाज को भर दो। इसी पालिसी पर भारत में डेकन आया और

इंडियन एयर लाइन्स उसी काम को कर रही है, जबकि पूरी तरफ प्रतिस्पर्धा है । इंडियन एयरलाइन्स के स्टेशन मैनेजर से यदि शहर में दोस्ती होती थी, तो इंसान अपने आपको बड़ा आदमी मानता था, क्योंकि मोनोपोली थी । वर्ष 2003 के बाद देश के प्रधान मंत्री वाजपेयी जी के आने के बाद लो कास्ट एयरलाइन्स का सिलसिला शुरू हुआ तो यह मोनोपोलाइजेशन खत्म हुआ । कई निर्णय हुए । आज प्राइवेट इंटरनेशनल एयरलाइन्स की चर्चा होती है । पहला निर्णय इंटरनेशनल जाने का अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में हुआ, जब प्राइवेट एयरलाइन्स को देश से बाहर पहली बार सार्क में जाने दिया गया । वह अंतिम कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें मैं गया । यह विश्वास था कि वर्ष 2004 में हम वापस आ जाएंगे और वह निर्णय नहीं हो पाया, नहीं तो हम उस निर्णय को और आगे बढ़ा लेते । अगली सरकार ने आकर उसे पूरी दुनिया में जाने की अनुमति दी । एटीएफ में पहली बार एक्साइज ड्यूटी 16 परसेंट से आठ परसेंट की गई और वह एग्जिक्यूटिव आर्डर से हुआ, कैबिनेट तक नहीं गया । एक बार सरकार ने तय किया था कि हम इंसेन्टिवाइज करेंगे ।

सभापति महोदय, उसमें एक बड़ा निर्णय हुआ था । यहां सब लोग सब तरह की चर्चा कर रहे हैं । देश में पहली बार एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज़ करने का निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था । वह सिलसिला चलता-चलता दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट तक आया । There were two Brown Field Projects at Delhi and Mumbai, जिसकी चर्चा अभी माननीय मंत्री जी ने भी की हैं, and there were two Green Field Projects at Shamshabad, Hyderabad and Devanahalli. उसमें नॉर्थ-ईस्ट के भी कई प्रोजेक्ट्स थे । उसी समय यह तय हुआ कि 32 एयरपोर्ट्स को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी अपने पैसे से मॉर्डनाइज़ करेगी, जिसमें रायपुर, उदयपुर और जयपुर शामिल होंगे । यह निर्णय उस समय हुआ था । मंत्री जी यहां बैठे हैं । जनरल खंडूरी उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे । मेरा एक लोभ था कि मैं अपनी कांस्टिट्यूएंसी में दस किलोमीटर की रोड बनाना चाहता था । मैंने कहा कि मैं आपको जॉली ग्रांट के लिए 30 करोड़ रुपये तब ही दूंगा, जब आप मुझे दस किलोमीटर की सड़क बनाकर देंगे । जॉली ग्रांट के हमने उस समय जो 30 करोड़ रुपये दिए, वे भी नॉन-मेट्रो में गए । इसकी रूप-रेखा तब ही

हम लोगों ने तय कर दी थी, जो आज देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी उसको तेज़ गति से लेकर चल रहे हैं।

सभपति महोदय, इस तरह जॉली ग्रांट, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, उदयपुर में नॉन-मेट्रो एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइज़ेशन हुआ। इसके बाद एक और बड़ा विषय हुआ, जिसके लिए मैं देश के वर्तमान प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं उस समय देश-दुनिया घूमता था। जब मैं देश-दुनिया में कहीं भी जाता था तो मुझे दिखता था कि पूरी दुनिया में स्टील और ग्लास के एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। उस समय जब मेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से बात होती थी तो जिस सुंदर से भवन के नीचे आप बैठते हैं, उसके नीचे वे एक मॉडल लाकर लगा देते थे। मैंने उनसे कहा कि दोबारा ऐसा मॉडल लेकर आए तो समझ लेना। I want a 3D presentation of the airports which have to be built.

सभापति महोदय, मेरे लिए यह सौभाग्य है कि इस देश में जब पहले 3डी ड्रॉइंग एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, तब हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी उस समय मुख्य मंत्री थे, मैंने उन्हें पहला प्रेज़ेंटेशन जाकर अहमदाबाद में दिया था। उनका मार्गनिर्देशन था, जिस पर उन्होंने स्टील एंड ग्लास के एयरपोर्ट के लिए कहा, जिसके बाद से पूरे भारतवर्ष में स्टील एंड ग्लास के छोटे एयरपोर्ट्स बने। इसी के साथ-साथ जो पहला छोटा एयरपोर्ट आया, जो सीमेंट एंड कॉन्क्रीट से मूव कर के स्टील एंड ग्लास में गया, वह अहमदाबाद का एयरपोर्ट था। इस तरह अहमदाबाद का पहला एयरपोर्ट बना, जिसको आज के वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने दिशा दिखाई थी।

महोदय, अब तो खैर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए हैं। इसके पश्चात् आप देखिए कि वर्ष 1994 से लेकर आज तक क्या हुआ। आज हम पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं। वर्ष 1994 में जहां इस देश में 118 जहाज थे, वर्ष 2004 में जब हम लोग पहुंचे, जब भारत में पहली बार हमारी सरकार बनी, तब 162 थे और आज सचमुच 620 हैं। यह ठीक है कि बीच में जेट एयरवेज़ बंद हुआ, वह एक अलग विषय है। वर्ष 1993 में जहां 94 लाख यात्री थे, वहीं वर्ष 2004 में दो करोड़ यात्री थे और आज 18.5 करोड़ हैं। आप देखिए कि सचमुच वर्ष 2003 के उन निर्णयों के बाद आज कितना बड़ा परिणाम हमारे सामने है। दिल्ली में आज 6.5 करोड़ लोग, 4.5 लाख जहाज

उतरते हैं। मुंबई में पांच करोड़, बंगलुरू में ढाई करोड़ आदि इस प्रकार से पूरी सूची मेरे पास है। …(व्यवधान)

हम लोगों ने ओपन-स्काय पॉलिसी में बहुत सीट्स दी थीं। मुझे याद है कि इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति साहब थे। वे देश के प्रधान मंत्री के पास आकर मेरे खिलाफ शिकायत लगाकर गए कि साहब ये जहाज नहीं आने देते हैं। बंगलुरू से इतने लोग विदेश जाना चाहते हैं, आप ओपन-स्काय कीजिए, इतने जहाज लाइए। हम लोगों ने बहुत पॉज़िटिव ऐटिट्यूड के साथ सरकार में इस काम को बढ़ाया था। ओपन स्काय का उस समय यह था कि एयर इंडिया का जो मोनोपलाइज़ेशन था कि हम पकड़ कर रखेंगे, जिस रूट पर हम नहीं उड़ेंगे, अगर उस रूट पर कोई आएगा तो वह हमको पैसा देगा। हम खुद नहीं उड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आहिस्ते-आहिस्ते रिफॉर्म की स्टेज आती गई और ये सब चीज़ें खत्म होती गईं।

महोदय, इस देश में एक चीज़ और हुई। मैं नहीं जानता हूं कि इसके पीछे क्या कारण है। मंत्री जी भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जब हम लोग दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स को प्राइवटाइज़ किया तो उसके बहुत सारे आयाम थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के निर्माण में 17 हज़ार करोड़ रुपये लग गए। मैं तो उस समय सदन में भी नहीं था, मैं बाहर था। वर्ष 2008 में हम लोगों ने बड़े फैनफेयर के साथ उसका उद्घाटन किया था, लेकिन कभी भी मुझे जंचा नहीं कि यह 17 हज़ार करोड़ रुपया किस चीज़ में खर्च हो गया। इसको टैक्निकल टर्म्स में गोल्ड-प्लेटिंग कहते हैं। I don’t know what is the truth in that.

मुंबई एयरपोर्ट भी खूबसूरत है, जिसके बारे में अभी सुप्रिया जी कह रही थीं। मुंबई एयरपोर्ट सचमुच बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ और अप्लाई की, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी की आंख खुल गई कि साहब! ये तो हम भी कर सकते हैं, प्राइवेट वालों ने कर दिया तो हम भी करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि चेन्नई और कोलकाता एयरपोर्ट का काम हम करेंगे। उन लोगों ने उतने ही बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया। यह हो सकता है कि खूबसूरती कम-ज़्यादा हो, कार्पेटिंग कम हो, लाइट कम हो या मेंटिनेंस कम हो, लेकिन उन लोगों ने तीन-चार हज़ार करोड़ रुपये में लगभग मोटे तौर पर वैसे ही एयरपोर्ट्स खड़े कर दिए।

हमको इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगा और फिर 17000 करोड़ रुपये खर्च हो गया। घर से पैसा तो कोइ देगा नहीं। एक पॉलिसी है, जिसे निशिकांत जी और सुनील जी बता सकते हैं, वह है सिंगल टिल और डबल टिल। सिंगल टिल है कि जितना पैसा आएगा, उसे एक बक्से में डालेंगे और वहीं से एयरपोर्ट, सरकार को रेवेन्यू देंगे। डबल टिल था, जिसमें एयरोनोटिकल सर्विसेज का रेवेन्यू-एयरोनोटिकल होता है जो हवाई जहाज उड़ने से आय आती है और नॉन एयरोनोटिकल होता है जो दुकान, कियोस्क आदि को मिलाकार रेवेन्यू आता है। भारत में एक नया हाइब्रिड मॉडल आया। उस समय न आपकी सरकार थी और न मेरी सरकार थी। वही लोग जवाब दे सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल कहां से आया। भारत में इनोवेशन बहुत होता है। वही अधिकारी जवाब देंगे, जिन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि एक हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं, जो सिंगल टिल होगा, लेकिन सिंगल टिल में जो एयरोनोटिकल सर्विसेज का पैसा आएगा, उसको लगाएंगे और नॉन एयरोनोटिकल का 30 परसेंट आएगा। उन्होंने उसको बना दिया। आज क्या स्थिति है कि हर जगह जो भी बिड आ रहा है, वह फॉर्मूला बन गया। अब सही है, गलत है, लाभ है, घाटा है, यह नहीं जानते, लेकिन हमारी सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। जिन लोगों ने किया है, उन्होंने सही किया या गलत किया है, यह मैं नहीं जानता हूं। मैं आपको सोचकर थका जरूर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ी देर शान्ति से बैठकर इन विषयों के बारे में सोचेंगे तो चुटकी बजाकर रास्ता निकलेगा। कहीं न कहीं अधिकारी ये चीजें आप तक नहीं पहुंचाते हैं। आप भी अधिकारी रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा शार्पनैस के साथ पकड़ सकते हैं। भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी के 129 एयरपोर्ट्स में से 94 एयरपोर्ट्स घाटे में हैं। देखिए हमारी सरकार ने कितना कमाल किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का 55 वर्षों का खाता निकालकर देखिए तो मुनाफा 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ या 200 करोड़ का है। जैसे ही हम लोगों ने दिल्ली और मुंबई को प्राइवेटाइज किया, उससे आज एयरपोर्ट अथॉरिटी का 80 परसेंट का मुनाफा जिंदा हो गया, जो कि दिल्ली और मुंबई के कारण है। हम उस 3 हजार करोड़ रुपये पैसे को निकालकर दरभंगा और पटना बना रहे हैं। यह अच्छी बात है। एक निर्णय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को जिंदा कर दिया। वह निर्णय था, 2003 के बाद की सरकार का। आज अगर हम प्राइवेटाइज करते हैं और उससे आमंदनी अच्छी मिलती है

तो अच्छा है। स्पीकर साहब यहां नहीं है। स्पीकर साहब ने अपनी पॉलिटिकल लाइफ के 30 साल कोटा हवाई अड्डे को चालू कराने में लगा दिए। हमारे सामने निशिकांत जी बैठे हैं, ये गोड्डा के कैसे-कैसे काम कराते हैं। कभी फौज को पकड़ लेते हें, कभी किसी को पकड़ लेते हैं और मंत्री जी को इन्होंने पकड़ लिया था। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास पैसा होता तो शायद सैकड़ों एयरपोर्ट इस देश में बन चुके होते। माननीय पूर्व मंत्री जयंत जी बैठे हुए हैं, उनके यहां भी काम यह हो सकता था। प्रॉफिट मेकिंग आज कितना है? चेन्नई, कोलकाता, गोवा, पुणे, कोच्चीन, दिल्ली आदि में आठ दस लोग हैं, मैं दो-चार को बताकर खत्म कर देता हूं।

माननीय सभापति: इनमें मेरठ भी जोड़ लीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, मैं तो भूल ही गया। आपने मुझे भी कहा था। आप तो मुझे मेरठ के लिए उस समय से चिट्ठी लिख रहे हैं, जब मैं आपके साथ 2003 में था। मेरे लिए यह सौभाग्य है और मैं ही एकमात्र भारत का सांसद हूं जो आज भी अगर छुट्टी होती तो मैं 6 बजे वर्दी पहनकर जहाज लेकर जाता। यहां लगभग 150 से 200 सांसद हैं और मैं भी सांसद हूं जो 30 हजार फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट से गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे सहभागी यात्री प्रहलाद पटेल साहब मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं।

माननीय सभापति: मुझे भी यह सौभाग्य मिला है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, मैं यह करता हूं, क्योंकि मुझे गर्व होता है कि मैं हवाई जहाज उड़ाता हूं।

There is no conflict of interest because I do not take anything. All airlines are equal for me and I work for the aviation sector. That is not my core area; my core area is environment. But I do it. I wear a uniform and I fly the planes. I am the first officer, I generally do not sit, I have not gone for a command. There would girls, who would be half my age. May be she is 28 or 30; she is in command; she is a trainer.

HON. CHAIRPERSON : And, you really fly high.

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, इसलिए मेरी थोड़ी सी रुचि बनी रहती है।

हमारे भारत का एटीसी में कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट है। अनथिंकेबल है। मंत्री जी, उन एटीसी कंट्रोलर्स को बुलाकर बधाई देनी चाहिए। हमने जब जहाज में एनाउंस किया, मैं फाइनल एप्रोच पाथ पर था। मुझे कहा गया कि आप बाहर निकल जाए 2,600 फीट से मुड़ जाए और हेडिंग फलाने पर जाकर आप लौटकर आइए। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है? उन्होंने कहा कि एक अजगर आपके अप्रोच पाथ पर है, हमें उसको बचाना है। एटीसी की टीम आई, उस सांप को वहां से हटाया। भारत का एटीसी दुनिया का जाना-माना एटीसी है, जिसने एक सरीसृप की रक्षा के लिए यह किया। जब यात्रियों को पता चला कि भारत में भी एक ऐसा एटीसी है, तो यह एक बड़ा विषय बना।

HON. CHAIRPERSON : Now, please try to conclude.

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, अभी तो मैंने टेक ऑफ किया है, अभी तो क्रूज में जाएंगे, फिर लैंडिंग करेंगे।…(व्यवधान) अभी क्रूज पर आए हैं, उसके बाद लैंडिग करेंगे। मैं और भी बड़ी इंट्रेस्टिंग बात बता सकता था, लेकिन आप कह रहे हैं, इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये कमाल के लोग हैं कि इस तरह के प्रेशर में काम करते हैं। अगर कोई सबसे ज्यादा पैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी को कमाकर देता है, तो वह एयर ट्रैफिक सर्विसेज है। बांग्लादेश में जितने भी बड़े एटीसी वगैरह हैं। आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के साथ न्याय कीजिए। कमी है, प्रेशर में रहते हैं, काम बहुत ज्यादा है, जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग प्रेशर है, तंग हो जाते होंगे, आपका एटीसी बहुत अच्छा है। हर जगह रेडार कर दिया है, पटना में भी रेडार कर दिया है। It is an exemplary action. आरवीएसएम और जीएसएस अप्रोचेस बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। आप कभी कोलकाता के एटीसी कंट्रोल रूम में चले जाइए। दुनिया में ऐसा कंट्रोल सिस्टम नहीं है, जिसे आज भारत में इस देश की सरकार ने लगाया है।…(व्यवधान) उसको जानना पड़ेगा, कोई यह बात नहीं बता सकता है, क्योंकि मुझे मौका मिलता है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। वह बहुत ही प्लस-माईनस है। प्राइसेस क्यों बढ़ गए हैं?…(व्यवधान) इस देश में टिकटों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, वह एक अलग विषय है, जिस पर चर्चा की जा सकती है। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही कम समय

में सभी विषयों पर खूब पकड़ बनाई है। हम लोग भी आवश्यकता के अनुसार कभी-कभी जाकर सलाह दे सकते हैं। आप वर्ष 1993 के बाद देखिए कि स्पाइस जेट, किंगफिशर, एयर डेक्कन, सहारा, इंडिगो, विस्तारा आदि सभी एयरलाइंस इस देश में आई हैं। महोदय, आप बीच-बीच में थोड़ा नोटिस कीजिए कि क्या हुआ है। डेक्कन को किंगफिशर ने खरीद लिया, सहारा जेट में चली गई, इस प्रकार से कई सारे मर्जर हुए हैं।

महोदय, घूम-फिरकर जो ऐरा का पूरा प्रोविज़न का है, वह पैसेंजर्स के लिए दाम कम हो सके, इसके लिए है। जब एयरपोर्ट के चार्जेस हाई होंगे, एयरपोर्ट्स के पास स्लाट्स कम होंगे, एयरपोर्ट्स के पास पार्किंग स्लाट्स कम होंगे, पैसेंजर्स को अवसर कम मिलेंगे, दूसरे एयरपोर्ट्स पर जहाजों का डिप्लायमेंट होगा, तो नैचुरली घूम-फिरकर पैसा पैसेंजर्स का बचेगा। मैं जब विधायक था और पटना जाता था।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभी यात्रियों ने बेल्ट बांध ली है**,** प्लीज लैंडिंग स्टार्ट कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, मैं अभी लैंड कराता हूं।…(व्यवधान) मैं तुलना करना चाहूंगा। मैं वर्ष 1990 में 5,000 रुपये में जाता था और आज 30 साल के बाद भी पटना की यात्रा हम लोग 5,000 रुपये में करते हैं, यह उपलब्धि है। कुछ विंडोज में थोड़ा दाम ज्यादा होता है, तो वह बड़े लोगों के लिए है, जो अंतिम दिन टिकट कटाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे डिस्ट्रेस में, डेथ में, अगर सरकार उसके लिए कोई प्रावधान कर दे, जो बोनाफाइड है, तो उसके रिफंड की व्यवस्था होनी चाहिए।…(व्यवधान)

महोदय, मैं इसलिए यह कहना चाहूंगा। बहुत सारे विषय हैं। मैं वहां रहता हूं, मुझे कई बार लगता है कि बहुत योगदान दे सकता हूं और मैं बता सकता हूं। आपकी अनुमति नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ पटना के बारे में कहना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से पटना के हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है। अभी तय हुआ है कि बिहटा तक ले जाएंगे, शहर के दूर है। अभी पटना एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य चल रहा है। वह थोड़ा-सा टिक्लिश है, थोड़ा-सा डिफिकल्ट एयरपोर्ट है।…(व्यवधान) उस पर थोड़ा-सा डीजीसीए का भी रिजर्वेशन्स है, लेकिन फिर भी जहाज उतरते रहते हैं।

हमने बार-बार कहा है कि उसमें सम्भावनाएँ हैं । बिहार हमारा प्रदेश है, पाटलिपुत्र भगवान बुद्ध, महावीर, अशोक की भूमि है, पटना के पूर्व में जो सारण संसदीय क्षेत्र है, वहाँ 10 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है । आप सौ-सवा सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं । अगर नदी के उस पार जो छ: लेन के चार पुल बन रहे हैं, पाँच मिनट के रास्ते के बाद अगर नया पटना बनाना है और नया हवाई अड्डा 10 हजार फीट का बनाना है तो पटना के विस्तार से और क्षमा कीजिए, मुझे फौजियों के हवाई अड्डे पर बहुत भरोसा नहीं होता है क्योंकि रात को उनके बच्चे निकल कर लड़ाकू जहाज उड़ा कर आपके जहाज को खड़ा कर देंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है । उनका काम ही यह है । वह फर्स्ट प्रायरिटी है- देश की सुरक्षा । जहाँ-जहाँ आप फौज में सिविल एयरोड्रोम बनाते हैं, वह भविष्य उस एयरोड्रोम का कभी नहीं होता है, जो हमने बेहटा के लिए किया है । सरकार का निर्णय है, हम उसे मानेंगे, लेकिन वह निर्णय अच्छा नहीं है । उसके लिए नया हवाई अड्डा अगर पटना के पूर्व की तरफ बने तो एक बड़ा काम हो सकता है । मंत्री जी आपको दाम कम करने होंगे । अगर मुझे मुम्बई से रांची होते हुए पटना जाना पड़ता है तो हमारे फौज के भाइयों ने कितना, हम तो जमीन पर कब्जा करते हैं, हमारे फौजी भाई जो देश की सुरक्षा के लिए करते हैं, उन्होंने आसमान का आधे से ज्यादा स्पेस कब्जा कर रखा है । अब आप दाए जाओ, बाए जाओ, यहाँ फायरिंग रेंज है, दुनिया में कहीं नहीं होता है । यूरोप कंट्रोल को देखिए, जब आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी, वह अपना जहाज उस समय तक उसको बाउंड करेंगे । अमेरिकन एयरलाइन्स की, जब उनकी एक्सरसाइज होगी, यहाँ हमारा आधे से ज्यादा, हमने थोड़े से प्रयास से उस जगह को, आसमान का जो मार्ग है, जो धरती है, वह बहुत ज्यादा फौज के पास है ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

श्री राजीव प्रताप रूडी : उसे वापस लेना है, फ्लेक्सी एयर स्पेस की बात करते हैं, इन सब चीजों के दाम कम करेंगे तो हमारे पैंसेजर्स को सुविधा होगी । माननीय मंत्री जी आपने विषय को बहुत पकड़ा है और भी कई विषय मेरे पास है, लेकिन माननीय सांसदों की इच्छा है कि मैं बैठ जाऊं तो मैं अपना विमान यहीं उतारता हूँ, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति : एक विशेष मीटिंग करा दी जाए आउट ऑफ द पार्लियामेंट । ठीक है । मेघवाल जी, बालयोगी सभागार में एनलाइटन करने के लिए एक मीटिंग कराई जाए। वास्तव में बहुत अच्छी बात है।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : आप चेयर से मंत्री जी को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए।

माननीय सभापति : एक अच्छी मीटिंग वहाँ हो जाए।

श्री बी. दुर्गा प्रसाद जी।

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to express my views on the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019.

This AERA (Amendment) Bill was introduced aiming at attracting investors to construct and operate airports. Earlier, AERA was created to decide charges at major airports handling over 1.5 million passengers per annum. But now, as per the Civil Aviation Ministry, those airports handling 3.5 million passengers per annum will be classified as 'Major Airports'. I would like to request the hon. Minister, through you, that instead of 3.5 million passengers per annum, take 2.5 million or three million passengers per annum handling airports as 'Major Airports' so that more airports come under the control of AERA.

Earlier, AERA was regulating 30 airports and, now, after introduction of this Bill, it has come down from 30 to 13 airports. The job of deciding charges of remaining 17 airports has now come back to the Civil Aviation Ministry and passengers can expect respite in charges. With this amendment, 17 airports were removed from this bracket. It is unfair and unjust.

I would like to know from the hon. Minister whether the Tirupati Airport is an International Airport for namesake or the Central Government is going to encourage, in all sorts, for its full-fledged status as an International Airport. As per the version of the Government, during the time of its inauguration, the Civil Aviation higher authorities categorically mentioned that all the international flights would fly through it by the end of June, 2019.

21.00 hrs

But yesterday, we met the hon. Minister. We came to know the present situation and the number of aircraft that are flying from the international airports. We are urging for flights, one from Tirupati to Vijayawada and another from Tirupati to Delhi. All the party Members have also requested for these flights.

With this amendment Bill, the Ministry of Civil Aviation is empowered to bid out private airport projects on the basis of pre-determined tariff and in such cases, the airport regulator will have no power to set or revise user charges. But the Government will consult or seek recommendations of AERA in setting such pre-determined tariff. Thus, the powers of AERA have been cut down and will become an advisory body only. My request is that this body to be empowered and it should be given all characteristics like financial ability, managerial ability and improvement of service to the public and holding taking decisions on improvement relating to at least important airport.

Further, I would like to read the statement made by Shri Guruprasad Mohapatra, Chairman, AAI that the wide variation in airport tariffs create challenge for domestic and foreign airlines which have to recover the same from the passengers. It is because of this many domestic and global investors and lenders are staying away from investing in India though our Indian Civil Aviation market has emerged as the third largest domestic aviation sector in the world. For example, flight charges from Delhi to Chennai are Rs. 30,000; another example, Delhi to Vijayawada, it is Rs. 8,000. At the same time, Vijayawada to Tirupati is Rs. 13,000. This is the fare of Indian Airlines just 20 days back.

Another issue before presenting this Bill, the Government never mentioned any financial status regarding Indian Airlines and Airports. This goes to indicate that there is no concentration in the department towards the Government concern. Likewise, the early stage of the expenditure of the airport not compared with after 10 years because variation of rates. These are all service sector run PSUs. For example, in Railways, there is no competitor in Railways. They are running very profitably.

According to the Hindu newspaper, Indigo Airlines is running in high profits that is 44.7 per cent profit in the first quarter. So, according to the version of several organisations, to scale down the Indian Airlines, they have not mentioned their status at any moment. My State is a newly formed State.

For the regulation of tariff, the Government has to look after the Public Sector Airlines. I request the Government to establish new airports which were sanctioned in Andhra Pradesh through MOUs.

One Airport at Dagadarthi of Nellore District which falls under Vizag-Chennai Industrial Corridor.

There are green field airports in Bhogapuram near Visakhapatnam, Orvakal airport near Kurnool and Mangalagiri in Guntur district.

Earlier, the Government has sanctioned all these airports. With regard to Bhogapuram airport, tenders have been called but so far no further development has taken place.

Sir, you kindly look into the facts and see that what best you can do for Andhra Pradesh especially for Tirupati. Everybody is saying that it is an international airport, but how many flights are operating? You have to check up once again and do justice to us.

With these observations, I support this Bill.

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on the Airport Economic Regulatory (Amendment) Bill, 2019. These amendments to the AERA Act are important considering the fact that in its current capacity Airport Economic Regulatory Authority does not have the resources to ensure the efficient regulation of all the 31 airports currently under their purview. Also, the second amendment prescribed in the Bill ensures that the tariffs that were presented to the bidder at the time of tender process would not be made subject to revisions at the behest of the AERA which would ensure a business-friendly environment to the potential bidders.

By reducing the number of airports coming under the jurisdiction of AERA by amending the threshold for major airports from 15 lakh to 35 lakh annual passengers, the Bill aims at reducing the workload of the overburdened AERA. However, this is only a temporary solution. The Government must consider the fact that the aviation sector in India is a booming sector with an annual growth rate of 10-11 per cent, and very soon the airports that have been removed from the category of major airports would be recording a passenger intake of 35 lakhs which would again result in an increased burden on the AERA. The Government must focus on ensuring that the AERA’s capacity is increased, and also ensure that all airports, which do not fall under the jurisdiction of AERA, must be regulated by a tariff regulatory authority set up by the Government to ensure prevention of any foul play.

Since the AERA would not be regulating the airports, which are not classified as major airports, the regulatory body would be the Airports Authority of India which is also the operator of the airports leading to a conflict of interest. I would like to urge the Government to ensure that the capacity of AERA is increased with immediate effect in order to ensure that this conflict of interest does not persist.

Considering the fact that the airports falling under the purview of 'major' airports would be regulated by AERA, while the remaining airports would not fall under the regulation of the independent regulator, this would lead to a difference in the prices and the quality of services rendered to the customers.

The charging of user development fees by airport operators like GVK and GMR from passengers is more like a scam that has been going on for too long by defrauding the passengers. The Mumbai International Airport today has become so congested that there is barely any space for passenger movement. The operator, GVK has rented out every inch and corner for commercial purposes at high rates of rent, which, in turn, results in commodities being sold to passengers at extremely expensive prices. Hence, I would request the Minister to increase the capacity of the AERA along with increasing its jurisdiction to ensure that all manners of revenue collection come under the regulatory purview of AERA. Only the presence of an independent regulator keeping a watch on the revenue deriving practices of such operators would help ensure that the interest of the common man is protected.

Furthermore, I would like to suggest to the hon. Minister to include the amount of cargo that is being transported through and stored in airports as a category in classifying major airports. In order to make India business friendly for us, we must also work towards taking into account the needs of the businesses that transport cargo through air, and also, we must take care of their logistical needs. Thus, I would like to request the hon. Minister to ensure that the AERA calls for representation from aviation experts in order to ensure prudent regulation in a manner that ensures the growth of a healthy business environment. With these suggestions, I support the Bill. Thank you, Sir.

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): माननीय सभापति महोदय, आज हम यह बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज़ होने चाहिए, पर मेरी यह समझ में नहीं आता है कि अगर कोई प्राइवेट कम्पनी सरकारी प्रॉपर्टी के साथ पार्टनरशिप कर रही है तो उस एयरपोर्ट पर जो ग्राउण्ड स्टाफ, एयर होस्टेसेज़ इत्यादि जितने सदस्य हैं, क्या आने वाली कम्पनी, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन में सरकार के साथ इनवॉल्व कर रहे हैं, उसका इसमें कितना इनवॉल्वमेंट होगा? अगर कोई कम्पनी प्राइवेटाइजेशन के बीच में आती है तो उसका इनवॉल्वमेंट कितना होगा? जो स्टाफ और लेबर वहां एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं, उनकी कितनी इनवॉल्वमेंट उसमें होगी? क्या वे उन लोगों को हटाएंगे या नए लोगों को बिठाएंगे, क्योंकि कोई भी कम्पनी आएगी तो उनका अपना प्रेफरेंस रहता है। आप स्कूल-कॉलेज की बात देखिए कि जब एक प्रेसिडेंट हटता है तो वह लेक्चरर्स को पहले हटाता है कि मैं यह जगह खाली करूं और यहां पर नए लेक्चरर्स और प्रोफसर्स को अटैच करूं। उसी तरीके से अगर एयरपोर्ट में प्राइवेटाइजेशन आता है तो क्या होगा?

सर, मैं इसका सपोर्ट करती हूं।

There is no doubt about it. But one thing must be ensured that whenever we take in any company and make it a private property with the Government alliance, the workers working at airport and in airlines should not face any difficulty. So, this Bill is coming up only to secure the people who are staying in India and who are staying in that State. हम यह अच्छाई के लिए ही ला रहे हैं। अगर हमने इस पर ध्यान दिया, तो ठीक रहेगा। लेकिन, अगर हमने इसमें कहीं पर भी चूक कर दी, तो इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मंत्री महोदय से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वह इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। अगर वहां नई कंपनी आएगी और पहले से जो किसी एजेंट या कंपनी के माध्यम से काम करे हैं, तो उनको उस जगह से हटाना नहीं चाहिए। उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। आपके बिल के लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं।

महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं मंत्री जी से भी अपने क्षेत्र के संबंध में उनके ऑफिस में मिल चुकी हूं। इस सरकार ने जो उड़ान स्कीम बनाई है। उसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। ऐसे छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डिवीजन हेडक्वार्टर्स हैं और उन डिवीजन्स में एयरपोर्ट की बात आई हैं, वहां के लिए हम कई सालों से एयरपोर्ट की मांग रख रहे हैं। अभी हमारे यहां एयरपोर्ट सैंक्शन हो गया है। A few days back the Chief Minister of Maharashtra has inaugurated the Belora Airport at Amravati. महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि इस एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम में शामिल किया गया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि इस एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपये की निधि सैंक्शन की जाए। इसके लिए महाराष्ट्र से आपके पास प्रस्ताव भी आया है। यदि आप इस एयरपोर्ट के लिए जल्द से जल्द निधि देंगे, तो मुझे लगता है कि इस एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। …(व्यवधान)

महोदय, सिर्फ मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मुझे लगता है कि अभी बहुत कम लोग बोलने के लिए रह गए हैं। जिनको मुद्दे पर बात रखनी है, वे ही यहां पर रह गए हैं। अगर इन्होंने जल्द से जल्द फंड उपलब्ध करा दिया, तो मुझे लगता है कि जो काम शुरू हुआ है, वह तेज गति से होगा। काम शुरू होने के बाद भी कई एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, जिनका काम पेंडिंग है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, बिल्डिंग्स बन गई हैं, सिग्नल वगैरह भी बन चुके हैं, लेकिन वहां लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किसी एयरलाइंस की परमिशन दो-तीन सालों से नहीं मिली है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसके लिए भी ध्यान दीजिए। अगर मेरे क्षेत्र में एयरपोर्ट जल्दी बन गया और फ्लाइट्स की लैंडिंग हो गई, तो वहां के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। …(व्यवधान)

महोदय, मुझे पता है कि सभी को नींद आ रही है, काफी लेट हो गया है, सभी थक गए हैं और सभी सदस्यों को अपने घर जाना हैं। हम भी उसमें आ गए हैं। अमरावती-मुम्बई के लिए कमेटी ने जो डिसाइड किया है, उसके लिए एयरलाइंस ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अमरावती-पुणे में बहुत सारे बच्चे स्टडी और रोजगार के लिए जाते हैं।

उनको भी सुविधा उपलब्ध होगी। अमरावती-दिल्ली और अमरावती-सूरत के लिए भी सुविधा दी जाए। हमारे यहां फाइव स्टार एम.आई.डी.सी. है। अगर वहां एयरपोर्ट होगा, तो वहां उद्योग आएंगे। अगर उद्योग आएंगे, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सहित आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों को एजुकेशन के साथ-साथ रोजगार भी मिलेगा। उस एयरपोर्ट पर हमारे डिस्ट्रिक्ट सहित आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के काफी लोग निर्भर हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मंत्री जी इन सब पर ध्यान दें। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आपके फंड की आज हमें ज्यादा गरज है। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करती हूं कि आप फंड जल्दी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA) : Sir, this Bill seeks to amend the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. The Act had established a regulator called the Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA), the primary function of which is to determine for major airports the tariffs, development fees, passenger service fee, to determine and revise such tariffs on a five-yearly basis, while ensuring that the airports reach a certain standard and thrive through monitoring mechanisms and by setting performance standards.

Now, this Bill changes the definition of 'major airports' to include only airports which have an annual passenger turnover of 35 lakh or more. This number was 15 lakh before this amendment was proposed. This will bring a number of airports outside the ambit of AERA and the tariffs set by it and maybe in the future open up such airports to the private sector, in line with what the Government seeks to achieve.

The modern India seeks to move upward and forward by providing increased flight connectivity and ensuring more and more people have everyday access to air travel. We are seeking to open up the skies to the private sector, which has its own benefits - more competition hence competitive prices and tariffs, more airports, and modernised infrastructure.

Sir, in my State of Odisha, we have seen a massive increase in daily passenger count over the last few years, primarily due to growth of the State under the able leadership of hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. Bhubaneswar itself is a Smart City, and Odisha constantly hosts national and

international events, especially in the sports sector. We are in line with the growth in increased air travel and airports will contribute to the new Odisha and new India.

While we understand the benefits this Bill brings in terms of competitive tariffs through privatisation, I have a few suggestions to add, which, I believe, the hon. Minister will take into consideration.

The first issue which I would like to highlight is with respect to clause 13(1)(d) of the Act. This clause empowers the AERA to monitor standards relating to quality, continuity and reliability of service. As a consequence of this amendment, the AERA loses this oversight on the performance indicators of potentially a majority of smaller airports which are more likely to get privatised. This is a serious concern as the intent of this legislation and this amendment is surely to improve the quality of smaller airports and to achieve this, a certain degree of monitoring is essential.

My second suggestion is with respect to the air passengers. Ultimately, they are the most important stakeholders when it comes to air travel in our country. Since the AERA is reducing the number of airports over which it has the right to impose tariffs, this may lead to a situation where the passengers may pay a high tariff but do not receive proportional quality of services in certain airports. Therefore, I request the hon. Minister to consider providing an additional grievance redressal mechanism for aggrieved passengers beyond the scope of existing legal recourse since the new era of liberalisation of this sector is still in its nascent phase.

Thirdly, the hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, has already made a request to the hon. Minister to introduce a flight between Bhubaneswar and Dubai as currently there is no flight connecting Odisha with the Middle Eastern countries.

I would also request the hon. Minister to look into the fact that the national airline, Air India, has recently discontinued its only international flight from Bhubaneswar on the Bhubaneswar-Bangkok sector. The hon. Minister must please consider this and give me a reply.

Also, in the domestic sector, certain private operators like Indigo have drastically reduced the number of flights. If I am not wrong, perhaps there were 26 or so flights few months back and now the number has fallen to 18 or 20. I might be wrong. So, please correct me. This directly affects the footfall at airports and adversely affects the revenue of the State. Introduction of new flights and resumption of these particular flights will go a long way in boosting tourism and infrastructure investment in Odisha.

Further, a mechanism to regulate airline ticket prices should also be considered by the Government as it will ease the burden on consumers and make airline travel accessible to everyone, especially those belonging to the poorer section of the society.

Lastly, keeping in mind the tremendous potential for growth in this sector of my home State of Odisha, I request the Government to consider measures

for increasing the number of both domestic and international airports in Odisha as this will be a great boon for my people and for the nation.

अंत में, अभी कुछ देर पहले रूडी सर बोल रहे थे कि he himself is a pilot and has flown so many flights. कुछ दिन पहले मुझे एक मौका मिला था। उस मौके को मैंने हाथ से गवां दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कुछ दिन पहले वे भुवनेश्वर से दिल्ली आ रहे थे। He was operating the flight. I was also supposed to fly by that flight. When I got to know that he is going to fly it, I really tried my best कि कैसे भी यह फ्लाइट मिस न हो। मैं इतना अनफार्चुनेट था कि उस दिन बारिश की वजह से मेरे लिए पहुंचना मुश्किल हो गया था, but today, while he was speaking in the House and I was listening to him live – I think he spoke for perhaps 25 minutes – every single point was so valuable that I must appreciate. आपका आज का टेक-ऑफ और लैंडिंग और बीच में जो फ्लाई चल रहा था, that was fantastic. I just loved it. I would love to fly with you, Sir, while you are piloting the plane, very soon.

I request the hon. Minister to kindly consider whatever suggestions I have given. Thank you so much .

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेग्यूलेटरी अथॉरिटी बिल पर बोलने के लिए समय दिया। जब हम इस सदन में इस बिल पर चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एम्पलाइज जॉइंट फोरम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी कर्मचारी यूनियनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक चिट्ठी माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर को लिखी है, वह चिट्ठी मेरे हाथ में है। मैं इसको सभा पटल पर रख दूंगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो 20 हजार कर्मचारी हैं, उन्होंने माननीय मंत्री जी के द्वारा सरकार को बताने की कोशिश की है कि कैसे प्रोफिट मेकिंग एयरपोर्ट्स को निजी उद्योगपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। इसके हानिकारक परिणाम देश की आम जनता को भुगतने होंगे।

महोदय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वह संस्था है जिसने 125 एयरपोर्ट्स इस देश में बनाए हैं। 85 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, जो नुकसान में चल रहे हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने देश के सभी भागों को जोड़ने के लिए जो दूर-दराज के इलाके हैं, उन सब जगहों पर एयरपोर्ट बनाए हैं। लेकिन, जो नुकसान में चल रहे हैं, उसका कारण यह है कि वहां ट्रैफिक फ्लो ज्यादा नहीं है। देश की आम जनता को ध्यान में रखते हुए घाटे में चल रहे एयरपोर्ट्स का रख-रखाव मुनाफे में चल रहे एयरपोर्ट्स के पैसे से करती है।

महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पिछली सरकार एक-एक करके एयरपोर्ट बेच रही थी और अब सरकार ने थोक में बेचने का काम शुरू कर दिया है। अभी एक खबर आई है कि एक ही उद्योग घराने को देश ने छ: एयरपोर्ट देने का फैसला किया है। हमें देखना होगा कि पिछले दिनों मुनाफे में चल रहे एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में देने का क्या नतीजा देश के सामने आया। पिछली सरकार ने देश में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली दिल्ली और मुम्बई एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंपा था। इस प्रयोग का क्या नतीजा हुआ, इसका विस्तृत विवरण सीएजी की रिपोर्ट और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा साफ-साफ लिखा हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में जिसकी अध्यक्षता डॉ.मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता कर रहे थे, हमें याद है एक नारा होता था- 'भाजपा की तीन धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर'। अगर सरकार को

मेरी बात पर यकीन न हो तो आदरणीय मुरली मनोहर जोशी की बात पर यकीन जरूर करेंगी कि उन्होंने पीएसी की 94वीं रिपोर्ट में लिखा है कि किस तरीके से दिल्ली की एयरपोर्ट में घोटाला हुआ है। सरकार किसी की हो, इधर बैठने वाले की हो या उधर बैठने वाले की हो, देश की आम जनता का जो पैसा है, उसको लूटने का ठेका नहीं देना चाहिए। माननीय सभापति जी मुझे थोड़ा और समय दीजिए।

माननीय सभापति : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

कुंवर दानिश अली : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जीएमआर को दिल्ली का एयरपोर्ट दिया था और उस एयरपोर्ट के साथ 25000 एकड़ जमीन दिल्ली एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द की उसको दे दी । उसने उस जमीन को अपने मित्रों को होटल्स बनाने के लिए, जिनको हम एयरोसिटी कहते हैं, दे दिया। जब उस कंपनी को ठेका दिया गया था, शायद इसलिए दिया गया था, उन्होंने कहा था कि हम 12-14 हजार करोड़ रुपये अपने पास से इकट्ठा करके इस एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन, उन्होंने अपना कितना पैसा लगाया या वही जमीन और एसेट्स जो सरकार ने उनको दिए, उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने वह काम किया। इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस भी लगाई। हमें याद है कि 600 रुपये डोमेस्टिक पैसेंजर्स, 1300 इंटरनेशनल पैसेंजर्स पर डेवलपमेंट फीस लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में वह केस गया, पीआईएल हुई तब जाकर के एयरपोर्ट पैसेंजर फीस खत्म की गई थी।

माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। जब वे अपना रिप्लाई देंगे तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी उस वक्त इसमें इनवोल्व नहीं थे? सरकार कोष मुनाफे में जो तय हुआ था, उस मुनाफे की शेयरिंग सरकार में हुई थी या नहीं हुई थी? ऐसा है कि सांसद यहां अमरोहा या पटना डिसकस करने नहीं आते हैं, मैं देश की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश अली जी, इधर ध्यान दीजिए और अपने विषय को समाप्त कीजिए…

(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

कुंवर दानिश अली: मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि माननीय रूड़ी जी अभी बोल रहे थे, मैं जानता हूं उनकी कुछ मजबूरियां थीं, वे इन बातों पर आना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें भी समय नहीं दिया…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात बोलिए…

(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: उन्हें समय नहीं दिया तो उनका काम मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब सिविल एविऐशन मिनिस्टर साहब जवाब देंगे कि जो डेवलपमेंट फीस के नाम पर करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये जनता से वसूल किए थे, वह रुपये कहां गए। सरकार को उसमें हिस्सा मिला कि नहीं मिला?…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कनक्लूड कीजिए…

(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Otherwise, I will take the next name.

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय, बस दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं…(व्यवधान)

मैं कनक्लूड कर रहा हूं, कभी-कभी तो मौका दे दिया कीजिए। मैं सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन नई सरकार करने जा रही है, जो मुनाफे में चल रहे हैं, क्या सरकार ने इनके बारे में कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जिस तरीके की लूट

दिल्ली और मुम्बई के एयरपोर्ट्स में हुई है वह आगे न हो? अभी मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली के अन्दर अभी और दूसरे होटल्स बनाने की तैयारी हो रही है। उन होटल्स को अपने दोस्तों को दिया जा रहा है। वे व्यक्ति जिनके पास होटल्स भी हैं और जिनको एयरपोर्ट्स के स्पेसेज भी दिए हुए हैं वे शायद अभी जेल में है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो सरकार की जमीनें हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, उनको लूट के लिए प्राइवेट एनटिटीज के हाथ में नहीं देना चाहिए। मुम्बई के अन्दर 62 एकड़ जमीन दी गई वहां पर भी यही हाल हुआ। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Last sentence, please.

कुंवर दानिश अली : प्राइवेट एन्टिटीज के छ: प्रोफिट मेंकिंग एयरपोर्ट्स हैं। अभी एक क्लॉज और आया था कि नीति आयोग और हमारी सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाकायदा यह कहा था कि किसी निजी कम्पनी को दो से ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं दिए जा सकते हैं।

کنور دانش علی (امروہہ): عزت مآب چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ائرپورٹ ایونومِک ریوگولیٹری اتھارٹی پر بولنے کے لئے وقت دیا۔ جب ہم اس ایوان میں اِس بِل پر بحث کر رہے تھے، اسی وقت ائرپورٹ اتھارٹی آف اندیاایمپلائز جوائنٹ فورم جو ائر پورٹ اتھارٹی کے سبھی کرمچاری یونینوں کا ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ایک خط محترم سِول ایویشن منسٹر کو لکھا ہے، وہ خط میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو ابھی ٹیبل پر رکھ دوں گا۔ ائر پورٹ اتھارٹی کے جو 20 ہزار کرمچاری ہیں ، انہوں نے عزت مآب وزیر صاحب کے ذریعہ سرکار کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے پروفِٹ میکنگ ائرپورٹس کو نجی صنعت کاروں کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے، اس کے نقصان دہ نتائج ملک کی عوام کو بھگتنے ہوں گے۔

جناب، ائر پورٹ اتھارٹی آف انڈیا وہ اِدارہ ہے جس نے 125 ائر پورٹس اس ملک میں بنائے ہیں۔ 85 ائر پورٹس ایسے ہیں، جو نقصان میں چل رہے ہیں۔ ائر پورٹ اتھارٹی نے ملک کے سبھی حصوں کو جوڑنے کے لئے جو دور دراز کے علاقے ہیں، ان سب جگہوں پر ائر پورٹس بنائے ہیں۔ لیکن جو نقصان میں چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ٹریفِک فلو زیادہ نہیں ہے۔ ملک کی عام جنتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے گھاٹے میں چل رہے ائر پورٹس کا رکھ رکھاؤ منافعہ میں چل رہے ائرپورٹس کے پیسے سے کرتی ہے۔

جناب، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پچھلی سرکار ایک۔ایک۔ کرکے ائرپورٹ بیچ رہی تھی، اور اب سرکار نے تھوک میں بیچنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ ایک ہی صنعتی گھرانے کو ملک نے چھہ ائر

پورٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پچھلے دنوں منافعہ میں چلے ائرپورٹ کو نجی ہاتھوں میں دینے کا کیا نتیجہ ملک کے سامنے آیا ہے۔ پچھلی سرکار نے ملک میں سب سے زیادہ منافعہ کمانے والا دہلی ور ممبئی ائرپورٹ کو نجی ہاتھوں میں سونپ دیا تھا۔ اس پریوگ کا یا نتیجہ ہوا، اس کی تفصیلی جانکاری سی۔اے۔جی۔ کی رپورٹ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ میں باقائدہ صاف۔صاف لکھا ہوا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میں جس کی صدارت ڈاکٹر مُرلی منوہر جوشی جیسے نیتا کر رہے تھے۔ ہمیں یاد ہے ایک نارہ ہوتا تھا۔ بھاجپا کی تین دھروہر اٹل، اڈوانی، مُرلی منوہر۔ اگر سرکار کو میری بات پر یقین نہ ہو تو عزت مآب مرلی منوہر جوشی جی کی بات پر یقین ضرور کرے گی کہ انہوں نے پی۔اے۔سی۔ کی 94 رپورٹ میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے دلی کی ائر پورٹ میں گھوٹالہ ہوا ہے۔ سرکار کسی کی بھی اِدھر بیٹھنے والے کی ہو یا اُدھر بیٹھنے والی کی ہو۔ ملک کی عام جنتا کا جو پیسہ ہے ، اس کو لوٹنے کا ٹھیکہ نہیں دینا چاہئیے۔ محترم چیرمین صاحب مجھے تھوڑا وقت اور دیجئے۔

میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار نے جی۔ایم۔آر۔ کو دلی کا ائرپورٹ دیا تھا اور اس ائرپورٹ کے ساتھ 25000 ایکڑ زمین دلی ائرپورٹ کے اِرد گِرد کی اس کو دے دی۔ اس نے اس زمین کو اپنے دوستوں کو ہوٹلز بنانے کے لئے، جن کو ہم ایروسٹی کہتے ہیں، دے دیا۔ جب اس کمپینی کو ٹھیکا دیا گیا تھا ، شاید اس لئے دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 12-14 ہزار کروڑ روپئے اپنے پاس سے اکٹھا کرکے اس ائرپورٹ کا ڈیولپمنٹ کریں گے۔ لیکن انہوں نے اپنا کتنا پیسہ لگایا، یا وہی زمین اور ایسٹس جو سرکار نے ان کو دئے ، اسی کا استعمال کرکے انہوں نے وہ کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے

ائرپورٹ ڈیولپمنٹ فیس بھی لگائی۔ ہمیں یاد ہے کہ 600 روپئے ڈومیسٹک پیسنجرس، 1300 انٹر نیشنل پیسنجرس، پر ڈیولپمنٹ فیس لگائی گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں وہ کیس گیا، پی۔آئی۔ایل۔ ہوئی، تب جا کر کے ائر پورٹ پیسنجر فیس ختم کی گئی تھی۔

عزت مآب سِول ایویشن منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ جب وہ اپنا ریپلائی دیں گے تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کیا سِول ایویشن منسٹری کے افسران اس وقت اس میں شامل نہیں تھے؟ سرکار کوش منافعہ جو طے ہوا تھا، اس منافعہ کی شیرنگ سرکار میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ایسا ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ یہاں امروہہ یا پٹنہ ڈِسکس کرنے نہیں آتا ہے، میں ملک کی بات کر رہا ہوں۔ (مداخلت)۔۔

میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ محترم روڈی جی ابھی بول رہے تھے، میں جانتا ہوں ان کی اپنی کچھ مجبوریاں تھی، وہ ان باتوں پر آنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے انہیں بھی وقت نہیں دیا۔ (مداخلت)۔۔

انہیں وقت نہیں دیا گیا تو ان کا کام میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سِول ایویشن منسٹر صاحب جواب دیں گے کہ جو ڈیولپمینٹ فیس کے نام پر قریب ساڑھے تین ہزار کروڑ روپئے عوام سے وصول کئے گئے تھے، وہ روپیہ کہاں گیا۔ سرکار کو اس میں حصہ ملا کہ نہیں ملا۔ (مداخلت)۔۔

چیرمین صاحب، بس دو منٹ میں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، کبھی کبھی تو موقع دے دیا کیجئے۔ میں سرکار سے صرف

اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن ائر پورٹس کا پرائیویٹائیزیشن نئی سرکار کرنے جا رہی ہے، جو منافع میں چل رہے ہیں، کیا سرکار نے ان کے بارے میں کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ جس طریقے کی لوٹ دہلی اور ممبئی کے ائرپورٹس میں ہوئی ہے وہ آگے نہ ہو؟ ابھی مجھے جانکاری ملی کہ دہلی کے اندر ابھی اور ہوٹلس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان ہوٹلس کو اپنے دوستوں کو دیا جا رہا ہے۔ وہ شخص جن کے پاس ہوٹل بھی ہیں اور جن کے پاس ائرپورٹ کے اسپیسز بھی دئے ہوئے ہیں وہ شاید ابھی جیل میں ہیں، ان کو لوٹ کے لئے پرائیویٹ اینٹیٹیز کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ ممبئی کے اندر 62 ایکڑ زمین دی گئی وہاں پر بھی یہی حال ہوا۔ چیر مین صاحب، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ (مداخلت)۔۔

پرائیویٹ اینٹِٹیز کے 6 پروفِٹ میکنگ ائرپورٹ ہیں۔ ابھی ایک کلاز اور آیا تھا کہ نیتی آیوگ اور ہماری سرکارکے فائننس ڈیپارٹمنٹ نے باقائدہ یہ کہا تھا کہ کسی نجی کمپنی کو دو سے زیادہ ائرپورٹس نہیں دئے جا سکتے ہیں۔۔

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE) : Thank you, Chairman, sir. The AERA Bill is nothing but another effort of wholesale selling of aviation sector to the corporate sector. Privatisation is the mantra of this Government.

According to Clause 2 of AERA Act, 2008, tariffs and other charges regulated by AERA at civilian airports were on annual traffic above 15 lakh passengers. The present Bill is going to increase the threshold of annual passenger traffic for major airports to over 35 lakhs. All other airports in India are going to be in the private hands of our country. Five other airports have been sold to Adani Group and the Government will have no control for the next 50 years. There is a clear violation of rules and regulations in this business. All PPP guidelines were bypassed in bidding.

Neither AAI nor the Civil Aviation Ministry conducted any detailed feasibility study before floating the tender. Even the basic parameters of any tender such as Minimum Bid Price, Total Project Cost etc. were absent. …(*Interruptions*) Recommendations of the Ministry of Finance and NITI Aayog are more scarecrows in this deal. The Government needs to take a leaf out of global experience, where post Airports are in public hands. Then in India, why is the rush for privatisation of Airports? What is the AAI going to get out of that? I want to know whether this Government is chaukidar of the people or of the corporate sector. Thank you.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति जी, मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बिल के माध्यम से हवाई यात्राएं सस्ती और सुविधाजनक होंगी, यह मेरा मानना है। इस बिल के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा, साथ ही साथ, 'मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस' भी इस बिल के माध्यम से सार्थक हो सकेगा। जिस तरह से हवाई यात्राओं को सुविधाजनक और सस्ती बनाने के लिए माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं, इसकी सीमा में अब 16 हवाई अड्डे आ सकेंगे। जहां पहले 15 लाख यात्री तक के हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डा माना जाता था, अब उसकी सीमा को बढ़ाकर 35 लाख कर दिया गया है, यह एक सराहनीय कदम है। वैसे तो इस बिल में बहुत-सी और भी अच्छी बातें हैं। अभी एक आशंका को आपने निर्मूल किया है, यह जानकारी पाकर मुझे खुशी हुई है। आपने यह कहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह हो कि हवाई अड्डों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है या निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस आशंका को आपने खारिज किया है, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार देश में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और जितनी संख्या में डोमेस्टिक यात्री हमारे देश में हैं, दुनिया में हमारा देश तीसरे स्थान पर है। इस कारण सरकार की यह सोच कि हवाई यात्राएं सस्ती कैसे हों और यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा कैसे मिले, इस पर हमारी सरकार ने काम किया है। इसके लिए भी मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि वैसे तो इस अमेंडमेंट बिल में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, फिर भी मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिन हवाई अड्डों को संचालित करती है या कुछ प्राइवेट एजेंसीज मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े हवाई अड्डों को संचालित करती हैं, मैं एक यात्री के रूप में जो महसूस करता हूं, उसे यहां रखना चाहता हूं कि किसी भी एयरपोर्ट पर एक कप चाय 150 रुपये की है और एक पैटीज 100 रुपये से कम में नहीं मिलती है।

ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह आम यात्री के बारे में जहां प्रधान मंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, वहां इन चीजों पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात, मैं जिस राज्य से चुनकर आता हूं – बिहार। हमारे प्रदेश की राजधानी पटना है, वहां एक एयरपोर्ट है। देश के जो कुछ अड्डे खतरनाक श्रेणी में घोषित किए गए हैं, उनमें पटना का एयरपोर्ट भी एक है। वह खतरनाक है, उसका रन-वे छोटा है, उसके एक्सपैंशन की कोई संभावना नहीं है। वहां बिहटा एयरपोर्ट भी है। यह जानकारी मिली है कि बिहटा एयरपोर्ट, जो भारतीय एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, उससे कुछ सहमति बनी है कि वहां से कुछ डोमेस्टिक एयरलाइंस भी शुरू करेंगे और अभी पटना एयरपोर्ट भी उसी तरह से कार्य करेगा। अभी पटना के उस पार, गंगा जी के उस पार, पटना के पूर्व में एक बड़ा और अच्छा एयरपोर्ट बनाने की बात माननीय सदस्य रूडी जी कह रहे थे।

मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल पटना में जिस तरह से कंजेशन है और उसकी यह स्थिति है कि कभी-कभी वहां ऐसी भीड़ होती है कि ऐसा लगता है कि वह एयरपोर्ट नहीं बल्कि बस स्टैंड है। एयरपोर्ट ऑथोरिटी को पैसेंजर्स को बैठाने के लिए, उनको बारिश और धूप से बचाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर पंडाल लगाना पड़ता है।

21.35 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष महोदय, आप आसीन हो गये हैं तो मुझे आशा है कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूंगा। आपसे आसन का संरक्षण चाहूंगा और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं देख रहा हूं कि माननीय सांसद काफी देर से बैठे हुए हैं।

महोदय, उस हवाई अड्डे की स्थिति कहीं से ऐसी नहीं लगती है कि यह किसी राज्य की राजधानी का हवाई अड्डा है। इसका विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा और सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बिहटा एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान चलाने

की जो सहमति बनी है, वह कब तक शुरू हो पाएगी। मैं चाहूंगा कि इसमें आपकी तरफ से प्रयास हो ताकि यहां से जल्दी से जल्दी प्रचालन शुरू हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र के बगल में ही नहीं, बल्कि उस जिले में भी हमारी आधी कॉंस्टिट्एंसी है, गया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गया तीन-तीन धर्मों का केन्द्र है। दुनिया के विभिन्न देशों से वहां बुद्धिस्ट आते हैं। लोग वहां पर्यटन के लिए आते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं। गया देश का एक मात्र ऐसा स्थान है, जहां दुनिया भर से हिन्दू पिंडदान के लिए आते हैं। आप वहां गए होंगे या आपको जाना होगा।...(व्यवधान) मेरी कोई भावना गलत नहीं है।...(व्यवधान) पूर्वजों के पिंडदान के लिए दुनिया भर से वहां हिन्दू आते हैं। इसके साथ-साथ जैनियों का तीर्थ स्थल पावापुरी और राजगीर, वह भी गया एयरपोर्ट से बिल्कुल नजदीक है। झारखंड बिहार के दस जिलों को केटर करने वाला यह स्थान है, जहां से झारखंड से पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और बिहार के औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और नवादा, दस-दस जिलों और ऐसे एयरपोर्ट की यह स्थिति है कि दिल्ली से एयर इंडिया का मात्र एक जहाज, 433 चलता था, उसको भी पिछले दो महीने से बंद कर दिया गया है। मैंने माननीय मंत्री जी से मिल कर लिखित रूप में यह आग्रह किया है कि एक जहाज चलाएं। उसके बारे में यह कहा गया कि हज के कारण इस जहाज को बंद किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इनकी हवाई जहाज की मांग के बारे में बंद कमरे में बुला कर बात कर लीजिए। माननीय सदस्य, अभी आप विधेयक के बारे में बोलिए।

श्री सुशील कुमार सिंह :अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह एयरपोर्ट 20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के घाटे में है। इसमें घाटा इसलिए नहीं है कि वहां यात्रियों की कमी है, घाटा इसलिए है कि जहाज की कमी है। यात्री हैं लेकिन जहाज नहीं हैं। वहां से कोई प्राइवेट एयरलाइन्स ऑपरेट नहीं होती है। एयर इंडिया का एक मात्र जहाज चलता था, उसको भी बंद कर दिया गया, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी है और एयर इंडिया एवं एयरपोर्ट को भी उससे घाटा है।...(व्यवधान)

यहां से कारगो सेवा शुरू की जाए। Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority का यहां हब बने ताकि वहां के किसान द्वारा उत्पादित फल, सब्जी एवं अन्न वहां से ट्रांसपोर्ट हो सकें और हमारे किसानों को इसका लाभ मिले।

जब हज का सीजन आता है, तब वहां से विशेष विमान चलाए जाते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और सपोर्ट भी करता हूं, लेकिन 15 दिनों के लिए पितृपक्ष आता है, जो 13 सितम्बर को शुरू होगा और 28 सितम्बर को खत्म होगा। पिंडदान करने वाले यात्रियों को कोई सुविधा कभी नहीं दी गई है। यह एक डिसक्रिमिनेशन है। हज पर जाने वाले लोगों को सुविधा दी जाती है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उसी तरह से यह सुविधा पिंडदान करने वाले यात्रियों को भी दी जाए। उनके लिए विशेष जहाज देश के हर हिस्से से गया के लिए चलना चाहिए। यह मेरी मांग है।

महोदय, यह कहा जा रहा था कि देश के छ: हवाई अड्डों को और कुछ अन्य संस्थानों को बेचा जा रहा है तथा निजी हाथों में बेचा जा रहा है। अगर हम इस तरह से 'हेयरसे' पर विश्वास करें और भरोसा करें।...(व्यवधान) तो हमें इस बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि टिकट भी कोई पार्टी बेचती है और कई लोग टिकट खरीदकर इस सदन में आए हैं।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा) : स्पीकर सर, आप मेरे समय का मीटर अब शुरू कीजिएगा। मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं एयर कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे बदनसीब शहर आगरा से आता हूं और उसके बारे में बात कहना चाहता हूं। 'आपके पहलू में गुल ही गुल हों, इधर तो गुल की खूशबू ही काफी है।' थोड़ी खुशबू यहां भी आने दें साहब। 70 सालों में जहाजों ने भी खूब साजिश की और आगरा छोड़कर हर जगह लैंडिंग की। विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है, तो उसकी प्रथम प्राइयोरिटी ताज महल देखने की होती है। जब वह आ ही जाता है, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, खजुराहो भी चला जाता है। पर्यटन की दृष्टि से एक भी विश्व का ऐसा पर्यटक नहीं है जो हिंदुस्तान आया हो और आगरा न आया हो। वर्ष 1972 में मैंने खजुराहो में हवाई जहाज को पहली बार जमीन पर देखा था। उन दिनों कोई आतंकवाद नहीं था, इसलिए मैं कॉकपिट में भी चला गया। मेरी उम्र 11-12 साल की थी। मैंने पायलट से पूछा कि अंकल कहां से आ रहे हो? मैंने पूछा कि क्या आगरा से फ्लाइट आती है? उन्होंने कहा कि नहीं दिल्ली से फ्लाइट आती है। उसके बाद बनारस होते हुए वह फ्लाइट काठमांडु जाती है। वर्ष 1972 में दिल्ली, आगरा, खजुराहो, काठमांडु फ्लाइट चलती थी। आज 47 वर्षों के बाद गंगा और यमुना में बहुत पानी बह गया, लेकिन अभी तक वह एक फ्लाइट हफ्ते में सिर्फ दो बार ही आती है। ऐसा एक भी शहर विश्व का नहीं होगा, जहां 47 साल पहले एक ही फ्लाइट हो और आज भी एक ही फ्लाइट हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वजह से हमारा पूरा आगरा शहर आक्रोशित भी है, प्रतीक्षारत भी है, अपेक्षित भी है। हमारे दस हजार से ज्यादा बच्चे बैंगलुरू में पढ़ते हैं। दस हजार से ज्यादा बच्चे कोटा में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि कोटा में भी एयरपोर्ट बने और आगरा से उसकी फ्लाइट हो जाए। बच्चे कोचिंग के लिए देश के हर क्षेत्र में जाते हैं। विश्व की किसी भी देश की राजधानी और हिंदुस्तान के किसी भी सूबे की राजधानी से प्रतिदिन हवाई जहाज का एक स्कोप आगरा के लिए है। हमारी बदनसीबी देखिए कि हमने ताज एक्सप्रेस चलाई, पर्यटक आया और वापस चला गया। हमने शताब्दी ट्रेन रोकी, पर्यटक आया लेकिन नाइट स्टे नहीं हुआ। हमने राजधानी ट्रेन रोकी, पर्यटक आया, लेकिन नाइट स्टे आगरा

नहीं हुआ, वापस दिल्ली चला गया। हमने गतिमान एक्सप्रेस भी चलाई है, पर्यटक आया, लेकिन नाइट स्टे नहीं हुआ। एक्सप्रेस हाइवे बना, सुविधा है, लेकिन पयर्टक वापस चला गया।

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय यह है कि आगरा में एयरपोर्ट शुरू किया जाए। यह विधेयक इसके लिए नहीं है। माननीय सदस्य, एयर पोर्ट बनाने और नए हवाई जहाज चलाने की मांग करने लगें, तो सदन पूरी रात भर चलेगा। अब आप तय कर लीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, हम तब तक नहीं मानेंगे, जब तक कोटा में हवाई जहाज नहीं उड़ेगा।

कुंवर दानिश अली : महोदय, कोटा और आगरा, दोनों जगह होना चाहिए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : आगरा और रांची में भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बैंगलुरु, हैदराबाद, मुम्बई, जोधपुर, उदयपुर, बोधगया तक होनी चाहिए। बुद्धिस्ट सर्किट है। बोधगया से आगरा के लिए जितने भी टूरिस्ट्स आते हैं, वे बोधगया भी जाते हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा यहां 14.62 एकड़ भूमि में कुल 4870 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की टर्मिनल की बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें ढाई सौ यात्रियों के आगमन एवं ढाई सौ यात्रियों के प्रस्थान की सुविधा है। एप्रॉन साइज 175 मीटर गुणा 76 मीटर का है, जिस पर एक ही समय में छोटे एवं बड़े चार जहाज खड़े हो सकते हैं।

वर्तमान में सिविल एयर टर्मिनल खेरिया, आगरा पर समस्त सुविधाएं हवाई यात्रियों हेतु उपलब्ध हैं। उपरोक्त टर्मिनल में कस्टम एवं इमिग्रेशन हेतु भी सुविधा होने के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट भी सीधे आगरा उतरती है, परंतु इस टर्मिनल के लिए यात्रियों हेतु पहुंच मार्ग अन्य हवाई अड्डों की तरह सुलभ नहीं हैं, क्योंकि आगरा सिविल हवाई अड्डा के एयरफोर्स क्षेत्र के मध्य में होने के कारण आम जनता की पहुंच के बाहर है। अत: वर्तमान में सिविल हवाई अड्डे तक एक सुलभ पहुंच मार्ग बनाए जाने की अति आवश्यकता है, जिससे आम आदमी की पहुंच हवाई अड्डे तक हो सकेगी एवं हवाई यात्रियों को टर्मिनल भवन तक पहुंचने में होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल सकेगा एवं हमारा एवं आम आदमी का सपना पूरा हो सकेगा।

इसके लिए अर्जुन नगर एयरफोर्स गेट से लेकर टर्मिनल तक एक डेडिकेटिड रोड बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार द्वारा एयरफोर्स की सीमा से बाहर नए टर्मिनल भवन हेतु एवं एप्रोन टैक्सी हेतु कुल 55 एकड़ ज़मीन मुहैया कराई जा रही है, जिसमें से लगभग 50 एकड़ ज़मीन को राज्य सरकार अपने नाम रजिस्ट्री करवा चुकी है। कुल 5 स्थानों पर रजिस्ट्री न हो सकने के कारण उक्त नई भूमि पर बाउंड्री वॉल का कुल लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 60 करोड़ रुपये दिए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस स्थान पर लगभग 350 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल भवन, एप्रोन एवं टैक्सी ट्रैक हेतु टेंडर किया हुआ है, परंतु पर्यावरण विभाग एवं टीटीज़ेड से पर्यावरण स्वीकृति न मिलने के कारण यह कार्य बाधित है। इसकी सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध है। केन्द्र सरकार को इसकी ढंग से पैरवी करनी चाहिए। बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अृमतसर से एक फ्लाइट रोज़ आगरा के लिए चलाई जाए।

सर, आगरा को बचा लीजिए। हम वाइट उद्योग में आ गए हैं। ताज महल अब हमारे लिए लाइबिलेटी-एसेट नहीं रहा है। इसलिए, आपसे मेरा यह निवेदन है कि उक्त शहरों से आगरा की एयर कनेक्टिविटी कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। 50 वर्षों में जितनी यात्री सुविधाएं नहीं बढ़ीं, उतनी इन पांच वर्षों में बढ़ी हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। उदयपुर एयरपोर्ट मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है। इस एयरपोर्ट में पिछले पांच वर्षों में कई नई फ्लाइट्स शुरू की गई हैं। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं जयपुर से उदयपुर और दिल्ली से उदयपुर फ्लाइट की बात करूंगा। जब माननीय जयंत सिन्हा जी मंत्री थे, तब वे वहां आए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उसमें 6 एयरो-ब्रिज और टर्मिनल बनाने के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए कोई प्रोजेक्ट गया है। उदयपुर एक वर्ल्ड-वेडिंग डेस्टिनेशन है। पूरी दुनिया से वहां टूरिस्ट्स आते हैं। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए और कई अन्य शहरों को उससे जोड़ने के लिए नई फ्लाइट्स शुरू की जाएं। मैं आपसे यह मांग करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मांगों पर आप जवाब न दें। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपनी मांगें रखी हैं, उनको आप अपने चेंबर में बुलाकर लिखित में जवाब दे दीजिएगा। अभी सिर्फ विधेयक से संबंधित प्रश्नों पर ही जवाब देना उचित रहेगा।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI) : Sir, I am deeply grateful to you and I will try, to the extent possible, to follow your instruction. But there are some very interesting things which have been said and if they do not go on record, the letter that I write to the hon. Members later may not reflect these. I seek your indulgence, Sir, and I will try to be as quick as possible but some of the points need response.

The first hon. Member who spoke, Shri K. Jayakumar, said that there was no mathematical basis to explain why the figure of 1.5 million, which was in the 2008 legislation, was being replaced by 3.5 million. Another hon. Member turned around and said why not 2.5 million. The answer is quite simple. As I tried to explain, 1.5 million represented 1.3 per cent of the passenger throughput at that point of time, which was 117 million; and the figure of 3.5 million similarly represents 1.7 million passengers per annum throughput of 345 million which is the passenger throughput now. So, there is an explanation.

He also said that adequate attention should be paid to the smaller airports. I entirely agree, and for that reason my distinguished predecessors in this job and all the others concerned ensured that Rs.10,000 crore is being spent on development of minor airports in the Tier-2 and Tier-3 cities in the next four years.

In fact, today, the Ministry of Civil Aviation is deciding and approving the tariffs of all minor airports. I want to assure the hon. Member that performance standards will not be compromised. These standards will continue to be monitored by AERA. Maintenance of standards will also be part of the bid document for future things which were included in the process.

I would now like to come to what Supriya Ji said. First of all, I thank her for recalling that governance is continuity. She is not here but I still have to answer the point that has been made. She made an important point. Also, I am very grateful to Rudy Ji for reminding us of all the important decisions that were taken in Vajpayee Ji's Government. I must confess, I was a junior Joint Secretary at that point of time in the Government. The issue is not only that the programme of privatisation is ultimately traceable to that period but also many of the other things we did for urban transport, metro, for instance, it was started in 2002. Today, we have 600 kms. of metro line operational. Another, 600 kms. of metro line is under construction.

I now come to the question whether there is a conflict of interest. This is a point which was made between the Airports Authority of India as an operator and regulator. This point is not correct. It is not correct because the Central Government is the regulator in this. Minor airports will all continue even after the amendment.

I now come to what Rudy Ji said. An hon. Member, I think, it was Shri Danish Ali, who said कि आपने रूडी जी को बोलने का मौका नहीं दिया। I do not know why he made that statement. तीस मिनट तो रूडी जी बोले और उनसे हम सबको ज्ञान

मिला। उन्होंने यह भी सजेस्ट किया है कि अगर आप इनको थोड़ा समय और देते तो कई इंटरेस्टिंग चीजें कह पाते। इन्होंने जो चीजें कहीं हैं, I want to respond to them. इन्होंने 6 एयरपोर्ट्स की मोनोपॉली की बात की है। मैं अभी थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं कि जब 2006 में दो एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। Those two airports were Delhi and Mumbai, which accounts for 34 per cent of the total air traffic of 435 million passengers. जहां तक ये 6 एयरपोर्ट्स हैं, इनका अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो 6 एयरपोर्ट्स मिलाकर सिर्फ 6 परसेंट बनता है। Out of that, apart from Mangalore, the other five airports will be controlled and regulated by AERA. So, there is a lot of misinformation which is being generated. I think, some of it is due to genuine lack of understanding of what this Bill says. सर, यह बहुत बढ़िया मौका होता है, जब इस बिल पर चर्चा होती है। जो माननीय सदस्य हैं, इनको और चीजों पर भी बात करनी होती है, जैसे बागडोगरा से फ्लाइट हो या आगरा से हो। मैं बहुत खुश हूं और उन स्पेसिफिक्स पर मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं आपके माध्यम से रूडी जी को यह बताना चाहूंगा कि सेफगार्ड्स आर.एफ.पी., रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ऑलरेडी बिल्ट इन है कि मोनोपली स्थिति न आए। Sir, through you, I want to give him a total assurance. ये जो 6 एयरपोर्ट्स पर चर्चा हो रही है और कुछ लोग थोड़े एक्साइट हो रहे हैं। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि इनमें से five airports are already major airports, for which the tariffs have already been determined by AERA. So, to say that something unforeseen happening, is not correct. …(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, we could just withdraw this sentence, '…genuine lack of understanding'. …(*Interruptions*)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Let me rephrase it. There may be some miscommunication on account of perhaps the narrative because the narrative outside is that the Government is embarked on a major plan of privatisation. It is intended to benefit one party. I want to utilise this opportunity to say that two of those airports which were privatised in the year 2006, account for 34 per cent of the total air traffic. A lot has been said about what is happening to those two airports. In 2005-06, prior to the privatisation of the Delhi and Mumbai airports, the share that Airports Authority of India derived from the revenue of those airports was Rs. 669.94 crore.

As a result of the decision which was taken in 2006 or 2007 or in 2008, today the revenue is Rs. 1591.25 crore and it is more than two and half times. रूडी जी ने भी यह कहा है कि एक अच्छे निर्णय से कई और फायदे हुए हैं। मैं आपको मुंबई एयरपोर्ट के बारे में बताता हूं। In 2005-06, Rs. 665.47 crore was the revenue of the Airports Authority. That has gone up to Rs. 1438 core. In other words, इस पर भी डबल से ज्यादा फायदा हुआ है। एक चीज बिल्कुल सही है and that is the scale at which the expansion has taken place. वर्ष 2008 में 117 मिलियन पैसेंजर्स *पर एनम* थे। इस समय 440 मिलियन पैसेंजर्स *पर एनम* हैं। हम 17 प्रतिशत पर एनम के रेट पर ग्रोथ कर रहे हैं। Going by this rate of growth, we could be looking at a figure of something like रूडी जी ने बताया है कि 620 जहाज, this is what we would be looking at with the kind of orders which are being placed by some of the private carriers. We could be looking at 2000 aircrafts in a very short period of time and the passenger throughput of a billion passengers within a few years. I am not a soothsayer; I do not know but if I look at this fact that there is seven per cent penetration and

17 per cent rate of growth, it is a phenomenal opportunity. We are today the third largest but we could end up growing even further than that.

Now I come to certain questions which have been asked. There is a specific question about Patna airport. I can say that the present airport expansion for a passenger traffic of eight million passengers per annum at a cost of Rs. 1200 crore is in progress. The Bihta airport has been approved for joint use with the Indian Air Force for 10 million passenger capacity. इस पर 850 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बिहार की राज्य सरकार जिनको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन देनी है, वह जमीन जैसे ही मिलेगी, हम उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएंगे। श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव जी ने कहा है कि इससे ऐरा की पावर डिमिनिश होने वाली है। यह पालिशी ईशू है। I would like to assure him that the powers of AERA will remain the same except that the AERA will concentrate on those airports which have this 3.5 million capacity. हर एक एयरपोर्ट जिसको ऐरा रेग्युलेट करता है वहां टैरिफ जिसमें पांच साल का जो पीरियड होता है, उसमें एक बार करते हैं। Our experience is that we are better served if AIRA concentrates and focuses on larger issues rather than be confronted with too many other situations because then there is a dispersal of focus. But the Ministry of Civil Aviation will continue to perform that role.

I want to inform the hon. Member that Tirupati is a declared international airport and it has all the facilities. On the question of why international airlines are not operating, I should have made that point as a submission to the hon. Member right in the beginning. The problem is that the decision on who wants to operate are commercial decisions taken by the individual carriers. I want to place on record that even so far as Air India is concerned, an hon. Member

was getting very upset that this happened, that happened, and Air India should be instructed. It is precisely this mindset where governments have sought to instruct Air India that Air India has now got a debt which is almost completely unsustainable. We are incurring a loss of Rs. 20 crore a day and the Government is committed to privatize Air India in the interest of overall rationalisation. An alternate mechanism has been formed and we propose to push this through very early.

महोदय, फेयर्स की बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि overall the fares are coming down; they are not increasing. Shri Rudy said this and I am grateful to him for this and for many other things that he has stated.

22.00 hrs

But let us be clear as to how this is done. Let us not go into specific cases. If there is no facility somewhere, we de-regulate the airlines. Now all the airlines have to provide on their websites information about the range of fare. मान लीजिए दिल्ली-मुम्बई का रूट है और फेयर 5000 से शुरू होगा तो शायद वह 20-30 हजार तक जाएगा। अगर कोई एपेक्स सिस्टम में बुकिंग शुरू करता है 60 दिन के नोटिस के द्वारा वह 5000 पर जाता है पर मैंने वेटेड एवरेज फेयर्स का देखा है और मैं आपके माध्यम से रूडी जी को भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2001 में, 2011 में, 2019 में the weighted average fare for Delhi-Mumbai and several other trunk routes was exactly the same. It was Rs.5100.

I have a little experience of another Ministry where I had been Minister for two years. जब मैं वहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि हमने 65 लाख टॉयलेट्स बनवा दिए, इतने शहर ओडीएफ हो गए तो कभी-कभी ऐसी बात जो मेरे मित्र और माननीय सदस्य कह रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि फेयर्स सब जगह कम हो रहे हैं या स्टेबल हुए हैं तो वे कहते हैं कि except Gaya. It is possible but this is like the argument regarding Swachhta Abhiyan. ओडीएफ हो गया है, वे कह रहे हैं कि मेरे घर के बाहर तो गंदगी पड़ी है। So my submission is that we can deal with an eco-system. One of the efforts we are making is to encourage airlines.

Now why do airlines not make profits? This is not an Indian phenomenon, but this is a worldwide phenomenon. If you look at the American civil aviation market, Pan American, TWA and many other airlines have gone into losses and closed down. SwissAir used to be the flagship carrier of Switzerland, it has been taken over by Lufthansa. Why? There are several institutional constraints like the cost of ATF and others. रूडी जी ने याद करवाया कि वाजपेयी जी की सरकार में कम किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं निर्मला जी से यह कहूँ कि एटीएफ को पेट्रोल और डीजल से डीलिंक कर दिया जाए so that the airlines get relief. At the end of the day, Sir, airlines will be able to operate और हाँ, यहां जो ग्रोथ हो रही है but they will be able to operate only if they are able to make some money. Otherwise, the number of companies which are losing money is very much on the high.

AERA already determines the cargo tariff charges. यह राहुल शेवाले जी ने पूछा है, मैं इनको बताना चाहूँगा। नवनीत राणा जी को मैं यह बताना चाहूँगा that in the Request For Proposal, we have absolutely clarified that no employee will be

declared surplus or redundant as a result of any privatisation programme. In fact, the entity which is winning the bid has to take those employees over. Our experience has been that when you have trained employees, it is in the interest of the person who is going to run the entity. So, he would want to take those employees. But insofar as airlines staff are concerned, this Bill does not deal with that. This is a Bill to deal with the Airports Authority which is the running of the airport and the commercial operations of the airports.

As regards, sector Amravati to Mumbai, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि इस फ्लाइट को अलाइंस एयर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के द्वारा ऑपरेट करेगा।...(व्यवधान) वे मिल लेंगे। आप चाह रहे हैं कि मैं जल्दी समाप्त करूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, पर बाद में जाकर मैं यह नहीं सुनना चाहता कि हमने इतने कठिन सवाल पूछे, मंत्री जी से जवाब नहीं मिला तो मैं आज रिकार्ड पर कहना चाहूंगा।...(व्यवधान) सिर्फ मैं दानिश अली जी को थोड़ा जवाब दे दूँ। वे थोड़ा मुझसे नाराज लग रहे थे। वे मुझे कोई कागज देना चाह रहे थे और मैं यहाँ इस प्रोफेशन में आने से पहले एक दूसरे प्रोफेशन में था, जिसको for want of a better term डिप्लोमेसी कहते हैं। वहाँ पर मुझे यह चीज सिखाई गई थी कि कोई आकर आपको कोई कागज पकड़ा दे तो ध्यान से पहले देख लेना, वह कागज क्या है? अगर ये मुझे कागज दे रहे थे, जो कि एम्प्लॉइज़ ने मुझे चिट्ठी लिखी है तो मैं हाथ जोड़ कर यही कहना चाहूँगा कि उन एम्प्लाइज़ की चिट्ठी मुझे डायरेक्ट आनी चाहिए। वह किसी और के द्वारा नहीं आनी चाहिए। मैं तो अभी यह भी कहूँगा कि वह चिट्ठी मुझे मिली नहीं है।...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : यह 25 जून की चिट्ठी क्या आपको नहीं मिली है?

श्री हरदीप सिंह पुरी : मुझे नहीं मिली है। आप ऐसा करिए।...(व्यवधान) आप माननीय सदस्य हैं, आप पोस्ट ऑफिस के रिप्रजेंटेटिव नहीं हैं। मैं आपको रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ कि मुझे चिट्ठी नहीं मिली है। जब मुझे चिट्ठी मिलेगी तो मैं सिर्फ चिट्ठी का जवाब ही नहीं दूँगा, उनसे बात भी करूँगा

और उनसे पूछूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने तो आपके सारे सेफगाड्‌र्स कर लिए हैं।...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, हाथी के माध्यम से चिट्ठी आयेगी तो दो महीने तो लग ही जाएंगे।...(व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी : मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहूँगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह कहा गया कि वे जो दो प्राइवेटाइजेशन हुई थीं, पर वे जो दो प्राइवेटाइजेशन हुई थीं, उसके बाद 9 और ऐसे अटैम्प्ट्स हुए। In all those nine attempts, a stipulation was included that you require previous airport running experience. This meant that those two companies were winning all the bids. When we removed that, for these six airports which will comprise only 6 per cent of the traffic we got 32 bids and those 32 bids are so competitive, they are global bids, that in 31 of them if we were getting offers here, then we are getting them at much higher price. In fact, these two companies which were running them earlier, the bids we have received are much more.

Sir, now the final point that I would like bring to the notice of the hon. Members is that for these six bids, if and when they go through, the operator will pay Rs. 2300 crore upfront to the Airports Authority and it is this kind of earning by the Airports Authority which would enable us to run the Regional Connectivity Scheme, Udaan and it makes it possible for us to run them because these are all demand driven.

Sir, I have to make two last points. A suggestion was made with regard to the Delhi Airport ...(*Interruptions*) कि कई लोगों को, अपने दोस्तों को जमीन दे दी, कुछ

और हो गया । मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिर्फ 5 प्रतिशत टोटल लैंड उन्होंने कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए अभी दी है । Till date 62 acres have been so developed for commercial lines.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप विस्तार से जवाब दीजिए।

डॉ. निशिकांत दुबे: मंत्री जी, 5 परसेंट ही दे सकते हैं।

श्री हरदीप सिंह पुरी : हाँ, वही दिया है।

डॉ. निशिकांत दुबे: 5 परसेंट ही दे सकते हैं। दिया नहीं है, उतना ही दे सकते हैं।

श्री हरदीप सिंह पुरी : अच्छा, उतना ही दिया है, लेकिन उन्होंने बोला कि 2.5 हजार एकड़ दे दिया है।…(व्यवधान) कहा उन्होंने 2.5 हजार एकड़ था।…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सर, 2.5 हजार एकड़ उस कंपनी को दिया।…(व्यवधान) जो शिकायत हुई थी, वह तो पिछली सरकार में थी।…(व्यवधान) हम तो चाह रहे हैं कि आप उसकी जाँच करेंगे।…(व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी : उसका निर्णय उस सरकार ने लिया था, जो वर्ष 2008 में थी। जाँच मैं कराऊँगा।

महोदय, शायद वह भी हम करवा पायें। मैं आखिरी पॉइंट बिहटा एयरपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा ।…(व्यवधान) A Project Management Consultant has been engaged and work is to be awarded by March 2020 and the completion period is 30 months and project cost will be Rs. 850 crore. This was a specific question.

Sir, I have several other points but I think, those are specific to particular airports. But I want to take this opportunity to tell the House about the development of the Kota airport. The operation of services for Kota is just now

the highest priority because several hon. Members have requested me to ensure that we accord it a priority.

अनेक माननीय सदस्य : सर, हमारे यहाँ के लिए फ्लाइट का क्या होगा?…(व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी : सर, यह बहुत स्ट्रांग डिमांड है ।…(व्यवधान) Sir, I want to mention that Indigo will start air services from Agra – Varanasi, Agra – Bengaluru, Agra – Bhopal, Agra – Lucknow, in December. SpiceJet will run air services from Agra to Delhi; Alliance Air will run air services from Agra to Jaipur. This was started in 2017. Air services from Agra to Mumbai has been allocated to Jet Airways and now it will go for re-bidding.

In all these I want to assure the hon. Members that after I assumed office as Minister a few weeks ago it is my constant endeavour to improve thing and yesterday I had a meeting with the hon. Members from Kerala and they all had very simple demands. The State already has four international airports. Clearly, they are not enough. Then I had to tweet a figure that Kerala is perhaps the best-connected State in India but it will be our endeavour under Modi ji's inspirational leadership that we provide all the services.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कि जिस तरीके से सरकार से लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके कारण आप सब अपने-अपने इलाके में एयरपोर्ट्स और हवाई सेवाएं शुरू करना चाहते हैं।

माननीय मंत्री जी, आप सबको व्यक्तिगत रूप से बुलाकर एक-एक माननीय सदस्य के साथ चर्चा करें। माननीय सदस्यों ने जो सवाल माननीय मंत्री जी से पूछे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे सभी माननीय सदस्यों को बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें।

SHRI HARDEEP SINGH PURI : Sir, I want to thank the hon. Members for their participation in the debate. It must be because of the electric atmosphere which you have created as the Presiding Officer and the importance of the subject. Looking at the lateness of the hour, I think, if we go into some more points, we may be here for several hours but I am deeply grateful for the interest shown. Through you Sir, I want to assure each Member that my doors are open. I will sit down with each Member. Not only will I discuss each one's requirements, but where I think I need your help, I will try and persuade the airline companies to institute those flights.

I beg to move:

"That the Bill to amend the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। चूंकि जिन सदस्यों ने इस विधेयक पर संशोधनों की सूचना दी है, वे सदन में अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं खंड 2 और 3 को एक साथ सभा के निर्णय के लिए रखूंगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

कुंवर दानिश अली : सर, हमारा भी क्लैरिफिकेशन है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि वे आपको बुलाएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे।

...(व्यवधान)

खंड 2 और 3

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक को पारित किया जाए।

...(व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I beg to move:

"That the Bill, as passed by Rajya Sabha, be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।"

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, थर्ड रीडिंग में माननीय सदस्य के प्रश्नों का जवाब दे दें। माननीय सदस्य, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताएं।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमें बहुत अच्छी तरह से बोलने का मौका मिल रहा है।…(व्यवधान)

हम सुबह से बैठे हैं और अगर थोड़ा क्लैरिफिकेशन माँग रहे हैं तो हमें बोलने दीजिए।…(व्यवधान)

सर, इस बिल पर बोलने के लिए मैं सुबह से बैठा हूं। मैंने जितनी भी अपनी क्वैरीज़ रखी थी, उनमें से एक का भी जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया।

सर, मुझे बहुत दु:ख है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैं बहुत जूनियर हूं। मेरा नाम अनुभव मोहंती है। मैं ओडिशा से हूं, बीजू जनता दल से हूं। मैं ओडिशा को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं एक भारतीय नागरिक हूं। मैंने एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से आपसे जो-जो प्रश्न पूछे, I have all six pages of my speech with me. I have raised many queries in my speech. The hon. Minister has not considered even one single point.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I have written a detailed letter to the hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. In that letter, I have mentioned what all we have been doing and we can do in future. In fact, we have recommended one thing. Dubai Emirates has 11 points of call in India. We have some difficulty in

including those as part of our bilateral agreement. But we are in discussion with several of our private carriers to encourage them to mount a flight from Bhubaneshwar to Dubai.

I have also written to the hon. Chief Minister on that. So, I thought I have taken action. There are several other points but because of the lateness of the hour, I have not been able to cover them now. Please feel free to come and see me -- tomorrow I am in a party meeting – on Monday. I would be very happy to share with you all the efforts that we have made.

HON. SPEAKER: Thank you.

माननीय अध्यक्ष: दानिश अली जी आप भी पूछ लीजिए।

कुंवर दानिश अली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक छोटा-सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2006 में दिल्ली एयरपोर्ट का इतना मुनाफा था कि वह वर्ष 2018 में बढ़ कर तीन गुना हो गया। मंत्री जी, तब से अब तक पैंसेजर्स कितने गुना बढ़े हैं, यह भी आपको पता होगा। मुझे सिर्फ इतना ही क्लैरिफिकेशन चाहिए कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में जो 94वीं रिपोर्ट है, जिसके चेयरमैन डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी थे, क्या आप उस पर कार्रवाई करने का एश्योरेंस देंगे?

کنور دانش علی (امروہہ): اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے عزت مآب وزیر صاحب سے صرف ایک چھوٹا سا کلیرِفیکیشن چاہتا ہوں۔ منتری جی نے کہا کہ 2006 میں دہلی ائرپورٹ کا اتنا منافع تھا کہ وہ سال 2018 میں بڑھ کر تین گُنا ہو گیا۔ منتری جی تب سے اب تک پیسنجرس کتنے گُنا بڑھے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، مجھے صرف اتنا ہی کلیرِفیکیشن چاہیے کہ پبلک اکاؤنٹس

کمیٹی کی دہلی ائرپورٹ کے بارے میں جو 94ویں رپورٹ ہے ، جس کے چیرمین، ڈاکٹر مُرلی منوہر جوشی جی تھے، کیا آپ اس پر کاروائی کرنے کا ایشیورینس دیں گے؟

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the hon. Member had asked several questions. He referred to somebody in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs having said something about putting a cap. Now, I thought, it is not necessary for me to correct the hon. Member.

KUNWAR DANISH ALI : I have sought a clarification …(*Interruptions*)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: No. You asked other questions also. Let me answer this. Let us be very clear that the Secretary, Economic Affairs took a position.

Then, he mentioned NITI Aayog. It was a Chief Executive Officer of NITI Aayog, who headed the Committee, an Empowered Group of Secretaries, which took those decisions.

Insofar as taking action on 94th Report, I can look at it. But I am not familiar with that Report. Today's discussion is on a particular piece of legislation – The Airports Economic Regulatory Authority (Amendment) Bill; and I do not think, it is appropriate or necessary for me to say 'I have a problem in my District Headquarters, when are you starting the flight?' I am doing this as a matter of courtesy and in a spirit of cooperation. But this digresses from that.

The hon. Member is welcome to come and tell me, and I will be happy to talk to him.

KUNWAR DANISH ALI: Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 5 अगस्त, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>22.18 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Monday August 5, 2019/Shravana 14, 1941 (Saka)